दशम माला, खण्ड 34, अंक 15

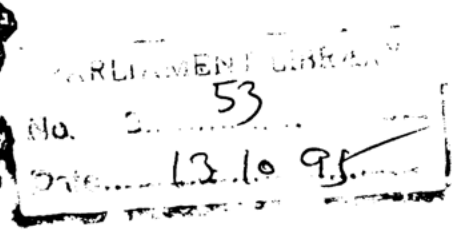
शुक्रवार, 12 अगस्त, 1994
21 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)





(खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अँग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

12 अगस्त, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के
हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	के स्थान पर	पढ़िए
1111	8	श्री छोतूभाई गामित	श्री छोतूभाई गामोत
55	नीचे से 12	+2855	+2805
196	नीचे से 11	"इनडेक्सपो-94"	"इण्डेक्सपो-94"

विषय सूची

दशम माला, खंड 34, ग्यारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 15, शुक्रवार, 12 अगस्त 1994/21 श्रावण, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1-18
* तारांकित प्रश्न संख्या	287 और 291	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		19
*तारांकित प्रश्न संख्या	281-286, 288-290 और 292-300	19-35
अतारांकित प्रश्न संख्या	2782-2852 और 2854-2966	35-198
सभा पटल पर रखे गये पत्र		211-218
राज्य सभा से संदेश		219
मोटर यान (संशोधन) विधेयक		219
सभा का कार्य		
राज्य सभा द्वारा यथापारित – सभा पटल पर रखा गया		220

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे) 1994-95

और 221-248

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1991-92

श्री हरपाल पंवार 221-223

श्री सूर्य नारायण यादव 223-226

श्री श्रवण कुमार पटेल 226-229

श्री सुबास चन्द्र नायक 229-235

श्री छीतूभाई गामित 236-238

श्री याइमा सिंह युमनाम 238-241

श्री रमेश चेन्नित्तला 241-244

श्री अनादि चरण दास 244-248

श्री याइमा सिंह युमनाम का संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन) पुरःस्थापित 249

श्री जार्ज फर्नान्डीज का उधार सीमा नियतन विधेयक 250-252

विचार करने के लिए प्रस्ताव – अस्वीकृत

श्री मनमोहन सिंह 250-252

श्री विश्वेश्वर भगत का इलेक्ट्रापैथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक - 252-264
वापस लिया गया

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री विश्वेश्वर भगत 252-254

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 254-256

श्री किरिप चालिहा 256-260

श्री पवन सिंह घाटोवार 260-263

प्रो० के. वी. थामस का आतंकवाद के पीड़ितों के आश्रितों का पुनर्वास विधेयक 264-283

विचार करने के लिए प्रस्ताव

प्रो० के. वी. थामस 264-267

डा० कार्तिकेश्वर पात्र 268-270

श्री रमेश चेन्नित्तला 270-273

श्री उमराव सिंह 273-277

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन 277-279

श्री किरिप चालिहा 279-283

लोक सभा

शुक्रवार, 12 अगस्त 1994/21 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या : 281 – श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री – उपस्थित नहीं है।

प्रश्न संख्या : 282 – श्री चित्त बसु – उपस्थित नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य – उपस्थित नहीं है।

प्रश्न संख्या : 283 – श्री विश्वनाथ शास्त्री – उपस्थित नहीं है।

प्रश्न संख्या : 284 – श्री रूप चन्द पाल – उपस्थित नहीं है।

श्री सुदर्शन राय चौधरी – उपस्थित नहीं है।

प्रश्न संख्या : 285 – श्री लाल बाबू राय – उपस्थित नहीं है।

श्री नीतीश कुमार – उपस्थित नहीं है।

प्रश्न संख्या : 286 – श्री चेतन पी. एस. चौहान – उपस्थित नहीं है।

प्रश्न संख्या : 287 – श्री पी. पी. कालियापेरूमल

बेरोजगारी

*287. **श्री पी. पी. कालियापेरूमल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में और 31 मार्च, 1994 को कितने व्यक्ति बेरोजगार थे;

(ख) वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराये गये;

(ग) क्या देश में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सरकार का कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

विभिन्न समयावधियों के लिए योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान निम्न सारणी में दिए गए है :

(मिलियन)

मार्च के अंत में	रोजगार	बेरोजगारी
1991	298.73	13.4
1992	301.73	17.0
1993	308.11	17.3
1994	313.70	18.5

8वीं योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना में सापेक्षिक रूप से उच्च रोजगार संभावना वाले सैक्टरों, सब–सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि सहित आर्थिक वृद्धि की उच्च दर पर बल दिया गया है।

चालू संरचनात्मक सुधारों से रोजगार की वृद्धि दर में सुधारों की आरंभिक अवस्थाओं में बहुत अल्पावधि के लिए धीमापन आ सकता है किन्तु उनसे मध्यम काल में पर्याप्त उच्चतर तथा विस्तृत वृद्धि होने की संभावना है, अतः रोजगार वृद्धि पर प्रभाव सकारात्मक होगा।

रोजगार सृजन के लिए भारत सरकार द्वारा परिकल्पित नीति केवल मात्र पूंजी साध्य नीति नहीं है। रोजगार नीति की प्रमुख विशेषताएं विविधीकृत कृषि, जिसमें शुष्क खेती, बंजरभूमि विकास शामिल है, ग्रामीण उद्योगों का विकास, लघु तथा माइक्रो उद्यमों के लिए उपयुक्त अनुसमर्थन पद्धतियों की स्थापना, आवास व्यवस्था शहरी अनौपचारिक क्षेत्र का विकास, असंगठित क्षेत्र के रोजगार में प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाना तथा लोगों के लिए तर्कबुद्धिपूरक व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार को प्राथमिकता देना है।

श्री पी. पी. कालियापेरुमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य से यह बात स्पष्ट है कि बेरोजगारी की समस्या खतरनाक ढंग से बढ़ रही है। यह भी दुखद है।

1991 में बेरोजगारी की दर 3.1 प्रतिशत थी। 1993-94 में यह बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई है। सकल घरेलू उत्पादक की वृद्धि दर जो 1991 में 1.1 प्रतिशत थी वह 1993-94 में बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गई है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पादक में वृद्धि हुई है लेकिन रोजगार वृद्धि दर कम हुई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या (क)

क्या रोजगार के अवसरों के मामले में निराशा की प्रवृत्ति का कारण हमारे चल रहे कार्यक्रमों में स्थिरता है; (ख) यदि नहीं, तो रोजगार के अवसरों में कमी के क्या कारण है, और (ग) इस सरकार की श्रम नीति क्या है।

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, मैं मुख्य उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि मौजूदा ढांचागत नीति के कारण रोजगार के अवसरों में थोड़ी कमी होना अवश्यमभावी है। हमने इस सच्चाई को स्वीकार किया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ समय बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

जहां तक रोजगार के अवसर पैदा करने के कार्यक्रम का संबंध है, योजना दस्तावेज में रोजगार नीति के बारे में एक पूरा अध्याय है। इस नीति के आधार पर सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक उप–समिति गठित की है। इस समिति ने इस पर गौर किया, इसको अंतिम रूप दिया अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास परिषद् को सौंप दी है जिसने इसे स्वीकार कर लिया है।

मंत्रिमंडल की एक उपसमिति और जिसके अध्यक्ष वाणिज्य मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष है; को शिक्षित युवकों में विशेष रूप से बेरोजगारी की समस्या पर विचार करना है। वह रिपोर्ट भी तैयार है। इन सभी रिपोर्टों के आधार पर मैंने अपने उत्तर के अंतिम अनुच्छेद में उत्तर को पहले ही काफी विस्तृत कर दिया है।

श्री पी. पी. कालियापेरूमल : यह कहना निरर्थक है कि बेरोजगारी की समस्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के शिक्षित बेरोजगारों को अधिक प्रभावित करती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है।

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, हमारे देश में कुल बेरोजगारों में से 40 प्रतिशत बेरोजगार शिक्षित युवा हैं। हमारे पास शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार का एक विशेष कार्यक्रम था। सरकार ने पहले इसकी घोषणा की थी। लेकिन पिछले वर्ष प्रधान मंत्री की रोजगार योजना की घोषणा के बाद इस कार्यक्रम को इसके साथ मिला दिया गया है। यह कार्यक्रम शिक्षित युवाओं में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बना है।

फिलहाल, हमारे पास इसके अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, जैसे–जैसे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी और जैसे–जैसे औद्योगिक विकास होगा, हमें उम्मीद है कि हम शिक्षित लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, हमारा एक श्रम ब्यूरो है और यह ब्यूरो से अपेक्षा की जाती है कि वह अखिल भारतीय स्तर पर श्रम संबंधी आंकड़ें एकत्र करे, उन्हें समेकित करे और प्रकाशित करे और श्रम आंकड़ों के महत्वपूर्ण शीर्षों में अनुसंधान करे।

महोदय, वह कामगारों, बाल श्रमिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मजदूरों, असंगठित क्षेत्र आदि में कार्यरत मजदूरों के कार्यों और रहन–सहन की दशाओं से संबंधित वास्तविक अद्यतन आंकड़े रखता है। यह आंकड़े हृदय विदारक होते हैं। वर्ष 2002 ईस्वी तक हमारा अनुमानित रोजगार 94 मिलियन होगा और 2002 तक पूर्ण रोजगार के लिए विकास दर की 2.6 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत तक की आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि जनसंख्या में

अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि श्रम मंत्रालय के प्रयासों को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है।

लेकिन मैं अपनी बात एक ही बात पर केन्द्रित रखना चाहती हूं जिसका मंत्री महोदय ने अभी–अभी उल्लेख किया है, अर्थात् शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना। लाभान्वित होने वाले 13.54 लाख व्यक्तियों की तुलना में इस योजना से 1985-93 की अवधि के दौरान केवल 11.22 लाख व्यक्ति ही लाभान्वित हुए। जहां तक मुझे मालूम है इसका कारण अथवा संकोच यह है कि बैंक उत्साही बेरोजगार युवाओं को ऋण नहीं दे रहे है। यह बेरोजगार युवक यह सहायता प्राप्त करने के लिए दर–दर भटक रहे हैं। यदि उन्हें संबंधित बैंकों से ऋण नहीं मिलता है तो उनकी योजनाओं को उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदित करने का क्या लाभ है। अग्रणी बैंकों से यह अपेक्षा है कि वह उन्हें ऋण दें। अतः, मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्रालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेगा और इन बेरोजगार युवाओं, जिन्हें अपनी योजनाएं अनुमोदित करवाने के बाद बैंकों से वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, की समस्याएं हल करने के लिए कोई तरीका ढूंढेगा।

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, आमतौर पर ऋण मंजूर करने से पहले योजना की अर्थक्षमता पर गौर करने की बैंकों से अपेक्षा है और उन्हें अपने मानदंडों का पालन करना होता है। लेकिन इस तरह की विशेष योजनाओं में हम बैंकों से उदार होने की अपेक्षा करते है; विशेष रूप से उस स्थिति में जबकि परियोजना की जिला उद्योग केन्द्रों या उद्योग विभाग द्वारा जांच कर ली गई हो, इस बात का कोई कारण नहीं है कि वह सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरा बैंकों के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं है। वित्त मंत्री जी यहां पर उपस्थित है। यदि ऐसा कोई मामला है तो मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को वित्त मंत्रालय और अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों के ध्यान में ला दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (रॉबर्ट्सगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी कार्यालयों और सरकारी कारखानों में काफी समय से भर्ती नहीं की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि अधिकांश जगहों पर छंटनी ही की जा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समस्या के समाधान के लिये खादी ग्रामोद्योग की छोटी छोटी इकाइयां खोलकर, उन शिक्षित बेरोजगारों को सर्विस दिलाने की व्यवस्था करेगी?

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, 1991 में सरकारी क्षेत्र में 189.7 लाख लोग कार्यरत थे और निजी क्षेत्र में यह संख्या 178.5 लाख थी। इससे सरकारी क्षेत्र में 1.3 प्रतिशत और निजी क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत वृद्धि होने का पता चलता है। 1992-93 तक पहुंचते–पहुंचते विकास दर अधिक नहीं रही क्योंकि 189.7 लाख के स्तर से रोजगार 190.5 लाख रहा जिसका मतलब यह है कि विकास दर 0.4 प्रतिशत रही। निजी क्षेत्र में कमी हुई है क्योंकि 78.5 लाख के स्तर से रोजगार 78 लाख तक आ गया जिसका मतलब है 0.6 प्रतिशत।

अतः यह कहना सही नहीं होगा कि संगठित क्षेत्र में और रोजगार के अवसर नहीं है विशेष

रूप से सरकारी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है लेकिन हम सब की आकांक्षाओं के अनुरूप नही हुआ है। हम निश्चित रूप से यह कहते है कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

जहां तक खादी और ग्रामोद्योग में रोजगार के अवसरों का संबंध है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिए गए भाषण में खादी और ग्रामोद्योग के लिए अपनी अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की घोषणा की थी, जिसका मैं भी सदस्य था। समिति ने खादी और ग्रामोद्योग की समस्याओं पर गौर किया ओर इस बात का पता लगाया कि उन्हें कैसे दूर किया जाए। इसकी रिपोर्ट को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है। अतः सरकार निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र को ग्रामीण उद्योगों विशेष रूप से खादी उद्योगों को और अधिक महत्व दे रही है।

डा० विश्वनाथ कैनिथी : बेरोजगारी की समस्या सभी देशों में है। हमारे देश में 40 प्रतिशत शिक्षित लोग बेरोजगार है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि वकील, डाक्टर और इंजीनियर जैसे व्यावसायिक रूप से शिक्षित लोगों और केन्द्र सरकार में ऐसी श्रेणियों के लोगों का प्रतिशत कितना है।

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, मेरे पास रोजगार के प्रतिशत संबंधी आंकड़ें नहीं है। मेरे पास राज्यवार रोजगार कार्यालयों के आंकडों के साथ–साथ योजना आयोग के राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे ऑरगेनाइजेशन द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के संबंध में आंकड़े हैं। मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सार्वजनिक कारखानों में मजदूरों को बहुत ज्यादा लगाया गया है, लेकिन कई कारखाने इस तरह के है जहां पर मजदूर मजदूरी करने जाते है और वह बंद पड़े हुए।

[हिन्दी]

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कारखानों की तादाद देश के अंदर कितनी है जिनमें मजदूर बिना किसी काम के वहां हाजिरी लगाते हैं और तनख्वाह प्राप्त करते हैं? क्या ऐसे मजदूरों ने हमारे श्रम मंत्री से प्रार्थना की है कि हमें इन कारखानों में काम दिए जाए, या इसके लिए मैंटीरियल सप्लाई किया जाए? इससे हमारे राष्ट्र को बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि जो उद्योग है, उसमें लोगों के पास कोई काम नहीं है और वह बेकार बैठे हुए है। ऐसे कारखानों की तादाद कितनी है और इन मजदूरों को काम दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए जिससे इन उद्योगों को लाभ में चलाया जा सके?

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र में 1,47,000 एकक रूग्ण है।

डा० आर. मल्लू : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से ऐसा समझा जा सकता है कि इन ढांचागत सुधारों के कारण रोजगार सृजन कम हो रहा है। देश में अधिकांश उग्रवादी गतिविधियां बेरोजगार शिक्षित युवकों के कारण हो रही है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है कि इन ढांचागत सुधारों से ढांचा नष्ट न हो जाए?

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, जब मैंने यह कहा है कि कतिपय समायोजनों के कारण रोजगार के अवसरों में कमी आई है तो साथ ही मैंने यह भी कहा है कि इनमें वृद्धि भी होगी। रोजगार अवसरों में वृद्धि अवश्य होगी। वास्तव में वर्ष 1992-93 के दौरान देश में रोजगार के तीस लाख अवसर सृजित किए गए। 1993-94 में यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हो गई। इस प्रकार वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान रोजगार के तीस लाख अवसर सृजित किए गए थे और यह संख्या वर्ष 1993-94 के दौरान साठ लाख थी। इस प्रकार रोजगार सृजन में गिरावट नहीं आई है। पहले वर्ष में यह कम हो गई थी लेकिन अब इसमें वृद्धि हो रही है और हम यह आशा करते हैं कि इसमें और वृद्धि होगी। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ है और सन् 2002 तक पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री जी. देवराय नायक : देश में रोजगार की समस्या एक ज्वलंत समस्या है। मुझे इस बात में संदेह है कि क्या सरकार वास्तव में देश में बेरोजगारी हटाने के प्रति गंभीर है। भारत सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की है। यदि श्रम मंत्रालय पूर्णतः गंभीर हो तो श्रम और वित्त मंत्रालय द्वारा इस ओर पूर्ण ध्यान दिया जा सकता है और इसकी निगरानी की जा सकती है।

दुर्भाग्यवश भारत सरकार द्वारा घोषित योजनाओं में बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं। विशेष रूप से प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत महाप्रबंधक, डी. आई. सी. पात्र व्यक्तियों की सहायता करने में असफल रहे और बैंक के लोग चयन समिति पर दवाब डाल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप निहित स्वार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और जो व्यक्ति पात्र नहीं है उन्हें लाभ मिल रहा है। सरकार का देश में बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए क्या प्रस्ताव है?

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार देश में गरीब और शिक्षित युवकों की सहायता करने के लिए बैंकिग विभाग के साथ सहयोग कर इस समस्या को सुलझाने के लिए योजनाओं की निगरानी करने के बारे में सोच रही है?

श्री पी. ए. संगमा : जहां तक बैंकों से संबंधित प्रश्न का संबंध है मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में पहले ही कहा है कि मैं इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय से बातचीत करूंगा, और उसके ध्यान में यह बात लाऊंगा।

माननीय सदस्य ने सरकार की गंभीरता के प्रति जो संदेह व्यक्त किया है उसके बारे में मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार वास्तव में इस समस्या का समाधान करने के प्रति गंभीर है लेकिन यह एक आसान समस्या नहीं है। यह केवल भारत की ही समस्या नहीं है। यह

सार्वभौमिक समस्या है। न केवल विकासशील राष्ट्र बल्कि विकसित राष्ट्र भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

मैं आपको नवीनतम विश्व श्रम रिपोर्ट में दिए गए पूरे विश्व में बेरोजगारी के आंकड़े दे सकता हूं। मेरे पास सभी आंकड़े हैं। भारत में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत कुल कार्य बल का 3.8% है। प्रतिशत के रूप में यह बहुत कम प्रतीत होता है लेकिन संख्या के रूप में ऐसा नहीं है। हमारा कुल कार्य बल 319 मिलियन है। यहां तक कि अमरीका में यह 6.6%, डेनमार्क में 10.6% और श्रीलंका में सबसे अधिक 14.5% है ब्रिटेन में 8.1% तथा फ्रांस में 9.3% है। इसलिए बेरोजगारी की समस्या हर जगह है।

वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पिछले सम्मेलन में यही विशिष्ट मुद्दा था जिस पर पूरे विश्व के मंत्रियों, श्रम नेताओं तथा नियोजको की विशेष त्रिपक्षीय बैठक में चर्चा की गई थी। हमने इस पर चर्चा की थी और स्टाकहोम में होने वाले विश्व समाज सम्मेलन में यह एक प्रमुख मुद्दा होगा। इस समस्या की ओर विश्व में प्रत्येक सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है और हमारी सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इसके प्रति पूर्ण गंभीर है।

श्री वी. के. गुडाडिन्नी : सरकार ने बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय किए है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार किए गए उपायों से संतुष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक साधारण प्रश्न है और इसका उत्तर भी साधारण ही दिया जाना चाहिए।

श्री पी. ए. संगमा : यह प्रश्न सरकार के संतुष्ट होने का नहीं है। हम जानते हैं कि यह जनता के संतुष्ट होने का प्रश्न है जो बेरोजगार है या जिन्हें कम रोजगार प्राप्त है उनके संतुष्ट होने का प्रश्न है। हम इसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। इस बात का तो प्रश्न ही नहीं है कि क्या हम संतुष्ट है या नहीं। क्या हम संतुष्ट है या असंतुष्ट इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति काम न होने के कारण परेशान है हम उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री वी. के. गुडाडिन्नी : मैं मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। सरकार को स्वयं को संतुष्ट करना होगा अन्यथा उन योजनाओं को लागू करने का कोई अर्थ नहीं है जो जनता के लिए उपयोगी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहता हूं।

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह एक गंभीर समस्या है। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में 2.2 करोड व्यक्ति बेरोजगार थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3.5 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हो गए और इस प्रकार हमें इस अवधि के दौरान 5.8 करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करना है। इस प्रकार नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात् सन 2002 तक यह संख्या 9.4 करोड़ हो जाएगी। हमने घोषणा की है कि हमारा लक्ष्य सन 2002 तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करने का है अर्थात् निवल घरेलू उत्पाद की दर 5.8% होगी। आज हमने यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है।

इसका अर्थ यह भी है कि रोजगार के अवसर 2.8% की दर से सृजित करने होंगे जो आज 2.2% की दर से सृजित किए जा रहे हैं लेकिन हमें 2.6% से 2.8% की वृद्धि दर को प्राप्त करना होगा।

2.8% का अर्थ है कि प्रत्येक वर्ष 80-90 लाख रोजगार सृजित करने होंगे। स्थिति यही है। जैसा कि मैंने कहा है कि 1991-92 में देश में 80-90 लाख रोजगार सृजित करना आवश्यक था लेकिन हम केवल 30 लाख रोजगार ही सृजित कर पाए। अगले वर्ष और अनुवर्ती वर्षों में 60 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे जबकि आवश्यकता 80 लाख से 90 लाख तक की है। इसका कोई प्रश्न नहीं है कि सरकार इस बारे में कैसे संतुष्ट हो सकती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : अध्यक्ष महोदय, देश में बेरोजगारी की बहुत की गंभीर समस्या है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछली 15 अगस्त को लाल किले से यह कहा था कि हम इस बेरोजगारी की समस्या को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और बेरोजगारी को दूर करना चाहते है और कोई योजना उन्होंने लाल किले की प्राचीर से बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में अनाउंस की थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि पिछले साल 15 अगस्त से लेकर इस वर्ष आज तक, यानी 12 अगस्त तक कितने बेरोज़गारों को उस योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया है और उनमें से कितनी महिलाएं और कितने पुरूष हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर में आंकड़े दिए हैं। आप उन्हें माननीय सदस्या की संतुष्टि के लिए दोहरा भी सकते हैं।

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, जहां तक महिलाओं के भाग का संबंध है मैं पहले उस भाग का उत्तर दूंगा।

[अनुवाद]

देश में शिक्षित बेरोजगार महिलाएं 11.8 प्रतिशत है। जहां तक कार्यक्रमों का संबंध है, निःसंदेह अपने मुंख्य उत्तर में मैंने उन कदमों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है जो कि सरकार द्वारा उठाये जा रहे है। अब हमें यह देखने को मिलता है कि पिछले दस वर्षों में जहां सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन में कुल मिला कर 3 प्रतिशत वृद्धि हुई है, वहां कृषि के क्षेत्र में इसकी गति पूर्णतया मंद पड़ गयी है। इसे बढ़ाना होगा। यह तो एक बात हुई।

दूसरी बात यह है कि हमने यह देखा है कि बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि काम करने वाले लोगों का स्वभाव स्थिर नहीं है और वे यह सोचते हैं कि रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है। इसलिए इस नीति का मुख्य मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसलिए हमने ग्रामीण क्षेत्र की गतिविधियों का विविधिकरण करने की नीति अपनायी है। प्रधान मंत्री जी ने अनेक बार इस सभा में ग्रामीण क्षेत्र को दिए जाने वाले महत्व की घोषणा की है।

उदाहरण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास के लिए लगभग 7,000 करोड़ रूपये के प्रावधान को बढ़ाकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 13,000 करोड़ रूपये किया गया है और प्रधान मंत्री ने यह भी कहा है कि नवीं पंचवर्षीय योजना में इसे 16,000 करोड़ रूपये तक बढ़ाया जा सकता है। प्रधान मंत्री महोदय ने इस बात पर इसलिए जोर दिया क्योंकि हम वास्तव में ग्रामीण स्तर पर ही इस समस्या का युद्ध स्तर पर निवारण करना चाहते हैं।

यदि आप बजट आवंटन को देखें, यहां तक कि पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष तक भी यानि कि वित्तीय वर्ष 1993-94 से वित्तीय वर्ष 1994-95 के बारे में मेरे पास पूर्ण तथ्य और आंकड़े हैं– जवाहर रोजगार योजना तथा तमाम अन्य रोजगार योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है, उसमें काफी हद तक वृद्धि की गई है। इसके पीछे एकमात्र विचार यह है कि उन क्षेत्रों में रोजगार सृजित किया जाये जहां पर लोग रहते हैं क्योंकि हम काम करने वाले लोगों की अपने स्थान को छोड़ कर अन्यत्र कहीं भागने की समस्या का निवारण करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री भैरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अति गंभीर है। एक तरफ सरकार की यह नीति है कि लोगो को बेरोजगारी से बाहर लाया जाए। मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि रोजगार बढ़ा है। इसमें कोई शक नहीं है, रोजगार बढ़ा होगा, मजदूरो की संख्या बढ़ी होगी। दूसरी तरफ आलरेडी जो कारखाने हैं, वे रूग्ण होते जा रहे हैं। मजदूर भी लटके हुए हैं कि पता नही कब नौकरी चली जाये। प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा रोजगार दिया जाएगा। मंत्री महोदय ने भी यही जवाब दिया। मैं जब ग्रामीण इलाकों में घूमता हूं तो पता लगता है कि गांवों के लोग शहर में नौकरी के लिए गए हैं और उनके घरों में औरते या बूढे लोग ही होते हैं। गांवों में कोई जवान लड़का नहीं मिलता क्योंकि वह रोजगार के लिए शहर में चला जाता है। वह शहर में जाकर बड़े कारखाने में या सरकारी नौकरी में नहीं होता बल्कि वहां पर किसी का मकान बनाता है, किसी के घर में झाड़ू लगाता है या कहीं पर सफेदी करने का काम करता है।

जवाहर रोजगार योजना के अनुसार या ग्रामीण इलाकों में पंचायत समितियों द्वारा या जिला स्तर पर जो कार्य होते हैं। वहां पर संपन्न लोग उस पैसे को हड़प लेते हैं और गरीबों को केवल 5 या 10 रूपये देकर नाममात्र के लिए उनकी हाजिरी बना दी जाती है। नई नीति के अनुसार जो उदारीकरण किया गया, जो नए कारखाने लगाए जा रहे हैं, क्या उन कारखानों को ग्रामीण इलाकों में लगाने जाने के लिए उन लोगो का मजबूर किया जाएगा जिससे गांवों के लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सके?

एक तरफ जिन उद्योगों में नए कारखाने लग रहे हैं, उन उद्योगों में किसको नौकरी मिलेगी? जो गरीब आदमी है वह पूरी बिल्डिंग तैयार कर देगा, पूरा कारखाना खड़ा कर देगा, लेकिन जब कारखाने में काम करने का समय आएगा तो गरीब लोगों को रवाना कर दिया जाएगा और उन लोगों को नौकरी दी जाएगी जो आई.टी.आई. पास होंगे, पढ़े लिखे होगे या सिफारिशबाज होंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी जिससे गलत तरीके से जो काम हो रहा है, उसे रोका जा सके?

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : महोदय मैं माननीय सदस्य की आशंका से इसलिए सहमत हूं क्योंकि नीतियों का उदारीकरण किया जा रहा है। चूंकि हमने लाईसेंस प्रणाली को खत्म कर दिया है, स्वभावतः उद्योग उन क्षेत्रों पर स्थापित किए जाएंगे जहां पर आधारभूत सुविधाएं पहले से ही मौजूद है क्योंकि उद्योगों में इतनी प्रतियोगिता होने लगी है कि जो भी व्यक्ति पूंजी लगायेगा, ऐसे क्षेत्र में लगायेगा जहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी।

हम जानते हैं कि देश के बहुत से भागों में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अतः पूंजी निवेश की प्रवृति उन क्षेत्रों की ओर होगी जहां पर आधारभूत सुविधाए पहले से ही उपलब्ध होगी। उदारीकरण का अभिप्राय है प्रतियोगिता। यहां, मैं यह सोचता हूं कि राज्य सरकार को आधारभूत सुविधाएं पैदा करनी होगी। इससे एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा अन्य सभी राज्यों के बीच प्रतियोगिता की स्थिति बन जाएगी। प्रतियोगिता का अर्थ होगा कि आधारभूत सुविधाएं पैदा करना होगा और वह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की हो जायेगी। निःसंदेह केन्द्र सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से यह निर्णय लिया है कि पूरे देश में विकास केन्द्र स्थापित किये जाये। मुझे इन विकास केन्द्रों की संख्या का तो सही पता नहीं है जो कि उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा हो सकता है, सरकार ने कतिपय विकास केन्द्रों को स्थापित करने का निर्णय पहले ही ले लिया है। निःसंदेह यह समतुल्य आधार पर है। राज्य सरकारें कुछ राशि देगी ओर केन्द्र सरकार भी कुछ राशि देगी जिससे राज्य सरकारों की उन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी जाएगी जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए है।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, जब मैं यह कहता हूं कि हम बेरोजगार शिक्षित युवाओं की और ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि हमारे देश की समस्या है, तो मुझे क्षमा किया जाना चाहिए। इस समस्या से निपटने के लिए पहले एक नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी और इस बात पर बारीकी से विचार किया गया था कि इस समस्या का किस तरह से निवारण किया जा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी विद्यार्थी को उचित ढंग से व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है और वह यह शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो देश अथवा राज्य उसे सभी किस्म की आधारभूत सुविधाएं और तमाम सहायता, ऋण आदि प्रदान करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसने स्वरोजगार प्राप्त कर लिया है। हम प्रत्येक बेरोजगार शिक्षित युवा को रोजगार प्रदान नहीं कर सकते। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह कहा है कि धीरे–धीरे अधिकाधिक लोगों का रोजगार प्रदान कर रहे हैं।" 1992 की तुलना में 1993 में 6.38 मिलियन अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया गया। 1993 की तुलना में 1994 में यह कम होकर 5.59 मिलियन रह गया है। लेकिन 1991 की तुलना में, 1992 में बेरोजगार युवाओं की संख्या में 3.6 मिलियन अतिरिक्त वृद्धि हुई।

अध्यक्ष महोदय : पात्र जी, आप उत्तर पाना चाहते हैं। आपको कोई सूचना नहीं देनी है। आप तो प्रश्न पूछिये।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं यह

जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार करते हुए इस पर विचार करेगी और क्या सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगी कि शिक्षित और अशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए सभी प्रकार की आधार भूत सुविधाएं, सहायता आदि दी जाये।

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हर चीज पर निगरानी रखी जा रही है। सरकार निश्चित तौर पर समन्वय स्थापित कर रही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष यहां पर उपस्थित हैं। योजना आयोग ही समन्वय का कार्य करता है।

श्री पाला के. एम. मैथ्यू : महोदय, माननीय मंत्री ने पहले ही खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के बारे में बताया है। अब यह सर्वाधिक श्रम प्रधान और स्वरोजगारोन्मुखी क्षेत्र है। यह लघु क्षेत्र महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति की देन है। मैं कई वर्षो से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मैं यह कहूंगा कि विगत कई वर्षो के दौरान इस क्षेत्र की ओर लगभग बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया। विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि यदि इस क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का दोहन किया जाता है तो उभरते हुए युवाओं की तथा अशिक्षित ग्रामीणों की बेरोजगारी की समस्या का हल निकाला जा सकता है।

अतः क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगे कि वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के बीच समन्वित संयुक्त और एकीकृत व्यवस्था स्थापित हो सके? यदि हां, तो कौन से कदम प्रस्तावित है।

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि क्योंकि सरकार खादी और ग्रामोद्योग को महत्व देती है और चूंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अवसर पैदा होंगे, इसलिए भारत सरकार ने प्रधान मंत्री महोदय के सभापतित्व में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है। श्री ए. के. एन्टनी, नागरिक आपूर्ति मंत्री इस समिति के कार्यवाहक सभापति हैं और इस समिति में उन सभी महानुभावों का प्रतिनिधित्व है जिन्होंने खादी और ग्रामोद्योगों के हित में अपना पूरा जीवन लगा दिया है। यह एक बहुत ही अच्छी समिति है। मैं इस समिति का सदस्य हूं। हमने खादी और ग्रामोद्योगों से संबंधित सभी समस्याओं पर चर्चा की है और यह सुनिश्चित करने के लिए हम सभी संभव प्रयास कर रहे हैं कि खादी और ग्रामोद्योगों को उच्चतम वरीयता दी जाये।

[हिन्दी]

श्री सोमजीभाई डामोर : अध्यक्ष महोदय, हम लोग अभी यहां क्वश्चन कर रहे हैं और हम सीधा जवाब चाहते हैं लेकिन मंत्री जी सारी दुनिया की इन्फोर्मेशन देकर गुमराह कर रहे है। अभी बहन जी ने पूछा कि एक साल में कितने लोगों को नौकरी दी गई, तो सीधी बात करो लेकिन उन्होंने दुनिया भर की माहिती बता दी लेकिन कितने लोगों को लिया, कितनी महिलाओं को लिया, यह नहीं बताया। प्रो० सावित्री जी ने भी ऐसा ही बताया ....

अध्यक्ष महोदय : ऐसे सवाल नहीं। आप सीधा सवाल पूछिये, वह सीधा जवाब दे देंगे।

श्री सोमजीभाई डामोर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब कोई अर्जदार लोन के लिए डी आई सी में एप्लाई करता है तो डी आई सी वाले उसको बुलाते हैं कि दुकान कहा है, तुम्हारा आफिस कहां है और सारी दुनिया भर की माहिती उसकी लेते है और काफी

पैसा वह अर्जदार वही करप्शन वगैरह सब में खर्च कर देता है। बाद में वह एप्लीकेशन बैंक के पास जाती है। बैंक भी फिर से वही कार्रवाई करता है कि तुम बताओं कि तुम्हारा गोडाउन कहां है, तुम्हारी दुकान कहां है, तुम कहां क्या कर रहे हो। इस सब में उसकी जेब खाली हो जाती है इसलिए बैंक वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं और बैंक वाले उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते है। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं वित्त मंत्री जी और संगमा जी से पूछना चाहूंगा कि DIC वाले और बैंक वाले दोनों साथ मिलकर अर्जदार को बुलाकर एक ही दिन उसका फैसला करें, ऐसी कोई नीति आप तय करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक समिति लाइसेंस जारी करती है। क्या बैंकों के प्रतिनिधि वहां होगें? माननीय सदस्य ने इस तरह का प्रश्न पूछा है।

श्री पी. ए. संगमा : यह एक सुझाव है। मैंने सुझाव नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मन सिंह (राजगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि वह आठवीं पंचवर्षीय योजना में 58 मिलियन नौकरियां देश के बेरोजगारों को देगें ताकि 2.8 प्रतिशत ग्रोथ रेट बढ़ सके। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना के कार्यान्वयन में क्या वह मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों का विशेष ध्यान रखेंगे, जहां कि बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जो क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है?

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 58 मिलियन नौकरियां सृजित की जाएगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 58 मिलियन लोग बेरोजगार होंगे। हमारे अनुमानों के अनुसार कुल नौकरियां 34 मिलियन सृजित की जाएगी। मेरे पास योजना आयोग द्वारा भेजे गये क्षेत्रवार आंकड़े मौजूद है। अतः 58 मिलियन नौकरियां सृजित नहीं की जाएगी। बल्कि हमारे लक्ष्य के अनुसार 34 मिलियन नौकरियां सृजित की जाएगी।

महोदय, दूसरा प्रश्न मुझे याद नहीं है क्या माननीय सदस्य कृपया प्रश्न को दोहरायेगें?

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या आप मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों का विशेष ध्यान रखेंगे, जहां कि बहुत भारी तादाद में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जो क्षेत्रफल में देश को सबसे बड़ा राज्य है?

[अनुवाद]

श्री पी. ए. संगमा : महोदय, बेरोजगारी की समस्या हर जगह, हरेक राज्य में है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, सोचता हूं कि हमने 45 मिनट तक इस मुद्दे पर चर्चा कर ली है और हम जानते हैं कि जनता तथा प्रतिनिधि किस तरह से महसूस करते हैं। रोजगार को बढ़ावा

वैसे के लिए गहन कृषि अथवा बागवानी और इस तरह के व्यवसाय अथवा किन्हीं अन्य क्षेत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या : 288 – श्री बृजभूषण शरण सिंह – उपस्थित नहीं है।

प्रश्न संख्या : 289 – श्री सत्य देव सिंह – उपस्थित नहीं है।

प्रश्न संख्या : 290 – श्री आनन्द रत्न मौर्य – उपस्थित नहीं है।

– श्री रमेश चेन्नित्तला – उपस्थित नहीं है।

प्रश्न संख्या : 291 – श्री अर्जुन सिंह यादव

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी एककक

*291. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातोन्मुखी एककों/निर्यात संवर्धन जोनों ने 1993-94 के दौरान और 1994-95 में अब तक अपने निर्यात दायित्वों को पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने उन एककों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है, जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान अपने निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(क) और (ख) निर्यात–अभिमुख इकाईयों और निर्यात संसाधन जोन की इकाईयों के मामले में निर्यात दायित्व को प्रत्याशित मूल्यवर्द्धन (स्टीपुलेटेड वेल्यू एडीशन) के हिसाब से मानीटर किया गया है। इस प्राप्त मूल्यवर्द्धन के आधार पर निर्यात–अभिमुख इकाईयों /निर्यात संसाधन जोनों की इकाईयों के कार्य–निष्पादन के बारे में 1993-94 के ब्यौरे परिशिष्ट में दिए गए है। वर्ष 1994-95 के संबंध में इनके कार्य–निष्पादन की समीक्षा तो चालू वित्तीय वर्ष का अंत हो जाने पर ही हो सकेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इस बारे में की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी परिशिष्ट में दिया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट

	श्रेणी	निर्यात अभिमुख यूनिट	निर्यात संसाधन जोन यूनिट
1.	कार्यकारी यूनिटों की कुल संख्या	492	455
2.	उन कार्यकारी यूनिटों की संख्या जिनका 31.3.1994 को एक वर्ष या उससे अधिक समय हो चुका है और इस प्रकार उनकी समीक्षा होनी है।	390	399
3.	उन यूनिटों की संख्या जिन्होंने मूल्यवर्द्धन प्राप्त किया है।	120	199
4.	उन यूनिटों की संख्या जिनके मामले में मामूली कमी आई है अर्थात् कमी 10% से कम रही है और जिनके मामले में कमी माफ कर दी गई है।	13	27
5.	उन यूनिटों की संख्या जिन्होंने मूल्यवर्द्धन की शर्त पूरी नहीं कर पाई लेकिन जिनके मामले में अगली कार्रवाई उनका भविष्य का कार्य–निष्पादन देखकर करने का विचार है।	139	123
6.	उन यूनिटों की संख्या जिनके मामले अधिक कमी के कारण समुचित कार्रवाई के लिए विदेश–व्यापार महानिदेशक के पास भेजे गए/भेजे जा रहे हैं।	35	23
7.	उन यूनिटों की संख्या जिनकी छानबीन चल रही है।	83	27

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, जिन निर्यात करने वाली यूनिटों का एक वर्ष बीत गया है या उससे अधिक बीत गया है, उसमें माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन यह कब तक कर ली जाएगी? क्या आपने उसकी कोई तिथि या समय का निर्धारण किया है या नहीं? माननीय मंत्री जी इसी में यह बताएं कि जिन यूनिटों

मे शर्त पूरी नहीं की है उनका कार्यकलाप भविष्य में देख करके उस पर विचार करेंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन यूनिटों का कार्य देखा जा चुका है, समीक्षा की जा चुकी है उनमें कब तक, क्या कार्यवाही की जाएगी?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मैंने उन अनेक मामलों का ब्यौरा दिया है जिन में पुनरीक्षा पहले ही हो चुकी है और जिन प्रचालनात्मक इकाइयों की पुनरीक्षा की जानी है उनकी संख्या ई. ओ. यू. (निर्यात करने वाली इकाईयों के संबंध में 390 और ई. पी. जेड. (निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र) के संबंध में 399 हैं। मैं पहले ई. ओ. यू (निर्यात करने वाली इकाईयों) का ब्यौरा दूंगा। 390 इकाईयों में से 120 इकाईयों ने पहले ही अपने मूल्य में अभिवृद्धि प्राप्त कर ली है। अतः 270 ही ऐसी इकाईयां है जिनके बारे में हम चिन्तित है और हमें उन के बारे में गौर करना होगा। इन 270 में से 13 मामलों में मूल्य संवर्द्धन में आंशिक गिरावट आई है और उसे नियंत्रित कर लिया गया है। 139 इकाईयों के मामले में उनके निष्पादन पर नजर रखी जाएगी क्योंकि कुछ बदलाव आ चुके हैं और कुछ विस्तार हो चुके हैं। इसीलिए हम उनके भविष्य के निष्पादन को देख रहे हैं। 35 इकाईयों के मामले कार्रवाई के लिए डी. जी. एफ. टी. को भेजे गए हैं। जहां यह सिद्ध हो गया है कि वे मूल्य संवर्द्धन में असफल रही है और डी. जी. एफ. टी. द्वारा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 83 मामलों में अभी भी कार्रवाई हो रही है।

आमतौर पर हम पुनरीक्षा पूरी करने में तीन से चार महीने का समय लेते हैं। वे इकाइयां इस पुनरीक्षा के अधिकार क्षेत्र में आती है जिन्होंने अपने प्रचालन का कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया है। यदि इकाई एक वर्ष से कम अवधि से प्रचालन में है तो जब तक वह एक वर्ष की अवधि पूरी नहीं करती है तब तक हम उन पर विचार नहीं करते हैं। विवरण के साथ दिए गए अनुबंध के दाएं हिस्से में मैंने इस मद में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की यूनिटों के संबंध में पृथक आंकड़े दिए हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन यूनिटों को कार्यवाही हेतु विदेश व्यापार महानिदेशक के यहां भेजा गया है या भेजा जाने वाला है उस संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो भेजा गया है उसमें क्या फिर कभी आपने जानने का या दूसरी कार्यवाही करने का प्रयास किया कि क्या विभाग द्वारा सुनिश्चित किया गया है या विदेश के महानिदेशक द्वारा क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो भ्रष्टाचार से लिप्त है या चाहे जो भी मामले हैं उनकी जांच चल रही है तो उनकी छान–बीन कब तक पूरी कर ली जाएगी तथा उनकी कार्यवाही कब तक सुनिश्चित की जाएगी?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, 35 निर्यातोन्मुखी इकाईयों तथा 34 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों के संबंध में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। केवल कार्रवाई की नहीं बल्कि जो फुटमान घटित हो चुके है उनकी सीमा तक वित्तीय दंड भी लगाया गया है। दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला 1992-

93 तक लागू था। उसके बाद वाणिज्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डा. जयंत राय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने यह सिफारिश की कि केवल संवर्द्धन बढाने की बजाय कुल विदेशी मुद्रा अर्जन को भी ध्यान में रखना चाहिए और उस नए फार्मूले को भी लागू किया जा रहा है। निःसंदेह हमने इकाइयों को इनमें से कोई भी फार्मूला अपनाने का अवसर दिया है जिसके तहत वह पुनरीक्षा करवाना चाहती है। यहां पर डी.जी.एफ.सी. पुनरीक्षा करने वाला और अपेक्षित दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने वाला समुचित प्राधिकारी है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी है कि इस देश में फर्जी निर्यातक बहुत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसे फर्जी निर्यातकों की कितनी कंपनियां है और सरकार ने कितनों का पकड़ा है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है।

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, यह प्रश्न शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाईयों से और सात निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थित इकाइयों से संबंधित है। हो सकता है कि ऐसी कंपनियां हो जो सभी तरह की आवंछित और गैर–कानूनी कार्यों में सम्मिलित हो और जब कभी यह बात सरकार के ध्यान में लाई जाती है हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं।

श्री ई० अहमद : अध्यक्ष महोदय, इन सात निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में कार्यरत अनेक निर्यातोन्मुखी इकाइयां अनेक कठिनाइयों, राज्य सरकारों से राजस्व प्राप्ति में रियायत जैसी समस्या का सामना कर रही है। वे अपनी कुछ वस्तुओं के घरेलू बाजारों में विपणन और अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में भी कठिनाइयों का सामना कर रही है। यह इकाइयां इन कुछ समस्याओं का सामना कर रही है और वह राज्य सरकारों से संपर्क कर रही है लेकिन मुझे बताया गया है कि राज्य स्तर पर इन समस्याओं को हल नहीं किया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों के प्रभारी आयुक्तों और मुख्य मंत्रियों या राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक के सुझाव पर विचार करेंगे ताकि समस्याओं को दूर किया जा सके और उनके व्यवसाय को बेहतर और संतोषजनक ढंग से बढ़ावा देने के लिए उनकी सहायता भी की जा सके।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह बात सच है कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थित इकाइयों ने कुछ शिकायतें की है और अपनी वे असुविधाएं और कठिनाइयां प्रकट की हैं जिनका वे विशेषरूप से घरेलू कर क्षेत्र, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान विशेष रूप से रत्न तथा आभूषण बनाने वाली इकाइयों के अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में और कतिपय संगत मामलों में सामना कर रही है जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। वास्तव में मैंने जब कोचीन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का दौरा किया तो यह मुद्दा उसी वक्त उठाया गया था और हमने उनके साथ विस्तार से चर्चा की थी। मेरे मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव श्री गिल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी थी। उस समिति ने बहुत सी सिफारिशें की हैं। इस समिति ने लगभग 51 सिफारिशें की है। उनमें से लगभग 24 सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी है। सात सिफारिशों के मामले में यह देखा गया कि इकाईयों

से संबंधित समस्याएं अस्थाई प्रकृति की थी और वे चिरस्थाई नहीं है। सत्रह सिफारिशें राजस्व विभाग के पास लम्बित पड़ी हुई है। वास्तव में चालू वर्ष की आयात–निर्यात नीति में संशोधन तैयार करते समय मैंने वित्त मंत्री जी के साथ चर्चा की थी। इन मुद्दों में से अधिकांश को हल कर लिया गया है और जल्दी ही अधिसूचना जारी की जाएगी। कुछ मुद्दों पर वाणिज्य मंत्रालय और राजस्व विभाग के बीच मतभेद है लेकिन मुझे आशा है कि उन्हें जल्दी ही दूर कर लिया जाएगा।

निःसंदेह जब ये इकाईयां सात निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थित थी तब एक बड़ी समस्या थी।

उस समय हमारी आयात–निर्यात नीति पूरी तरह से नियंत्रित और सुव्यवस्थित थी। अतः इस क्षेत्र के बाहर के साधारण आयातकों और निर्यातकों की तुलना में वह सभी कच्चे माल के निशुल्क आयात, पूंजीगत माल और पांच वर्ष तक कर छूट की ओर आकर्षित हुए है अतः उन्हें शुल्क सीमा से बाहर अवस्थित इकाइयों की तुलना में काफी लाभ प्राप्त हैं। अब जब कि उदारीकृत आयात–निर्यात नीति के साथ हम गैर–टेरिफ क्षेत्रों को समाप्त कर रहे हैं और टैरिफ भी कम कर रहे हैं तो नियंत्रण के समय में उन्हे जो लाभ प्राप्त थे, उनकी विनियमन समाप्ति के समय में उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह मनोवैज्ञानिक समस्या है। लेकिन जहां तक प्रक्रियात्मक पहलू का संबंध है हमने इस बात का ध्यान रखा है और इस बात का निर्णय भी ले लिया गया है और वास्तव में वित्त मंत्री जी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को पहले ही निदेश दे दिए हैं कि अधिसूचना एक साथ प्रकाशित की जाएगी। डी. जी. एफ. डी. द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना जारी करते समय इसकी सीमा शुल्क अधिसूचना से पुष्टि की जानी है ताकि कोई विलम्ब न हो और आयातकों तथा निर्यातकों को कोई कठिनाई न हो। इसी लिए एक साथ अधिसूचना जारी की जानी है। यदि व्याख्या की कोई समस्या है तो यह निर्णय लिया गया है कि सीमाशुल्क समाहर्ता और डी. जी. एफ. डी. स्तर पर समुचित अधिकारी बैठक करके एक दूसरे की अधिसूचना को देखेंगे ताकि व्याख्या में अंतर का कोई प्रश्न न रहे। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखा गया हैं

श्री मृत्युंजय नायक : सरकार उन अप्रवासी भारतीयों और विदेशी निवेशकों को बहुत अधिक रियायतें और राहत देना चाहती है जो इस देश में अपने उद्योग और कारखाने या उपक्रम स्थापित करने के इच्छुक है। लेकिन मौजूदा निर्यात बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि वह अपनी वस्तुओं को विदेशों को निर्यात करना चाहें तो क्या उन्हें वही रियायतें और राहत दी जाएगी। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन निवेशकों को रियायत या राहत का ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए किसी भेदभाव या बाधा का सामना करना पड़ेगा और क्या वाणिज्य मंत्रालय इस संबंध में उन अवसरों और स्थितियों की संभावनाओं की जांच करेगा और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक आयात–निर्यात नीति का संबंध है आयातकों और निर्यातकों की एक श्रेणी और दूसरी श्रेणी आयातकों और निर्यातकों के बीच कोई भेद–भाव होने का कोई प्रश्न नहीं है।

जहां तक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संबंध है, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, वे पांच वर्ष की कर छूट, एकीकृत सेवाएं, इनहाउस सीमा शुल्क मंजूरी और उसी तरह की सुविधाएं जो 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को भी प्रदान की गई है जैसी कुछ तरह की सुविधाएं पाने के हकदार हैं क्योंकि इन इकाइयों की निर्यात बाध्यता बहुत अधिक है।

जहां तक इन क्षेत्रों से बाहर स्थित इकाईयों का संबंध है, उन्हें निर्यात बाध्यता के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह अपने उत्पाद घरेलू बाजार में बेचना फायदेमंद समझते हैं तो वह उन्हें घरेलू बाजार में ही बेचेंगे। यदि वह अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में बेचना फायदेमंद समझते हैं तो वह उन्हें विदेशी बाजारों में बेच सकते हैं। लेकिन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थित इकाईयों को अपने उत्पादन का 75 प्रतिशत, निर्यात करना होगा और यदि वह इसमें असफल रहते हैं जैसा कि मैंने एक प्रश्न के उत्तर में पहले उल्लेख किया है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। लेकिन इस क्षेत्रों बाहर स्थित इकाइयों के संबंध में यह बात संगत नहीं है। शत प्रतिशत कृषि और बागवानी की इकाइयों के अलावा अन्य इकाइयों द्वारा घरेलू क्षेत्रों के घरेलू बिक्री केवल 25 प्रतिशत है। तथापि कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि पूंजीगत माल, कच्चा माल, संघटक हिस्से पुर्जो और प्रौद्योगिकी के आसानी से आयात के लिए आयात शुल्क में कमी करना इत्यादि रियायतें महत्वपूर्ण है और हमने उन सब लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई है जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, ई. ओ. यू. श्रेणी के अंतर्गत लगभग दो तिहाई इकाइयां और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत लगभग आधा दर्जन इकाइयां मूल्य संवर्द्धन मानदंडों को पूरा नहीं कर सकी है। यह एक गंभीर मामला है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने निष्पादन में कमी के कारणों का कोई विश्लेषण किया है। मैं इस संबंध में एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या कुछ श्रेणियों में निष्पादन में कमी का कारण मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उदाहरण के लिए, नौएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाइयों को बिजली उपलब्ध नहीं है। हर इकाई को डीजल जनरेटर रखना पड़ता है। मूल परियोजना रिपोर्ट में यह बात नहीं थी अथवा क्या इसका कारण वित्तीय समर्थन की कमी है, या ऐसा विदेशी पार्टी के साथ विपणन संबंधी व्यवस्था के टूट जाने के कारण ऐसा हुआ है अथवा क्या यह प्रौद्योगिकी के अप्रचलित होने के कारण हुआ है जिससे उत्पादों को बाजार में भेज पाना संभव नहीं है। मैं जानना चाहता हूं जैसा कि मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है कि क्या उदारीकरण की नीति के कारण तुलनात्मक लाभ हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन विकास

*281. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन की भारी संभावनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए पर्यटन विकास योजनाएं बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सरकार को अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन की विशाल संभावनाओं की जानकारी है। मई, 1992 में बनाई गई पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य–योजना में अंडमान द्वीप समूह को पर्यटक गंतव्य के रूप में गहन विकास करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

अंडमान–निकोबार प्रशासन के साथ परामर्श करके द्वीपसमूह के पर्यटन की विकास की स्कीमों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के अनुसार पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष परियोजनाओं की जांच करके स्वीकृति दी जाती है। भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना से पंद्रह स्कीमों के लिए 425.00 लाख रूपये की कुल राशि स्वीकृत की है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	स्कीमों की संख्या	स्वीकृत राशि (रू. लाखों में)
सातवीं योजना	5	195.40
1990-91	1	3.28
1991-92	4	79.35
1992-93	3	93.50
1993-94	2	53.47
1994-95	5	83.00
		(प्राथमिकता प्राप्त)

[अनुवाद]

पटसन मिलें

+282. **श्री चित्त बसु :**

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन जे एम सी के अंतर्गत चल रही पटसन मिलें उसकी स्थापना के समय से ही घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन जे एम सी) को उसकी स्थापना से ही घाटे हो रहे हैं। वर्ष 1980-81 में एन जे एम सी की स्थापना से अब तक कुल संचित घाटे 579.18 करोड़ रूपये है।

(ग) तथापि, एन जे एम सी ने अपने नकदी घाटों को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के जरिए फालतू जनशक्ति का सुव्यवस्थीकरण, गैर–किफायती अतिरिक्त पारियों को समाप्त करना, उत्पाद मिश्रण का अनुकूलतम प्रयोग करना आदि।

चूंकि एन जे एम सी एक रूग्ण कंपनी बन गई है, इसलिए प्रबंधकों ने इसका मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा है। भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजीरा) ने एन जे एम सी का सर्वांगीण सुधार करने के लिए एक योजना बनाई है जिस पर विभिन्न मंत्रालयों/एजेंसियों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले

*283. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा करोड़ों रूपयों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में अनुवर्ती कार्यवाही करने में अनुचित विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे बहुत से मामलों के संबंध में अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त मामलों में तेजी से अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/ उठाने का विचार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों तथा अपवंचन रोधी महानिदेशालय द्वारा पता लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के करोड़ों रूपयों के अपवंचन के मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई करने के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

और सीमाशुल्क बोर्ड की और से कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है।

(ग) शुल्क अपवचंन के मामलों के संबंध में सरकार को कुछेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।

(घ) किए गए उपचारात्मक उपायों में शीघ्रता से जांच–पड़ताल करना, न्याय–निर्णयन करना, अपील संबंधी कार्यवाहियां और अदालती कार्यवाहियां किया जाना शामिल है। अपवंचन –रोधी महानिदेशालय अपवचंन के बहुत से मामलों में मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहा है और कई करोड़ रूपये के कर अपवंचन का पता लगाया गया है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

विदेशी मुद्रा भंडार

*284. **श्री रूप चन्द पाल :**

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर–सरकारी कंपनियों को विदेशों में अपने विदेशी मुद्रा भंडार रखने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके कारण क्या है; और

(ग) यह निर्णय कब से लागू किया जायेगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कपड़ों का निर्यात/आयात

+285. **श्री लाल बाबू राय :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान देश में क्षेत्र वार कपड़े के कुल उत्पादन और खपत की स्थिति क्या थी;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के क्षेत्र–वार विकास हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश–वार कितने कपड़े का निर्यात किया गया;

(घ) उक्त अवधि में ही देश–वार कितने कपड़े का आयात किया गया; और

(ड) कपड़ा आयात करने का क्या कारण है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान देश

में कपड़े का क्षेत्र वार उत्पादन निम्न प्रकार है:

(मिलियन वर्ग मी. में)

वर्ष	मिल क्षेत्र	हथकरघा क्षेत्र	विद्युतकरघा क्षेत्र
1991-92	2375	4123	16089
1992-93	2000	5219	17826
1993-94 (अनंतिम)	1990	5851	19631

चूंकि हम घरेलू खपत के लिए किसी कपड़े का आयात नहीं करते हैं, इसलिए उत्पादन तथा निर्यात आंकड़ों के बीच के अंतर को घरेलू खपत माना जा सकता है।

(ख) इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई राशि निम्न प्रकार है :

(करोड़ रू० में)

वर्ष	मिल क्षेत्र		हथकरघा क्षेत्र	विद्युतकरघा क्षेत्र
	वस्त्र आधुनिकीकरण निधि के अंतर्गत वितरण	स्विस क्रेडिट/ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए		
1991-92	119.28	40.01	207.60	0.73
1992-93	41.54	56.01	199.83	1.00
1993-94	(आई डी बी आई से प्रतीक्षित आंकड़े)	11.00	234.37	3.18

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए सूती तथा मानव निर्मित फाइबर कपड़े की मात्रा निम्न प्रकार है :

(मिलियन वर्ग मी. में)

1991-92	1488.80
1992-93	1541.10
1993-94 (अनंतिम)	1758.41

ई. यू., यू. ए. ई., बंगलादेश तथा यू. एस. ए. हमारे कपड़े के प्रमुख निर्यात गंतव्य देश है।

(घ) तथा (ड) आयात निर्यात नीति (1992-97) के प्रावधानों के अंतर्गत कपड़ा आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है सिवाए विदेश व्यापार महानिदेशक की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अथवा लाइसेंस के प्रति आयात को छोड़कर सामान्यतः कपड़े के आयात की अनुमति केवल निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में सीधे प्रयोग के लिए शुल्क मुक्त योजना के अंतर्गत ही दी जा रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए कपड़े की मात्रा निम्न प्रकार है :

	(मिलियन वर्ग मी. में)
1991-92	23.25
1992-93	21.92
1993-94 (अनंतिम)	31.20

ऋण नीति

*286. **श्री चेतन पी. एस. चौहान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आशय की घोषणा की है कि उसका विचार मुद्रास्फीति की दर को वर्तमान स्तर से कम करने के उद्देश्य से ऋण नीति में व्यापक परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह ऋण नीति कब से कार्यान्वित की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) 14 मई, 1994 को घोषित चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 की प्रथम छमाही के लिए अपनी ऋण नीति के भाग के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी संख्या में ऋण नीति उपायों की घोषणा की। अन्य बातों के साथ-साथ, इन उपायों का उद्देश्य मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना है।

1. 11 जून और 6 अगस्त, 1994 के बीच, नकदी प्रारक्षित अनुपात को तीन चरणों में उर्ध्वमुखी संशोधन द्वारा एक प्रतिशत बिन्दु बढ़ाकर 14 प्रतिशत से 15 प्रतिशत करना;

2. न्यूनतम मार्जिन में 15 प्रतिशत बिन्दु वृद्धि और 16 मई 1994 से प्रभावी दालों, तेलहनों और वनस्पति तेलों, सूत और कपास के प्रति बैंक अग्रिमों के लिए 15 प्रतिशत बिन्दु द्वारा ऋण सीमा के स्तर में कमी; और

3. 16 मई, 1994 से प्रभावी कुछ राज्य स्तर के सहकारी संस्थानों को तेलहनों और वनस्पति तेलों के प्रति बैंक अग्रिमों पर 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक रियायती मार्जिन में वृद्धि।

बकाया ऋण

*288. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बकाया ऋण राशि में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 में बकाया कुल बैंक ऋण की कितने प्रतिशत राशि औद्योगिक क्षेत्र पर बकाया थी और 1993-94 के दौरान यह प्रतिशतता क्या थी;

(ग) किस प्रकार के उद्योगों पर बैंक ऋण राशि में वृद्धि हुई है; और

(घ) बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बैंक ऋणों की राशि और जून 1990, 1991, 1992 और 1993 (नवीनतम उपलब्ध) को समाप्त वर्षों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के पास बकाया राशि निम्नलिखित है :

(राशि करोड़ रूपये)

की स्थिति	कुल बैंक ऋण राशि	औद्योगिक क्षेत्र में कुल बकाया राशि	घटबढ़	
			पूर्ण	प्रतिशत
29 जून, 1990	105497	54424 (51.58)	-	-
28 जून, 1991	119821	62452 (52.12)	+8028	14.75
26 जून, 1992	134095	70284 (52.41)	+7832	12.54
25 जून, 1993	149011	78714 (52.82)	+8430	11.99

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़ें कुल बैंक ऋण के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

कुल बैंक ऋणों में औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिशत शेयर लगभग 52 प्रतिशत है।

(ग) कुछ उद्योग जिनके मामले में बैंक ऋण में वृद्धि हुई है वे हैं, लोहा और इस्पात, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, कागज और कागज उत्पाद, सीमेंट, रतन (जेम) और आभूषण, निर्माण, पेट्रोलियम आदि।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से अतिदेय राशियों को कम करने और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों को उनके अग्रिमों के संबंध में वसूली के कार्य के सुधार लाने के लिए कई मार्गनिर्देश जारी

किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ अर्थक्षम वसूली प्रणाली लागू करने, प्रभावी निगरानी के लिए समेकित और एक समान ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने और बकाया अग्रिमों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने, बड़े अवरुद्ध खातों की वसूली पर नजर रखने के लिए निदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 को पहले ही अधिनियमित किया जा चुका है ताकि बैंकों की ऋणों से संबंधित देय राशियों की शीघ्र वसूली और उससे संबंधित तथा उससे प्रासंगिक मामलों का शीघ्र न्यायनिर्णयन हो सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अनिष्पादित आस्तियों की वसूली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार, अनिष्पादित आस्तियों की वसूली और उसमें कमी करने के लिए शाखावार लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और मुख्य कार्यपालकों द्वारा आवधिक अंतरालों में प्रधान कार्यालय के स्तर पर उसकी निगरानी की जाएगी।

आयकर

*289. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यक्तिगत आयकर के आकंलन के लिए मूल्य सूचकांक (इंडेक्स) प्रणाली का प्रयोग करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप करदाताओं को मुद्रास्फीति तथा अवमूल्यन के प्रभाव से कहां तक बचाया जा सकेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जनता के धन का दुरुपयोग

*290. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** :

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कंपनियां सार्वजनिक निर्गमों से प्राप्त धन का अपनी विवरण पत्रिकाओं में किए गए वायदे के अनुसार उपयोग नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कंपनियों द्वारा जनता के धन का इस प्रकार दुरूपयोग किए जाने पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सैबी) द्वारा जारी किए गए प्रकटन तथा निवेशक संरक्षण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में स्वैच्छिक प्रकटन तथा जहां इशू की मात्रा 500 करोड़ रूपये से अधिक हो, वहां विवरणिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार किसी एक वित्तीय संस्थान द्वारा इशू से हुई प्राप्तियों के उपयोग की मानीटरिंग की व्यवस्था की गई है।

सोने का आयात

*292. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमाशुल्क अधिकारी स्वर्णकारों के उस सोने को, जिसे वे उन यात्रियों से आभूषण/जवाहरात बनाने के लिए खरीदते है, जो अपने सामान के रूप में इसका आयात करते हैं, इस तर्क के आधार पर जब्त कर लेते हैं कि उनके पास मूल परमिट नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों द्वारा अपने सामान के रूप में आयातित सोने की बिक्री और प्रलेखन के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने का है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। सरकार को ऐसे कुछ मामलों की जानकारी है जिनमें यात्रियों द्वारा असबाब के रूप में आयात किये गये सोने को सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा स्वर्णकारों से अभिगृहीत किया गया है।

(ख) स्वर्ण आयात योजना के अंतर्गत आयातित सोने को बेचने पर, सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, शुल्क प्रदायी दस्तावेज पर आयातित सोने की शिनाख्त करने वाले विवरणों को नोट करने हेतु अनुदेश जारी किए गये हैं ताकि इन दस्तावेजों के दुरूपयोग को रोका जा सके।

(ग) और (घ) इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है।

चाय की खेती

*293. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :**

श्री सुव्रत मुखर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नए क्षेत्रों में चाय की खेती को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए क्षेत्रों में चाय की खेती की संभावनाओं के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) परंपरागत चाय उत्पादक राज्यों में चाय के अंतर्गत क्षेत्र बढाने में आने वाली बाधाओं को देखते हुए सरकार अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायूं पहाड़ियों, केरल के इडुक्की एवं वायनाड जिलों, कर्नाटक के कोडागु जिले, अन्नामलाई में कोडईकैनाल और असम में एन सी पहाड़ियों जैसे गैर–परंपरागत क्षेत्रों में चाय की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देती रही है। इन राज्यों में चाय–बागानों के लिए लगभग 73,000 हेक्टेयर क्षेत्र उपयुक्त पाया गया है।

(ङ) तथा (च) गैर–परंपरागत क्षेत्रों में नए बागानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, चाय बोर्ड वर्ष 1982 से "नई चाय एकक वित्त पोषण योजना" चला रही है ताकि चाय उपजाने के इच्छुक उत्पादकों को दीर्घावधि ऋण और पूंजीगत उपदान दिया जा सके। बोर्ड न्यूक्लियस पौधशालाए स्थापित करने के लिए भी पूंजीगत अनुदानों के जरिए सहायता देता है। इनके अतिरिक्त, चाय बोर्ड इन क्षेत्रों में नए उद्यमों के लिए परियोजना–रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी शुल्क पर उपदान भी देता है।

छोटे सार्वजनिक निर्गम

*294. **श्री राम प्रसाद सिंह :**

श्री मंजय लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान छोटे सार्वजनिक निर्गमों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जैसाकि 26 जून 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने और सार्वजनिक निर्गम जारी करने हेतु कोई न्यूनतम "ट्रैक रिकार्ड" निर्धारित करने के लिए कुछ उपाय किए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रत्येक 10 करोड़ रूपए से कम के तथा सूचीबद्ध न हुई कंपनियों द्वारा प्रीमियम पर दिए जाने वाले इशुओं की संख्या 1992-93 के 65 से बढ़कर 1993-94 के दौरान 118 हो गई जो 81 प्रतिशत की वृद्धि

की द्योतक है। ऐसी कंपनियों द्वारा प्रीमियम इशुओं के जरिए जुटाई गई राशि 289.63 करोड़ रूपए से तेजी से बढ़कर 559.63 करोड़ रूपये हो गई। सूचीबद्ध न हुई कंपनियों द्वारा सम मूल्य पर जारी किए गए इशुओं में भी 1208.08 करोड़ रूपये (380 इशू से 1676.63 करोड़ रूपये (480 इशू) तक की इसी प्रकार की वृद्धि देखी गई।

(ग) से (ड) छोटी कंपनियों द्वारा निकाले गए इशूओं की संख्या में वृद्धि विस्तृत होते पूंजी बाजार में संसाधन जुटाने के लिए ऐसी कंपनियों को उपलब्ध अवसरों की सूचक है। ऐसी कंपनियों द्वारा जब पब्लिक इश्यू जारी किए जाते हैं तो "सैबी" का नियामकें दबाव कंपनियों द्वारा, चाहे वे किसी भी आकार की हो, जनता में निवेश करने हेतु अपेक्षाकृत पूर्ण और सुस्पष्ट प्रकटन सुनिश्चित करने में रहा है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में एकक

+295. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के एककों के मामले में करोड़ों रूपये का ब्याज माफ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षो के दौरान ब्याज की कुल कितनी राशि माफ की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र के एककों के मामले में ऐसे ही मानदंड अपनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) एन टी सी को दिए गए सरकारी ऋणों पर पिछले दो वर्षों के दौरान कोई ब्याज माफ नहीं किया गया है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम

*296. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितना निर्यात किया;

(ख) क्या गत तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष राज्य व्यापार निगम के निर्यात और आय में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार इस निगम में घाटे पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान एस टी सी के निर्यात कारोबार और कर–पश्चात् निवल– लाभ के आंकड़े इस प्रकार है :

करोड़ रूपये

	निर्यात	कर पश्चात लाभ
1991-92	625	25
1992-93	551	19
1993-94	798	23

हालांकि वर्ष 1991-92 और 1993-94 के लिए एस टी सी के निर्यात और लाभ के आंकड़े उनसे पिछले वर्षो के संगत आंकड़ों की तुलना में अधिक रहे, लेकिन वर्ष 1992-93 के दौरान उसका निर्यात उससे पिछले वर्षो के निर्यात की तुलना में कम रहा। इसका मुख्य कारण यह रहा कि सरकार ने वर्ष 1991-92 के मध्य में चीनी, अल्कोहल और शीरे का सरणीयन समाप्त कर दिया था।

निगम को कोई हानि नहीं हुई।

कालीनों का निर्यात

+297. श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल :

श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान अमरीका तथा अन्य देशों को कितनी मात्रा मे कालीनों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या अमरीकी सरकार तथा कुछ अन्य पश्चिमी देशों ने भारत से कालीनों के आयात पर रोक लगा दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार ने इस स्थिति से निपटने और कालीनों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्य–योजना बनायी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाली कालीनों का (मूल्य के अनुसार) ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	संयुक्त राज्य अमरीका	अन्य देश	कुल
1991-92	261.10	483.90	745.00
1992-93	332.09	659.91	992.00
1993-94	460.28	929.72	1390.00

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कालीनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

– कौशल का विकास करने के लिए कालीन बुनकरों का गहन प्रशिक्षण।

– क्रेता–विक्रेता बैठकें प्रायोजित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।

– नई दिल्ली में वार्षिक कालीन व्यापार मेले का आयोजन।

– कालीन ग्रेड ऊन का 10% यथा मूल्य शुल्क की रियायती दर पर आयात।

– निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 3% की दर शुल्क वापिसी।

– ब्याज की रियायती दर पर पोतलदान–पूर्व ऋण।

– निर्यात गृह/व्यापार गृह के रूप में किसी फर्म का मान्यता देने के उद्देश्य से अर्जित निबल विदेशी मुद्रा के लिए ट्रिपल वेटेज और कुल अर्जित विदेशी मुद्रा के मामले में डबल वेटेज दिया जाना।

आयात-निर्यात नीति

*298. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आयात–निर्यात नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) नए संशोधन के अनुसार दो प्रकार और तीन प्रकार की रियायतें देने के फलस्वरूप लघु हस्तशिल्प और रेशम उत्पादों के निर्यातकों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ;

(घ) क्या इससे इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात तथा आयात नीति, 1992-97 दिनांक 30.3.1994 की अधिसूचना सं. 34/आरई 92-97 द्वारा अधिसूचित की गई थी जिसमें 30.3.1994 तक दिए गए संशोधनों को शामिल किया गया था। इसके बाद भी 9 अधिसूचनाएं जारी करके नीति–दस्तावेज में और संशोधन किए गए हैं।

(ग) से (ड) लघु उद्योगों द्वारा विनिर्मित उत्पादों, हथकरघा मदों और खेल के सामान सहित

हस्तशिल्प मदों, हाथ से गुंथे गलीचों एवं रेशम के सामान के निर्यात के संबंध में जो अतिरिक्त प्रोत्साहन मूल्यांक दिए जाते हैं वे निर्यात घराने, व्यापारिक घराने, चोटी के व्यापारिक घराने, सर्वोच्च व्यापारिक घराने का दर्जा प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। ऐसा दर्जा प्राप्त कर लेने पर वे कार्यविधि पुस्तिका खंड I (संशोधित संस्करण मार्च 1994) के परिशिष्ट XXXV में दी गई मदों का आयात करने के लिए विशेष आयात लाइसेंस पाने, कार का आयात करने और नीति में किए गये प्रावधान के अनुसार अन्य विविध लाभ पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। उक्त हैसियत रखने वाले निर्यातकों को इस प्रकार के लाभ दिये जाने से इन उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलती है। किंतु, यह बता पाना मुश्किल है कि इन निर्यात उत्पादों का हिस्सा कितना प्रतिशत है, क्योंकि इन उत्पादों का निर्यात न केवल इन क्षेत्रों के निर्यातकों द्वारा ही किया जा रहा है बल्कि अन्य निर्यातकों द्वारा भी किया जाता है जिसमें विविध उत्पादों का निर्यात करने वाले वाणिक निर्यातक भी शामिल है।

लघु बचत योजनाएं

*299. **डा० के. वी. आर. चौधरी :**

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी लघु बचत योजनाएं चल रही है और ऐसी प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बचत योजनाओं में राज्य–वार कितनी राशि जमा की गई;

(ग) इस धनराशि का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया; और

(घ) इस धन के उपयोग में प्रत्येक राज्य और केन्द्रीय सरकार का कितना–कितना हिस्सा था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सूचना विवरण I में दी गई है।

(ख) सूचना विवरण II में दी गई है।

(ग) और (घ) किसी राज्य अथवा विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र में निवल लघु बचत संग्रहों का तीन चौथाई भाग उस राज्य अथवा उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को उनकी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए दीर्घावधिक ऋण के रूप में दे दिया जाता है।

विवरण I

इस समय प्रचलित लघु बचत योजनाएं

क्रम सं०	योजना का नाम	वार्षिक ब्याज की दर	
1.+	डाकघर बचत खाता	5.5 प्रतिशत साधारण (व्यक्तिगत खाता)	
2.*	डाकघर आवर्ती जमा (5 वर्ष)	12.5 प्रतिशत त्रैमासिक चक्रवृद्धि (10 रूपये मूल्य वर्ग के लिए परिपक्वता मूल्य 833.40 रूपये हैं)	
3.*	डाकघर मासिक आय योजना (6 वर्ष)	13 प्रतिशत मासिक आधार पर देय और 6 वर्ष के अंत में जमा के 10 प्रतिशत पर बोनस।	
4.*	डाकघर सावधि जमा		
(क)	1 वर्षीय जमा	10.5 प्रतिशत	तिमाही आधार पर
(ख)	2 वर्षीय जमा	11.00 प्रतिशत	चक्रवृद्धि ब्याज और
(ग)	3 वर्षीय जमा	12.00 प्रतिशत	वार्षिक आधार पर
(घ)	5 वर्षीय जमा	12.5 प्रतिशत	देय
5.**	राष्ट्रीय बचत पत्र, आठवां निर्गम (6 वर्षीय)	12 प्रतिशत छमाही आधार पर चक्रवृद्धि (100 रूपये मूल्यवर्ग के लिए परिपक्वता मूल्य 201.50 रूपए हैं।)	
6.**	राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	11 प्रतिशत	
7.+	सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना	10 प्रतिशत छमाही आधार पर देय	
8.+	सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना	10 प्रतिशत छमाही आधार पर देय	
9.	इंदिरा विकास पत्र (5½ वर्षीय)	राशि 5 वर्ष 6 महीने में दुगुनी हो जाती है।	
10.	किसान विकास पत्र (5½ वर्षीय)	——— तदैव ———	
11.+	लोक भविष्य निधि योजना (15 वर्षीय)	12 प्रतिशत	

* धारा 80 ठ के अंतर्गत लाभ उपलब्ध है।

** धारा 88 और 80 ठ के अंतर्गत लाभ उपलब्ध है।

+ ब्याज पूर्ण रूप से कर–मुक्त है।

विवरण II

डाकघरों में राज्यवार सकल और निवल लघु बचत संग्रहण

(करोड़ रूपये)

क्रम सं.	राज्य	1993-94 (अनन्तिम)		1992-93		1991-92	
		सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1396.11	569.07	802.30	206.94	842.91	327.63
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.17	2.03	5.18	2.18	4.66	2.09
3.	असम	393.75	117.08	338.26	108.33	345.57	145.24
4.	बिहार	1393.42	247.43	1030.38	148.65	1039.82	225.42
5.	गोआ	53.04	7.24	36.91	3.69	43.60	15.29
6.	गुजरात	1740.78	466.62	1415.78	396.23	1528.04	598.98
7.	हरियाणा	790.21	201.56	574.91	137.58	544.26	179.81
8.	हिमाचल प्रदेश	387.00	143.61	249.33	25.59	275.21	128.05
9.	जम्मू और कश्मीर	202.45	84.35	147.58	58.85	140.80	53.93
10.	कर्नाटक	1078.34	278.32	906.78	317.28	776.04	316.10
11.	केरल	740.37	270.45	469.98	134.06	447	174.42
12.	मध्य प्रदेश	830.76	201.08	568.29	120.25	603	190.45
13.	महाराष्ट्र	2687.51	222.15	1906.29	127.66	2208.20	5819.45
14.	मणिपुर	9.91	4.74	7.64	2.84	7.29	3.49
15.	मेघालय	33.81	13.75	19.94	5.60	19.43	8.33
16.	मिजोरम	8.24	2.63	7.65	3.96	6.40	3.79
17.	नागालैंड	6.26	0.66	4.84	1.18	5.14	1.48
18.	उड़ीसा	565.07	147.83	416.61	26.90	390.15	132.00
19.	पंजाब	1085.19	365.94	767.78	267.68	697.80	239.19
20.	राजस्थान	1135.28	403.30	822.63	304.03	733.89	357.82
21.	सिक्किम	4.45	0.94	2.01	0.21	1.85	0.81
22.	तमिलनाडु	2050.40	454.99	1663.27	571.22	1336.31	535.84
23.	त्रिपुरा	68.72	17.66	53.64	10.07	51.45	22.87

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	3592.42	1122.65	2817.13	795.40	2691.12	828.08
25.	पश्चिम बंगाल	2899.65	1207.94	2021.76	595.41	1920.88	582.76
	कुल जोड़	23159.31	6554.02	17056.87	4371.81	16662.41	5583.01

यूरोप को भारतीय वस्तुओं का निर्यात

*300. **श्री एस. वी. सिदनाल :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्तुओं का निर्यात पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में परंपरागत बाजारों की तुलना में एशिया और ओशियानिया देशों को तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 हेतु तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात में कमी के मुख्य कारण क्या है;

(घ) क्या इन देशों को भारतीय निर्यात में वृद्धि करने हेतु 1994-95 के दौरान कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, हां। वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान एशिया एवं ओशेनिया देशों को निर्यात में अमरीकी डालर के हिसाब से 34% की वृद्धि हुई थी। इसी अवधि के दौरान पश्चिमी यूरोपीय एवं पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात में अमरीकी डालर के हिसाब से क्रमशः 9.4% तथा 19.4% की वृद्धि हुई थी।

(ग) वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों को निर्यात में अमरीकी डालर के हिसाब से 9.4% तथा रूपये के हिसाब से 18.47% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात में अमरीकी डालर के हिसाब से 19.4% तथा रूपये के हिसाब से 29.26% की वृद्धि दर्ज की गयी। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात कम था। फिर भी, यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि जिन प्रमुख यूरोपीय देशों के साथ भारत–पश्चिमी यूरोप व्यापार का बड़ा भाग चलता है, उनमें मंदी का रूख रहा है और दूसरी ओर हाल ही के वर्षों में भूतपूर्व सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप में व्यापक आमूल परिवर्तन हुए है। इन बातों का इन क्षेत्रों को भारतीय निर्यात पर असर पड़ा ही है।

(घ) तथा (ड) पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोपीय देशों को भारतीय निर्यात बढाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(I) पश्चिमी यूरोपीय देश

(i) संयुक्त आयोग की बैठकें आयोजित करना;

(ii) विभिन्न व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों की शुरूआत करना; और

(iii) दिसम्बर, 1993 में साझेदारी एवं विकास पर नए भारत–यूरोपीय समुदाय–सहयोग करार पर हस्ताक्षर करना;

(II) पूर्वी यूरोपीय देश

(i) सबसे निचले स्तर पर भी सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित करना;

(ii) संयुक्त उद्यम;

(iii) अधिक व्यवहार्य परिवहन एवं पारगमन मार्ग अभिज्ञात कर उनका विकास करना; और

(iv) सी. आई. एस. देशो के मामले में अधिक उदार ऋण नीति विकसित करना।

[हिन्दी]

विद्युत करघा सेवा केन्द्र

2782. **श्री एन. के. राठवा** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में विगत तीन वर्षो के दौरान किन–किन स्थानों पर विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की स्थापना की गयी है;

(ख) 1994-95 के दौरान किन–किन स्थानों पर इन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान गुजरात के जिन स्थानों में विद्युतकरघा सेवा केन्द्र स्थापित किए गए है, वे निम्न अनुसार है :

वर्ष	स्थान
1991-92	—
1992-93	ढोलका
1993-94	सचिन

(ख) और (ग) विद्युत सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए स्थानों का चयन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों तथा विद्युतकरघा बाहुल्य क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बार ही 3 लाख रूपये के पूंजी अनुदान तथा 4.5 लाख रूपये के आवर्ती व्यय की अनुमति दी जाती है।

श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

2783. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण तथा कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए किन्ही योजनाओं का निर्माण किया है और दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जवाहर रोजगार योजना और ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत इन श्रमिकों के लिए क्या योजनाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन श्रमिकों को सुविधायें प्रदान करने तथा इनके कल्याण हेतु राज्यवार, कितनी राशि खर्च की गई है, और

(ङ) 1994, 1995 और 1996 के दौरान तथा उनकी योजना परियोजनाओं पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि का प्राकलन क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ङ) कृषि कर्मकारों सहित ग्रामीण कर्मकारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनाओं में निम्नलिखित योजनाएं शामिल है :

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एग्राविको)

इस योजना के अंतर्गत, छोटे कृषको, सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण दस्तकारों को और विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा महिलाओं को आय सृजन परिसंपत्ति उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है जिसके अंतर्गत विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायताएं एवं विभिन्न दरों पर एवं अवधियों के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत सहायता लेने वाले परिवारों की संख्या क्रमशः 25, 36, 566, 20, 68, 773 और 25, 34, 925 है। उपरोक्त अवधि के दौरान की गई वित्तीय प्रगति संलग्न विवरण I में दी गई है। वर्ष 1994-95 के लिए इस योजना के 1098.22 करोड़ रूपये की निधि आवंटित की गई है।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा ग्रा रो का), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार

गारंटी कार्यक्रम (ग्रा भू रो गा का) और जवाहर रोजगार योजना (ज रो यो) योजनाओं का उद्देश्य अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन एवं उत्पादक समुदाय परिसंपत्ति का निर्माण करना है। दो योजनाओं को (अर्थात् रा ग्रा रो का और ग्रा भू रो गा का) समन्वित कर दिया गया था और परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि करके 1989 में इसका नाम जवाहर रोजगार योजना रख दिया गया। वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान इस योजना के अंतर्गत सृजित किए गए रोजगारों की संख्या क्रमशः 8746, 8082 और 7821 लाख (अनन्तिम) श्रम दिवस है। इस योजना को देश के 120 पिछड़े जिलों में, जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की अधिकता है, और तेज किया गया है वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत उपयोग की गई निधि के ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के लिए 2800 करोड़ रूपये की निधि आवंटित की गई है।

(iii) ग्रामीण युवा स्वः रोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेस)

इस योजना का उद्देश्य स्वःरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल का उन्नयन करना है।

(iv) रोजगार गारंटी योजना (रो गा यो)

2 अक्तूबर, 1993 को 1752 पता लगाए गए पिछड़े ब्लाकों में रोजगार गारंटी योजना नामक एक नई योजना चलाई गई जिसके अंतर्गत खेतों के अपर्याप्त कार्य के दिनों में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार की व्यवस्था की गई है। इस योजना के मुख्य रूप से कृषि कर्मकारों को लाभ प्राप्त होगा। वर्ष 1993-94 के दौरान इस योजना के अंतर्गत उपयोग की गई निधि का ब्यौरा सलंग्न विवरण III में दिए गए हैं। वर्ष 1993-94 के लिए इस योजना के लिए 1200 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास नामक एक अन्य योजना है, जिसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को महिलाओं के आर्थिक एंव सामाजिक विकास के लिए 1982-83 में शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत उनके कौशल और अभिरूचि के अनुरूप आय सृजन करने वाले कार्यकलापों को करने के लिए उनके समूह तैयार करने की व्यवस्था की गई थी। यह योजना ट्राइसेस और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ–साथ कार्य करती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बीमा योजना में शामिल करने के लिए जीवन बीमा निगम को सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत 1987 में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना एवं 1988 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभानुभोगियों के लिए बीमा योजना चलाई है। विभिन्न राज्य सरकारें पृथक अर्हता मानदंड एवं पेंशन दरों वाली वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रही है। केरल राज्य ने भी "केरल खेतिहर मजदूर कल्याण निधि योजनाएं" और "खेतिहर मजदूर पेंशन योजनाएं" चलाई है जिसके अंतर्गत क्रमशः 9 लाख और 3.5 लाख मजदूर शामिल किए गए हैं।

विवरण I

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान आई. आर. डी. पी. के अंतर्गत किया गया राज्य-वार व्यय।

रू० लाखों में

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6548.98	5411.42	8813.75
2.	अरूणाचल प्रदेश	294.47	426.52	523.65
3.	असम	1587.04	1584.46	1844.79
4.	बिहार	8384.6	7726.73	10873.59
5.	गोवा	67.30	53.54	24.51
6.	गुजरात	230.69	2204.50	3354.85

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	756.84	796.25	1318.31
8.	हिमाचल प्रदेश	352.47	291.88	378.02
9.	जम्मू और कश्मीर	421.07	385.47	426.67
10.	कर्नाटक	2782.63	2671.68	4026.36
11.	केरल	1784.84	1647.95	1973.75
12.	मध्य प्रदेश	9353.08	7336.37	10040.21
13.	महाराष्ट्र	5633.70	5332.16	6329.26
14.	मणिपुर	153.20	86.42	175.91
15.	मेघालय	162.62	173.80	158.33
16.	मिजोरम	169.72	212.29	282.09
17.	नागालैंड	299.15	236.84	310.79
18.	उड़ीसा	3671.71	3373.97	6263.38
19.	पंजाब	858.45	935.95	1471.24
20.	राजस्थान	4079.89	3258.25	4213.30
21.	सिक्किम	47.39	39.71	40.96
22.	तमिलनाडु	4527.72	4436.01	7269.39
23.	त्रिपुरा	397.81	414.47	540.29
24.	उत्तर प्रदेश	16226.71	14395.38	20197.02
25.	पश्चिम बंगाल	6317.73	5758.50	2959.40
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	38.06	39.34	17.51
27.	चंडीगढ़	-	-	-
28.	दादर और नागर हवेली	8.67	10.41	14.89
29.	दिल्ली	22.57	—	—
30.	दमन और दीव	11.33	16.30	18.74
31.	लक्षद्वीप	7.80	8.60	6.59
32.	पांडिचेरी	33.55	42.47	36.29
	अखिल भारतीय	77308.78	69307.64	95591.30

विवरण II

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना पर किए गये व्यय का राज्य वार विवरण।

रू० लाखों में

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	19065.78	19866.06	28568.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	221.17	234.80	191.60
3.	असम	50004.44	4034.49	7911.51
4.	बिहार	37580.16	41257.59	60445.49
5.	गोवा	364.56	340.36	253.83
6.	गुजरात	10039.31	8327.77	10553.51
7.	हरियाणा	2353.04	2012.13	2164.35
8.	हिमाचल प्रदेश	1186.15	1049.73	1303.08
9.	जम्मू और कश्मीर	2046.35	1635.94	1080.67
10.	कर्नाटक	11082.63	12533.91	17567.06
11.	केरल	7252.79	6843.94	7788.33
12.	मध्य प्रदेश	31681.83	293028.16	36260.38
13.	महाराष्ट्र	18124.11	18648.24	25626.40
14.	मणिपुर	206.77	252.23	310.82
15.	मेघालय	481.17	413.10	359.46
16.	मिजोरम	260.55	213.27	350.70
17.	नागालैंड	733.84	637.21	668.66
18.	उड़ीसा	14033.59	13067.13	19542.43
19.	पंजाब	1053.93	2590.84	1922.31
20.	राजस्थान	13206.41	12246.06	14247.06
21.	सिक्किम	328.62	303.56	263.07
22.	तमिलनाडु	2113.67	20094.35	26530.04
23.	त्रिपुरा	92.99	485.48	838.66

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	4816.83	52257.00	69531.24
25.	पश्चिम बंगाल	1932.16	21412.74	24051.32
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.73	67.50	107.30
27.	दादर और नागर हवेली	103.31	76.31	80.68
28.	दमन और दीव	27.23	5.33	25.94
29.	लक्षद्वीप	49.15	61.66	73.58
30.	पांडिचेरी	193.27	139.39	22.53
	अखिल भारत	265989.24	279470.20	358841.82

विवरण III

रोजगार गारंटी योजना पर किए गये व्यय का राज्य-वार विवरण।

रू० लाखों में

क्रम सं.	राज्यं/संघ राज्य क्षेत्र	(रो. गा. यो.) 1993-94
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2566.02
2.	अरूणाचल प्रदेश	136.17
3.	असम	963.09
4.	बिहार	1608.36
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	146.21
7.	हरियाणा	993.85
8.	हिमाचल प्रदेश	2.47
9.	जम्मू और कश्मीर	133.75
10.	कर्नाटक	678.26
11.	केरल	171.20
12.	मध्य प्रदेश	2503.49
13.	महाराष्ट्र	430.10
14.	मणिपुर	35.46

1	2	3
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	470.98
17.	नागालैंड	975.15
18.	उड़ीसा	1280.35
19.	पंजाब	—
20.	राजस्थान	926.99
21.	सिक्किम	20.27
22.	तमिलनाडु	319.48
23.	त्रिपुरा	659.35
24.	उत्तर प्रदेश	647.68
25.	पश्चिम बंगाल	2621.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.41
27.	दादर और नागर हवेली	1.51
28.	दमन और दीव	—
29.	लक्षद्वीप	—
30.	पांडिचेरी	—
	योग	18293.60

[अनुवाद]

जाली करेंसी नोटों का प्रचलन

2784. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जुलाई 1994 के 'दी इकोनामिक्स टाइम्स' (दिल्ली संस्करण) में "फ्रैंक रूपीज 50 नोट्स इन सर्कुलेशन" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस संबंध में तथ्यों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसका क्या परिणाम निकला है; और

(च) सरकार द्वारा जाली करेंसी नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए किए गए उपायों का

ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ड) 1 अगस्त, 1994 को 'दी इकनोमिक टाइम्स' नई दिल्ली के समाचार पत्र में 50 रूपये के जाली नोट का प्रचलन शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था। इस मामले को नोट प्रिंटिंग मुद्रणालयों के ध्यान में लाया गया जिनसे यह पुष्टि हुई है कि ये नोट असली नोटों में से एक हैं।

(च) जाली नोटों को रोकने के उद्देश्य से भारतीय करेंसी बैंक नोटों को विशेष सुरक्षा स्याही, सहित विशिष्ट सांचे में ढाले गए कागज पर तथा निम्नलिखित विशेषताओं को शामिल करके मुद्रित किए जाते हैं:

(i) ब्लाक स्तंभ अभिकल्पना की जलचिन्ह

(ii) बहुरंगीन अनुचित्रित मुद्रण

(iii) 5 रूपये मूल्यवर्ग के तथा इससे अधिक मूल्यवर्ग के मामले में सुरक्षा धागा;

(iv) 20 रूपए और इससे अधिक मूल्यवर्ग के उच्चतर मूल्यवर्ग पर उत्कीर्णित मुद्रण; और

(v) उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त, 500 रूपए के मूल्यवर्ग में गुप्त छवि और रूपचित्र अंकित किया गया है।

बाल श्रमिक

2785. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बाल श्रमिकों को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के संदर्भ में नियोक्ताओं की भूमिका से संबंधित बाल परिचर्चा के मुद्दे पर भारत की कड़ी आलोचना की है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 1991 में भारत में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कानूनी प्रावधानों को सामान रूप से लागू नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की श्रम संबंधी प्रकाशित इस रिपोर्ट में अन्य किन-किन मुददों का उल्लेख किया गया है; और

(घ) सरकार का इन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) अपनी वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट, 1994 में अं० श्र० सं० ने अन्य देशों, भारत में भी, में बालक देख-रेख की विद्यमान स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

"बालक देख-रेख" संबंधी अपने अध्याय में रिपोर्ट मे पूरे संसार के विभिन्न देशों में बालक देख-रेख सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। इसमें बताया गया है कि ऐसी सेवाओं की उपलब्धता में काफी विविधता होती है लेकिन डेनमार्क आदि जैसे अत्यधिक विकसित देशों में भी निरपवाद रूप से मांग में कमी आती है। रिपोर्ट के अनुसार, बहुत ही कम देश 3 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए उच्च स्तर पर बालकों की देख-रेख का प्रावधान करते

हैं और स्कूल जाने वाली आयु के बालकों के लिए स्कूल में पढ़ाई के समय के पहले और बाद में तथा छुट्टियों के लिए बालकों की देख–रेख सुविधाओं की उपलब्धता बहुत ही सीमित है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बालकों की देख–रेख बहस पर नए सिरे से सेवाओं तथा सुविधाओं के प्रावधान में नियोजकों की भूमिका चिन्ताजनक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में नियोजकों द्वारा कानूनी उपबंधों को पूरा सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ मामलों में, कर्मकार उपलब्ध बाल देख–रेख सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक नहीं होते हैं।

(घ) (i) 30 अथवा इससे अधिक महिलाओं को नियोजित करने वाले कारखानों, 50 अथवा इससे अधिक महिलाओं को नियोजित करने वाले बागानों (अथवा जब नियोजित महिलाओं के बालकों की संख्या 20 अथवा अधिक है), 50 अथवा अधिक महिलाओं को नियोजित करने वाले बीड़ी तथा सिगार बनाने वाले कारखानों के नियोजकों तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत संबद्ध और 20 अथवा अधिक महिलाओं को नियोजित करने वाले ठेकेदारों को कानूनी रूप से शिशु गृहों की स्थापना करना अपेक्षित है।

(ii) केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड 1975-76 से काम करने वाली माताओं के बालकों की देख–रेख के लिए शिशु गृहों की स्थापना करने हेतु एक केन्द्रीय योजना प्रशासित कर रहा है। देश में 12,000 शिशु गृह कार्य कर रहे हैं जिनसे 3 लाख से भी अधिक बालक लाभान्वित हो रहे हैं।

(iii) श्रम मंत्रालय ने महिला कर्मकारों के लाभ के लिए बालक देख–रेख केन्द्र स्थापित करने के लिए एक प्लान योजना शुरू की है। इस योजना में सभी प्रतिष्ठान शामिल हैं चाहे उनके लिए कानूनी रूप से बालक देख–रेख केन्द्रों की व्यवस्था करना आवश्यक हो अथवा नहीं। यह भी निर्णय लिया गया है कि बालक देख–रेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय शिशु गृह निधि स्थापित की जाए।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र

2786. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस समय चलाई जा रही निर्यात संवर्द्धन गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात संवर्द्धन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार को उपलब्ध की गयी सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया है, विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया है, निर्यातकों के मार्गदर्शन के लिए साहित्य प्रकाशित किया है, निर्यात संवर्धन के प्रयोजनों से एम.एम.टी.सी. से सोना खरीदने पर बिक्री कर से छूट दी है।

(ग) निर्यातों को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी गई सहायता में अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल है :

1. आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लि० को निर्यात घराने का दर्जा देना।

2. आंध्र प्रदेश से निर्यात को बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम में निर्यात संसाधन क्षेत्र की स्थापना करना।

3. निर्यात संवर्धन संबंधी क्रियाकलापों को मानीटर करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के वाणिज्य और निर्यात संवर्धन विभाग को एक नोडीय अभिकरण के रूप में "निर्यात बंधु" घोषित करना।

4. आंध्र प्रदेश के निर्यात से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक नोडीय अधिकारी की नियुक्ति करना।

5. आंध्र प्रदेश में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई पी आई पी) की स्थापना करने में सहायता देना।

संगमरमर और ग्रेनाइट का निर्यात

2787. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में संगमरमर और ग्रेनाइट का निर्यात किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) इन मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) चालू एक्सिम नीति के तहत संगमरमर और ग्रेनाइट एक्टों को शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना, अग्रिम लाइसेंसिंग और ई पी सी जी जैसे लाभ मिलते हैं। संसाधित ग्रेनाइट और संगमरमर के निर्यात पर हुई आय को आयकर अधिनियम की धारा 80 एच एच सी के तहत लाभ मिलता है। इसके अलावा, संगमरमर और ग्रेनाइट के निर्यातक सरकार तथा रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् के सामान्य निर्यात संवर्धन उपायों से भी लाभ उठाते हैं।

विवरण

(क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान ग्रेनाइट और संगमरमर का निर्यात निम्नलिखित रहा :

मात्रा : मीटर में

मूल्य : करोड़ रूपये में

	1991-92		1992-93		1993-94अनुमानित	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ग्रेनाइट	715.0	376.11	803.5	503.98	1090.00	600.00
संगमरमर	3998.0	9.40	15379.0	18.78	20600.00	20.50

(स्रोतः वेपेक्सिल, कलकत्ता)

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बैंक शाखाएं

2788. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत है और ये कहां–कहां है;

(ख) इनमें से कितनी शाखाएं गत तीन वर्षो से घाटे में चल रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रही बैंक शाखाओं को बंद करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इन शाखाओं को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 30.6.1993 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या 2781 है। इन शाखाओं के स्थान से संबंधित सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह अभी समेकित नहीं की गई है और इसमे कुछ और समय लग सकता है। इस बारे में जब भी पूर्ण सूचना प्राप्त होगी उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंको को अपनी गैर अर्थक्षम और हानि उठाने वाली शाखाओं को बंद करने या उन्हें से लाइट कार्यालयों में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जबकि वाणिज्यिक बैंक को एक शाखा वाले ग्रामीण केन्द्रों में हानि उठाने वाली शाखाओं को बंद करना वांछनीय नहीं समझा जाता, लेकिन जिन केन्द्रों में वाणिज्यिक बैंकों की दो शाखाएं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, कार्य कर रही है, वहा पारस्परिक परामर्श

की प्रक्रिया के माध्यम से एक शाखा को बंद करने का निर्णय बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया था। अच्छी बैंक सुविधाओं वाले शहरी/महानगरीय केन्द्रों में स्थित हानि उठाने वाली शाखाओं को बंद करने के बैंकों के प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार करेगा और अनुमति प्रदान करेगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जिन शाखाओं को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है उनकी अनुमानित संख्या 104 है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा गया है कि वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए संगठनात्मक ढांचे, मशीनीकरण, मानव संसाधन विकास, ऋण मूल्यांकन, वसूली उपाय, सतर्कता तंत्र को मजबूत करने आदि जैसे कुछ मुख्य क्षेत्रों के संबंध में कार्य योजना तैयार करें।

[अनुवाद]

बेनामी बैंक खाते

2789. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में बेनामी खाते खोलने और कुछ महीने पश्चात् उन्हें बंद करने तथा इस अवधि का उपयोग कुछ बड़ी धोखाधड़ी करने संबंधी मामलों में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्य पद्धति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या कोई निगरानी कार्य शुरू किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नए खाते खोलने संबंधी तथा ऐसे खाता धारकों को एक निश्चित सीमा तक ही लेन देन करने की अनुमति देने संबंधी अनुदेशों का पालन करें; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने उल्लंघन के मामले नोटिस में आए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे वर्ष 1993 के उत्तरार्ध में विभिन्न कंपनियों/संस्थाओं द्वारा जारी किए गए उन ब्याज/लाभांश वांरटों, धन–वापसी आदेशों आदि का फर्जी व्यक्तियों द्वारा अवरूद्ध किए जाने के खिलाफ कंपनियों/निवेशकों से शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों की शाखाओं में जाली/बेनामी नामों से खाते खोलकर धोखाधड़ी पूर्वक भुला दिया था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना से पता चला कि 1993 के दौरान 18 बैंकों में 214 खातों में धोखाधड़ी पूर्ण भुनाई की वारदातें हुई थी।

खाता खोलने और उसके परिचालन के संबंध में निर्धारित प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर, 1993 में सभी बैंकों को अपनी–अपनी शाखाओं को आवश्यक अनुदेश जारी करने की सलाह दी अन्यथा निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

बैंकों को सलाह दी गई है कि वे जमाकर्ताओं/नये जमा खाते परिचालित करने के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों को फोटोग्राफ प्राप्त करने की प्रणाली को लागू करें जो जांच एजेंसियों द्वारा भ्रष्ट की पहचान को आसान बनायेगा और बेईमान लोगों के लिये निवारक उपाय के रूप में कार्य

करेंगा। बैंकों को बड़ी शाखाओं की समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रणाली लागू करने की सलाह दी है और समवर्ती लेखा परीक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे खासकर नये चालू/बचत बैंक खातों में किसी भी असामान्य परिचालनों की जांच करें। शाखाओं द्वारा नये खातों में परिचालनों पर नजदीकी से नजर रखी जाती है। इसके अतिरिक्त शाखाओं की आंतरिक जांच के समय नये खातों के खोले जाने और उसके परिचालन की जांच की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी भी नमूना आधार पर बैंक के रिकार्डों की संवीक्षा यह देखने के लिए करते हैं कि नये खाते खोलने संबंधी निर्धारित दिशानिर्देशों/अनुदेशों को सही ढंग से अनुपालन किया जाता है या नहीं।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटन का विकास

2790. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

श्री राम कृपाल यादव :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को 1994-95 के दौरान राज्य में पर्यटन के विकास के लिए स्वीकृति और सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन परियोजनाओं को स्वीकृति और सहायता की मंजूरी दे दी गई है वे कहां–कहां स्थित है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बिहार सरकार के परामर्श से 13 परियोजनाओं/स्कीमों की केन्द्रीय सहायता हेतु प्राथमिकता प्रदान की है। तथापि, राज्य सरकार से अभी तक कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राजकोषीय बिल

2791. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 364 दिन वाले राजकोषीय बिल, जो इस समय एकत्र हो गए हैं, उनकी धनराशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने रूपान्तरण विकल्प को अस्थगित भुगतान करने के बारे में निर्णय लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को इसकी अदायगी किस प्रकार करने का विचार है,

(घ) राजकोषीय बिलों के रूपान्तरण के विकल्प के लिए आमतौर पर कितनी बार मौका दिया जाता है; और

(ङ) राजकोषीय बिल धारकों पर बकाया देनदारी समाप्त करने के लिए जुटाये जा रहे संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार 364 दिन वाले राजकोषीय बिल की बकाया राशि 15,546,78 करोड़ रूपये थी।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) लोक ऋण की वापसी– अदायगी भारत की समेकित निधि में की जाती है।

(घ) कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) 364 दिन की परिपक्वता वाले राजकोषीय बिल धारकों को (क) उसका नवीकरण करने (ख) इसे दीर्घावधिक प्रतिभूतियों में रूपान्तरित करने, बशर्ते कि सरकार इस संबंध में ऐसा कोई निर्णय करे और (ग) इसे भुनाने का विकल्प प्राप्त है। ऋण की वापसी– अदायगियों के मामले में देनदारी वर्ष के दौरान लिए गए आंतरिक उधारों के जरिए पूरी की जाती है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया का आधुनिकीकरण

2792. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का प्रथम चरण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस चरण के दौरान प्राप्त उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया ने सरकार से आधुनिकीकरण कार्यक्रम के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु धन जुटाने के लिए नए शेयर जारी करने के संबंध में कोई बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) एयर इंडिया के कारोबार का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। एयर इंडिया ने पहले एक वर्ष में चार नये बी–747-400 विमान सेवा में लगाये हैं और इसने एक आधुनिक कम्पयूटरीकृत आरक्षण प्रणाली आरंभ की है। यात्रियों के लिए पृथ्वी और आकाश दोनों पर प्रदान की गयी सुविधाओं को उन्नयन किया गया है और किया जा रहा है। जबकि यह सर्वविदित है कि एयर इंडिया को अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये इक्विटी जारी करने की आवश्यकता होगी, तब भी इस प्रकार की इक्विटी जारी करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सूत का आयात

2793. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा जनवरी से जून 1994 के दौरान कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य का कृत्रिम सूत आयात किया गया; और

(ख) ऐसे सूतों का आयात करने के क्या कारण है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् अप्रैल–मई, 1994 (अद्यतन उपलब्ध) तक की अवधि के दौरान आयात किए गए कृत्रिम यार्न जिसमें विस्कोस फिलमेंट यार्न, कूप्रकमोनियम फिलेमेंट यार्न, नायलोन, फिलमेंट यार्न, एसिटेट फिलमेंट यार्न भी शामिल है, की मात्रा और मूल्य निम्न अनुसार है :

अवधि	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रू० में)
1991-92	5735	6236.4
1992-93	5460	6349.5
1993-94	14103	24376.1
1994-95 (अप्रैल–मई, 1994) (अनन्तिम)	3681	3443.5

इसमें अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत आयातित यार्न भी शामिल है।

(ख) घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता के वांछित किस्मों के यार्न उपलब्ध न होने के कारण यार्न का आयात किया जाता है।

[हिन्दी]

बीड़ी श्रमिक

2794. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु कितने उपकर की वसूली की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में बीड़ियों पर एकत्र किया गया उपकर और बीड़ी कर्मकारों के कल्याण पर किये गये व्यय संबंधी विवरण।

वर्ष	एकत्रित उपकर	व्यय (हजार रूपये में)
1991-92	20304	85,93
1992-93	16369	14840
1993-94	17981	15890 (अनन्तिम)

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

2795. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक की उन विकास परियोजनाओं जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी जा रही है, का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा अब तक कितनी धनराशि दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) कर्नाटक में विकास परियोजनाओं का ब्यौरा जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्रदान की जा रही है, नीचे दिया जा रहा है :

(i) सिरेमिक टेक्नोलोजिकल इन्स्टिट्यूट भेल बंगलौर (1,182,620 अमरीकी डालर)

(ii) पावरलाइन एग्रीग्रेटस बी ई एम एल बंगलौर (4,300,000 अमरीकी डालर) के लिए टेक्नोलोजी बेस की स्थापना।

(iii) कम्प्यूटर इन्टिग्रेटेड मेन्युफैक्चरिंग, सी एम टी आई बंगलौर (2,352,500 अमरीकी डालर)

(iv) अर्थव्यवस्था के सार्वभौमीकरण (लार्ज) के लिए कानूनी समायोजन तथा सुधार, नेशनल लॉ स्कूल आफ इंडिया, बंगलौर (248,000 अमरीकी डालर)

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अब तक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई कुल निधियां 8,083,120 अमरीकी डालर है।

बैंकों में चेयरमैनों की नियुक्ति

2796. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में चेयरमैनों की नियुक्तियां हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो बैंकवार वर्तमान रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक उपरोक्त रिक्तियों भरने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) 19 में से 17

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पदासीन है। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद रिक्त है जिनका विवरण निम्नलिखित है :

क्र० सं०	बैंक का नाम	जिस तारीख को रिक्त हुआ
1.	आन्ध्र बैंक	1.7.1992
2.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1.8.994

(ग) सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी है।

रायल्टी से आय

2797. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री आयकर विवरणी में रायल्टी से प्राप्त आय को शामिल करने के बारे में 17 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1573 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) इस संबंध में कोई जांच–पड़ताल की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ड) वास्तविक आय को छिपाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनके द्वारा आयकर का भुगतान किए जाने के कारण सरकार को हानि होती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) यद्यपि 17.8.90 के अतारांकित प्रश्न सं० 1573 का मूलतः उत्तर यह आश्वासन देकर दिया गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है और उक्त आश्वासन की पूर्ति दिनांक 11.12.90 को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करके की गई थी।

(ग) से (ड) लोक सभा के तत्कालीन महासचिव डा० सुभाष सी० कश्यप, जिनके नाम का उल्लेख उपर्युक्त आश्वासन पूर्ति में किया गया था, के 1989-90 तथा 1990-91 के कर–निर्धारण वर्षों के लिए कर–निर्धारण की जांच की गई थी किंतु प्रकाशित की गई पुस्तकों पर रायल्टी के कारण आय को छिपाए जाने का मामला जानकारी में नहीं आया था।

कपास का निर्यात

2798. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(ग) इन पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सूचना देने वालों को इनाम

2799. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्तों की कार्यवाही योजना में सूचना देने वाले व्यक्तियों को देय इनाम की प्रगति पर निगरानी रखी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में निगरानी प्रक्रिया को शामिल करने के लिए इनाम संबंधी नियमों को संशोधित करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वार्षिक कार्य योजना में केवल महत्वपूर्ण परिणाम वाले क्षेत्र शामिल होते हैं जिनमें वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा विभिन्न स्तरो पर उनके लिए काफी निगरानी रखी जाती है। सूचना देने वाले को इनाम का भुगतान करना महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्र में नहीं आता है और इसीलिए यह कार्य योजना का हिस्सा नहीं है। फिर भी, इस संबंध में पर्याप्त प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

फर्जी कंपनियों को ऋण

2800. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जुलाई 1994 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार बैंक आफ इंडिया ने बोगस कंपनियों को एक करोड़ रूपये का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तथा उपरोक्त ऋण की वसूली के लिये क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक

2801. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने बैंक की सामान्य पूंजी बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सहित अन्य देशों ने मतदान का बहिष्कार किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव पर भारत का समर्थन प्राप्त करने हेतु भारत की यात्रा की थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) जी, हां। पूर्ववर्ती पूंजी वृद्धियों से अलग सामान्य पूंजी वृद्धि-IV कतिपय नीतिगत प्रदेशनों और प्रचालनात्मक निदेशों से सम्बद्ध थी। इसलिए, जब इस विषय पर अप्रैल, 1994 में निदेशक मंडल की बैठक में विचार किया गया तो भारत ने 13 अन्य विकासशील देशों के साथ इसमें भाग नहीं लिया। इसके पश्चात् इस पर एशियाई विकास बैंक के शासी बोर्ड द्वारा विचार किया गया और भारत द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में वे नीतिगत मुद्दे बोर्ड द्वारा विचार विमर्श के लिए उठाए गए और अन्य विकासशील देशों द्वारा की गयी कार्रवाई के संबंध में भारत ने अंतिम चरण में प्रस्ताव का समर्थन किया।

चाय बागान श्रमिक

2802. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस समय चाय बागानों में कुल कितने श्रमिक कार्यरत है;

(ग) क्या 1969-70 की तुलना में 1993-94 के दौरान चाय के उत्पादन में तीन गुणा वृद्धि हुई है और इसके अनुपात में श्रमिकों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और श्रमिकों की संख्या में कमी आने के क्या कारण है; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान चाय का उत्पादन लगभग 753.54 मिलियन किलो था।

(ख) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1991 के दौरान चाय बागानों में अनुमानित औसत दैनिक श्रमिक 9,96,753 थे।

(ग) और (घ) जी नहीं, वर्ष 1993-94 में चाय के अनुमानित उत्पादन स्तर में 401.13 मिलियन

किलो से बढ़कर 753.54 मिलियन किलो हो गया। चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 1969 के 7,53,835 से बढ़कर 1991 तक 9,96,735 हो गई थी।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि परियोजनाओं का वित्त पोषण

2803. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी भारत में कृषि क्षेत्र की 12 परियोजनाओं में धन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में किन–किन परियोजनाओं को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है; और

(घ) कितनी परियोजनाएं वित्तीय सहायता हेतु भारतीय स्टेट बैंक के पास लम्बित पड़ी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) ने सूचित किया है कि कृषि और मछलीपालन के अंतर्गत आने वाली 12 परियोजनाएं उनके मद्रास और हैदराबाद स्थानीय प्रधान कार्यालयों के माध्यम से प्रक्रियाओं (प्रोसेसिंग) के विभिन्न चरणों में हैं। ये जल कृषि निर्यात, समुद्री खाद्य पदार्थ, झींगा निर्यात और कृषि संबंधी मशीनरी प्राप्त करने से संबंधित है। 12 परियोजनाओं में से एक कृषि निर्यात से संबंधित 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और शेष परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है।

[हिन्दी]

लघु इकाइयों के लिए ऋण

2804.*श्री राम टहल चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु औद्योगिक इकाइयां देश के कुल निर्यात में बीस प्रतिशत का योगदान कर रही है;

(ख) क्या एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार बड़ी औद्योगिक इकाइयों को अपने व्यापार का 19% तक ऋण लेने की अनुमति है जबकि लघु औद्योगिक इकाइयों को अपने व्यापार का केवल 8% तक ही ऋण लेने का अधिकार प्राप्त है।

(ग) क्या सरकार का विचार इस सीमा को वापस करने का है ताकि लघु इकाइयों को मिलने वाली ऋण अदायगी की प्रक्रिया को उदार बनाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1992-93 के दौरान उद्योगों द्वारा 17784.82 करोड़ रूपए का निर्यात किया गया जो 53350.54 करोड़ रूपए के कुल निर्यात का 33.34 प्रतिशत बैठता है।

(ख) लघु उद्योगों का संस्थागत ऋण की पर्याप्तता की जांच के लिए श्री पी. आर. नायक की अध्यक्षता में गठित समिति ने अनुमान लगाया है कि मझौले और बड़े उद्योगों को बैंकों से उपलब्ध कार्यशील पूंजी वित्त (1989-90 के आंकड़ों के आधार पर) उनके कुल उत्पादन का 19.4% था। समग्र रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए बैंकों से कार्यशील पूंजी वित्त की उपलब्धता कुल उत्पादन का 6.1% आकलित किया गया था।

(ग) से (ड) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नायक समिति की रिपोर्ट के आधार पर, बैंकों से कहा गया है कि उन लघु उद्योगों को वार्षिक उत्पादन के न्यूनतम 20% के आधार पर आकलित कार्यशील पूंजी सीमा उपलब्ध कराएं, जिनका व्यक्तिगत मामलों में ऋण सीमा एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं है। बैंकों से कहा गया है कि वे ग्रामोद्योगों, अति लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योग एककों को इसी क्रम में तरजीह दें और ऋण के प्रवाह को बढ़ाएं और लघु उद्योगों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करें। यह भी निर्णय लिया गया है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एकल खिड़की योजना को सभी जिलों में लागू किया जाए। प्रारंभ में 2000 से अधिक प्रत्येक पंजीकृत एककों वाले 85 में से 62 जिलों को वाणिज्यिक बैंकों को आवंटित किया गया है और शेष 23 को राज्य वित्त निगमों को इस अनुदेश के साथ आवंटित किया गया है कि वे समन्वित ढंग से ऋण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मार्गदर्शी उत्तरदायित्व लें।

मंत्रालयों में कार्यभार

+2855. **श्री राज नारायण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक क्षेत्र में उदारीकृत नीति और नई प्रणालियों जैसे डुप्लीकेटिंग मशीन, कम्प्यूटर उपकरणों और फैक्स प्रणाली आदि के प्रयोग में आने से मंत्रालयों के कार्यभार में किसी सीमा तक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नए मानदंड निर्धारित करने हेतु मंत्रालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यभार का कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार ने 1994-95 के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही तय की है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) स्टाफ निरीक्षण एकक द्वारा 1992-93 के दौरान की गई कुल बचत वर्गवार प्रभावित स्टाफ और मंत्रालयवार की गई बचत का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या मितव्ययता हेतु कुछ नए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ड) मंत्रालयों में कार्यभार का, स्टाफ निरीक्षण यूनिट, वित्त मंत्रालय तथा विभिन्न मंत्रालयों के आंतरिक कार्य अध्ययन यूनिटों द्वारा आवधिक अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के अंतर्गत, आधुनिक कार्यालय उपकरणों के उपयोग सहित सभी संबंद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यभार की मात्रा पर विचार किया जाता है।

(च) स्टाफ निरीक्षण यूनिट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर कर्मचारियों की जो बचत होगी, उसे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) और (ज) सरकारी व्यय को नियंत्रण में रखना एक सतत कार्य है। विशिष्ट मितव्ययिता उपायों के संबंध में समय–समय पर अनुदेश जारी किए जाते है। उन उपायों में शामिल है, प्रथम श्रेणी में विमान–यात्रा पर रोक, दौरे के दौरान होटलों में 'स्वीट' (कमरों के सेट) में ठहरने पर रोक, पेट्रोल की खपत/व्यय में कमी, समयोपरि भत्ते, मनोरंजन, वाहनों के क्रय, सजावट के लिए रोशनी करने, बिजली की खपत, पदों के सृजन इत्यादि पर प्रतिबंध।

विवरण

स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या में से कटौती हेतु समूह-वार कर्मचारियों की सिफारिश तथा वर्ष 1992-93 के लिए स्टाफ निरीक्षण यूनिट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर होने वाली, मंत्रालय-वार, वास्तविक बचत

क.	स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या में से कटौती हेतु वर्गवार कर्मचारियों की सिफारिश	समूह 'क' 117	समूह 'ख' 77	समूह 'ग' 3,066	समूह 'घ' 889

ख.

क्रमांक	मंत्रालय का नाम		स्टाफ निरीक्षण यूनिट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर होने वाली, मंत्रालय वार वास्तविक बचत
			(लाख रूपये में)
1.	वित्त मंत्रालय		422.93
2.	गृह मंत्रालय	(—)	424.39*
3.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		194.99
4.	रक्षा मंत्रालय		148.03
5.	शहरी विकास मंत्रालय		814.04
6.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		56.63

1	2	3
7.	दिल्ली प्रशासन (1992-93 में संघ राज्यक्षेत्र के रूप में)	23.65
8.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय	33.39
9.	महासागार विकास विभाग	6.00
	योग	1,275.27

* अतिरिक्त कर्मचारियों की सिफारिश की गई।

निवेशकों के साथ धोखाधड़ी

2806. **श्री रामचन्द पाल :**

श्री सुशान्त चक्रवर्ती :

श्री हाराधन राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 और 1994 के दौरान निवेशकों को धोखा देने में बैंक आफ बड़ौदा के कर्मचारी और अधिकारी शामिल पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक आफ बड़ौदा का विचार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ठगे गए धन को निवेशकों को वापस करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि बम्बई स्थित उनकी ठाकुरद्वार शाखा ने अन्य पक्ष "आदाता के खाते में" अपरक्राम्य लिखित लाभांश अधिपत्र, वापसी आदेश आदि प्राप्त किए थे, जिनमें से कुछ बाद में चोरी के लिखित बताए गए जैसा कि मूल हिताधिकारियों ने शिकायत की है। निवेशकर्ताओं को बेईमान लोगों ने धोखा दिया जिन्होंने फर्जी खाते शाखा में खोले। बैंक ने बाहरी पार्टियों के लिए सी बी आई के पास आपराधिक शिकायत दर्ज की है।

(ग) से (ङ) बैंक को 22.47 लाख रूपये की 1507 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मूल हिताधिकारियों के विभिन्न दावों के निपटान का कार्य प्रारंभ किया गया है।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी

2807. **श्री नरेश कुमार बालियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पहले से विद्यमान कंपनियों में विदेशी पूंजी के अंश में वृद्धि करने के नियमों का और सरलीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नियमों को किस तारीख से लागू किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

करेंसी मुद्रणालय

2808. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

श्री तरित वरण तोपदार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करेंसी मुद्रणालय की आयात परियोजना में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

होटल प्रबंधन, खानपान प्रौद्योगिकी तथ पाक कला संस्थान

2809. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में होटल प्रबंधन खानपान प्रोद्योगिकी तथा पाक कला संस्थानों का राज्य वार ब्यौरा क्या है और उनके क्या नाम है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में विशेष कर गुजरात में पर्यटन पाठ्यक्रम लागू करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय तथा अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार ने ग्वालियर में पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान प्रायोजित किया है तो अल्पावधि के पर्यटन प्रबंध पाठयक्रमों/प्रबंध विकास कार्यक्रमों को चलाता है। इसके अतिरिक्त तिरूवनन्तपुरम, लखनऊ और दिल्ली में भारतीय पर्यटन यात्रा प्रबंध संस्थान की शाखाओं द्वारा पर्यटन का अंशकालिक प्रमाणीय (मोडुलर) प्रबंध विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारतीय

पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान ने विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रमों और मास्टर आफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रोत्साहित किया है।

विवरण

होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थानों की अवस्थिति		**पाठयक्रमों की पेशकश**
1. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, पूसा नई दिल्ली– दिल्ली	1.	होटल प्रबंध और केटरिंग तकनालाजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम
2. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, बम्बई महाराष्ट्र	2.	खाद्य उत्पादन और पेय में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम अग्र कार्यालय और आवास प्रचालन
3. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, मद्रास तमिलनाडु	3.	दिल्ली और बम्बई के संस्थानों में आवास प्रचालन और होटल प्रशासन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
4. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, कलकत्ता पश्चिम बंगाल		
5. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, गोआ–गोआ		
6. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, बंगलौर– कर्नाटक		
7. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, हैदराबाद आंध्र प्रदेश		
8. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश		

9. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, अहमदाबाद गुजरात
10. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, भुवनेश्वर उड़ीसा
11. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, जयपुर राजस्थान
12. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश
13. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, ग्वालियर मध्य प्रदेश
14. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर
15. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी संस्थान, तिरूवनंतपुरम– केरल
16. डा० अम्बेडकर होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, चंडीगढ़ चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
17. होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, गुरदासपुर पंजाब

शैक्षिक वर्ष 1994-95 से नए स्वीकृत किए गए संस्थान कार्य करना प्रारंभ कर देंगे।

2. भोजनकला संस्थान

1. कलाम सेरी – केरल	1. खाद्य उत्पादन
2. पुणे – महाराष्ट्र	2. खाद्य और पेय सेवाएं

3. चंडीगढ़ – संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ
4. पटना – बिहार
5. त्रिचुरापल्ली – तमिलनाडु
6. नई दिल्ली – दिल्ली
7. शिमला – हिमाचल प्रदेश
8. गुवाहाटी – असम
9. अलीगढ़ – उत्तर प्रदेश
10. विशाखापट्टनम – आंध्र प्रदेश
11. उदयपुर – राजस्थान
12. फरीदाबाद – हरियाणा
13. दार्जिलिंग – पश्चिम बंगाल
14. गंगतोक – सिक्किम
15. पांडिचेरी – संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी

3. अग्र कार्यालय प्रचालन और लेखा
4. आवास प्रचालन

बैंक धोखाधड़ी

2810. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धोखाधड़ी और जालसाजी में लिप्त बैंक कर्मचारियों के अनेक मामले अंतिम निर्णय के लिए लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ियों के मामलों /भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त कर्मचारियों की संख्या, जिनके अंतिम निर्णय अभी लिए जाने हैं, से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :

	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध न्यायालयों में अभियोजन लंबित है।	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित है।
धोखाधडी	713	1927
भ्रष्ट प्रथाएं	265	1429

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार मामलों का निपटान करें। बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कई सिफारिशे

की हैं। समिति की सिफारिशे जिनमें अन्यों के अलावा निम्नलिखित शामिल है, के कार्यान्वयन की प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक निगरानी रखता है : जांच करने वाले अभिकरणों अर्थात् पुलिस/सी बी आई /बैंकों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता, बैंक अधिकारियों और पुलिस/सी बी आई के बीच आवधिक बैठकें, जटिल बैंक धोखाधड़ियों की जांच के लिए बैंकों द्वारा पुलिस/सी बी आई को सहायता प्रदान करना।

मुद्रास्फीति

2811. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, जर्मनी, जापान और फ्रांस की तुलना में भारत में मुद्रास्फीति की दर क्या है; और

(ख) भारत में मुद्रास्फीति की उच्च दर के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मई, 1994 के महीने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रा स्फीति दर इस प्रकार थी।

	मुद्रास्फीति (प्रतिशत)
सं० रा० अमरीका	2.3
जर्मनी	2.9
जापान	0.8
फ्रांस	1.8
भारत	10.6

(ख) विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दर औद्योगिक रूप से उन्नत दशा की तुलना में उच्च होने की प्रवृति होती है, क्योंकि उन में अलाभकारी उद्यमों से परे संसाधनों के बदले जाने में बाजार संकेतों के प्रति त्वरित समायोजन रखने वाले अनुक्रिया किए जाने की नवीनतम योग्यता होती हैं इसके अतिरिक्त, विकासशील देश घटिया स्तर के संसाधनों पर आधारित, आधारित संरचना की कमी, उच्चतर पूंजी लागत और अर्थव्यवस्था के पूरी तरह प्रायः घटिया पैमाने से ग्रस्त है।

फिर भी, भारत की मुद्रास्फीति की दर अनेक विकासशील देशों की तुलना में साधारण रूप से कम मानी जाती है।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा गुजरात को पुनर्वित्त पोषण

2812. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ऋण योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा गुजरात को कितना वित्त पोषण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने किसानों को फायदा पहुंचा;

(ग) इसमें से कितने ऋण की वसूली की गई है; और

(घ) गुजरात के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सी योजनाएं बनाई जा रही है तथा इसके लिए कितना धन निर्धारित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान योजनागत ऋण के तहत गुजरात में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उपलब्ध कराया गया पुनर्वित्त निम्नलिखित था :

(करोड़ रूपए)

वर्ष	राशि
1991-92	100.60
1992-93	126.83
1993-94	168.78

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान पुनर्वित्त सहायता से लाभान्वित छोटे किसानों (खातों) की संख्या निम्नलिखित है :

(लाखो में)

वर्ष	छोटे किसानों की संख्या (खाते)
1991-92	29.57
1992-93	31.67

(ग) योजनाबद्ध ऋण के तहत बैंकों द्वारा आहरित पुनर्वित्त की वापसी अदायगी, नाबार्ड को, प्रत्येक किस्त की निर्धारित देय तारीख के अनुसार की जाती है। सामान्यतः पुनर्वित्त के संवितरण की तारीख से 3 वर्षों के अंदर वापसी अदायगी प्रारंभ नहीं होती है।

(घ) योजनाबद्ध ऋण के लिए सापेक्ष ऋण कार्यक्रम के तहत गुजरात राज्य के विभिन्न प्रयोजनों/कार्यक्रमों के लिए 15325 लाख रूपए की राशि निर्धारित की गई है। प्रयोजनवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अलावा, अभिनव/उच्च तकनीकी/निर्यातोन्मुख परियाजनाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड ने विशेषरूप से 350 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की है और संभवतः गुजरात राज्य समग्र आवंटन में से पर्याप्त राशि खपा लेगा।

विवरण

गुजरात के लिए नाबार्ड का योजनाबद्ध ऋण कार्यक्रम के तहत प्रयोजन-वार आबंटन

(लाख रूपये)

प्रयोजन	आबंटन
लघु सिंचाई	2001
आर ई सी – एस पी ए	1200

भूमि विकास	106
फार्म यंत्रिकरण	5500
वृक्षारोपण/बागवानी	71
डेयरी विकास	788
मत्स्यपालन	84
भण्डारण/मार्केट यार्ड	541
वानिकी	75
बायो गैस	1
मुर्गीपालन	44
भेड़/बकरी/सूअरपालन	51
अन्य	23
गैर कृषि क्षेत्र	3340
आई आर डी पी	1500
कुल	15325

बैंकों द्वारा पूंजी निवेश

2813. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बैंकों में जमा की गई कुल धनराशि का 65.7 प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशानुसार उन्हीं संबंधित राज्यों में ही पूंजी निवेश करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार पूंजी निवेश की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों में बैंकों में जमा की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि उन्हें अपनी ग्रामीण और अर्ध–शहरी शाखाओं के संबंध में अखिल भारत आधार पर अलग–अलग 60% का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करना चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि जबकि यह आवश्यक नहीं है कि यह अनुपात शाखा वार, जिला–वार या क्षेत्र वार अलग–अलग प्राप्त किया जाए, लेकिन बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण के विनियोजन में असंतुलनों को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच अनुपातों में व्यापक विसंगति से बचा जाए। अलबत्ता, किसी खास राज्य या क्षेत्र में ऋण जमा अनुपात राज्य/क्षेत्र के ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो सिंचाई, बिजली, रेल, सड़क, परिवहन, बुनियादी और तकनीकी शिक्षा, उद्यमवृत्ति और कृषि, औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक निविष्टियों तथा विपणन केन्द्रों की उपलब्धता आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास जैसे

कारकों द्वारा निर्धारित और प्रभावित होता है।

(ख) और (ग) दिसम्बर 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों के राज्य वार आंकड़ें और ऋण अनुपात संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(राशि करोड़ रू० में)

राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	दिस० 1993 के अंत के, अनुसार बकाया जमाराशियां	ऋण जमा अनुपात
1	2	3
हरियाणा	5691.41	49.9
हिमाचल प्रदेश	2111.16	27.5
जम्मू एवं कश्मीर	2491.31	47.5
पंजाब	14327.04	40.2
राजस्थान	8237.43	50.2
चंडीगढ़	2056.98	149.9
दिल्ली	28771.73	78.6
अरूणाचल प्रदेश	219.75	13.4
असम	2955.41	43.8
मणिपुर	122.52	73.5
मेघालय	522.78	15.7
मिजोरम	115.44	20.6
नागालैंड	231.03	41.7
त्रिपुरा	344.64	56.0
बिहार	12116.68	36.6
उड़ीसा	3768.41	63.9
सिक्किम	125.38	22.3
पश्चिम बंगाल	26403.45	48.7
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	95.17	18.0
मध्य प्रदेश	10446.66	56.2
उत्तर प्रदेश	29994.70	35.4

1	2	3
गोवा	2174.40	27.5
गुजरात	17722.40	47.2
महाराष्ट्र	67996.29	62.9
दादरा एवं नागर हवेली	32.40	23.8
दमन एवं दीव	103.58	15.2
आंध्र प्रदेश	15170.01	76.7
कर्नाटक	14558.09	72.5
केरल	13516.96	45.2
तमिलनाडु	20150.56	85.3
लक्षद्वीप	15.30	9.4
पांडिचेरी	498.10	41.4

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की उड़ानें

2814. **श्री दलीप सिंह भूरिया :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए नीचे उतरते समय एहतियाती उपाय नहीं किए जाने और विलंब किया जाना आम बात हो गई है जिसके परिणामस्वरूप किसी न किसी प्रकार की अप्रत्याशित गड़बड़ी होती रहती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कुल कितनी घटनाएं हुई और परिणामस्वरूप वर्ष–वार कितनी हानि हुई है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विमानों के सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती अवतरण किये जाते हैं और खराबियों को दूर करने की प्रक्रिया में कभी–कभी उड़ानों में देरी हो जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस के विमानों की एहतियाती अवतरण की 185 घटनाएं हुई और एयर इंडिया के विमानों की 52 घटनाएं हुई। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की घटनाओं के विवरण और इससे हुई हानियों के वर्ष वार ब्यौरे नीचे बताए गए है:

इंडियन एयरलाइंस

वर्ष	एहतियाती अवतरणों की संख्या	हुई हानि (लाख रूपयों में)
1991	50	28.00
1992	60	34.00
1993	75	51.00
	185	113.00

एयर इंडिया

1991	5	19.07
1992	15	305.37
1993	32	915.40
	52	1239.84

(ग) विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच से प्राप्त सिफारिशों के कार्यान्वयन, ताकि उनकी पुनरावृति को रोका जा सके, मौके पर जांच संरक्षी, सूचना के प्रसार, काकपिट वाइस रिकार्डरों की मानीटरिंग, उड़ान निरीक्षकों द्वारा निगरानी, उड़न योग्यता मानकों की लगातार मानीटरिंग इत्यादि द्वारा हवाई सुरक्षा के स्तर को उठाने के उपाय सदैव किये जाते हैं।

विदेशी पर्यटकों का आगमन

2815. **डा० रमेश चंद तोमर :**

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

श्री बलराज पासी :

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 से अब तक कुल कितने विदेशी पर्यटक भारत में आए;

(ख) 1 जनवरी, 1994 से 31 जुलाई, 1994 तक पर्यटन से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1 जनवरी, 1994 से 31 जुलाई, 1994 तक देश में आए विदेशी पर्यटकों की संख्या 11,08,550 (अनन्तिम) थी।

(ख) 1 जनवरी, 1994 से 31 जुलाई, 1994 तक पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा आय का अनुमान 2758.41 करोड़ रूपये लगाया गया है।

(ग) देश में अधिक विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में विदेशों में प्रचार और संवर्धन को तेज करना और आधारभूत सुविधाओं का सुधार करना शामिल है।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवक

2816. **श्री मोहंन सिंह (देवरिया)** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से शिक्षित और अशिक्षितों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत बेरोजगार हैं और इनकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बेरोजगारों का क्या अनुमान है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) मार्च, 1994 के अंत में देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि उनमें सभी बेरोजगार हों, 360.4 लाख थी।

(ख) शिक्षित रोजगार चाहने वालों (मैट्रिक व अधिक) की जून, 1992 तक उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार 229.4 लाख रोजगार चाहने वाले शिक्षित थे तथा 30 जून, 1992 को अशिक्षित (अनपढ़ों सहित मैट्रिक से कम) रोजगार चाहने वालों की संख्या 139.9 लाख थी।

(ग) रोजगार के अवसरों का विस्तार करना आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। रोजगार वृद्धि की गति को तेज करने के लिए योजना नीति में संभावित उच्च रोजगार वाले सैक्टरों, सब–सैक्टरों और क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि पर बल दिया गया है।

(घ) रोजगार एवं बेरोजगारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये गये पिछले व्यापक सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर 62% बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में और 38% शहरी क्षेत्रों में थे।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की ऋण दर प्रणाली

2817. **श्री एस. एम. लालजान बाशा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने रूपये उधार देने हेतु परिवर्तनीय ऋण दर प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ब्याज दर निर्धारित करने की यह नई प्रणाली शुरू करने के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। दि इंडस्ट्रियल फाइनांस कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (आई एफ सी आई) ने अपने उधारकर्ताओं को परिवर्तनशील ब्याज दर का चयन करने का विकल्प प्रदान करने के लिए परिवर्तनशील मूल ब्याज दर शुरू की जो (i) बैंकों के लिए न्यूनतम उधार दर और (ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलामियों में यथा निर्धारित 364 दिवसीय राजकोषीय बिलों के लिए अधिकतम आय दर पर आधारित है। आई एफ सी आई द्वारा घोषित की गई परिवर्तनशील मूल ब्याज दर में "अवधि का विस्तार" (टर्म स्प्रेड) भी शामिल होगा।

(ग) आई एफ सी आई ने सूचित किया है कि परिवर्तनशील ब्याज दर प्रणाली की आवश्यकता पिछले दो वर्षों के दौरान ब्याज दरों में बारम्बार होने वाले अधोमुखी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हुई। जिस उधारकर्ताओं ने पूर्व उच्च ब्याज दरों पर ऋण लिया था, वे परिवर्तनशील ब्याज दरों का विकल्प चाहते थे, ताकि वे ब्याज दरों में कमी का लाभ प्राप्त कर सकें। आई एफ सी आई को अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जिनमें से कुछ ने पहले परिवर्तनशील ब्याज उधार दर प्रणाली शुरू की थी, के मुकाबले, अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति भी बनाए रखनी होती थी।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2818. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिमी बंगाल में कौन–कौन सी परियोजनाएं विदेशी सहायता से लागू की जा रही है;

(ख) प्रत्येक मामले में प्रदान की जा रही सहायता का स्वरूप क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु किसी नई परियोजना को निकट भविष्य में मंजूरी दी है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) एक विवरण सलंग्न है।

(घ) और (ड) जी, हां। जापान सरकार ने वर्ष 1994-95 के लिए जून, 1994 में पेरिस में आयोजित हुई भारत विकास मंच की बैठक में पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सरकारी विकास सहायता ऋण की वचनबद्धता की है :

		(मिलियन येन में)
1.	बकरेश्वर तापीय विद्युत स्टेशन विस्तार परियोजना II	8,659
2.	पुरूलिया पंपड स्टोरेज स्कीम प्रोजेक्ट	20,520
3.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	4,525

विवरण

(दाता देशों की मुद्रा दस लाख में/करोड़ रूपये में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	दातादेश	मुद्रा	ऋण/अनुदान राशि	डी.आई.एस.बी. के आरंभ/ समाप्ति की तारीख	निम्नलिखित के दौरान उपभोग		
						1991-92 (रूपए)	1992-93 (रूपए)	1993-94 (रूपए)
1.	पश्चिम बंगाल वानिकी (ऋण)	आई.डी. ए.	अमरीकी डालर	34.000	25.3.92/ 30.9.97	4.34	17.17	14.36
2.	शुद्ध जलीय झींगा मछली अंडज उत्पत्ति शाला (अनुदान)	डेनमार्क	डेनिस	16.700	11.11.91/ 10.11.94	-	-	-
3.	बकरेश्वर तापीय विद्युत (ऋण)	जापान	जापानी येन	27069.0	24.1.94/ 11.3.99/	-	-	-
4.	तीस्ता नहर एच.एफ.पी. (ऋण)	जापान	जापानी येन	8025.000	18.12.86/ 31.10.96	49.5	25.27	5.99
5.	तीस्ता नहर एच ई (ऋण)	जापान	जापानी येन	6222.00	23.1.91/ 5.2.96	11.73	43.11	1.52
6.	कोलाघाट तापीय विद्युत स्टेशन फ्लाईएश उपभोग (ऋण)	जापान	जापानी येन	171.000	27.3.90/ 25.9.95	-	-	4.03
7.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई (ऋण)	आई० डी० ए०	अमरीकी डालर	45.447	27.9.85/ 31.3.94	35.62	5.12	36.36
8.	कलकत्ता गंदी बस्ती सुधार (अनुदान)	यू० के०	यू. के. पौंड स्टर्लिंग	12.240	23.5.91/ 31.12.96	5.91	7.6	10.96

[अनुवाद]

ट्रेड यूनियनों का सत्यापन

2819. **श्री संतोष मोहन गंगवार :**

प्रो० प्रेम धूमल :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स आर्गेजशन्स" की सदस्यता के सत्यापन के परिणाम तैयार कर लिए गए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सत्यापन संबंधी परिणाम कब घोषित कर दिए जायेंगे;

(घ) क्या कई श्रमिक संघों ने सरकार द्वारा सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया का विरोध किया है और उनकी सदस्यता संख्या का पता लगाने के लिए नई तकनीक के अंतर्गत नए सिरे से सत्यापन की मांग की है, और

(ड) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ड) केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों (सी टी यू ओ) की सदस्यता के सत्यापन के परिणामों को केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों (सी टी यू ओ) को स्थायी समिति द्वारा अपनायी गयी तय प्रक्रिया के अनुसार संसाधित किया गया है। पांच केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों (सी टी यू ओ) अर्थात् इंटक, एटक, एच एम एस, सीटू और टी यू सी सी ने केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों से संबद्ध व्यवसाय संघों की सदस्यता का सत्यापन 31.12.89 की गणना की तारीख मानकर किए जाने के औचित्य के बारे में प्रश्न उठाए हैं।

22.7.1994 को आयोजित केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों की स्थायी समिति की आठवीं बैठक में इन विषयों पर विचार–विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों द्वारा अनंतिम परिणाम संग्रहीत किये जा सकते हैं। तदनुसार, मुख्य श्रमायुक्त (के.) और स्थायी समिति के अध्यक्ष ने केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों से अनुरोध किया कि वे 4 और 5 अगस्त, 1994 को अंनतिम परिणाम संग्रहीत कर लें और त्रुटियों/भूल–चूक, यदि कोई हो, के बारे में एक माह की अवधि के भीतर बता दें। परिणामों के संशोधन/अंतिम प्रकाशन के लिए 15 सितम्बर, 1994 को निर्धारित केंन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों की स्थायी समिति की आगामी बैठक में इन आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।

पंजाब एंड सिंध बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2820. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान अब तक पंजाब एंड सिंध बैंक में कितने अधिकारियों की एम एम जी II ग्रेड में पदोन्नति की गई है;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आरक्षण प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पंजाब एंड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1994 (9.8.1994 तक) के दौरान जे एम जी स्केल -I से एम एम जी स्केल -II में 154 अधिकारियों को पदोन्नत किया है जिसमें से 16 अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के हैं।

(ग) और (घ) पंजाब एंड सिंध बैंक ने सूचित किया है कि सामान्यतया बैंक में अधिकारियों के संवर्ग में अंतर–स्केल पदोन्नतियां चयन प्रणाली द्वारा की जाती है और इस प्रकार सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की पुस्तिका (7वां संस्करण) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इन पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होता। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि एकबारगी उपाय के रूप में, उसने उन अधिकारियों को लाभ प्रदान करने के लिए, जो 31.12.1976 से पहले से जे एम सी स्केल-I में रहे हैं, वरिष्ठता– एवं– योग्यता प्रणाली के आधार पर जे एम जी स्केल-I से एम एम जी स्केल-II में 67 पदोन्नतियां की हैं। इन 67 पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नियमानुसार आरक्षण प्रदान किया गया है।

स्वरोजगार योजनाओं को क्रियान्वयन

2821. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विभिन्न स्वरोजगार पैदा करने वाली योजनाओं हेतु पर्याप्त धन प्रदान करने के मामले में वाणिज्यिक बैंक आम तौर पर रूचि नहीं ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विगत दो वर्षों के दौरान कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने स्वरोजगार पैदा करने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग देने हेतु उक्त बैंकों को निदेश जारी किये है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) बैंक, सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्वरोजगार प्रजनित योजनाएं जैसे, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार

योजना (एस ई ई यू वाई) शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (सुमे) और शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) कार्यान्वित कर रहे है। एस ई ई यू वाई को 1 अप्रैल, 1994 से पी एम आर वाई में सम्मिलित कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की सरकार द्वारा आवधिक आधार पर पुनरीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, योजना के अंतर्गत उनको आवंटित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बैंकों को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाते हैं। ऋणों को मंजूर न करने अथवा ऋणों को मंजूर करने में देरी के लिए सरकार को प्राप्त शिकायतों को उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

गोल्फ पर्यटन

2822. **श्री के. प्रधानी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने की बहुत अधिक गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, इसके लिए किन–किन राज्यों की पहचान की गई है;

(ग) क्या भुवनेश्वर मे गोल्फ पर्यटन के विकास के लिए कदम उठाए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग की गोल्फ संवर्धन समिति ने प्रथम चरण में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से स्तरोन्नयन करने के लिए 28 गोल्फ कोर्सो को अभिनिर्धारित किया है जो आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोआ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है।

उपरोक्त के साथ भुवनेश्वर गोल्फ कोर्स को अभिनिर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, धन की उपलब्धता पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास और स्तरोन्नयन के लिए बाद में भुवनेश्वर गोल्फ कोर्स को प्रारंभ किया जा सकता है।

[हिन्दी]

नए हवाई अड्डे

2823. **डा० साक्षीजी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश संरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में नए हवाई अड्डों के निर्माण हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार

से उत्तर प्रदेश में नये हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

एयरलाइनों के विमानों से यात्रा करने वाले यात्री

2824. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में क्रमशः सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों और निजी एयरलाइनों के विमानों से माह–वार कितने यात्रियों ने यात्रा की ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान माह–वार विदेशी एयरलाइनों से कितने यात्री आये और कितने बाहर गये?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परियोजनाएं

2825. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग से 22 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है और 5 परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को किन–किन स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है/कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है और इनसे क्या–क्या लाभ होंगे?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग से चलायी जा रही पन्द्रह परियोजनाएं विभिन्न चरणों पर कार्यान्वित की जा रही है और तीन परियोजनाएं क्रमिक रूप से कार्यान्वित की जाएगी।

(ख) और (ग) इन परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। ऐसी परियोजनाएं सामान्यतः संस्थाओं के उन्नयन प्रशिक्षण और कौशल विकास, कामकाजी जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आय और रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रमों का सुदृढीकरण, महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार और बाल श्रम आदि को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए नीतियों के प्रारूपण एवं उनके कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करने आदि के रूप में लाभ पहुंचाती है।

विवरण

प्रचालनात्मक परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना संख्या और उसका नाम	अवधि	कुल बजट (हजार अमरीकी डालर में)	परियोजना (स्थान)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	इन्ड/89/041: उच्च प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई और कलकत्ता में एन सी/सी एन सी प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करना।	7/89 से 9/84		नई दिल्ली	(1) दोनों विशेषज्ञों के लिए सी.वी.की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय से प्रतीक्षा की जा रही है। (2) उपकरणों के लिए अतिरिक्त बोलियों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।
2.	इन्ड/89/117: परामर्शी विकास प्रबंध (चरण III)	1/90 से 8/93	400	नई दिल्ली	(1) परियोजना को अगस्त, 1993 में बंद कर दिया गया। (2) उपकरण स्थानान्तरण संबंधी दस्तावेजों को अंतिम रूप देकर इक्विटी, जेनेवा के पास भेज दिया गया। (3) संशोधित बजट पर यू एन डी पी ने हस्ताक्षर कर दिया है और उसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय में प्रस्तुत कर दिया।

1	2	3	4	5	6
					(4) परियोजना प्राधिकारियों ने टर्मिनल रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है।
3.	इन्ड/91/026 : धातु एवं प्लास्टिक उद्योग सेवा एवं प्रशिक्षण केन्द्र	4/92 से 3/97	2012	गोवा	(1) प्रशिक्षण विशेषज्ञ को नियुक्त कर दिया गया है वे दो/तीन महीने के अपने कार्य को संभवतः अगस्त, 1994 से ग्रहण कर लेंगे। (2) टी आर टी सी, गोवा के दो अधिकारियों ने यूरोप का अध्ययन दौरा किया। (3) अधिकारियों की भर्ती संबंधी सेवा सहित प्रशिक्षण चलाया गया। (4) प्रशिक्षण उपकरणों के लिए पहले ही आदेश दे दिये गये हैं और उनको प्राप्त कर लिया गया है।
4.	इन्ड/91/076 : मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में पोर्ट कर्मकार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।	1/92 से 12/95	604	मद्रास	(1) निदेशक के पद को अनुमोदित कर दिया गया है और पूर्व एम पी टी अधिकारी श्री सी को नियुक्त कर दिया गया है। (2) सी टी ए, श्री बी के सुब्रह्मण्यम ने मार्च, 1994 में अपने एक माह कार्य को पूरा कर लिया है।

1	2	3	4	5	6
					(3) एक दृश्य–श्रव्य विशेषज्ञ के भर्ती के संबंध में मुख्यालय से प्राप्त उम्मीदवारों में से एक की सी वी परियोजना प्राधिकारियों को उनके अनुमोदन के लिए अग्रेषित कर दिया गया है।
					(4) राष्ट्रीय परियोजना निदेशक ने अप्रैल, 1994 में आस्ट्रेलिया का एक अध्ययन दौरा किया।
					(5) फैलोशिप प्रशिक्षण के अतिरिक्त 9 फैलो शीघ्र ही रोटरडेम और सिंगापुर का अध्ययन दौरा करेंगे।
5.	इन्द्/83/05 डेन : पुरूलिया जिला पश्चिम बंगाल में रोजगार और आय अवसरों को बढ़ावा देना।	7/91 से 12/94	376	पश्चिम बंगाल	(1) राज्य सरकार परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है और नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एस पी डब्ल्यू पी नीति सलाहकार द्वारा उसका ठीक ढंग से प्रबोधन, सलाह सहायता और समर्थन किया जा रहा है।
					(2) मार्च, 1994 तक (चरण III) लगभग 7,187,000 रू० के अनुमानित लागत की विकास योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6
					(3) सुव्यवस्थित एवं व्यवसायिक विधि से परियोजना क्षेत्र में महिलाओं का विकास संबंधी अध्ययन चलाया गया है।
6.	इन्ड/84/02 डेन : महिला संगठनों द्वारा बंजर भूमि विकास	9/87 से 5/94	585	पश्चिम बंगाल	(1) अभी तक 15 समितियों का पंजीकरण किया गया है (महिला बुनियादी संगठन) जिनकी कुल सदस्यता संख्या 724 महिलायें हैं। अर्जुन और असन पेड़ (टसंर सिल्क वार्म ककून के लिए होस्ट प्लांट) पैदा करने के लिए समिति ने लगभग 310 एकड़ बंजर भूमि को अधिग्रहीत कर लिया है। उनकी प्रतिदिन शुरूआती देख–रेख की जाती है। नियमित प्रशिक्षण कैंप, आयोजित किए जाते हैं ताकि महिलाओं को ग्रास रूट स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया जा सके।
					(4) आई एल ओ द्वारा परियोजना क्षेत्र में विकास में महिला नामक एक अध्ययन चलाया गया है।
8.	इन्ड/87/एम 01/एफ आर जी महिला आय सृजन कार्यक्रमों में संगठनात्मक सुदृढीकरण करना और प्रबंधकीय समर्थता।	7/88 से 7/91	391	नई दिल्ली	(1) मूल्यांकन की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही शुरू की जा रही है। तथापि हमें

1	2	3	4	5	6
					आई एल ओ मुख्यालय से सूचना प्राप्त हुई है कि चूंकि परियोजना को जून, 1992 तक समाप्त हो जाना चाहिए था। अतः जर्मन सरकार अगले क्रियाकलापों के लिए बचत को, जोकि 24,000 अमेरिकी डालर है, निर्गत करने के लिए हक में नहीं है। एशिया में अनुसंधान में भाग लेने की समिति पी आर आई ए को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।
9.	इन्ड/87/एम 03/ एन ई टी : महिला संगठनों के माध्यम से बंजर भूमि विकास	7/88 से 7/94	864	गुजरात	(1) परियोजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को, उनके अपने संगठन के माध्यम से बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना था और इसके द्वारा भूमि सुधार योजनाओं, जिसके अंतर्गत पेड़ लगाना और उससे सम्बद्ध सृजन क्रियाकलापों को शामिल किया गया है, के माध्यम से उनके रोजगार में वृद्धि करना था। परियोजना क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप ग्रामीण महिला संगठनों के सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार/आर एल ई जी पी योजनाओं के माध्यम से बंजर भूमि विकास के माध्यम से बहुत अधिक

1	2	3	4	5	6
					रोजगार प्राप्त हुआ। पेड़ रोपाई का कार्य उपलब्ध होने के कारण बहुत कम महिलाएं मूंगफली रोपाई के लिए मौसमी प्रवास के लिए गयी।
					(2) भूमि विकास, सिंचाई कार्य, नर्सरी विकास, बागान जैसी विभिन्न परियोजनाओं तथा बचत एवं जमा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रशिक्षण, बालकों की देख–रेख, हाथ से वस्तुए बनाने जैसे परियोजना इतर कार्यकलापों से 414 महिलाएं लाभान्वित हुई है। 'सेवा' ने 400 एकड़ परती भूमि प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है जिस पर अनेक बागानों की सहायता के लिए अनेक भूमि तथा अवसंरचना विकास के उपाय किये गये हैं।
					(3) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शेष परियोजनागत निधियों के साथ एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने की योजना बना रहा है।
10.	आई एन डी/88 एम 01/एस आई डी "अपना व्यापार सुधारों (आई वाई बी) कार्यक्रम" को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नियोजक	1/90 से 12/92	140	नई दिल्ली बम्बई	1. परियोजना ने अपने कार्यकलाप पूरे कर लिए हैं। 2. परियोजना को कार्यान्वित करने में नियोजक

1	2	3	4	5	6
	परिषद की सहायता।				संगठनों और साधन संपन्न व्यक्तियों के अनुभव की समीक्षा करने, इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करने और भारत में आई वाई बी योजना के भावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करने के लिए 21 से 22 मई, 1993 तक बम्बई में, संतुलित निधियों के साथ, एक गोल मेज बैठक आयोजित की गयी थी। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह योजना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है और आई वाई बी कार्यशालाओं को जारी रखा जाए, हालांकि यह स्वःपोषी आधार पर होगा। तथापि अं०श्र०सं० की तकनीकी सहायता की अभी भी आवश्यकता होगी। भारतीय नियोजक परिषद् से कार्यक्रम के लिए अं०श्र०सं० से अपेक्षित भावी सहायता की प्रकृति और सीमा बताने की आशा की जाती है। इसी बीच में, 12,400 अमरीकी डालर की धनराशि, जो ए सी टी/ई एम पी के पास अभी भी उपलब्ध है। कुछ और आई वाई बी कार्यशालाओं को वित्त पोषित करने और आई वाई बी हैंडबुक तथा वर्क बुक, जिनका स्टाक

1	2	3	4	5	6
					समाप्त हो चुका है की और प्रतियां मुद्रित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानांतरित कर दी गयी है।
11.	आई एन डी/89/एम01/जी टी जैड : बाल श्रम कार्रवाई एवं सहायता कार्यक्रम (सी एल ए एस पी)	12/92 से 12/95	830	नई दिल्ली	1. जनवरी, 1994 में परियोजना विषय–निर्वाचन समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गयी थी और 1994 के लिए कार्य योजना और बजट का अनुमोदन कर दिया गया।
					2. कामकाजी बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम विकास संबंधी परामर्श कार्यशाला सितम्बर 93 में आयोजित की गयी थी।
					3. जनवरी, 1994 में मिर्जापुर भदोही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना व परियोजना अधिकारियों के लिए एक अध्ययन दौरा आयोजित किया गया।
					4. जनवरी/फरवरी 1994 में सरकार की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में विशेष स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण पद्धति संबंधी एक कार्यशाला आयोजित की गयी थी।

1	2	3	4	5	6
					5. प्रशिक्षक कार्यशाला में प्रशिक्षित छः प्रशिक्षण संस्थानों को सरकार की 9 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं में विशेष स्कूलों के अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया है और दूसरे चरण का कार्य चल रहा है।
					6. यूनिट एक के लिए शिक्षा सामग्री तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया और उसने काम शुरू कर दिया।
					7. जग्गमपेट राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है।
					8. एक व्यावसायिक संचार फर्म नियुक्त कर दी गयी है।
					9. विभिन्न संगठनों द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के बारे में मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्ष व सारणीबद्ध करने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्ति कर दी गयी है।
12.	आई एल टी/91/02 एम/एफ आर जी : अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आई पी ई सी)	5/92 से 4/97	3650	नई दिल्ली	1. देश में आई पी ई सी के कार्यान्वय के लिए 1992 की दूसरी तिमाही में अं०श्र०सं० और

1	2	3	4	5	6
					भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
					(2) 1.534 मिलियन अमरीकी डालर के कुल बजट और प्रत्यक्ष रूप से 29,280 बालकों का लक्ष्य निर्धारित करके देश में 57 कार्रवाई कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं कुल 1.033 मिलियन अमरीकी डालर तथा प्रत्यक्ष रूप से 5,300 बालकों का लक्ष्य निर्धारित करने वाले 8 अन्य प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के मुख्यालयों में अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
					(3) अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन की राष्ट्रीय विषय–निर्वाचन समिति की 1993 में दो बैठकें हुई और 75 कार्रवाई कार्यक्रम प्रस्ताव का चयन किया गया। इस दौरान आई पी ई सी मुख्यालय में अनुमोदित 63 कार्रवाई कार्यक्रम संबंधी प्रस्तावों में से अनुमोदित छः प्रस्तावों को प्रशासनिक सुविधा के प्रयोजन हेतु 3 प्रस्तावों में संविलपित कर दिया गया था। इस प्रकार आई पी ई सी मुख्यालय द्वारा

1	2	3	4	5	6
					60 कार्रवाई कार्यक्रमों को अनुमोदित कर दिया गया है जिनमें से 57 मामलों में करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके है।
13.	आई एन डी /91/एम 01/डी ए एन : श्रम–साध्य ग्रामीण कार्यों और मान बाजार-II ब्लाक में आय सृजन करने वाली गतिविधियों हेतु स्थानीय क्षमता का समर्थन और सुदृढीकरण	7/95 से 6/95	400	बंगाल	1. यह परियोजना 1 जुलाई, 1993 से समाप्त कर दी गयी है और नई दिल्ली में आधारित अं०श्र०सं० के नीति सलाहकार के गहन प्रबोधन, सलाह संबंधी सहायता और समर्थन से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। (2) बेसलाइन सर्वेक्षण शुरू किया गया है और अनुमोदित 5 योजनाओं का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। (3) परियोजना प्राधिकारियों ने 4,333,967 रू० की अनुमानित लागत की 10 योजनाएं तैयार की हैं जिनमें से 2,104,085 रू० की लागत वाली 6 परियोजनाओं को अं०श्र०सं० द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
14.	आई एन डी/91/एम02/ कृषि गृह आधारित कार्य संबंधी अनुसंधान अध्ययन (भारत)	8/91 से 5/95	15	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	1. अध्ययन निर्धारित समय के बाद शुरू किया गया था। (अनुमति 29 अगस्त को प्राप्त हुई और 30 सितम्बर 91 को चैक प्राप्त हुआ था)।

1	2	3	4	5	6
					प्रथम प्रगति रिपोर्ट जून, 1992 में प्रस्तुत की गयी थी। जनवरी, 1993 में मसौदा अध्ययन रिपोर्ट की संभावना थी। तथापि, अपरिहार्य कारणों से विलम्ब होता रहा और टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात ही रिपोर्ट को अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है।
15.	'सेवा' द्वारा भारत में गृह आधारित उजरती दर वाले कर्मकारों को संगठित करने और सहायता करने के लिए नए तरीकों का विकास	4/92 से 4/95	23	गुजरात	1. 'सेवा' को सत्यापित लेखों के साथ 1993 के लिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

कार्यान्वित की जा रही परियोजना

क्र.सं.	परियोजना संख्या और उसका नाम	अवधि	बजट (हजार डालर में)	परियोजना स्थल	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	आई एन डी/92/005/ : खानों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए मानव संसाधन विकास।	6/94 से 5/99	955	धनबाद बिहार	यू एन डी पी राष्ट्रीय निष्पादन पर आधारित परियोजना दस्तावेज हस्ताक्षर किए जाने की प्रक्रिया में है। अं०श्र०सं० परियोजना के कार्मिक घटक व कार्यान्वयन हेतु एक सहायक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
2.	श्रवण शक्ति की क्षति वाले व्यक्तियों के व्यवसायिक पुनर्वास और एकीकरण संबंधी पायलट कार्यक्रम	36 महीने	595	बंगाल	अली यावर जंग नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर दी हीयरिंग हैन्डीकेपड ने कल्याण मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों को परियोजना दस्तावेज में शामिल कर लिया है और अंतिम दस्तावेज मंत्रालय को भेज दिया है। यह दस्तावेज यू एन डी पी को अधिकारिक तौर पर शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
3.	ए डी/आई एन डी 94 : कम्युनिटोड्रग पुनर्वास और कार्यस्थल रोकथाम कार्यक्रम का विकास करना	1/94 से 12/96	1117	बंगलौर बम्बई, कलकत्ता, इम्फाल, जोधपुर, लखनऊ, मद्रास, नई दिल्ली, पटना और पुणे	यू एन डी पी मुख्यालय द्वारा परियोजना अनुमोदित कर दी गयी है और भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन और हस्ताक्षर हेतु नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय को भेज दी गयी है।

बड़ोदरा विमानपत्तन

2826. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बड़ोदरा विमानपत्तन को आधुनिक और आदर्श विमानपत्तन में परिवर्तित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कार्य आरंभ हो चुका है;

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना पर कार्य कब तक आरंभ हो जाएग; और

(घ) इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) योजना पर लगभग 18.00 करोड़ रूपये की लागत आने की संभावना है।

[अनुवाद]

सहकारी बैंक

2827. **डा० के. वी. आर. चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कुछ सहकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है और इन्हें गत दो वर्षो के दौरान प्रति वर्ष कितना घाटा हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा इनके घाटे में कमी लाने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश में कार्यरत 22 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 20 बैंकों को 31 मार्च, 1993 तक की स्थिति के अनुसार घाटा हो रहा था। वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान घाटा उठाने वाले जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नाबार्ड ने सभी राज्य सहकारी बैंकों को, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उठाये जाने वाले घाटों के कारणों का पता लगाने और उनकी लाभप्रदता में सुधार लाने के वास्ते समयबद्ध कार्य आयोजनाएं तैयार करने के लिए कहा है। उन्हें अपने व्यय में किफायत करने, निधियों का विवेकपूर्ण प्रबंध करने तथा अपने संवर्गो को व्यावसायिक बनाने के लिए कहा गया है। जहां तक खराब वसूली का संबंध है। नाबार्ड, इन बैंकों के कार्य –निष्पादन की समीक्षा करता आ रहा है तथा राज्य सरकारों को, बैंक के वसूली संबंधी प्रयासों में पूरा सहयोग देने के वास्ते पत्र लिखता रहता है।

यह भी निर्णय किया गया है नाबार्ड, राज्य विशिष्ट विकास कार्य आयोजनाओं के कार्यान्वयन

के लिए राज्य सरकारी बैंकों/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा ताकि इन बैंकों को मजबूत बनाया जा सके और उनकी अर्थक्षमता में सुधार लाया जा सके।

विवरण

आंध्र प्रदेश में घाटे में चल रही डी सी सी बी के संबंध में विवरण

(लाख रूपये)

क्र.सं०	डी सी सी बी का नाम	संचित घाटे की राशि	
		1991-92	1992-93
1.	आदिलाबाद	377	573
2.	अनन्तपुर	399	390
3.	चित्तुर	323	529
4.	कुड्डापाह	487	639
5.	गुंटुर	763	725
6.	हैदराबाद	284	443
7.	ककिनाड	654	795
8.	करीम्नगर	357	352
9.	खामम	450	542
10.	कुरनूल	657	760
11.	महबूबनगर	439	603
12.	मेडक	599	654
13.	नालगोंडा	383	694
14.	नेल्लोर	598	557
15.	निजामाबाद	51	192
16.	प्रकाशम	589	688
17.	श्रीकाकुलम	439	642
18.	विशाखापट्टनम	410	409
19.	विजयनगरम्	853	920
20.	वरंगल	465	792

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति

2828. **श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई डी ए ने अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति पद्धति नामक एक नयी पद्धति का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो नई पद्धति/मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका अंतर्राष्ट्रीय सहायता भारत को दी जाने वाली सहायता संबंधी पात्रता मानदंडों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आई डी ए ने अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति पद्धति उपयोग करने का सुझाव नहीं दिया है और इस पद्धति को अपनाने की भी कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा

2929. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात के लिए सरकारी दर पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसका आयात और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) एकीकृत मुद्रा दर व्यवस्था के अंतर्गत उदारीकृत मुद्रा दर प्रबंधन प्रणाली में व्याप्त सरकारी और बाजार दर की अवधारणाएं अधिक सुसंगत नहीं है। एकीकृत मुद्रा दर प्रणाली मार्च, 1993 से लागू हुई जिसके अंतर्गत पूरा विदेशी मुद्रा संचालन कार्य प्राधिकृत वितरकों द्वारा किया जाता है, जो मुद्रा के बाजार–निर्णीत दरों पर आधारित हैं। इसलिए, मुद्रा की बाजार आधारित दरें सभी विदेशी मुद्रा भुगतनों पर एकरूप से लागू होगी चाहे वे सरकारी या निजी लेखों पर लागू हों।

[अनुवाद]

एयरलाइनों की प्रचालन लागत

2830. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने एयरलाइनों के ईधन पर विक्रय कर और अन्य शुल्कों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र के एयरलाइनों की

प्रचालन लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है, और

(ग) सरकारी/गैर–सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक विमान की लागत, ईधन, केबिन और ग्राउंड क्यूच, रख–रखाव और ओवरहालिंग जैसे विभिन्न प्रचालन कार्यों पर आने वाली कुल लागत कितनी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) विक्रय कर एवं अन्य करों की दर में संशोधन राज्य सरकारें विधान के द्वारा करती है तथा ऐसा कोई प्रस्ताव पहले सामने नहीं आया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश

2831. **श्री राम कापसे** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विकास पर विशेष तथा नए सिरे से बल देने हेतु नेशनल एयर कैरियर्स और पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त विपणन और संवर्धन हेतु किसी योजना के अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग और एयर इंडिया अनेक संवर्धनात्मक कार्यकलापों में पहले से ही संयुक्त रूप से भाग ले रही है यथा, व्यवसाय एवं उपभोक्ता मार्किटों में भाग लेना, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना, विदेशों से आने वाले मीडिया और व्यापार करने वाले प्रतिनिधियों का आतिथ्य करना आदि। विपणन और संवर्धन में अपनी भागीदारिता को अधिक प्रमुख आधार देने के लिए संयुक्त रूप से विज्ञापन देने को भी शामिल करने का अब निर्णय लिया गया है। इस प्रकार के संयुक्त संवर्धन और विपणन का उद्देश्य पर्यटन का संवर्धन करना है।

पेइंग गेस्ट योजना

2832. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों में पेइंग गेस्ट योजना लागू की गई है उनके क्या नाम है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कौन–कौन से बड़े शहर तथा नगर शामिल किये गये है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में चल रहे काम की सूचना सरकार को है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) अखिल भारतीय स्तर पर एक पेंइग–गेस्ट आवास स्कीम प्रारंभ की गई है। इस समय इस स्कीम के तहत चौदह

राज्यों के पास पर्यटन आवास है। राजस्थान और गोआ राज्यों में यह स्कीम अच्छा काम कर रही है।

निजामाबाद में ई० एस० आई० अस्पताल

2833. **श्री जी० गंगा रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजामाबाद में बीड़ी श्रमिकों और महिला श्रमिकों की बहुलता का देखते हुए वहां पर 50 बिस्तरे वाला ई० एस० आई० अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अस्पताल का निर्माण कब तक कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) क०रा०बी० योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों, जिसमें बीड़ी कर्मकार शामिल है, के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निजामाबाद में एक 50 बिस्तरों वाले क०रा०बी० अस्पताल का निर्माण करने का निर्णय लिया है। हस्पताल का निर्माण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। तथापि, यह बता पाना कठिन है कि अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

2834. **प्रो० प्रेम धूमल :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

डा. पी. वल्लाल पेरुमान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में आज की तारीख तक कुल कितना विदेशी ऋण लिया है;

(ख) किन–किन देशों में यह ऋण लिया गया है और प्रत्येक देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा कितना–कितना ऋण दिया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन देशों को ऋण के ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) विवरण–I संलग्न है।

(ग) विवरण–II संलग्न है।

विवरण-I

1991-92 से 1994-95 (जून, 1994 तक) के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी लेखा पर प्राप्त विदेशी ऋण

(करोड़ रू. में)

क्रम सं०	देश/संख्या	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
					जून, 1994 तक
1.	आइ.बी.आर.डी.	3295.64	2582.07	4021.78	287.37
2.	आइ.डी.ए.	2547.47	3407.30	2082.92	248.37
3.	आइ.एफ.ए.डी.	13.63	8.27	11.16	21.93
4.	ए.डी.बी.	1359.41	1051.76	607.29	146.12
5.	ओ.पी.ई.सी.	18.07	10.15	5.29	12.90
	जोड़	7234.22	7059.55	6728.44	716.69
6.	आस्ट्रिया	6.90	13.67	17.33	-
7.	बेल्जियम	2.96	11.42	0.00	-
8.	डेनमार्क	0.18	0.64	0.00	-
9.	फ्रांस	252.09	354.13	175.37	6.98
10.	जर्मनी	831.84	1085.22	677.12	91.48
11.	इटली	61.27	10.80	0.01	-
12.	जापान	1873.45	1327.46	3192.70	348.79
13.	नीदरलैंड	73.95	13.24	0.00	-
14.	यू.एस.ए आइ डी	52.36	68.46	0.00	-
15.	स्वीडन	97.62	66.35	63.39	-
16.	स्वीटरजरलैंडस	1.61	45.75	21.14	-
17.	कुवैत फण्ड	0.00	5.59	8.76	1.73
18.	साऊदी फण्ड	26.49	2.25	5.21	-
19.	स्पेन	7.62	0.00	0.00	-
20.	यू०के०	35.83	0.00	0.00	-
21.	संघीय रूस	137.42	34.75	—0.69	-

1	2	3	4	5	6
22.	आस्ट्रेलिया	0.00	0.00	6.62	-
23.	ई.ई.सी.	0.00	2.91	0.00	-
	जोड़	3461.59	3042.64	4166.96	448.98
	कुल जोड़	10695.81	10102.19	10895.40	1165.67

विवरण-II

1991-92 से 1994-95 के दौरान (जून, 1994 तक) सरकारी और गैर सरकारी लेखा पर कुल ऋण शोधन अर्थात् मूलधन की पुनर्अदायगी तथा ब्याज का भुगतान।

(करोड़ रू. में)

क्रम सं०	देश/संख्या	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
					जून, 1994 तक
1.	आई०बी०आर०डी०	3012.75	4094.34	4633.45	919.12
2.	आई०डी०ए०	611.01	817.53	906.05	185.92
3.	आई०एफ०ए०डी०	11.64	18.75	22.06	10.93
4.	ए०डी०बी०	137.96	313.17	438.38	157.54
5.	ओ०पी०ई०सी०	28.78	38.81	41.75	15.51
	कुल	3802.14	5282.60	6041.69	1289.02
6.	आस्ट्रिया	9.72	14.74	13.63	0.28
7.	बेलजियम	16.68	20.01	19.87	-
8.	कनाडा	36.97	45.14	42.93	-
9.	डेनमार्क	4.96	8.38	11.43	6.54
10.	फ्रांस	294.22	409.62	402.17	124.23
11.	जर्मनी	439.57	638.81	643.06	288.48
12.	इटली	22.94	31.85	31.16	1.50
13.	जापान	569.91	758.91	931.03	242.81
14.	नीदरलैंड	156.53	204.94	195.50	33.40
15.	यू०के०	165.20	121.78	100.29	16.08
16.	यू०एस०ए०	459.99	561.37	576.28	112.82

1	2	3	4	5	6
17.	स्वीटजरलैंड	10.52	17.50	23.36	68.02
18.	यूरोपीय आर्थिक सम्मुदाय (विशेष कार्य ऋण)	1.77	2.31	2.47	1.14
19.	आबूधाबी	3.46	4.34	4.32	-
20.	कुवैत कोष	100.06	64.14	64.17	5.78
21.	साऊदी कोष	34.47	48.02	51.23	14.63
22.	स्वीडन	15.35	10.43	2.14	17.53
23.	आई०एम०एफ० ट्रस्ट फण्ड	0.01	0.00	0.00	-
24.	स्पेन	1.98	2.81	2.89	1.44
25.	यू०ए०ई०	11.45	9.53	11.20	10.99
26.	ईरान	252.50	302.58	155.08	0.33
27.	चैक और स्लोवाक गणराज्य	1.81	1.79	5.54	4.28
28.	संघीय रूस	244.12	188.19	219.25	47.93
29.	आस्ट्रेलिया	0.00	0.00	0.05	0.7
	जोड़	2854.19	3467.19	3510.05	998.28
	कुल जोड़	6656.33	8749.79	9551.74	2287.80

[अनुवाद]

बंधुआ मजदूर

2835. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केरल के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए बराबर का अनुदान जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी किए गए ऐसे अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में कुल कितने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया;

(घ) क्या सरकार के पास राज्य में वर्तमान बंधुआ मजदूरों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1993-94 की अवधि के दौरान पहचान किये गये तथा मुक्त कराये गये 193 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 6.03 लाख रूपए निर्गत किये गए थे।

(घ) और (ङ) केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान में उनके राज्य में कोई बंधुआ श्रमिक नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता

2836. **श्री काशीराम राणा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विगम तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य से वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु कितने आवेदन–पत्र प्राप्त किए गए;

(ख) कितने आवेदन–पत्रों को मंजूर और रद्द किया गया; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान गुजरात में उद्योगों की स्थापना हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के तहत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा प्राप्त आवेदनों, मंजूरियों और रद्द किए गए आवेदनों की संख्या निम्नलिखित है :

	1991-92	1992-93	1993-94
प्राप्त आवेदन	126	183	189
मंजूर आवेदन	95	143	118
रदद्/वापस लिए गए/बंद किए गए आवदेन	6	17	47

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान गुजरात में उद्योगों को आई डी बी आई द्वारा मंजूर और संवितरित सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(करोड़ रूपए)

	मंजूरियां*	संवितरण*
1991-92	336.1	405.7
1992-93	268.9	913.9
1993-94	312.9	807.0

* पट्टा, वित्त और प्रत्यक्ष बट्टा योजना को छोड़कर आई डी बी आई के प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं से संबंधित आंकड़े।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि के बकायादार

2837. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने सेन्ट्रल इलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट ओपोरेसन के बैंक खातों को इस आधार पर अवरुद्ध करने का निर्णय किया है कि उसे अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि बकाया के भुगतान न करने का दोषी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बकाया भविष्य निधि का भुगतान न करने वाले निजी क्षेत्र के संगठनों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का विचार कर रहा है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 क, 8 ख और 14 के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित सभी चूककर्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाती है। 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या 10,321 थी।

[हिन्दी]

नीदरलैंड के साथ समझौता

2838. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नीदरलैंड के साथ व्यापार और पूंजी निवेश के संबंध में कोई समझौता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समझौता कब तक प्रभावी हो जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) नीदरलैंड की सरकार के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार पर बातचीत हुई है और काफी हद तक सहमति हो गई है। मतभेद के बकाया क्षेत्रों को भी सुलझाए जाने की आवश्यकता है। इस समय नीदरलैंड की सरकार के साथ व्यापार करार पर हस्ताक्षर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) राजनयिक प्रयासों द्वारा मतभेद के बकाया क्षेत्रों को सुलझाए जाने का प्रस्ताव है, इसलिए यह सूचित करना संभव नहीं है कि जिस तारीख से यह करार प्रभावी होगा।

मिस्र के साथ व्यापार

2839. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**

श्री महेश कनोडिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इससे हमारे व्यापार में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सरकार भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इनमें दोनों देशों के निर्यातकों/आयातकों के बीच सीधे संपर्क को सुकर बनाना, प्रतिनिधिमंडल भेजना, मेलों में भाग लेना, सरकार से सरकार के बीच संपर्क बनाना, आदि शामिल है। भारत और मिस्र के बीच व्यापार जो वर्ष 1990-91 में 256.13 करोड़ रूपए था, वर्ष 1993-94 के दौरान बढ़कर 590.78 करोड़ रूपए हो गया।

हवाला कारोबार

2840. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय देश में विशेषरूप से सीमावर्ती राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर पंजाब, राजस्थान और गुजरात में, कई उद्योगपतियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध 'हवाला कारोबार' की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो जून, 1994 तक राज्यवार ऐसे कितने औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है, और

(ग) जांच कार्य को शीघ्र करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा अर्जित राजस्व

2841. **श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को भारत खाड़ी क्षेत्र में कार्यचालन से प्राप्त

राजस्व का प्रतिशत कितना है; और

(ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने इस क्षेत्र से राजस्व में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का कुल राजस्व तथा खाड़ी प्रचालनों से प्राप्त राजस्व का प्रतिशत अनुपात निम्नांकित है :

	कुल राजस्व (करोड़ रू. में)		भारत–खाड़ी प्रचालन से प्राप्त राजस्व का प्रतिशत अनुपात	
	1992-93	1993-94 (अनुमानित)	1992-93	1993-94
एयर इंडिया	2583.19	2752.38	33.9 प्रति.	30.5 प्रतिशत
इंडियन एयरलाइंस	1578.83	1746.05	4.0 प्रति.	5.4 प्रतिशत

(ग) एयर इंडिया ने भारत–खाड़ी सेक्टर में और अधिक यात्रियों को यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

1. एयर इंडिया की उड़ानों से जो भारत के भीतर या भारत से बाहर गंतव्य स्थानों को जोड़ती है, यात्रा करने वाले प्रथम तथा एग्जीक्यूटिव श्रेणी के यात्रियों को दिल्ली तथ बंबई स्थित सेंटार होटल में 24 घंटे के निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान की जाती है।

2. पूरे किराये पर प्रथम श्रेणी और एक्जीक्यूटिव श्रेणी में खाडी देशों से यात्रा शुरू करने वाले यात्री भारत पर्यटन विकास निगम के किसी भी होटल में 24 घंटे तक निःशुल्क आवास के पात्र है।

3. इंडियन एयरलाइंस के विमानों का उपयोग करके कालीकट से दुबई, मस्कट और आबूधाबी के लिए सीधी संयुक्त उद्यम वाली उड़ानें प्रचालित करना।

4. इंडियन एयरलाइंस के विमानों से अहमदाबाद, हैदराबाद, और अमृतसर से यात्रियों को सुविधा जनक संपर्क उड़ानें उपलब्ध कराने हेतु हब एंड स्पोक पैटर्न पर उड़ानें प्रचालित करना।

रूई स्टाक संबंधी करार आदेश

2842. **श्री अनंतराव देशमुख** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रूई स्टाक संबंधी करार आदेश कार्यान्वित किए जाने के कारण रूई और सूत के आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रूई का निर्यात

2843. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक बिहार से कितनी रूई का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने रूई के निर्यात के लिए नये बाजारों का पता लगाने हेतु कोई कदम उठाये है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा इस वर्ष के दौरान बिहार से कपास का निर्यात नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) सरकार का प्रयास मूल्य वर्धित मदों जैसे कि यार्न, फैब्रिकों, मेड–अप्स तथा सिले–सिलाए परिधानों के निर्यात को बढ़ाना रहा है। तथापि, निर्यात के लिए कपास की निर्यात योग्य बेशी को रिलीज करते समय, घरेलू बाजार में कीमतों का स्थिरीकरण, कपास उपजकर्ताओं को लाभप्रद मूल्य देना तथा कपास के एक स्थाई आपूर्तिकर्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की उपस्थिति बनाए रखना सरकार के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। ऐसे कोटाओं के आवंटी अर्थात् भारतीय कपास निगम, राज्य संघ तथा निजी व्यापारी उन्हें आवंटित मात्राएं निर्यात करने के लिए बाजार तलाश रहे हैं।

गुजरात में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र

2844. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में कोई कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कहां–कहां स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दी गई है/दिए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी हां। वर्ष 1994-95 में गुजरात में दो कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। संगठन का नाम, स्थान तथा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही राशि संबंधी विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रमांक	संगठन का नाम	केन्द्रों की संख्या	प्रस्तावित स्थान	स्वीकृत राशि
1.	मैसर्ज थसर तालूका युवक मंडल एसोसिएशन, खेडा	एक	बड़ा बाजार, डकोर जिला खेडा	1,87,500/- रू.
2.	मैसर्ज श्री झूराहसोडा कैंप भारत गुन्थंन एवं हस्तकला औद्योगिक सहकारी समिति लि. कच्छ।	एक	झुरद कैंप, भुज जिला कुच्छ	1,87,500/- रू.

[अनुवाद]

तमिलनाडु में विद्युत करघों का आधुनिकीकरण

2845. **श्री एम. कृष्णस्वामी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार से राज्य में विद्युत करघों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने पांच वर्ष की अवधि में आधुनिकीकरण के लिए 209 करोड़ रूपये का कुल लागत का एक प्रस्ताव भेजा है।

(ग) विद्युत करघा के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय बजट में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, नाबार्ड और सिड़बी सहकारी समितियों/वाणिज्यिक बैंकों/राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से विद्युत करघा के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर रहे हैं।

नौवहन क्षेत्र को धन उपलब्ध कराना

2846. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया (एस सी आई सी आई) नौवहन क्षेत्र को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एल सी आई सी आई ने उपरोक्त क्षेत्र को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी ;

(ग) क्या सरकार को नौवहन क्षेत्र से एस सी आई सी आई द्वारा अपर्याप्त धन का प्रावधान किये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कंपनी (एस सी आई सी आई) ने सूचित किया है कि ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जिसमें आई सी आई सी आई ने किसी अर्थक्षम जहाज के अधिग्रहण के प्रस्ताव का वित्त पोषण करने से इंकार किया हो। नौवहन उद्योग को एस सी आई सी आई की सहायता में पिछले सात वर्षों में लगभग 30% वार्षिक की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान निरपेक्ष रूप से मंजूरियों और संवितरणों में वृद्धि हुई है और 1993-94 में वे क्रमशः 571.81 करोड़ रूपए और 517.91 करोड़ रूपए के रूप में सबसे अधिक था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नौवहन उद्योग का एस सी आई सी आई द्वारा मंजूर की गई सहायता नीचे दी गई है :

वर्ष	(करोड़ रूपए)
1991-92	298.52
1992-93	234.33
1993-94	571.81

(ग) और (घ) एस सी आई सी आई द्वारा नौवहन उद्योग के लिए अपर्याप्त निधियों का प्रावधान किए जाने के संबंध में भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अक्तूबर, 1993 में योजना आयोग के सदस्य द्वारा ली गई बैठक में भारतीय राष्ट्रीय जहाजों के मालिकों की एसोसिएशन (आई एन एस ए) के प्रतिनिधियों ने बताया कि नौवहन क्षेत्र का वित्तपोषण करने के लिए एस सी आई सी आई की शर्तें विकासात्मक कम और बाजारोन्मुख अधिक है। इस संबंध में आई सी आई सी आई ने बताया है कि नौवहन क्षेत्र का वित्तपोषण करने के लिए अभी भी वह नोडल एजेंसी है और नौवहन उद्योग के लाभ के लिए वह अपनी विकासात्मक भूमिका के प्रति प्रतिबद्ध है। आई एन एस ए ने भी इस बात को माना है कि नौवहन उद्योग से प्राप्त किसी भी बैंक योग्य प्रस्ताव को एस सी आई सी आई ने नामंजूर नहीं किया है।

[हिन्दी]

सावधि जमा धनराशि

2847. **श्री राम्मूज्रन पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों और राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में सावधि जमा धनराशि पर ब्याज दरें अलग–अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज दरें कम कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) देश में कार्यरत

बैंकों और डाक घरों के कार्यनिष्पादन की प्रकृति काफी भिन्न है। बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है जिसके लिए वह मुद्रास्फीति दर के अतिरिक्त विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है, अर्थात बैंकों द्वारा संसाधन जुटाने की लागत, अन्य वैकल्पिक बचत लिखतों पर दिया जाने वाला ब्याज दर और बैंकों की अर्थक्षमता को बनाए रखने की आवश्यकता। जमाराशि दरों और उधार की दरों में भी संबंध होता है? बैंक जमाराशियों को अन्य बचत लिखतों की अपेक्षा उच्च द्रव्यता और आसान उपलब्धता का लाभ होता है। डाक घरों में जमाराशियों के मामले में, जमाराशियों पर ब्याज दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था में वृद्धि आदि को ध्यान में रखा जाता है। डाक घर सरकार की ओर से जनता से जमाराशियां एकत्रित करते हैं और इस प्रयोजन के लिए सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, विभिन्न बचत लिखतों में बैंक जमाराशियां भी एक विकल्प है जिनके प्रत्येक की अपनी अपनी ब्याज दर और शर्तें आदि हैं। वार्षिक मुद्रा स्फीति दर में लगातार गिरावट को देखते हुए वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि और उधार दरों को इस उद्देश्य से घटाया गया है ताकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढें और रोजगार में वृद्धि हो। इस प्रकार, 2 लाख रू. की ऋण सीमा से अधिक के लिए वाणिज्यिक बैंकों की न्यूनतम उधार दर को 2.9.1993 से 16 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत (न्यूनतम) कर दिया गया है। परिणामस्वरूप 46 दिन से 3 वर्षों और अधिक की अवधि की परिपक्वता वाली सावधि जमाराशि दर को बैंकों की अर्थक्षमता/लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए 2.9.1993 से 11% से अनधिक वार्षिक से घटाकर 10% अनधिक वार्षिक कर दिया गया है। ब्याज दर संरचना में इस सामान्य अधोगामी गति के अनुरूप छोटी बचत लिखतों पर ब्याज दरों का भी सरकार ने 2.9.1993 से संशोधन किया है जो निम्नलिखित है :

(क) इंदिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 5½ वर्ष कर दिया गया था।

(ख) डाक घर मासिक आय योजना के अंतर्गत खोले गये खातों में जमा की गई राशियों पर ब्याज की दर को 14 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है।

(ग) 1, 2, 3 और 5 वर्ष की मियादी जमा खाता योजना की जमाराशियों पर ब्याज की दर क्रमशः 12 प्रतिशत, 13 प्रतिशत, और 13.5 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 10.5 प्रतिशत, 11 प्रतिशत 12 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत कर दी गयी है।

(घ) डाक घर आवर्ती जमा खातों पर ब्याज की दर को 13.5 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार दिनांक 2.9.1993 को या उसके पश्चात् खोले गये 10 रू. मूल्यवर्ग के खाते की परिपक्वता राशि 856.40 रू. की जगह 833.40 रू. होगी।

[अनुवाद]

धनापूर्ति

2848. **प्रो. अशोक आनन्द राव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री कृपा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान धनापूर्ति में वृद्धि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) धनापूर्ति में वृद्धि के लिए कौन सी बातें जिम्मेदार हैं; और

(घ) अगस्त, 1993 के बाद से मुद्रा स्फीति दर में वृद्धि होने के लिए धनापूर्ति में वृद्धि किस हद तक जिम्मेदार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। वित्तीय वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान मुद्रा पूर्ति (एम. 3) के लिए निर्देशक लक्ष्य निम्नानुसार थे:

1991-92	_	13.0	प्रतिशत
1992-93	_	10.4	प्रतिशत
1993-94	_	14.0	प्रतिशत

(ग) इन प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान एम. 3 की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी विभिन्न कारक है – 1991-92 के दौरान सरकार को बैंक ऋण और बैंकिग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, दोनों में भारी वृद्धि, 1992-93 के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में उल्लेखनीय विस्तार और 1993-94 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में असाधारण वृद्धि है।

(घ) अगस्त, 1993 से मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का श्रेय पूर्ति और मांग पक्षों पर बड़ी संख्या में परिचालित कारकों को दिया जा सकता है। उनमें ये शामिल है : (क) ट्रकवालों की हड़ताल के कारण माल ढुलाई में व्यवधान; (ख) कुछ राज्यों में स्थानीय सूखा, जिसके कारण तेलहनों और चावल की कीमतों में अनिश्चित वृद्धि; (ग) चीनी, खाद्य तेल और कपास जैसी कुछ निश्चित वस्तुओं की नियंत्रित पूर्ति ; (घ) उच्चतर न्यूनतम समर्थन/वसूली कीमतें और (ड) माल भाड़े में वृद्धि का लागत विस्तार प्रभाव। राजकोषीय दबावों द्वारा प्रेरित त्वरित मौद्रिक वृद्धि ने बाजार कीमतों में उत्पलावकता को कम किया है।

बैंकों में कम्प्यूटरीकरण

2849. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :**

डा० वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है;

(ख) क्या रंगराजन समिति ने अक्तूबर 1996 तक सभी बैंक शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो अक्तूबर, 1996 तक कितनी बैंक शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण कर दिया जायेगा;

(घ) मार्च, 1996 के अन्त तक कितनी बैंक शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण कर दिए जाने का विचार है; और

(ड) उक्त बैंक शाखाओं में से कर्नाटक में कितनी बैंक शाखाएं है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 जून, 1994 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 96 शाखाएं कम्प्यूटरीकरण कर दी गयी है।

(ख) बैंकों में कम्प्यूटरीकरण संबंधी रंगराजन समिति की रिपोर्ट में वर्ष 1994 के अंत तक, पूरे देश में स्थित 2000-2500 बैंक शाखाओं में, खासकर 30 शीर्ष केन्द्रों में, पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण करने की सिफारिश की गयी है।

(ग) से (ड) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ट्रालियां

2850. **श्री मोहन रावले** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के उपयोग के लिए रखी गयी ट्रालियों का हवाई अड्डे की सीमा के निकट स्थित झुग्गी झोपड़ियों के निवासी दुरूपयोग कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डे के अत्यधिक सुरक्षा वाले जोन से इन ट्रालियों को किन परिस्थितियों में बाहर ले जाया गया;

(ग) क्या इस बीच इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकल हैं;

(ड) क्या इस संबंध में हवाई अड्डे के कर्मचारियों को दोषी पाया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ज) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि यात्रियों के उपयोग में आने वाली ट्रालियों को बाहर न ले जाया जाये?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ज) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली पर यात्री ट्रालियों को मरम्मत और उनके आरक्षण के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक ठेका लिया है। ट्रालियों की चोरी होने/गुम होने सहित ट्रालियों को सुरक्षित अभिरक्षा और सुलभ उपलब्धता का उत्तरदायित्व ठेकेदार का है। तथापि, आसपास के निवासियों द्वारा ट्रालियों का दुरूपयोग किए जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई है क्योंकि, यात्री ट्रालियों का प्रयोग करने के पश्चात् उन्हें हवाई अड्डे के आस–पास एवं कार खडी करने के क्षेत्रों में छोड़ देते हैं। ट्रालियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए ठेकेदार को प्रभावकारी नियंत्रण हेतु सलाह दी गई है। इसके लिए उसने अतिरिक्त जनशक्ति जुटाई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक

2851. **श्री वी. एल. शर्मा 'प्रेम'** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के संबंध में कोई मार्ग निर्देश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार 1993-94 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की राज्यवार कितनी शाखाएं खोली गई और चालू वर्ष में कितनी–कितनी शाखाएं खोलने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा विस्तार नीति 1990-95 के अंतर्गत यह अलग अलग बैंकों पर छोड़ दिया गया है कि वे निम्नलिखित दो बातों के आधार पर अपनी ग्रामीण शाखाओं के अपने–अपने सेवा क्षेत्रों में अतिरिक्त शाखाओं की आवश्यकता का मूल्यांकन करें :

1. किसी बैंक शाखा को आंबटित किये गये सेवा क्षेत्र में आवंटित किए गए गांवों, जिन ग्राहकों के साथ लेन–देन करना है उनकी संख्या अधिक होने और सेवा वाले क्षेत्र में लम्बी दूरी/दुर्गम क्षेत्र होने के कारण नियंत्रण करना कठिन हो।

2. ग्रामीण शाखा मे कारवार बढ़ने के कारण अतिरिक्त शाखा की आवश्यकता हो, जो अर्थक्षम हो सकती है। इसके साथ ही पहाड़ी/आदिवासी/क्षेत्रों में छिट–पुट रूप में बसी हुई जनसंख्या की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए यह महसूस किया जाए कि ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त शाखाओं की जरूरत हो सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंकों को सेवा क्षेत्र योजना को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता तक अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए इसका प्रयोग करना होता है और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। आवेदक बैंकों के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केन्द्रों/गांवों के अतिरिक्त ग्रामीण शाखाएं खोलने के प्रस्तावों पर तथा जिन्हें सम्बद्ध राज्य सरकार ने भेजा है आम तौर पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाता है।

(ग) वर्तमान नीति के अंतर्गत, बैंक शाखाएं खोलने के लिए कोई वर्ष–वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। आवंटित केन्द्रों में शाखाओं का खोला जाना उपयुक्त परिसरों, सभी मौसमों के लिए सड़कों और दूर संचार माध्यमों आदि की उपलब्धता के अधीन है। अलबत्ता, 1993-94 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं और शाखा विस्तार नीति (1990-95) की शेष अवधि अर्थात् 31 मार्च, 1995 तक के दौरान खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं का राज्य–वार ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1993-94 के दौरान खोली गई तथा खोले जाने वाली राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा।

सं०	राज्य	खोली गई	खोली जाने वाली
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	18	56
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	1	1
4.	बिहार	1	7
5.	गोवा	-	-
6	गुजरात	5	29
7.	हरियाणा	1	19
8.	हिमाचल प्रदेश	-	20
9.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-
10.	कर्नाटक	-	4
11.	केरल	2	2
12.	मध्य प्रदेश	1	5
13.	महाराष्ट्र	4	20
14.	मणिपुर	-	-
15.	मेघालय	-	5
16.	मिजोरम	-	-
17.	नागालैंड	-	2
18.	उड़ीसा	1	1
19.	पंजाब	7	5
20.	राजस्थान	2	3
21.	सिक्किम	-	2
22.	तमिलनाडु	19	13
23.	त्रिपुरा	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	6	6

1	2	3	4
25.	पश्चिम बंगाल	3	8
26.	अंडमान एवं निकोबार	-	-
27.	चंडीगढ़	-	-
28.	दादरा एवं नागर हवेली	-	-
29.	दमन एवं द्वीव	-	-
30.	दिल्ली	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-
33.	पांडिचेरी	-	-
	कुल	71	208

भारतीय रूपया

2852. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी डालर का मूल्य लगभग सभी प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम हुआ है जबकि इसके मूल्य में भारतीय रूपए की तुलना में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि हाल के महीनों में अमरीकी डालर का मूल्य अन्य मुख्य मुद्राओं की तुलना में कम हुआ। इसी अवधि के दौरान भारतीय रूपये की तुलना में अमरीकी डालर के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई किंतु इसकी तुलना में स्थिर रही।

चयनित मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर की महादार औसत भुद्रा विनिमय दर

(एक अमरीकी डालर के बदले मुद्रा की यूनिट)

मुद्रा	जनवरी 1994	फरवरी 1994	मार्च 1994	अप्रैल 1994	मई 1994	जून 1994	जुलाई 1994
1. येन	111.51	106.21	105.14	103.53	103.70	102.72	98.55
2. ड्यूश मार्क	1.7431	1.7372	1.6923	1.6982	1.6578	1.6291	1.5714
3. पाउंड स्टर्लिंग	0.6699	0.6763	0.6708	0.6744	0.6654	0.6559	0.6470

4. फ्रांस फ्रांक	5.9205	5.9010	5.7646	5.8135	5.6810	5.5680	5.3759
5. स्वीश फ्रांक	1.4715	1.4586	1.4298	1.4386	1.4759	1.3759	1.3210
6. भारतीय रूपया	31.370	31.370	31.373	31.371	31.370	31.370	31.371

स्रोत : अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकीय, आई. एम. एफ. और भा० रि० बैंक के आंकड़ों से लिया गया है।

इंडियन ओवरसीज बैंक में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2854. **डा० पी० वल्लाल पेरूमन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी सरकारी निर्देश को इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा उचित रूप से लागू किया जा रहा है;

(ख) क्या पदोन्नतियों के लिए पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर जो अंतिम चयन सूची तैयार की जाती है उसे सरकार द्वारा योग्यता के आधार पर वरिष्ठता के अंतर्गत पदोन्नतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या योग्यता के आधार पर वरिष्ठता पर आधारित पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू किया जाता है;

(घ) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक ने उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू किया है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि सेवाओं में अ०जा/अ०ज०जा० के लिये आरक्षण से संबंधित सरकार द्वारा जारी निदेशों को उचित ढंग से कार्यान्वित किया गया है।

(ख) से (ड) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि बैंक की सभी पदोन्नतियां चयन पद्धति द्वारा होती है और अ.जा./अ.ज.जा. के लिये आरक्षण पर विवरणिका के प्रावधान को लागू कर दिया गया है।

स्वापक औषधियों के अपराधी

+2805. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत कितने व्यक्ति दोषी पाए गए;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति हिरासत में हैं और ये व्यक्ति कब से हिरासत में है;

(ग) देश–वार ऐसे विदेशियों की संख्या कितनी है और वे कब से सुनवाई की प्रतीक्षा में है;

(घ) क्या विधि विशेषज्ञों का यह मानना है कि उच्च न्यायालय और दिल्ली प्रशासन के बीच विशेष अदालतों से संबंधित विद्यमान असमंजस को शीघ्र समाप्त करने से नशीले पदार्थों के अभियुक्तों की सुनवाई में तेजी लाई जा सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1993	13,723
1992	12,850
1991	5,300

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की बड़ी संख्या में परावर्तन एजेंसियों का स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम को लागू करने तथा अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। कुछ अभियुक्तों की जमानत भी मंजूर की जाती है। यह जानकारी स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) गिरफ्तार किए गए विदेशियों की संख्या, देशवार, दर्शानेवाला विवरण सलंग्न है।

(घ) और (ङ) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विचारण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने 10 विशेष न्यायालय स्थापित किए है।

विवरण

विदेशियों के मूल देश का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		
	1993	1992	1991
1	2	3	4
नाइजीरिया	17	22	25
श्रीलंका	40	16	16
म्यांमार	10	10	4
बांग्लादेश	2	3	2
फ्रांस	2	3	3
ब्रिटेन	2	2	-
तंजानिया	4	2	-

1	2	3	4
हालैंड	1	1	-
स्पेन	2	-	1
भूटान	2	-	-
सोमालिया	4	1	-
आस्ट्रिया	1	1	-
डेन्मार्क	2	-	-
बारबाडोस	3	-	-
कनाडा	1	-	-
जर्मनी	1	-	3
मारीशॅस	1	-	-
इजरायल	1	-	1
पाकिस्तान	-	5	6
नेपाल	-	17	7
अफगानिस्तान	-	4	3
कीनिया	-	2	1
सिएरालिओन	-	1	1
सेनेगल	-	1	1
माली	-	2	-
पुर्तगाल	-	1	-
ईरान	-	2	2
दक्षिण अफ्रीका	-	4	4
घाना	-	1	4
यूनान	-	-	2
आस्ट्रेलिया	-	-	2
जाइरे	-	1	1
अंगोला	-	-	1
जाम्बिया	-	-	1
बेनिन	-	1	-
स्विट्जरलैंड	-	-	1

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खान सुरक्षा सम्मेलन

2856. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खानों में सुरक्षा के बारे में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार विमर्श किया जायेगा, उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) पिछला सम्मेलन अर्थात् खानों में सुरक्षा के बारे में 8वां सम्मेलन मई, 1993 में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में की गयी सिफारिशें के कार्यान्वयन का प्रबोधन कंपनी स्तर पर त्रिपक्षीय समिति द्वारा किया जा रहा है। सामान्य तौर पर खानों में सुरक्षा संबंधी सम्मेलन 2 से 3 वर्ष अथवा इससे अधिक अंतराल के पश्चात् आयोजित किया जाता है। अतः, फिलहाल निकट भविष्य में सम्मेलन आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस में हड़ताल

2857. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस में 1993-94 के दौरान इसके विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कितने श्रम दिवसों का नुकसान हुआ; और

(ख) इसके फलस्वरूप राजस्व की अनुमानतः कितनी हानि हुई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वायु निगम अधिनियम के निरसन पर विरोध प्रकट करने हेतु वायु निगम कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 9.9.93 एवं 17.12.93 को की गई सांकेतिक हड़ताल के कारण वर्ष 1993-94 के दौरान 20,284 श्रम दिवसों की हानि हुई थी।

(ख) इस कारण अनुमानतः 90 लाख रूपये की बचत की हानि हुई।

महाराष्ट्र में रबड़ बागान लगाना

2858. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबर बोर्ड ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग और रत्नगिरी में रबड़ के बागान का विकास करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में रबड़ के बागान का विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की

गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, हां। रबड़ बोर्ड ने 1977 में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक सर्वेक्षण किया था जिसमें यह पाया गया कि सिंधु दुर्ग जिले वे सावन्तवादी क्षेत्र के आस–पास उपयुक्त चुनिंदा इलाके में ही व्यापक पैमाने में बागान लगाए जा सकते हैं जबकि अन्य इलाकों में केवल परीक्षण के तौर पर बागान लगाए जा सकते हैं।

(ग) इस राज्य में रबड़ के बागान के विकास के लिए रबड़ बोर्ड रबड़ के बागान लगाने वाले कृषकों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। कोंकण विकास निगम लिमिटेड ने सावन्तवादी के निकट व्यापक रूप से बागान लगाए हैं और कोंकण कृषि विद्यापीठ ने परीक्षण के तौर पर छोटे पैमाने पर दपोली में बागान लगाए हैं। भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान ने ठाणे जिले के दपचारी स्थान पर 50 हेक्टेयर क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है जिसमें विभिन्न कृन्तकों, सिंचाई के प्रभावों आदि का मूल्यांकन किया जायेगा। इन परीक्षणों के उत्साहजनक परिणाम निकलने लगे हैं।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क की चोरी

2859. **स्वयंसेवक लीडर कमल चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि कुछ बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों का निर्माण लघु उद्योगों तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के एककों द्वारा करवाती है और वे स्वयं अपने ब्रांडों की मुहर लगाने (जैसा कि नहाने के साबुन के मामले में किया जाता है) और पैकिंग करने तक ही सीमित रहते हैं ताकि वे उत्पाद शुल्क से पूरी तरह बच सकें;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा की जा रही शुल्क की चोरी के लिए अपनाए गए तरीकों से सरकार का विचार किस तरह निपटने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार नहाने के साबुनों और प्रसाधन सामग्रियों के पैकिंग को उत्पाद शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रसंस्करण कार्य के एक भाग मानने का है जैसा कि डिटरजैंट/टिकिया के मामले में किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

हशीश की तस्करी

2860. **कुमारी सुशीला तिरिया :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी देशों से राजधानी में हशीश की तस्करी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तस्करी किए गए इस हशीश का पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) दिनांक 5.7.1994 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नेपाल मूल की 6.200 कि० ग्रा० हशीश जब्त की गई। तस्करी की गई हशीश एमस्टरडम को निर्यात की जा रही थी।

(ङ) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि विभिन्न अधिनियमों में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाए और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान किए गए है। भारत–पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में नशीले पदार्थों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा तट रक्षकों को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत शक्ति प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

पर्यटक स्थल

2861. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन दस शीर्ष पर्यटक स्थलों के नाम क्या है जहां विगत तीन वर्षों के दौरान अधिकतम विदेशी पर्यटकों ने यात्रा की है; और

(ख) देश के उन दस शीर्ष पर्यटक स्थलों के नाम क्या है जहां उक्त अवधि के दौरान अधिकतम स्वदेशी पर्यटकों ने यात्रा की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) देश में विभिन्न स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों के आंकड़े वर्षानुवर्ष आधार पर उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1988-89 के दौरान विदेशी पर्यटकों के संबंध में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, विदेशी पर्यटकों ने देश में दस शीर्ष स्थानों की यात्रा की थी जो ये है :

1. बम्बई
2. दिल्ली
3. मद्रास
4. आगरा
5. जयपुर
6. गोआ

7. कलकत्ता

8. बंगलौर

9. त्रिवेन्द्रम–कोवलम

10. उदयपुर

स्वदेशी पर्यटकों के संबंध में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में विकास परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

2862. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में कुछ विकास परियोजनाओं के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता मांगने हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) राज्य में उन चालू विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विदेशी सहायता प्रदान की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा परियोजना संबंधी प्रस्ताव प्रासंगिक प्राथमिकता और वित्तीय क्षमता जैसे कारकों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। इन्हें भारत सरकार में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक अनुमोदन हेतु अग्रेषित कर दिया जाता है। इसके पश्चात् आर्थिक कार्य विभाग प्रस्तावों की जांच करता है और उन्हें दाता एजेन्सियों को प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये परियोजनाएं विदेशी सहायता के लिए तभी स्वीकृत की जाती हैं जब दाता एजेन्सियां उन्हें निधि प्रदान करने को तैयार हो जाती है। इस समय इस मंत्रालय के पास केरल से कोई भी अपेक्षित स्वीकृत के लिए लम्बित नहीं है, जिस पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जा सके/दाता एजेन्सियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(डी०सी० आंकड़े मिलियन में और रूपये के आंकड़े करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	दाता	मुद्रा	ऋण/अनुदान राशि	संवितरण की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	केरल मत्स्यिकी झींगा पालन विकास परियोजना–357	कुवैत निधि	कुवैत दीनार	7.000	1.7.94

1	2	3	4	5	6
	दिनांक 24.2.89				
2.	केरल रेनफेड कृषि विकास परियोजना	ओ.पी.ई.सी.	अमेरिकी डालर	10.000	31.12.95
3.	उत्तरी केरल डेयरी विकास परियोजना	स्विटजरलैंड	रूपये	15.51	31.3.94
4.	केरल में नारियल कार्यक्रम (आंशिक ई.ओ. की पूर्ति द्वारा) दिनांक 25.3.88	ई.ई.सी अनुदान	ई.सी. यू.एस.	45.000	31.12.94
5.	केरल में कृषि बाजार (उर्वरक की आपूर्ति दिनांक 30.3.89)	ई.ई.सी. अनुदान	ई.सी. यू.एस.	18.650	31.12.97
6.	केरल उद्यान विकास दिनांक 17.1.92	ई.ई.सी. अनुदान	ई.सी. यू.एस.	28.700	31.3.94
7.	2582–आई.एन. केरल विद्युत (आर.एफ.) दिनांक 5.12.85	आई.बी.आर डी.	अमेरिकी डालर	126.000	31.12.94
8.	केरल लघु सिंचाई परियोजना दिनांक 21.5.92	ई.ई.सी. अनुदान	ई.सी. यू.एस.	11.800	
9.	केरल में ग्रामीण पीने के पानी की आपूर्ति दिनांक 25.6.85	डेनमार्क	डेनिश क्रोनर	132.500	31.8.94
10.	2130–आई.एन.तकनीकी शिक्षा (आर.एफ) दिनांक 13.8.90	आई.डी.ए.	अमेरिकी डालर	210.735 (बहु राज्यीय)	30.6.98
11.	के०डब्ल्यू०एस० चिरयांकिल	नीदरलैंड	डच फलोरिन	10.600	31.3.89
12.	के.डब्ल्यू.एस. नत्तिक फिरका	नीदरलैंड	डच फलोरिन	28.200	31.3.89

1	2	3	4	5	6
13.	के.डब्ल्यू.एस. माला	नीदरलैंड	डच फलोरिन	8.300	31.3.89
14.	के०डब्ल्यू०एस. कोईपुरम	यथोपरि	यथोपरि	2.300	31.3.89
15.	के०डब्ल्यू०एस० कुंन्दोरी	यथोपरि	यथोपरि	17.900	31.3.89
16.	के.डब्ल्यू.एस. चिरयान्दू	यथोपरि	यथोपरि	1.400	31.3.89
17.	के.डब्ल्यू.एस. थ्रिकुनपुजा	नीदरलैंड	यथोपरि	0.400	31.3.89
18.	के.डब्ल्यू.एस. पोरावटी	नीदरलैंड	यथोपरि	44.500	31.3.92
19.	सामाजिक आर्थिक इकाई केरल	नीदरलैंड	यथोपरि	4.700	30.4.95
20.	केरल समुदाय सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड	यथोपरि	11.022	31.12.98

श्री लंका के साथ समझौता

2863. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

श्री श्रीकांत जेना :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्री लंका ने दोनों देशों के मध्य चलने वाले नेशनल कैरियर्स की क्षमता में वृद्धि करने हेतु हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) श्रीलंका के हवाई मार्ग पर चलने वाली इंडियन एयरलाइन्स की विद्यमान क्षमता और वास्तविक उपयोग कितना है; और

(ग) नए समझौते के अंतर्गत बढ़ी हुई क्षमता का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स मद्रास–कोलंबो–मद्रास मार्ग पर ए–300 दैनिक सेवा तथा त्रिवेन्द्रम–कोलंबो–त्रिवेन्द्रम मार्ग पर सप्ताह में तीन बार ए-320 सेवा प्रचालित करती है। इन मार्गों पर प्राप्त सीट फैक्टर निम्न प्रकार से है:–

	अप्रैल, 94	मई, 94	जून, 94
मद्रास/कोलंबो/मद्रास	78.9	71.6	69.5
त्रिवेन्द्रम/कोलंबो/त्रिवेन्द्रम	72.9	67.4	66.1

(ग) जब कभी भी यातायात की मांग आयेगी बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग अधिक उड़ानें चलाकर किया जाएगा।

बेरोजगार स्नातक

2864. **श्री प्रवीन डेका** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक असम के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार स्नातक पंजीकृत हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रतिवर्ष कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार असम में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर स्नातक (परा–स्नातकों सहित) रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हों, 92.4 हजार (अनन्तिम) थी।

(ख) वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान असम में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई नियुक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 4.0, 2.7 तथा 2.8 हजार थी।

बकाया ऋण

2865. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किये गये अग्रिम ऋण का 50 करोड़ या उससे अधिक की राशि बकाया है;

(ख) इनमें से कितने मामलों में ऋण दो वर्षों से अधिक समय से बकाया है; और

(ग) इन बकाया ऋणों के शीघ्र वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है/ किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बोनस

2866. **डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को देय बोनस की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) बोनस संदाय अधिनियम 1965 के तहत अर्हता और संगणना की अधिकतम सीमा में बढ़ोत्तरी करने का एक प्रस्ताव है। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि जबकि सरकारी उद्यम व अपने कर्मचारियों को बोनस की

अदायगी को नियमित करने के लिए बोनस सद्राय अधिनियम के नियमों का पालन करते हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को (I) उत्पादकता सम्बद्ध बोनस योजना और/अथवा उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना जिससे कि प्रत्येक विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है, और (II) उत्पादकता सम्बद्ध बोनस/उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत शामिल न किये गए कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की अदायगी की जाती है। इस स्थिति में प्रस्तावित संशोधनों तथा उनके लिए निर्धारित विवरणों का उल्लेख करना कठिन है।

[हिन्दी]

तम्बाकू उत्पादन

2867. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात एक तम्बाकू उत्पाद राज्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को गुजरात के तम्बाकू उत्पादकों की ओर से उनके कल्याण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। गुजरात बीड़ी तम्बाकू का प्रमुख उत्पादक है।

(ख) से (घ) गुजरात राज्य में कुछ स्थानों पर तम्बाकू नीलामी केन्द्रों की स्थापना करने के संबंध में तम्बाकू बोर्ड को कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए थे। यह मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

मछली और झींगे का निर्यात

2868. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार मछली और झींगे का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में मछली तथा झींगा मछली के निर्यात की कुल मात्रा तथा मूल्य

मा० = मात्रा टन में

मूल्य = करोड़ रूपये में

देश		अप्रैल – मार्च		
		1993-94	1992-93	1991-92
1		2	3	4
जापान	मा.	44985	41240	39480
	मू.	1185.67	801.90	633.45
यू.एस.ए.	मा.	26152	20141	20844
	मू.	306.17	190.48	54.64
यू.के.	मा.	9698	8728	8098
	मू.	142.66	105.98	84.58
स्पेन	मा.	15751	19458	15497
	मू.	118.51	140.98	107.54
इटली	मा.	12941	10461	9286
	मू.	123.07	93.11	77.39
बेल्जियम	मा.	6985	3442	2955
	मू.	73.57	24.03	20.13
डेनमार्क	मा.	116	62	20
	मू.	1.16	0.51	0.16
फ्रांस	मा.	7824	8558	8247
	मू.	45.40	48.86	44.72
जर्मनी	मा.	1411	1285	1280
	मू.	14.67	12.84	7.87
नीदरलैंड	मा.	6762	2836	2773
	मू.	67.63	18.42	19.86

1		2	3	4
आयरलैंड	मा.	137	301	57
	मू.	2.49	3.73	1.42
पुर्तगाल	मा.	3322	3900	3234
	मू.	18.58	21.83	15.73
ग्रीस	मा.	6690	8318	4107
	मू.	35.59	40.34	16.10
नार्वे	मा.	83	40	42
	मू.	1.01	0.38	0.28
स्विट्जरलैंड	मा.	130	193	9
	मू.	0.87	1.19	0.09
सिंगापुर	मा.	9704	15454	13443
	मू.	55.24	72.21	59.79
हांगकांग	मा.	53220	40593	22106
	मू.	115.14	80.90	40.07
यू०ए०ई०	मा.	4712	5330	6383
	मू.	30.92	28.95	26.35
श्रीलंका	मा.	2210	3482	2653
	मू.	3.37	5.28	4.29
अन्य	मा.	31127	15203	11306
	मू.	161.90	77.32	61.43
योगः	मा.	243980	209025	171820
	मू.	2503.62	1768.56	1375.89

[हिन्दी]

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना

2869. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अंतर्गत किस प्रकार के काम किये जा रहे है; और

(ग) 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 30 जून, 1994 तक कितना काम पूरा कर लिया गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के देहरादून और सहारनपुर जिलों में वर्ष 1989-90 से क्रियान्वित की जा रही परियोजना में शहतूती रोपण के अंतर्गत के क्षेत्र का विस्तार करने और रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए सहायक इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना का समग्र लक्ष्य तथा वर्ष 1994-95 के लिए लक्ष्य और जून 1994 तक संचयी उपलब्धि को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

विवरण

परियोजना का लक्ष्य वर्ष 1994-95 के लिए लक्ष्य तथा जून, 1994 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अंतर्गत संचयी उपलब्धि।

क्रम सं०	संघटक	समग्र परियोजना लक्ष्य	1994-95 के लिए लक्ष्य	जून, 1994 तक संचयी उपलब्धि
1.	पौधों की सप्लाई (संख्या लाख में)	200	18	74.59
2.	शहतूती एकड़ क्षेत्र (एकड़)	4000	250	1522.00
3.	रोगयुक्त चक्तों का उत्पादन (संख्या लाख में)	30	17	15.33
4.	कोसा उत्पादन (मी. टन)	1200	35.10	19.27
5.	कीट पालन क्विंस की सप्लाई	5000	1300	702
6.	कृषक प्रशिक्षण (संख्या)	5000	800	740
7.	शामिल लाभ भोगियों की संख्या	5000	500	3678
8.	मूल बीज फार्म की स्थापना	2	—	2
9.	ग्रेनेज	1	—	1
10.	तकनीकी सेवा केन्द्र	8	—	8
11.	चाकी कीटपालन केन्द्र	40	6	8
12.	प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केन्द्र	1	—	1
13.	रेशम उत्पादन प्रशिक्षण निदेशालय	1	—	1
14.	कोसा सुखाने के चैम्बर्स	40	—	5
15.	कोसा बाजार	1	—	1
16.	कोसा परीक्षण तथा ग्रेडिंग एकक ..	1	—	1

[अनुवाद]

यूरो इश्यू

2870. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनियों द्वारा यूरो इश्यूस के माध्यम से धनराशि संग्रहण में लगातार वृद्धि से प्रमुख शेयर बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रमुख शेयर बाजार को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान घरेलू प्राथमिक बाजार से जुटाई गई पूंजी से संबद्ध आंकड़ों से प्रतीत होता है कि पब्लिक इश्यूज के माध्यम से जुटाई गई पूंजी राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 166 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राइट्स इश्यूज के जरिए जुटाई गई पूंजी राशि में 17 प्रतिशत की कमी दिखाई दी। सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा घरेलू बाजार पब्लिक और राइट्स इश्यूज दोनों के द्वारा जुटाई गई कुल पूंजी में 16 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है। इसलिए, इस विचार को समर्थन देने का कोई प्रमाण नहीं है कि प्राथमिकता बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इस वर्ष में यूरो–इश्यूज बाजार से 2.5 बिलियन अमरीकी डालर की विस्तृत निधि भी जुटाई गई।

[हिन्दी]

बैंक ब्याज दर

2871. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय क्षेत्र के सुधार हेतु बैंक ब्याज दरों में विविधता को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में अपने निर्णय की घोषणा कब तक करेगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ब्याज दर ढांचे के सरलीकरण के बाद ब्याज दरों की संख्या में कमी करने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इसे और अधिक सरल बनाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) समय–समय पर वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज–दर–ढांचे को निर्धारित करता है। 22 सितम्बर, 1990 से ब्याज दरों का क्षेत्र विशेष निर्धारण समाप्त कर दिया गया है और ब्याज दर को ऋण के आकार के साथ जोड़ते हुए बैंकों के ऋण–दर ढांचे को युक्तियुक्त बना दिया गया है। इस नीति की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य ऋण दर ढांचे

की वर्तमान 6 श्रेणियों को कई चरणों में घटाकर नीचे दी गई 3 श्रेणियों में कर दिया है :

ऋण दर ढांचे में अग्रिमों की ऋण सीमा का आकार

	22 सितम्बर, 1990 से 21 अप्रैल, 1992 तक प्रभावी
1.	7,500/- रू. तक और उसके सहित
2.	7,500/- रू. से अधिक और 15,000 रू. तक
3.	15,000/- रू. से अधिक और 25,000 रू. तक
4.	25,000/- रू. से अधिक और 50,000 रू. तक
5.	50,000/- रू. से अधिक और 2 लाख रू. तक
6.	2 लाख रू. से अधिक
	22 अप्रैल, 1992 से 7 अप्रैल, 1993 तक प्रभावी
1.	7,500/- रू. तक और उसके सहित
2.	7,500/- रू. से अधिक और 25,000/- रू. तक
3.	25,000/- रू. से अधिक और 2 लाख रू. तक
4.	2 लाख रू. से अधिक
	8 अप्रैल, 1993 से प्रभावी
1.	25,000/- रू. तक और उसके सहित
2.	25,000/- रू. से अधिक और 2 लाख रू. तक
3.	2 लाख रू. से अधिक

[अनुवाद]

टाटा, बिड़ला और गोयनका परिवारों की कंपनियां

2872. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और विदेशों में बिड़ला, टाटा और गोयनका परिवारों द्वारा चलाई जा रही कंपनियां कौन–कौन सी है और इन कंपनियों में उनकी पूंजीगत भागीदारी कितनी है;

(ख) भारत में चल रही कंपनियों में इन परिवारों की पूंजीगत भागीदारी कितने प्रतिशत है और सरकारी तथा अन्य संस्थाओं की पूंजीगत भागीदारी कितने प्रतिशत है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि को कर मुक्त घोषित किया गया और इसका आधार क्या था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) दिनांक 27.9.1991 के एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक यवहार संशोधन) अध्यादेश के पारित किए जाने तथा

उसके बाद 30.12.1991 से प्रभावी एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम के परिणामस्वरूप, एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत उन उपबंधों को, जो एकाधिकार कंपनियों को उनके परिसंपति मूल्य के अर्थ में परिभाषित करते थे, हटा दिया गया है। चूंकि यह अवधारणा अब प्रासंगिक नहीं रह गई है, इसलिए सरकार ने ऐसी कंपनियों के संबंध में आंकड़े एकत्र करना बन्द कर दिया है।

[हिन्दी]

हथकरघा/हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात

2873. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश से कितने मूल्य की हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुओं का किन–किन देशों को निर्यात किया गया;

(ख) क्या राज्य से इन मदों के निर्यात की और अधिक संभावनाएं है; और

(ग) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान राज्य से इन मदों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख आयातक देशों की सूची हथकरघा उत्पादों और हस्तशिल्प के निर्यात के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) मध्य प्रदेश से हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों विशेष रूप से कालीन, खिलौने और गुड़ियां, लकड़ी की नक्काशी, टाई एंड हाई, ढोकरा तथा लोह शिल्प, हाथ से छपे वस्त्र आदि के निर्यात बढ़ाने की संभावना है।

(ग) सरकार ने मध्य प्रदेश सहित देश के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्रेता–विक्रेता बैठकें प्रायोजित करना, प्रमुख बाजारों के मेलों में भाग लेना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी करना, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पाद विकास तथा गुणवत्ता उन्नयन जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख आयातक देशों को सूती हथकरघा उत्पादों के निर्यात के ब्यौरे नीचे किए गए है :

(करोड़ रू. में)

देश	1991-92	1992-93	1993-94
संयुक्त राज्य अमेरिका	253	349	421
जापान	79	110	207
जर्मनी	37	58	77

ब्रिटेन	37	58	73
आस्ट्रेलिया	31	71	63
इटली	30	45	60
स्वीडन	29	47	53

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख आयातक देशों को हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात के ब्यौरे नीचे नीचे दिए गए हैं।

(करोड़ रू. में)

देश	1991-92	1992-93	1993-94
सं. रा. अमेरिका	636	783	1081
जर्मनी	399	557	808
ब्रिटेन	165	208	260
फ्रांस	69	90	119
जापान	53	78	114
कनाडा	63	80	110
इटली	40	57	108

[अनुवाद]

रेशम उत्पाद परियोजनाएं

2874. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से देश में कुछ राष्ट्रीय रेशम–उत्पादन परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजनाओं की राज्यवार क्या संख्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त की जा रही सहायता की राशि कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी, हां। विश्व बैंक/स्विस विकास सहयोग सहायता राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना देश में क्रियान्वित की जा रही है। यह परियोजना 555 करोड़ रू० के परिकल्पित परिव्यय से (जिसमें 283.30 करोड़ रू० की विश्व बैंक सहायता शामिल है) वर्ष 1989-90 में शुरू की गई थी तथा यह 5 परंपरागत रेशम उत्पादन राज्यों (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू व कश्मीर) तथा 12 गैर–परंपरागत राज्यों (असम, बिहार, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश) में क्रियान्वित की जा रही है।

कोकोआ का आयात

2875. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष में कोकोआ के आयात के लिए किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से आग्रह प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मास्को में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

2876. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का विचार मास्को में पहली बार बैंक शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह एक संयुक्त उद्यम होगा अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक शाखा होगी;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो यह नई शाखा कब तक स्थापित हो जाएगी और कब से कार्य करना शुरू कर देगी;

(ड.) क्या मास्को और अन्य रूसी शहरों में भारतीय बैंकों की शाखाएं खोलने का उद्देश्य भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है;

(च) यदि हां, तो यह उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ है;

(छ) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाएं अन्य देशों में भी खोली हैं; और

(ज) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी शाखाओं के खुलने का वर्ष उनमें जमा–राशि और उनकी लाभ/हानि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक का मास्को में प्रतिनिधि कार्यालय है और यह संयुक्त उद्यम बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव कर रहा है। यह प्रस्ताव अभी आरम्भिक अवस्था में है और इसके परिचालनात्मक विवरण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने "सिद्धांत रूप में" अपनी स्वीकृति दे दी है। चूंकि इससे आगे की औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं इसलिए इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

(ड.) और (च) यह आशा की जाती है कि मास्को में भारतीय बैंकों की स्थापना करने से भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। फिर भी व्यापार

की मात्रा में होने वाली वृद्धि की सीमा के बारे में इस समय बताना संभव नहीं है।

(छ) और (ज) दूसरे देशों में कार्य कर रही भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या, ऐसी शाखाओं के खोले जाने का वर्ष और उनकी कुल जमाराशियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। बैंक की विदेशी शाखाओं के लाभ/हानियों को तुलन–पत्र तथा लाभ और हानि लेखे में अलग से नहीं दर्शाया जाता।

विवरण

शाखाओं के नाम	शाखा खोलने की तारीख
1	2
बर्मिंघम	30.6.93 को बंद
गोल्डर्स ग्रीन	3.5.76
सउथाल	12.8.74
वेस्टेंड	1.3.73
लंदन	27.1.21
न्यूयार्क	8.12.71
शिकागो	29.12.75
डाउंटन	लागू नहीं
फलशिंग	16.7.79
लास एंजिल्स	4.10.77
टोक्यो	23.1.80
ओसाका	5.9.84
कोलम्बो	जुलाई, 64
एफसीबीयू (कोलम्बो)	
बहरीन	3.1.77
पैरिस	10.4.81
नसाऊ (बहामास)	9.4.75
ढाका (बांग्ला देश)	7.5.75
एंटवर्प	15.7.83
हांगकांग	6.12.78
फ्रंकफर्ट	6.12.78

1	2
माले	4.2.74
पनामा	6.12.79
सिंगापुर	30.11.77
कुल जमा राशि (यू एस डालर मिलियन में)	
(अ) 1991-92	1522.370
(ब) 1992-93	889.655
(स) 1993-94	1129.681

भवन-निर्माण क्षेत्र के लिए उपकरणों का आयात

2877. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भवन–निर्माण क्षेत्र में उपकरणों तथा पुर्जों के आयात पर लगी लेवी संबंधी विसंगतियों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिससे उद्योग के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नचिन्ह लग गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) योजना आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत से वाणिज्य मंत्री को निर्माण उद्योग की विभिन्न समस्याओं के संबंध में बिल्डर्स से एक अभिवेदन प्राप्त हुआ। यह मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

केले के गूदे का निर्यात

2878. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केले के गूदे का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ख) सरकार इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) केले के गूदे के निर्यात–आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) केले के गूदे के निर्यात की अनुमति बिना किसी लाइसेंस के मुक्त रूप से है। केले के गूदे सहित उद्यान–उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की वित्तीय एवं बाजार सहायता प्रदान करने की नई योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

चाय कंपनियां

2879. **श्री चित्त बसु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल की कुछ चाय–कंपनियां अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में ऐसी 17 चाय कम्पनियां हैं जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि की 90,000/– से अधिक राशि बकाया है।

(ग) चूककर्त्ता चाय कम्पनियों के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 8 च और 14 के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कानूनी और दांडिक कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

चीन के साथ आर्थिक समझौते

2880. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री चन्देश पटेल :

डा० रमेश चन्द तोमर :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी नेताओं और अधिकारियों की हाल की यात्रा के दौरान दोनों सरकारों के बीच दोहरे कराधान, आर्थिक सुधार, कर चोरी और अन्य संबंधित मुद्दों पर कोई चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई बातचीत/चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते या प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चंन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) जून, 1994 में चीन के विदेश व्यापार एवं आर्थिक सहयोग मंत्री की यात्रा के दौरान भारत चीन संयुक्त आर्थिक दल की 5वीं बैठक में विचार–विमर्श किए गए थे। जिसके फलस्वरूप, वर्ष 1994-95 के लिए भारत चीन व्यापार प्रोटोकोल तथा आर्थिक संबंध और व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी भारत चीन संयुक्त दल के 5वें सत्र के सहमति प्राप्त–कार्यवृतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

चीन के उप–प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री ने जुलाई, 1994 में भारत का दौरा किया। इसके दौरान दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान से बचने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के विकास में सहयोग मिलने और एक देश के उद्यमियों द्वारा दूसरे देश में निवेश करने में वृद्धि होने की आशा है। वित्त मंत्री के साथ उनकी बैठक के दौरान बैंकिंग सैक्टर में सहयोग बढ़ाने और लौह इस्पात सैक्टर में सहयोग को बढावा देने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी।

आमों का निर्यात

2881. **श्री सत्य देव सिंह :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आमों के निर्यात की संभावना बढ़ी है;

(ख) क्या भारत तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अमेरिका ने भारत से आमों का आयात करने पर अनेक स्वास्थ्य कारणों से प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ड.) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड) यू.एस.ए. की पशु और पौध स्वास्थ्य जांच सेवा ने भारत से आमों के आयात पर रोक लगा दी है क्योंकि भारतीय आमों में ओरिएन्टल फ्रुट फलाई सहित विभिन्न कीटाणु पाए जाते है जिनका यू. एस. ए. प्राधिकारियों को स्वीकार्य उपचार भारत में उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

पर्यटन संवर्धन निधि

2882. **श्री आनंद रत्न मौर्य** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड सरकार ने भारत में यात्रा को बढ़ावा देने के लिए डच गिल्डर, 30 लाख की पर्यटन राशि को सवीकृति देने मे असमर्थता जताई हैं?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मामले को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जुलाई, 1994

में दोनों सरकारों के बीच वार्ताओं के आखिरी दौर में पर्यटन विकास निधि के बारे में कोई निर्णय नहीं किया जा सका क्योंकि नीदरलैंड सरकार द्वारा बढ़ी हुई क्षमता हकदारी का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं पाया गया था।

(ग) दोनों पक्ष इस मामले पर पुनः द्विपक्षीय हवाई वार्ताओं के आगामी दौर में विचार–विमर्श करने के लिए सहमत हो गए हैं।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन विकास

2883. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री गुरूदास कामत :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **नागर विमान और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी अधिक संख्या में पर्यटक/तीर्थ यात्री प्रत्येक वर्ष वैष्णो देवी, अमरनाथ और जम्मू तथा कश्मीर के अन्य पर्यटन केन्द्रों की यात्रा करते हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में होटलों, मोटलों, यात्री निवासों के निर्माण और पर्यटकों को अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रत्येक वर्ष कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या राज्य में आतंकवादियों ने पर्यटकों/तीर्थ यात्रियों पर हमला किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) पर्यटकों/तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन सुविधाओं तथा यात्री निवासों, पर्यटक बंगला, कुटीरों, पहुंच सड़कों, साहसिक पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं तथा अन्य विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए 3049.37 लाख रूपए खर्च किए गए हैं।

(ग) से (ड.) लगातार आतंकवादी गतिविधियां होने के कारण राज्य में पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हाल ही में स्थिति में सुधार के लक्षण दिखाई पड़े हैं, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के मिजाज में जो आतंकवादियों की हिंसा और गतिविधियों से तंग आ चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप पता चला है कि कुछ आतंकवादी संगठनो द्वारा पर्यटकों को धमकी दी गई है। पाकिस्तान समर्थित संगठनों ने भी अमरनाथ यात्रा के विरूद्ध धमकियां दी है।

तथापि, सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए तथा आम जनता में विश्वास भरने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि राज्य में सामान्य कार्यकलाप फिर से शुरू किए जा सकें। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और निर्विघ्न बनाने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं और इनकी निगरानी और मुआयना बिल्कुल नजदीक

से किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से प्राप्त शिकायतें

2884. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इसकी स्थापना के समय से विभिन्न वर्गों/प्रकारों के अधीन कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) अब तक कितनी शिकायतें निपटाई गई ;

(ग) शेयर धारकों को भेजे गए उन लाभांश वारंटों के संबंध में कम्पनियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है जो शेयर धारकों को प्राप्त नहीं हुए हैं अथवा जो भेजे जाने के दौरान मार्ग में खो गयें; और

(घ) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएं हैं कि शेयर धारकों को समय पर लाभांशों का भुगतान हो जाये?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अपने आरम्भ होने से 15 जुलाई, 1994 तक विभिन्न वर्गों/प्रकारों के अन्तर्गत प्राप्त की गई शिकायतों की कुल संख्या 12,33,349 है। इस अवधि में निपटाई गई शिकायतों की संख्या 5,36,302 हैं।

(ग) लाभांश–वारंटों के प्राप्त न होने के बारे में शेयरधारकों की शिकायतों पर, कम्पनियां आमतौर पर इस संबंध में आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति किए जाने के बाद उन्हें डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी कर देती हैं।

(घ) शेयरधारकों को लाभांशों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 में प्रावधान किए गए हैं।

बीमा संबंधी दावे

2885. **श्री राम प्रसाद सिंह :**

श्री मंजय लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा पालिसीयों के कितने दावे प्राप्त हुए और कितने दावे निपटाए गये;

(ख) 31 मार्च, 1994 को कितने मामले निपटान हेतु लंबित थे;

(ग) क्या पालिसीधारक की मृत्यु के बाद उसके द्वारा नामांकित व्यक्तियों के दावे की

धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) सरकार द्वारा पालिसी धारकों के दावों को तत्काल निपटाने और भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिक प्रभावी तथा सुरक्षित बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे;

(च) क्या सरकार का विचार भविष्य में विदेशी बीमा कंपनियों को जीवन बीमा निगम से प्रतियोगिता करने की अनुमति देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना नीचे दी गयी है :

	परिपक्वता वाले दावे	मृत्यु संबंधी दावे
	(संख्या लाख में)	
वर्ष के दौरान सूचित दावे	30.81	1.40
वर्ष के आरम्भ में बकाया दावों सहित कुल अदायगी योग्य दावे	31.52	1.56
वर्ष के दौरान निपटाये गए दावे	30.73	1.35
31.3.94 की स्थिति के अनुसार लंबित दावे	0.79	0.21

(ग) से (ड.) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने शाखा/मंडल कार्यालयों को अनुदेश जारी किए हैं कि दावेदार द्वारा सभी अपेक्षाओं को पूरा करने पर वे मृत्यु की सूचना की तारीख से 75 दिन के भीतर मृत्यु संबंधी दावों का निपटाने कर दें।

(च) और (छ) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

हैंक यार्न

2886. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :**

श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :

श्री एन. जे. राठवा :

श्री गोविन्द राव निकम :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कताई मिलों, विशेषकर सहकारी कताई मिलों को हैंक यार्न के उत्पादन संबंधी देनदारियों में छूट देने का अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्य सरकारों ने इस संबंध में अनुरोध किया है, और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि मैं० मेलेगांव सहकारी कताई मिलों को हैंक यार्न बाध्यता से मुक्त रखा जाये।

(ग) हथकरघा क्षेत्र में हैंक यार्न की मांग की पूर्ति करके और इसके मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने हेतु सहकारी कताई मिलों सहित कताई मिलों द्वारा हैंक यार्न की पैकिंग के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों में ढील देना संभव नहीं है। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

वस्त्रों का निर्यात

2887. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष विश्व में कपास की कम पैदावार होने के कारण सिले–सिलाए वस्त्रों की कीमतें बढ़ी है और इसका भारत में भी प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सिले–सिलाए वस्त्रों के निर्यात के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति उल्लेखनीय है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1991-92 के पश्चात सिले–सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) उपलब्ध आंकड़ा स्पष्टतः यह स्थापित नहीं करता कि इस वर्ष विश्व में कपास के निम्न उत्पादन के कारण भारत के परिधान निर्यातों पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) इस समय उपलब्ध गाट आंकड़ा के अनुसार सिले–सिलाए परिधानों के निर्यात के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का 14वां स्थान है।

(ग) तथा (घ) वर्ष 1991-92 के बाद सिले–सिलाए परिधान के निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में एक एकीकृत बाजार निर्धारण विनिमय दर व्यवस्था शुरू करना, चालू खाते में रूपए की परिवर्तनीयता, रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुकर करना, परिधान क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को सुकर बनाना, निर्यात क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाना सुनिश्चित करना, विदेशी मुद्रा खाते में 25% तक विदेशी मुद्रा आय रखने की अनुमति देना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

स्वापक औषध

2888. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री तारा सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वापक औषधों के अवैध उत्पादन तथा वितरण में वृद्धि पर गंभीर चिंता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ गठित अंत–मंत्रालयी कृतक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण एक गुप्त गतिविधि है, अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि वह बढ़ रहा है, अथवा घट रहा है। तथापि, नशीले पदार्थों के जोखिम से निपटने के लिए सरकार पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

(ख) और (ग) भारत में स्वापक औषध दुरूपयोग नियंत्रण के लिए अंतर मंत्रालयी कृतक बल ने राष्ट्रीय महायोजना नेशनल मास्टर प्लान का प्रारूप प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट में आपूर्ति कम करने और मांग कम करने के बारे में अनेक सिफारिशें की गई है। रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्य सरकारों और संबद्ध केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं।

लक्षद्वीप में पर्यटन विकास

2889. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लक्षद्वीप के दो निर्जन द्वीप–समूहों थिन्नाकारा और चेरियम में समुद्र द्वीपीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सरकार ने जनवरी, 1992 में लक्षद्वीप में थिन्नाकारा और चेरियम में द्वीप/समुद्रतट सैरगाहों के विकास और प्रचालन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। प्रत्युतर में चार प्रस्ताव मिले थे। सरकार ने अनुपक्त होने क कारण, सभी प्रस्ताव रद्द कर दिए गए थे तथा नए प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया था। शर्तें निर्धारित करने, प्रस्तावों का मूल्यांकन करने तथा सरकार को सिफारिशें करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। लक्षद्वीप प्रशासन उन शर्तों का उल्लेख करेगा जिन

पर द्वीपसमूह में पर्यटन के विकास हेतु भूमि मिलेगी ताकि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके।

अमरीका को एयर इंडिया की उड़ानें

2890. **श्री एस. एम. लालजान पाशा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का विचार अमरीका में दूसरा 'गैट वे' खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में लागत–लाभ के संबंध में अध्ययन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) अमरीकी प्राधिकारियों से प्राप्त किए जा रहे आवश्यक अनुमोदन के आधार पर एयर इंडिया का शिकागो के लिए प्रचालन किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) लागत–लाभ के संबंध में एक अध्ययन किया गया था जिससे पता चला कि प्रचालन वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य होंगे।

माइक्रोलाइट विमान

2891. **श्री अन्ना जोशी :**

श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री 17 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2447 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइक्रोलाइट विमानों के खरीदे जाने से पूर्व इन विमानों के गैर–सुरक्षा खतरों और सुरक्षित उपयोग का कोई अध्ययन किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सरकार को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे अप्रयुक्त विमान को हटाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इस प्रकार के अध्ययन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी थी क्योंकि माइक्रोलाइट विमानों को काफी सुरक्षित माना गया है और विमानों में किसी प्रकार का कोई गैर–सुरक्षा खतरा नहीं है, यदि इनकी उड़ान तकनीकी सीमाओं के अंदर की जाये।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एरो क्लब आफ इंडिया की इन माइक्रोलाइट विमानों को अपने अन्य सदस्य क्लबों में पुनः वितरण करने की योजनाएं हैं।

कपड़ा मिलों के लिए ऋण

2892. **श्री धर्मण्णा मौडय्या सादुल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कपड़ा मिलों, घाटे में चल रही कपडा मिलों और अन्य ऐसी मिलों, जो अपनी मिलों का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त नहीं हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी मिलों के मालिकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) वित्तीय संस्थान जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ सी आई), भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम (आई सी आई सी आई) निम्नलिखित कार्यों के लिए वस्त्र मिलों को सहायता प्रदान कर रहे हैं :–

1. नई मिलों, विशेष रूप से कताई मिलों, की स्थापना।

2. औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा पेश की गई राहत पैकेज के अनुसार घाटा उठाने वाले रूग्ण एककों की पुर्नस्थापना।

3. मौजूदा एककों का विस्तार तथा विविधीकरण।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी

2893. **श्री नीतिश कुमार :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दशकों के दौरान सुनियोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस दर में और वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए.. संगमा) : (क) से (ग) बेरोजगारी पर तुलनात्मक अनुमान, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा पांच वर्षों के अंतराल पर किये गये व्यापक सर्वेक्षणों

पर आधारित है, वर्ष 1972-73, 1977-78, 1983 और 1987-88 के लिए उपलब्ध है। बेरोजगारी के अनुमान, आठवीं योजना के आरंभ में और आठवीं योजना के प्रथम और द्वितीय वर्षों के अंत में योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये है। बेरोजगारी वृद्धि की वार्षिक दर विभिन्न अवधियों के लिए साप्ताहिक स्तर पर, जो बेरोजगारी अनुमानों पर आधारित हैं निम्नलिखित हैं :

अवधि	बेरोजगारी वृद्धि की औसत वार्षिक दर (%)
1972-73 से 1977-78	2.35
1977-78 से 1983	1.78
1983 से 1987-88	3.14
1987-88 से 1992	4.38
1992 से 1994	4.32

(घ) बेरोजगारी में हुई वृद्धि मुख्यतः श्रम बल में वृद्धि के परिणामस्वरूप है।

(ड) रोजगार अवसरों का विस्तार आठवीं पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है और योजना नीति में संभावित उच्च रोजगार वाले सेक्टरों, सब–सैक्टरों और क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि पर बल दिया गया है, जिससे रोजगार वृद्धि की गति तेज हो।

नशीली दवाओं का जब्त किया जाना

2894. **डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नशीली दवाओं के जब्त किए जाने के कुल कितने मामले दर्ज हुए तथा कितनी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गयी;

(ख) जब्त की गई दवाओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य क्या है;

(ग) क्या नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए पड़ोसी देशों की सहायता मांगी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) देश में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा तथा दर्ज किए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

नशीला पदार्थ	1991	1992	1993
	(मात्रा किलोग्राम में)		
अफीम	2145	1918	3011
मारफीन	6	35	36

हेरोइन	622	1153	1088
गांजा	52633	64341	98867
चरस/हशीश	4413	6621	8238
मैथाक्वालोन	4415	7475	15004
मामलों की सं०	5298	12751	13518

(ख) नशीले पदार्थ, जो प्रायः अनिर्धारित रसायन मात्रा और मिश्रण के होते है तथा जिन्हें नष्ट किया जाना होता है, का सही मूल्यांकन संभव नहीं है।

(ग) और (घ) नशीले पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित मामलों में परस्पर सहयोग के लिए भारत ने दो पड़ोसी देशों अर्थात् म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त विषय पर भारत भी सार्क अभिसमय का एक पक्ष है।

(ड) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि विभिन्न अधिनियमों में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन और संचार उपस्कर प्रदान किए गए है। भारत–पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां

2895. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

श्री बापू हरि चौरे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों और आवासी गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों से 31 मार्च, 1995 तक जोखिम प्राधान्य परिसंपत्ति पर आधारित 6 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता और 'आफ बेलेंस शीट' प्रकटीकरण का संपरिवर्तन प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) क्या इन सभी कंपनियों से किसी एक अकेली पार्टी को अपनी निवल निधि के लगभग 15 प्रतिशत तथा पार्टियों के एक अकेले समूह को 25 प्रतिशत से अधिक ऋण स्वीकृत न करने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में जारी किए गए नीतिगत मानदंडों सहित अन्य मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है; और

(ड) उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांत पूंजी–पर्याप्तता प्राप्त करने के मामले में कहां तक सहायक सिद्ध हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने उन गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट गैर–बैंककारी

कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों सहित मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिनकी निवल धारित पूंजी 50 लाख रूपये और अधिक है और जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत है। मार्गनिर्देशों में, जिसकी मुख्य मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई है, अन्य बातों के साथ साथ वित्तीय कंपनियों को कहा गया है कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक जोखिम भारित पूंजी के 6 प्रतिशत तक पूंजी पर्याप्तता प्राप्त करें और तुलन–पत्र इतर एक्सपोजर को ऋण में परिवर्तित करें।

(ख) किसी एक पार्टी को अपनी धारित पूंजी के 15% से अधिक ऋण न दें और किसी एक पार्टी समूह को अपनी धारित पूंजी के 25% से अधिक ऋण न दें।

(ड) पंजीकृत वित्तीय कंपनियों द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक रिपोर्टिंग प्रोफार्मा तैयार किया गया है जिसे प्रत्येक वर्ष सितम्बर और मार्च के अंत में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत किया जाना है। वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पहला अर्ध–वार्षिक विवरण 31 मार्च, 1995 का होगा और उसके बाद ही पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को प्राप्त करने संबंधी मूल्यांकन किया जा सकता है।

विवरण

विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित मार्गनिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं

1. आय और अनुपयोज्य आस्तियों की गणना करना

पहले से देय लेकिन छः महीने की अवधि के अन्दर प्राप्त न होने वाली आय को उस समय तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रकार की आय वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाती। आस्तियों को वसूली के रिकार्ड के आधार पर अनुपयोज्य आस्ति (एन पी ए) के रूप में वर्गीकृत करना होता है। यदि मूलधन/किस्तों की अदायगी पहले से ही देय है, लेकिन छः महीने की अवधि के अंदर प्राप्त नहीं होती है, तो इस प्रकार के ऋणों या अग्रिमों को अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करना होता है। पट्टा लेखा, मूल्यह्रास आदि के संबंधों में इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स आफ इंडिया द्वारा जारी किए गए समस्त लेखा मानकों तथा मार्गदर्शन टिप्पणियों का अनुसरण किया जा सकता है।

2. निवेशों के लिए लेखा प्रक्रिया

निवेशों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करना होता है – दीर्घावधिक निवेश और चालू निवेश। चालू निवेश वे हैं, जो तत्काल वसूली योग्य होते हैं और जिन्हें निवेश की तारीख से एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं रोका जाता। दीर्घावधिक निवेश चालू निवेश नहीं है। जबकि दीर्घा– वधि क निवेशों का मूल्य लागत के अनुसार लगाना होता है, लेकिन चालू निवेशों का मूल्य लागत से कम और बाजार मूल्य पर लगाना होता है।

3. परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और प्रावधान

परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करना होता है :

(i) मानक परिसंपत्तियां (ii) अव–मानक परिसंपत्तियां (iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां और (iv)

हानिवाली परिसंपत्तियां अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान संबंधी मानदंड अंतिम तीन श्रेणियों की परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। तुलन–पत्र वाली परिसंपत्तियों पर जोखिम भार और तुलन–पत्र बाह्य एक्सपोजर मदों के लिए ऋण रूपांतरण घटक भी निर्धारित किए गए हैं।

जबकि बैंक में जमा शेष नकदी और सरकारी एवं अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों को 'शून्य' वेटेज प्रदान किया गया है, अन्य परिसंपत्तियों को शत प्रतिशत वेटेज प्रदान किया गया है। तुलन–पत्र बाहय एक्सपोजर मदों में 50 से 100 प्रतिशत के बीच ऋण रूपांतरण घटक होता है।

4. पूंजी पर्याप्तता अनुपात

पंजीकृत वित्तीय कंपनियों से कहा गया है कि वे जोखिम भारित परिसंपत्तियों और तुलन–पत्र बाह्य एक्सपोजरों के रूपातंरण के आधार पर 31 मार्च, 1995 तक छः प्रतिशत और 31 मार्च, 1996 तक आठ प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करें।

5. पूंजी की संरचना

पूंजी की दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। पहली श्रेणी में चुकता इक्विटी पूंजी और निर्बध प्रारक्षित निधियां शामिल होगी। दूसरी श्रेणी की पूंजी में अधिमान शेयर, पुर्नमूल्यांकन प्रारक्षित निधियां, सामान्य प्रावधान और हानिवाली प्रारक्षित निधियां शामिल होगी जो अपेक्षित राशियों और मिश्रित ऋण पूंजी लिखतों/गौण ऋण, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी। दूसरी श्रेणी की पूंजी पहली श्रेणी की पूंजी से अधिक नहीं होगी। पहली श्रेणी की पूंजी का हिसाब लगाते समय, अनुषंगी कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों तथा अन्य बैंककारी वित्तीय कंपनियों में पंजीकृत वित्तीय कंपनियों की स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक के निवेश और ऋणों तथा अग्रिमों को कम कर दिया जाएगा।

6. ऋण/निवेशों का संकेन्द्रण

पंजीकृत वित्तीय कंपनियों को किसी एक पार्टी को अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के पन्द्रह प्रतिशत या पार्टियों के एक समूह को अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देना चाहिए। यदि इन सीमाओं से अधिक उधार, यदि कोई हो, दिया गया हो, तो उसे अनुसूची के अनुसार देय राशियों की वापसी अदायगी के दौरान कम किया जाना चाहिए। किसी वित्तीय कंपनी को दूसरी कंपनी के शेयरों और डिबंचरों में अपनी स्वाधिकृत निधियों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं करना चाहिए। किसी समूह से संबंधित कंपनियों में या किसी विशेष उद्योग में निवेश के संबंध में अनुवर्ती जोखिम को ध्यान में रखते हुए वित्तीय कंपनी की पोर्टफोलियो का विविधीकरण करने का प्रयास करना चाहिए।

7. अनुपालन की सूचना देना

पंजीकृत वित्तीय कंपनियों द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक रिपोर्टिंग फॉर्म तैयार किया गया है जिसे लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र सहित प्रत्येक वर्ष सितम्बर और मार्च के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत करना होता है।

8. ऋण पात्रता निर्धारण

पंजीकृत वित्तीय कंपनियों के लिए चरणबद्ध रूप से एक अनिवार्य ऋण–पात्रता निर्धारण प्रणाली शुरू की गई है। कंपनियों से कहा गया है कि वे पहला निर्धारण 31 मार्च, 1995 तक प्राप्त करें और इसे संबद्ध छमाही विवरणी के साथ प्रस्तुत करें। वर्ष में कम से कम एक बार नया निर्धारण प्राप्त करना होता है। अलबत्ता, जिन कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियां 2 करोड़ रूपये से कम है, उन्हें यह निर्धारण अधिक से अधिक 31 मार्च, 1995 तक प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

यूनिट 1964 योजना

2896. **श्री राम कापसे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शेयर दलालों/प्रधान डाकघर, लखनऊ के कर्मचारियों की सांठगांठ से यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिट 1964 योजना के प्रमाणपत्रों में हेराफेरी संबंधी शिकायतें प्राप्त हुयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच की गई है; और

(ग) इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू. टी. आई) ने सूचित किया है कि यूनिट स्कीम, 1964 के मूल प्रमाण पत्रों की प्राप्ति वास्तविक यूनिट धारकों को न होने के लगभग 128 मामले उसके ध्यान में आए है। ऐसा संभवतः लखनऊ स्थित मुख्य डाकघर क्षेत्र में डाक की गड़बड़ी के कारण हुआ है। तथापि, ये प्रमाण–पत्र अंतरणों के पंजीकरण हेतु यू.टी.आई को प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने ये अंतरण नहीं किए हैं क्योंकि अंतरणकर्ता के हस्ताक्षर उसके रिकार्ड में रखे हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते। डाक द्वारा इन यूनिट प्रमाण–पत्रों को भेजने में हुई गड़बड़ी संबंधी मामले को यू.टी.आई ने लखनऊ के मुख्य डाकपाल के साथ उठाया है। इसी बीच यू. टी. आई. ने मूल यूनिट धारकों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रमाण–पत्र जारी किए हैं।

हैंक यार्न का उत्पादन

2897. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कपड़ा मिलें अपने कुछ उत्पादन का पचास प्रतिशत हैंक यार्न का उत्पादन करने संबंधी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन–कौन सी मिलें हैं, और

(ग) ऐसी मिलों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन करने वाली मिलों के विरुद्ध मुकदमा करने के लिए एफ. आई. आर. दायर की है।

यात्री निवासों, होटलों और मोटलों की स्थापना

2898. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ यात्री निवासों, होटलों और मोटलों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में विभिन्न राज्यों के लिए बनायी गई योजना का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग, यात्री निवासों और मोटलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। होटलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षो (1992-93 और 1993-94) के दौरान राज्य सरकारों को यात्री निवासों के निर्माण के लिए दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दिए अनुसार है।

भारत पर्यटन विकास निगम का संसाधनों के उपलब्धता होने उचित स्थलों के मिलने और व्यवहार्यता रिपोर्टो के मिलने पर योजना के दौरान, तीन होटलों का निर्माण करन का प्रस्ताव है।

वर्ष 1994-95 के दौरान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश मणिपुर और तमिलनाडु राज्यों में यात्री निवासों की स्कीमों को विचारार्थ प्राथमिकता दी गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार नहीं की गई है।

विवरण

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान स्वीकृत यात्री निवासों के लिए परियोजनाएं/स्कीम

(लाख रू. में)

	स्कीम का नाम	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत राशि
1.	पुरी (उड़ीसा) में यात्री निवास का निर्माण	1992-93	44.85
2.	श्रावणबोलगोंला (कर्नाटक) में यात्री निवास का निर्माण	वही	39.94
3.	वैष्णों देवी (जम्मू और कश्मीर) में यात्री निवास का निर्माण	वही	45.00

4.	श्रृंगेरी (कर्नाटक) में यात्री निवास का निर्माण	वही	46.05
5.	रामेश्वरम् (तमिलनाडु) में यात्री निवास का निर्माण	वही	44.78
६	साम्यपुरम (तमिलनाडु) में यात्री निवास का निर्माण	1993-94	39.92

टसर अनुसंधान केन्द्र

2899. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी बंगाल में टसर अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक स्थापित हो जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

2900. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूवनंतपुरम, केरल में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) क्या उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु समयावधि बढ़ाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) तिरूवनंतपुरम में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के एक यूनिट की स्थापना का एक प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर निर्णय अभी लिया जाना है।

(ग) और (घ) कार्यालय की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

कपास की खरीद

2901. **श्री काशी राम राणा** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा विभिन्न राज्यों से राज्य–वार कुल कितनी मात्रा में कपास खरीदी गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा कपास की खरीद के तत्संबंधी आंकड़े क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा खरीदी गई राज्य–वार कपास के ब्यौरे निम्नानुसार है :

(आंकड़े गांठों में – प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
पंजाब	131240	207369	328043	69043
हरियाणा	79353	109857	137737	47014
राजस्थान	108045	149389	162892	130153
गुजरात	204851	154365	226602	163999
मध्यप्रदेश	213646	126484	101618	168684
आंध्र प्रदेश	253012	192604	157827	165911
कर्नाटक	21314	53032	66019	27214
तमिलनाडु	7679	7147	5310	4334
अन्य	97	434	550	—
कुल	1019237	1000681	1186598	776352

[अनुवाद]

सरकारी व्यय

2902. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी व्यय को कम करने हेतु कोई नए उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी व्यय को नियंत्रण में रखना एक सतत् प्रक्रिया है तथा फिजूल खर्च से बचने के लिए समय–समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। इन अनुदेशों में पदों में कटौती, प्रथम श्रेणी की हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, दौरे के दौरान होटल सूटों में ठहरने पर प्रतिबंध लगाना, पैट्रोल की खपत/व्यय की कमी करना, समयोपरि भत्ते पर रोक लगाना, वाहनों की खरीद पर रोक लगाना, बिजली के प्रयोग में किफायत करना आदि शामिल है। हाल ही में, इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि :

(i) जो पद एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि से रिक्त पड़े हुए हैं इन्हें समाप्त हुआ समझा जाएगा और यदि इन पदों की आवश्यकता हो तो इनका पुनःसृजन पदों के सृजन की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् ही किया जा सकता है; (ii) समूह 'ख', 'ग' और

'घ' के 'योजनागत' पदों के सृजन के लिए अब वित्त मंत्रालय का अनुमोदन लेना जरूरी होगा (जिसके लिए सृजन के लिए शक्तियां अब तक प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के पास थी) व्यय में मितव्ययिता के लिए स्वायत्त निकायों में पदों के सृजन की प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है। इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप सरकारी व्यय में कमी होने की आशा है।

छात्रों को रोजगार

2903. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षो के दौरान कितने छात्रों ने व्यावसायिक विषय के रूप में बीमा विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान बीमा कंपनियों ने कितने छात्रों को रोजगार दिया है;

(ग) क्या उनमें से कुछ छात्रों को अब भी रोजगार दिया जाना बाकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रोजगार उपलब्ध कराने में विलंब के क्या कारण है; और

(ड) बीमा कंपनियों द्वारा ऐसे छात्रों को रोजगार कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एअर इंडिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2904. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) आरक्षित श्रेणियों में 'रिक्त पदों' की संख्या कितनी है; और

(ग) इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एयर इंडिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 3641 और 968 है।

(ख) 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति वर्ग में रिक्त पदों की संख्या 76 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त पदों की संख्या 148 थी।

(ग) एअर इंडिया का प्रबंधकवर्ग विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से आरक्षित श्रेणियों में रिक्तियों को भरने के प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

निर्यात वृद्धि

2905. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात निर्यातक संघ से निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी कोई कार्य–योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ग्राहक सेवाएं

2906. **प्रो. उम्मारेडिड् वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और इंडियन बैंक में ग्राहक सेवाओं का स्तर गिरता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए है या उठाए जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अलबत्ता, सरकार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए उत्सुक है। भारतीय स्टेट बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एम. एन. गोईपोरिया की अध्यक्षता में इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति सितम्बर 1990 में गठित की गई थी। समिति ने व्यापक सिफारिशें की। भारतीय रिजर्व बैंक ने समिति की स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए बैंकों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं।

[हिन्दी]

धनी और निर्धन के बीच अंतर

2907. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धनी और निर्धन के बीच अंतर को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रयासों में कितनी सहायता मिली?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आठवीं योजना में समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। पर्याप्त खाद्य पूर्ति, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ करना और चयनित दूरस्थ और पिछड़े खंडों में इसे फिर से शुरू करना तथा

विकास कार्यक्रम विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्रों में व विशेष रोजगार और गरीबी–उन्मूलन कार्यक्रम धनवानों और गरीबों के बीच के अंतर को कम करने के लिए मुख्य तत्वों को गठित करते हैं। आठवीं योजना (1992-97) में 5.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की आय वृद्धि दर और 5.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की खपत में वृद्धि का अनुमान है तथा यह परिकल्पना करती है कि गरीब वर्गो के खपत व्यय में वृद्धि अमीर वर्गो की तुलना में अधिक हो। यह अमीर और गरीब के बीच खपत में विद्यमान विषमताओं को कम करेगी। विभिन्न समाज कल्याण के उपायों तथा विकासात्मक कार्यक्रमों के कारण आय वितरण में भी सुधार होने की आशा है।

पिछले तीन वर्षो के दौरान गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में कदम उठाए गए है। सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों, विशेष रोजगार और गरीबी–उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय को बढ़ाया गया है। ग्रामीण विकास के लिए आवंटन को 1992-93 (ब.अ.) में 3100 करोड़ रूपए से बढाकर दुगुने से भी अधिक 1994-95 (ब.अ.) में 7010 करोड़ रूपये कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना के लिए वर्ष 1993-94 के लिए 3306 करोड़ रूपये के आवंटन की तुलना में 1994-95 में 3855 करोड़ रूपये के बढ़े हुए आवंटन से रोजगार के 1089 मिलियन मानव–दिवस प्राप्त होने की संभावना है। नए कार्यक्रम जैसे ग्रामीण गरीबों के लिए अकुशल रोजगार के कम से कम 100 मानव–विकास प्रदान करने के लिए 1752 सर्वाधिक गरीब खंडों के लिए लक्षित रोजगार आश्वासन योजना 1993-94 के दौरान 600 करोड़ रूपये (सं. अ.) और 1994-95 में 1200 करोड़ रूपये (ब.अ.) के बजट प्रावधान के साथ शुरू की गई थी। एक अन्य नया कार्यक्रम अर्थात् शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उनका स्वयं का लघु–उद्यम आरंभ करने के लिए सहायता प्रदान करने के वास्ते प्रधान मंत्री की रोजगार योजना 1993-94 के दौरान संशोधित अनुमान के स्तर पर 35 करोड़ रूपये के प्रावधान सहित आरंभ की गई थी। वर्ष 1994-95 के लिए बजट में 145 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है तथा गरीबों द्वारा खपत की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाने के लिए दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में 1752 खंडों में फिर से शुरू किया गया है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से शून्य शुल्क सहित मुक्त सामान्य लाइसेंस के तहत चीनी और सूत का तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पूर्ति को बढ़ाने के लिए 20 प्रतिशत की रियायती शुल्क पर परिष्कृत पामोलिन तेल का आयात किया गया। आर्थिक सुधारों द्वारा प्रभावित की क्षतिपूर्ति पुनः प्रशिक्षण, और श्रमिकों की पुनः तैनाती की योजनाओं को वित्तपोषित किए जाने से विद्यमान सामाजिक सुरक्षा विस्तार की अनुपूरकता के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि स्थापित की गई है।

गरीबी में ठोस कमी और वर्गो के मध्य आर्थिक असमान्यताा केवल एक समयावधि के बाद ही दूर हो सकती है। मध्यावधि में, आर्थिक सुधारों से आर्थिक वृद्धि और रोजगार की दर बढ़ेगी। गरीबों को भी इससे लाभ पहुंचेगा।

[अनुवाद]

साधारण बीमा निगम की शाखाएं

2908. **श्री मोहन रावले** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण बीमा निगम तथा इसकी चार सहायक कंपनियों की विदेश में देश–वार शाखाएं कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त शाखाओं द्वारा प्रतिवर्ष कितना लाभ अर्जित किया गया/उनको कितना घाटा हुआ;

(ग) घाटा होने के क्या कारण है;

(घ) क्या विदेश स्थित घाटे में चल रही इन शाखाओं को बंद करने का विचार है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(ग) साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि 1993 में समाप्त हुई पिछले पांच वर्ष की अवधि के दौरान आपाती हानियों की एक श्रृंखला ने विश्व बीमा बाजार को प्रभावित किया जिसके कारण साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियों के विदेशी कार्य प्रचालनों को भी आघात लगा। इसके अतिरिक्त, 1991-92 के दौरान प्रशांत तथा मध्य पूर्व के क्षेत्रों में भारी मात्रा में अग्नि से और सामुद्रिक हानियां हुई और कुछ विदेशी शाखाओं की प्रीमियम आय में तेजी से वृद्धि होने के कारण उनके भंडारों में हुई काफी अधिक वृद्धि को क्षति पहुंची जिसमें उनकी लाभदेयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(घ) और (ड) साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियां अपने विदेशी कार्य प्रचालनों की नियमित रूप से पुनरीक्षा करते हैं और हानि देने वाले कार्यालयों/ शाखाओं के संबंध में आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाते हैं। साधारण बीमा निगम ने हाल ही में एक विशेष पुनरीक्षण किया है और आगामी दो वर्षों में कार्य–निष्पादन को देखते हुए हानि देने वाले इस प्रकार के कार्यालयों/ शाखाओं को आगे जारी रखने पर पुन विचार किया जाएगा।

विवरण

देशवार-विदेशों में शाखाओं की संख्या और पिछले तीन वर्षों में लाभ/हानि

(करोड रूपये में)

देश का नाम	शाखाओं/अभिकरणों की संख्या	कंपनी का नाम	लाभ/हानि		
			1990-91	1991-92	1992-93
विदेशों में शाखाएं					
हांगकांग	1	न्यू इंडिया	0.27	0.93	0.55
	1	नेशनल	0.55	-3.88	2.67
थाईलैंड	1	न्यू इंडिया	0.02	0.67	-0.45
फिजि	3	न्यू इंडिया	1.00	2.10	3.74
मारीशॅस	1	न्यू इंडिया	-0.18	1.45	0.71
आस्ट्रेलिया	1	न्यू इंडिया	1.02	0.27	-0.47
नेपाल	3	नेशनल	0.69	0.74	0.83
	6	ओरिएन्टल	0.80	1.21	-0.14
फिलीपीन्स	1	न्यू इंडिया	-0.25	-0.88	-0.90
जापान	7	न्यू इंडिया	-1.45	-6.33	-7.11
यूनाइटेड किंगडम	1	न्यू इंडिया	-3.37	-9.13	-10.66
सिंगापुर	1	साधारण बीमा निगम	मात्र 1.1.1993 को स्थापित		

स्वचालित टेलर मशीन

2909. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाओं में स्वचालित टेलर मशीनें लगाई गई है;

(ख) दिल्ली में उपरोक्त बैंक शाखाएं कहां–कहां स्थित है;

(ग) किन–किन बैंक शाखाओं में इन्हें लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) इन प्रस्तावित शाखाओं में स्वचालित टेलर मशीनें कब तक लगाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना

के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक और विजया बैंक ने अपनी क्रमशः नयी दिल्ली मुख्य शाखा, संसद मार्ग और बाराखंबा रोड शाखा में स्वचालित टेलर मशीनें लगाई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिल्ली में स्वचालित टेलर मशीनें लगाने के लिए किसी बैंक से और प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हवाला व्यापार

2910. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाला बाजार में विदेशी मुद्रा पर प्रीमियम में अधिकारिक दर से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु औद्योगिक एककों को ऋण

2911. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने लघु औद्योगिक एककों को ऋण दिया गया है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी ऋण राशि दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्त पोषित लघु उद्योग एककों के संबंध में राज्यवार आंकड़े नहीं रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकडे मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों से संबंधित है। मार्च 1990, मार्च 1991 और मार्च 1992 (नवीनतम उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार सूचना निम्नलिखित है :

(लाख रूपये)

की स्थिति	एककों की संख्या	बकाया राशि
मार्च 1990	201484	62854.94
मार्च 1991	189390	70342.64
मार्च 1992	199139	73745.51

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

2912. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतरर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को विदेश से आने वाले माल के ट्रांसशिपमेंट के लिए "गेट वे एयरपोर्ट" के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सीमा–शुल्क का भुगतान किये बिना सामान की निर्बाध आवाजाही के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली पर हाल ही में यानान्तरण (ट्रांसशिपमेंट) सुविधा देने का निर्णय लिया गया है जबकि इनका आयात भारत से बाहर अन्य गंतव्य स्थानों के लिए यानान्तरण (ट्रांसशिपमेंट) के लिए किया जाना हो अथवा सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अधीन अन्य अन्तर्देशी/बन्दरगाह/भूमि सीमा–शुल्क स्टेशन के लिए किया जाना हो।

(ग) इस अवस्था में इससे प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व का आकलन करना संभव नहीं है।

बीड़ी श्रमिक

2913. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांड्या, कर्नाटक में कितने बीड़ी श्रमिक हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु एक औषधालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) कर्नाटक राज्य सरकार के अनुसार मान्ड्या जिले में लगभग 3200 बीड़ी कर्मकार हैं।

(ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) कोई प्रश्न नहीं उठता।

रूस के साथ आर्थिक संबंध

2914. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रूस के साथ आर्थिक संबंधों में सुधार करने हेतु कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों में सुधार करने का कोई नीतिगत परिवर्तन किया

है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) जून मास के शुरू में उप–प्रधान मंत्री की दिल्ली यात्रा और जून के अन्त में भारतीय प्रधान मंत्री की मास्को यात्रा के दौरान रूस के साथ आर्थिक संबंध सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार–विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि भारत–रूसी संयुक्त आयोग की पहली बैठक सितम्बर, 1994 में मास्को में इस विषय पर आयोजित की जाएगी।

हमारे रूपया ऋण वापसी अदायगी के बदले रूस को भारतीय निर्यात में वृद्धि करने के लिए रूस की ओर से यह विचार किया जा रहा है : (i) रूसी आयातकों जिनसे लाइसेंस खोलने के लिए रूबल जमा कराने की अपेक्षा है उनके लिए 180 दिन के आस्थगित भुगतान सुविधा में वृद्धि; (ii) ऋण वापसी अदायगी के माध्यम से भारत से आयात करने के लिए स्थानीय करों में छूट; और (iii) भावी रूसी आयातकों के मध्य ऋण वापसी अदायगी निधि के बदले आयात हकधारी के एक भाग की नीलामी।

रूसी सरकार ने संयुक्त उद्यम की परियोजनाओं में निवेश के लिए हमारे रूपया की वापसी अदायगी के एक भाग के प्रयोग में रूचि का भी संकेत दिया है। फिर भी, ठोस प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और अभी तक रूपात्मक ब्यौरे पर भी सहमति नहीं हुई है।

[हिन्दी]

विमान यात्रियों की संख्या में वृद्धि

2915. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विमान कंपनियों के शुरू होने के बाद सरकारी विमान कंपनियों के यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तुलना में गत वर्ष के दौरान विमान यात्रियों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप सरकारी विमान कंपनियों के घाटे में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत द्वारा वहन किए गए विमान यात्रियों की संख्या 80.36 लाख थी। वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के लिए यह संख्या क्रमशः 83.08 लाख, 91.91 लाख और 80.48 लाख थी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। हवाई टैक्सी प्रचालकों के आ जाने से 1992-93 और 1993-94 के दौरान अंतर्देशीय सैक्टर में सरकारी एयरलाइनों के यातायात में गिरावट आई है।

[अनुवाद]

बेरोजगार स्नातक

2916. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली स्थित विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार स्नातक पंजीकृत किये गये;

(ख) इस अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ; और

(ग) सरकार द्वारा अधिकाधिक पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार की सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रोजगार केन्द्रों पर पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित थी :–

अवधि	पंजीकरण	
	स्नातक	स्नातकोत्तर
1991	17633	2957
1992	22537	5690
1993	19579	4465

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) किसी राज्य में रोजगार, उस राज्य के विकास की गति और स्वरूप पर निर्भर करता है, जिसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। संघ सरकार, राज्य सरकार के प्रयत्नों को केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्रीय क्षेत्रक विशेष रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से अनुपूरित करती है।

बैंकों के पब्लिक इश्यू

2917. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कई बैंकों को निवेश और धन राशि जुटाने के लिए पब्लिक इश्यू जारी करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है और उनको कितनी धनराशि जुटाने की अनुमति दी गई है; और

(ग) उपरोक्त बैंक नए सिरे से इक्विटी जुटाने के लिए पूंजी बाजार में कब तक जाएगें?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋण वसूली के मामले

2918. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में बैंक ऋण की वसूली के कितने मामले लंबित पड़े हैं, और

(ख) ऐसे ऋण वसूली के मामलों में कुल कितने रूपए बैंक–वार अन्तर्ग्रस्त हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्दशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) मार्च 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के मुकदमा दायर खातों की संख्या और अन्तर्ग्रस्त राशि नीचे दी गई है :–

बैंक	खातों की संख्या	राशि (रूपए लाख में)
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंक		
1. भारतीय स्टेट बैंक	61865	25851.00
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	9787	3733.00
3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	17482	6640.00
4. स्टेट बैंक आफ मैसूर	52835	7634.00
5. स्टेट बैंक आफ पटियाला	3851	3100.00
6. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1947	1213.00
7. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	58532	4848.00
8. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1755	1886.00
क्षेत्र योग	208054	54905.00
राष्ट्रीयकृत बैंक		
1. बैंक आफ बडौदा	9052	7224.00
2. इलाहाबाद बैंक	95848	14507.00
3. बैंक आफ इंडिया	14799	3600.00
4. बैंक आफ महाराष्ट्र	19675	12298.00
5. केनरा बैंक	106000	26897.00
6. देना बैंक	20828	10232.21
7. इंडियन बैंक	28392	17224.00
8. इंडियन ओवरसीज बैंक	36303	22916.00

1	2	3
9. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	92877	62800.00
10. यूनियन बैंक आफ इंडिया	17866	4347.03
11. पंजाब नेशनल बैंक	21581	23700.00
12. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	58452	41370.00
13. यूको बैंक	86043	43525.00
14. सिंडिकेट बैंक	70904	22707.00
15. आन्ध्रा बैंक	3221	12039.00
16. कार्पोरेशन बैंक	5456	2875.00
17. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	23012	1547.00
18. पंजाब एण्ड सिंघ बैंक	12489	8435.00
19. न्यू बैंक आफ इंडिया	11736	2050.00
20. विजया बैंक	82032	11962.02
क्षेत्र योग	816566	352255.26
समग्र योग	1024620	407160.26

पवन हंस लिमिटेड के लिए हेलीकाप्टर पट्टे पर लेना

2919. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन हंस लिमिटेड के कर्मचारियों ने एक विदेशी कंपनी से एक बैल 212 हेलीकाप्टर अस्थायी पट्टे पर लेने का विरोध किया है और इसकी बजाय मांग की है कि कंपनी के अपने ही कर्मचारियों द्वारा स्थायी पट्टे पर हेलीकाप्टर चलाए जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) भारतीय आकाश में अपने ही एकाधिकार की स्थिति का पवन हंस लि० द्वारा फायदा न उठा पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) फरवरी, 1991 से उड़ान से उठाए गए समस्त वेस्टलैंड हेलीकाप्टर बेड़े के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और इससे पवन हंस लिमिटेड के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) अनेक हेलीकाप्टर "जी" (5000 घंटे) एअर फ्रेम निरीक्षण के लायक हो जाने के परिणामत बंबई में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी) के प्रचालनात्मक कार्य हेतु हेलीकाप्टरों की उपलब्धता में कमी आ जाने से पवन हंस लिमिटेड ने कंपनी द्वारा प्रचालित डाफिन हेलीकाप्टरों

को डाईलीज पर देने के प्रस्ताव आमंत्रित किए। चूंकि कंपनी को कोई भी उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था और साथ ही पवन हंस लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा "धीरे काम" करने के तरीकों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए यह निर्णय किया गया कि छः माह के लिए अस्थाई रूप से एक बैल 212 हेलीकाप्टर वेज लोज पर लिया जाये।

(ग) पवन हंस लिमिटेड अब तक तेल क्षेत्र की आवश्यकताओं को अपने/पट्टे पर लिए हुए हेलीकाप्टरों द्वारा पूरी करता रहा है और भारत में हेलीकाप्टर प्रचालनों में इसका एक प्रमुख हिस्सा है।

(घ) पहले फरवरी, 1991 से ग्राउंड कर दिए गए वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के बेड़े को विश्वव्यापी निविदा द्वारा बेचने का निर्णय किया गया था, किन्तु नियत तिथि तक कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए अब इन हेलीकाप्टरों को मोलभाव करके उन पार्टियों को बेचने का निर्णय किया गया है जोकि हेलीकाप्टरों एवं सहायक उपकरणों को खरीदने में रूचि रखती है।

कंपनी को कोई भी नकद हानि नहीं हुई है किन्तु कंपनी को मूल्यह्रास/अप्रयुक्त प्राय बेडे के कारण खातों में लगभग 14.68 करोड़ रूपए की वार्षिक हानि होगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा

2920. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्वीकृत और कार्यान्वित किए जा रहे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से पांच अधूरे प्रस्ताव मिले थे जिनमें से दो प्रस्ताव जलक्रीड़ा उपकरणों की खरीद के लिए थे। तीन प्रस्ताव उत्सवों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए थे। सभी प्रस्तावों को राज्य सरकार को वापस भिजवा दिया गया था।

[अनुवाद]

काजू का निर्यात

2921. **श्री मुल्ला बल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1993-94 और चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में देशवार काजू का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : वर्ष 1993-94 और अप्रैल, 1994 (जिसके लिए देशवार

ब्यौरे उपलब्ध है) के दौरान काजू–गिरी के निर्यातों के देशवार ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं।

विवरण

		मात्रा मी. टन		मूल्य करोड़ रू.	
		1993-94		अप्रैल, 1994	
क्रम सं०	देश	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	आस्ट्रेलिया	2931	45.66	172	2.77
2.	बहमास	17	0.20	0	0
3.	बहरीन	239	2.87	7	0.11
4.	ब्रनेई	1	0.02	0	0
5.	कनाडा	742	10.48	76	1.30
6.	चीनी ताइपेई	728	11.66	38	0.62
7.	साइप्रस	12	0.25	0	0
8.	चैक गणराज्य	225	3.66	15	0.26
9.	फ्रांस	454	6.59	15	0.25
10.	जर्मन संघीय गणराज्य	1248	20.89	135	2.26
11.	यूनान	90	1.48	0	0
12.	हांग कांग	2584	38.71	34	0.58
13.	इजरायल	712	12.35	47	0.85
14.	इटली	82	1.12	22	0.39
15.	जापान	5311	84.91	323	5.15
16.	कोरिया डी जी गणराज्य	61	0.84	3	0.04
17.	कोरिया गणराज्य	193	2.47	0	0
18.	कुवैत	242	3.89	15	0.28
19.	लेबनान	155	1.19	0	0
20.	मकाओ	16	0.23	0	0
21.	मलेशिया	142	2.09	6	0.10
22.	माली	15	0.26	0	0

1	2	3	4	5	6
23.	मारीशस	1	0.01	0	0
24.	मायंमार	0	0	2	0.04
25.	नीदरलैंड	13727	219.46	1585	27.37
26.	न्यूजीलैंड	190	2.65	15	0.25
27.	नार्वे	15	0.20	0	0
28.	ओमान	6	0.14	0	0
29.	पुर्तगाल	62	0.99	0	0
30.	रूस	1418	21.24	0	0
31.	सऊदी अरब	322	5.32	30	0.55
32.	सिशलीस	1	0.01	0	0
33.	सिंगापुर	1091	16.89	0	0
34.	स्पेन	265	4.56	46	0.78
35.	स्विट्जरलैंड	51	0.77	0	0
36.	थाईलैंड	22	0.65	0	0
37.	संयुक्त अरब अमीरात	1324	19.26	52	0.85
38.	इंग्लैंड	4546	69.83	303	4.51
39.	संयुक्त राज्य अमरीका	29712	427.48	2658	41.76
40.	वेनेजुएंला	15	0.25	0	0
	योग	68968	1041.53	5599	91.07

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

करेंसी नोट

2922. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार शीघ्र ही 10 रूपये के करेंसी नोटों की नई सीरीज जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के किस प्राधिकारी द्वारा करेंसी नोटों के डिजायन संबंधी निर्णय लिया जाता है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार अन्य मूल्यों के करेंसी नोटों की भी नई सीरीज

जारी करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) करेंसी नोटों की अभिकल्पना का निर्णय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) करेंसी नोटों की नई खेप के ब्यौरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

नकली शेयर सर्टिफिकेट

2923. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री छेदी पासवान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय कंपनियों के नकली शेयर बड़े पैमाने पर प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार और 'सेबी' ने शेयर बाजार में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) यद्यपि कुछ कंपनियों के जाली शेयर प्रमाण–पत्रों के प्रचलन में आने की सूचना प्राप्त हुई है उनके प्रचलन के विस्तार का कोई मूल्यांकन करना संभव नहीं है। सरकार इस प्रक्रिया को रोकने में सतर्कता बरत रही है।

[अनुवाद]

चाय का निर्यात

2924. **श्री चित्त बसु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितंबर से दिसम्बर 1993 के दौरान ईरान को चाय निर्यात करने के संबंध में ईरान के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौते के निर्धारित समय के अंतर्गत चाय का निर्यात नहीं हो सका;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) दी स्टेट टी आर्गनाइजेशन आफ ईरान, जो कि ईरान सरकार का खरीद करने वाला निकाय है, ने वर्ष 1993-94 के दौरान भारतीय निर्यातकों को लगभग 13.8 मिलि. कि.ग्रा. चाय की आपूर्ति करने हेतु आर्डर दिया था।

(ग) और (घ) हालांकि की गई संविदा के अनुसार ईरान को 13.8 मिलि. कि.ग्रा. चाय का निर्यात किया जाना था, किंतु लगभग 6.87 मिलि. कि.ग्रा. चाय ही ईरान को भेजी गई। निर्यात में यह कमी ईरान में विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी की वजह से संविदा की गई समस्त मात्रा के लिए साख–पत्र शुरू करने में ईरान के संगठन की असफलता के कारण हुई थी।

(ङ) चाय बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल जुलाई, 1994 में तेहरान गया ताकि ईरान को भारतीय चाय के निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाया जा सके। इसके फलस्वरूप, ईरान पक्ष 5.75 मिलि. कि.ग्रा. चाय के लिए दो चरणों में तत्काल ही साख–पत्र शुरू करने पर सहमत हो गया।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस के किराये

2925. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षो के दौरान इंडियन एयरलाइंस ने कितनी बार अपने किराये में वृद्धि की;

(ख) प्रत्येक अवसर पर बढ़ाए गए किराये का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी इसके अनुरूप वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने पिछले दो वर्षो के दौरान अपने अंतर्देशीय रूपया किरायों में तीन बार बढ़ोतरी की है।

(ख) 2.10.92 से, इंडियन एयरलाइंस ने अपने अंतर्देशीय रूपए किरायों में (मूल किराया+ ईधन अधिभार) में ईधन अधिभार के रूप में 9 प्रतिशत की वृद्धि की। इकानामी श्रेणी और एक्जीक्यूटिव श्रेणी किराये के बीच के अंतर को भी 30 प्रतिशत से संशोधित करके 40 प्रतिशत कर दिया गया था। 13 सितंबर, 93 से, अंतर्देशीय रूपये किराये (मूल किराया + ईधन अधिभार) में मूल किराये के रूप में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी। 25 जुलाई, 94 से, इंडियन एयरलाइंस ने अपने अंतर्देशीय रूपये किरायों में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच दोबारा बढोतरी की है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है :

– भूमि पर तथा विमान में दोनों जगह सेवा में सुधार।

– विमान में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार।

– ए-300 में इकानामी श्रेणी में सीट पिच का बढाकर यात्री के आराम में वृद्धि।

– ए-320 विमान में बिजनैस श्रेणी आरंभ करना।

– यात्रियों के लिए मूल्य प्रोत्साहन/रियायतें आरंभ की गयी।

– टिकट रद्द करने के प्रभार को समाप्त करना और इसके स्थान पर प्रति टिकट 100 रूपये का धन वापसी शुल्क आरंभ करना।

नशीली दवाओं की तस्करी

2926. **श्री सत्य देव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए भारत तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) हाल ही में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के बीच समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है। स्वापक औषध की समस्याओं के सभी पहलुओं पर प्रभावी रूप से कार्य शुरू करने के उद्देश्य से दोनों देश संयुक्त सहयोगी दीर्घ अवधि के कार्यक्रम का इरादा करते हैं ताकि स्वापक रोधी गतिविधियों के लिए जागरूकता में वृद्धि और सहयोग बन सके।

ऋण पर ब्याज

2927. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई बैंकों द्वारा ऋण पर 36% ब्याज वसूल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऋण कार्ड सुविधा प्रदान करने वाले सभी बैंकों को कोई मार्गनिर्देश जारी करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) ने बैंकों को क्रेडिट कार्ड कारोबार सहित उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिये लगाये जाने वाले प्रभारों के संबंध में कोई निवेश/मार्गनिर्देश जारी नहीं किये हैं। तथापि, बैंकों द्वारा निर्धारित समय के भीतर न निपटाये गये कार्ड की देयराशियों पर 'सेवा प्रभार' के नाम से जाना जाने वाला एक देरी से भुगतान के लिये प्रभार लिया जाता है। ऐसे प्रभार

की सीमा 2 से 2.5 प्रतिशत मासिक के बीच होती है।

[अनुवाद]

हथकरघा वस्त्रों का निर्यात

2928. **श्री वी श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1994 के स्टेट्समैन में 'न्यू स्ट्रेटेजी फार प्रमोटिंग हेंडलूम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो हथकरघा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई नीति को अपनाए जाने के बाद हथकरघा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य उपाय किए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूती हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा अपनाई गई नीति में क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना तथा उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पाद विकास एवं गुणवत्ता को बढ़ाना शामिल है। सूती हथकरघा के निर्यात बढ़ाने में नीति सफल रही जो कि वर्ष 1993-94 के दौरान रूपये के संदर्भ में 25.6% की वृद्धि तथा डालर के संदर्भ में 15.9% की वृद्धि दर्शाती है।

दूरसंचार आयोग के प्रस्ताव

2929. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग ने वित्त मंत्रालय को अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दूर–संचार विभाग ने उपस्कर पट्टे पर लेने हेतु निर्भरता बढ़ाने तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यम के बांडों की अतिरिक्त प्रमात्रा जारी करने का प्रस्ताव किया था।

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों सामान्य विकल्पों के रूप में हैं। जब कभी इन प्रस्तावों को ठोस रूप दिया जाएगा तो सरकार मौजूदा नीति पर विचार करते हुए उसके अधीन जहां कही अपेक्षित होगा, उचित स्वीकृति जारी करने पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

गुजरात में बैंक शाखाएं

2930. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1994 तक गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, अनुसूचित बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की जिला–वार और बैंक–वार कितनी शाखाएं कार्य कर रही थी;

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान किन–किन स्थानों पर इन-बैंकों की कितनी–कितनी शाखाएं खोली गई;

(ग) क्या इन बैंकों में अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को भर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ड) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार, गुजरात में वाणिज्यिक बैंकों (सहकारी क्षेत्र के बैंकों सहित), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं का जिलावार और बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ड) प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों के लिए लिपिकीय अधीनस्थ स्टाफ और स्वीपरों की श्रेणियों में 1.4.1993 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय पिछला बकाया (गुजरात राज्य के संबंध में पिछला बकाया तत्काल उपलब्ध नही है) निम्नानुसार था :

संवर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
लिपिकीय	738	588
अधीनस्थ स्टाफ	287	494
स्वीपर	26	114

गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए भरी न गई आरक्षित रिक्तियों का पिछला बकाया 40 था (अधिकारी 20, लिपिक 10 और अधीनस्थ स्टाफ 10) जहां तक सहकारी बैंकों का संबंध है, नाबार्ड ने सूचित किया है कि इस समय सहकारी बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के इस प्रकार का कोई निश्चित कोटा नहीं है क्योंकि सहकारी समिति अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। सहकारी बैंक स्वायत्तशासी निकाय है और उनके सेवा नियमों का निर्णय इस संबंध में उप नियमों को अपनाते हुए आप

साधारण सभा में किया जाता है।

पिछला बकाया अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने और जिन मामलों में पिछला बकाया है, उनमें रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्नानुसार है:

1. वर्ष 1989, 1990 और 1992 के दौरान विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है और काफी पिछला बकाया पूरा किया गया है। वर्ष 1993-94 के दौरान यथा उपलब्ध रिक्तियों के बकाये को समाप्त करने के लिए बैंकों से अ.जा. और अ. ज.जा. के लिये विशेष भर्ती अभियान चलाने के लिए कहा गया था।

2. प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा विस्तृत प्रोफार्मा के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और उनके प्रतिनिधित्व की समीक्षा की जा रही है और सरकार की स्थिति की सूचना भेजी जा रही है।

3. बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डो/रोजगार कार्यालयों के पास बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मांगपत्र के संशोधित फार्मेट के बारे में बैंकों को सूचित कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नयी भर्ती के लिये मांग पत्र प्रस्तुत करते समय कुल पिछले बकाया को भी गणना में शामिल किया जा सके।

विवरण

मार्च 1994 की स्थिति के अनुसार बैंक शाखाओं का जिलावार ब्यौरा

जिले	वाणिज्यिक बैंक शाखाएं	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएं	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	योग
1	2	3	4	5
पंचमहल	96	63	33	192
बड़ौदा	259	-	37	296
गांधी नगर	45	2	17	64
सूरत	274	11	55	340
भावनगर	147	17	69	233
अमरेली	77	14	44	135
जामनगर	96	48	51	195
खेड़ा	294	-	68	362

1	2	3	4	5
अहमदाबाद	412	-	96	508
वलसाड	190	34	37	261
महसाणा	161	35	92	288
राजकोट	215	5	98	318
बनसकंठा	73	40	100	213
सुरेन्द्रनगर	70	25	13	108
डांग्स	5	5	2	13
जूनागढ़	154	27	41	222
कच्छ	122	43	12	177
भारूच	103	29	43	175
सबरकन्ठा	95	31	104	230

[अनुवाद]

करेंसी नोट

2931. **डा. के. वी. आर. चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान करेंसी नोटों के परिचालन हेतु मूल्य वर्ग के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमानित आवश्यकता कितनी थी;

(ख) विगत तीन वर्षो के दौरान मूल्य वर्ग के साथ मुद्रित और ज़ारी किए गए करेंसी नोटों के प्रत्येक वर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांग की तुलना में नोटों का मुद्रण कम किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी नोटों की अनुमानित आवश्यकता; छापे गए और प्रचालन में रखे गए करेंसी नोटों; और पिछले तीन वर्षो के दौरान मांग की तुलना में नोटों की छपाई में गिरावट के मूल्य वर्ग वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) करेंसी/बैंक नोटों के मांग पूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो नई नोट प्रिंटिंग प्रेसें एक पश्चिम बंगाल में सालबोनी में और दूसरी कर्नाटक में मैसूर में स्थापित की जा रही है। जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 4950 मिलियन अद्द प्रतिवर्ष की है।

2. नासिक और देवास स्थित विद्यमान दो नोट प्रिंटिंग प्रेसें 1984 से दो पारियों में काम कर रही है।

3. करेंसी नोट प्रेस पहले कम मूल्यवर्ग के अर्थात् केवल 10 रूपये तक के नोट छापती थी। करेंसी नोट प्रेस अब 50 रूपये और 100 रूपये मूल्यवर्ग के नोट भी छाप रही है।

4. उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई के लिए अभी तक जारी क्षमता को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए एक रूपये, दो रूपये और पांच रूपये को चरणबद्ध रूप में सिक्काबद्ध करने का निर्णय लिया गया है पूरा सिक्काकरण करने के 1995-96 तक की योजना है।

5. भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, सरकार नासिक ओर देवास में स्थित नोट प्रिंटिंग प्रेसों को आधुनिकीकरण/विस्तार करने पर विचार कर रही है।

6. 1000 रूपये मूल्य वर्ग के नोट को पुनः आरंभ करने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि इस से 100 रूपये और 500 रूपये के नोटों पर दबाव में कुछ सीमा तक राहत मिलने की संभावना है।

7. भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को उन के पास उपलब्ध पुनः जारी किए जा सकने वाले और न जारी किए जा सकने वाले तथा जनता को जारी और नए नोटों के साथ पुनः जारी किए जा सकने वाले अन्य बैंकों को रूपये छांटने के लिए करेंसी तिजोरियां (चेस्टी) रखने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के मांग पत्र/पूर्ति किए गए नाते/गिरावट (मिलियन अदद में)

मूल्य वर्ग	1991-92				1992-93				1993-94			
	भारतीय रिजर्व बैंक मांग पत्र	मूल्य रूपए में (करोड़)	पूर्ति किए गए नोट	गिरावट	भारतीय रिजर्व बैंक मांग पत्र	मूल्य रूपये में (करोड़)	पूर्ति किए गए नोट	गिरावट	भारतीय रिजर्व बैंक मांग पत्र	मूल्य रूपये में (करोड)	पूर्ति किए गए नोट	गिरावट
1 रूपए	-	-	254	-	-	-	107	-	-	-	22	-
2 रूपए	1100	220	279	821	1230	246	515	715	1130	226	134	996
5 रूपए	950	475	1646	-	740	370	445	295	940	470	325	615
10 रूपए	3000	3000	1057	1943	5100	5100	2053	3047	5150	5150	2335	2815
20 रूपए	470	940	54	416	200	400	-	200	200	400	-	200
50 रूपए	1800	9000	1307	493	2000	10000	1087	913	2000	10000	1016	984
100 रूपए	3000	30000	638	2362	5300	53000	1253	4047	6040	60400	1314	4726
500 रूपए	500	25000	7	493	200	10000	119	81	235	11750	137	98
जोड़	10820	68635	5242	6528	14770	79116	5579	9298	15695	88396	5283	10434

न्यूनतम वेतन

2932. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण श्रमिक संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने ग्रामीण श्रमिक संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम कृषि मजदूरी अब तक निर्धारित नहीं की है,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ग्रामीण श्रमिक संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने तथा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए राजी कर रही है,

(घ) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अब तक उक्त सिफारिशों को लागू नहीं किया है, और

(ड.) राज्यों द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण बताए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ड.) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने जुलाई, 1991 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि खेतिहार मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर 20/–रू० प्रति दिन से कम निर्धारित न की जाए।

केन्द्रीय सरकार समय–समय पर राज्य सरकारों को सलाह देती रही है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतन में संशोधन करें। इस पर भारतीय श्रम सम्मेलन और श्रम मंत्रियों के सम्मेलन सहित कई मंचों पर विचार–विमर्श भी किया गया है।

सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों में खेतिहर मजदूरों की सबसे कम वेतन पाने वाली अकुशल श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी की दरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी से संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के कारण अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग हैं। इनमें कमजोर सामाजिक–आर्थिक स्थिति, रोजगार आश्वासन योजना जैसी समकक्ष योजनाओं का होना, मुकदमेंबाजी का चलते रहना आदि शामिल हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1	2	3
(क)	राज्य सरकार	
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.80 रू. से 23.40 रू. प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (8.4.1991)
2.	अरूणाचल प्रदेश	18.00 रू. से 21.00 रू. प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1.11.1990)
3.	असम	1134.00 रू. प्रतिमाह अथवा से 984.00 रू. प्रतिमाह जमा भोजन, आवास तथा कपड़े (1.2.1992)

1	2	3
4.	बिहार	21.00 रू. प्रतिदिन (16.10.1990)
5.	गोवा	27.00 रू. प्रतिदिन (5.12.1992)
6.	गुजरात	5.00 रू. प्रतिदिन (1.8.1990)
7.	हरियाणा	37.23 रू. भोजन सहित अथवा 41.23 रू. बिना भोजन के (1.1.1993)
8.	हिमाचल प्रदेश	4.00 रू. प्रतिदिन (16.1.1990)
9.	जम्मू और कश्मीर	5.00 रू. प्रतिदिन (24.3.1989)
10.	कर्नाटक	2.00 रू. से 17.65 रू. प्रतिदिन (12.7.1988)
11.	केरल	8.00 से 40.20 रू. प्रतिदिन (31.3.92)
12.	मध्य प्रदेश	28.17 रू. प्रतिदिन (1.10.1991)
13.	महाराष्ट्र	12.00 रू. से 20.00 प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार (1.5.1988)
14.	मणिपुर	4.70 रू. प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए तथा 2.70 रू. प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा
15.	मेघालय	3.00 रू. प्रतिदिन (16.3.1994)
16.	मिजोरम	3.00 रू. प्रतिदिन (1.11.1987)
17.	नागालैण्ड	3.00 रू. प्रतिदिन (6.7.1992)
18.	उड़ीसा	21.00 रू. प्रतिदिन (1.7.1990)
19.	पंजाब	12.12 रू. बिना भोजन के अथवा 8.12 रू. भोजन सहित प्रतिदिन (1.3.1992)
20.	राजस्थान	22.00 रू. प्रतिदिन (2.7.1990)
21.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को अभी लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	20.00 रू. प्रतिदिन (6.4.1993)
23.	त्रिपुरा	23.65 रू. प्रतिदिन (20.12.93)
24.	उत्तर प्रदेश	23.00 रू. प्रतिदिन से 25.00 रू. प्रतिदिन तक (7.1.1992)

1	2	3
25.	पश्चिम बंगाल	32.72 रू. प्रतिदिन
		29.52 रू. प्रतिदिन जमा दो मुख्य भोजन (1.7.1993)
26.	अण्डमान एवं निकोबार	27.00 रू. प्रतिदिन (अंडमान)
	द्वीपसमूह	28.00 रू. प्रतिदिन (निकोबार) (13.8.1992)
27.	चण्डीगढ़	36.43 रू. प्रतिदिन भोजन सहित अथवा
		40.23 रू. प्रतिदिन बिना भोजन के (1.3.1992)
28.	दादरा एवं नागर हवेली	20.00 रू. प्रतिदिन (15.12.1992)
29.	दिल्ली	53.15 रू. प्रतिदिन (1.2.1994)
30.	दमन व द्वीप	22.00 रू. प्रतिदिन (19.3.1993)
31.	लक्षद्वीप	30.00 रू. प्रतिदिन (1.1.1993)
32.	पांडिचेरी	
	(i) पांडिचेरी क्षेत्र	14.00 रू. प्रतिदिन (15.12.1989)
	(ii) माहे क्षेत्र	12.00 रू. प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए (18.2.1987)
		15.00 रू. प्रतिदिन कठिन कार्य के लिए (18.2.1987)
	(iii) यनम क्षेत्र	11.00 रू. प्रतिदिन (15.3.1988)
	(iv) कराईल	14.00 रू. प्रतिदिन अथवा 7 लीटर धान जमा
		4.90 रू. प्रतिदिन (31.3.1990)
(ख)	केन्द्रीय क्षेत्र	38.47 रू. प्रतिदिन (1.4.1994)

प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन

2933. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केरल में प्राकृतिक रबड़ का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार के पास 1994-95 के दौरान रबड़ का उत्पादन बढ़ाने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों को रबड़ के नये तथा पुराने बागान लगाने के लिए प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों में केरल में हुए प्राकृतिक रबड़

के कुल उत्पादन के ब्यौरे इस प्रकार हैं–

1991-92	:	343109 मी. टन
1992-93	:	368648 मी. टन
1993-94	:	408311 मी. टन

(ख) तथा (ग) जी हां, इस संबंध में योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. नए रोपण तथा पुनर्रोपण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता।

2. उच्च पैदावार देने वाली रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण।

3. छोटे जोतधारकों को उर्वरकों, फफूदनाशी दवाओं और वर्षा से बचाव करने वाली सामग्री का रियायती कीमतों पर वितरण।

4. रबड़ की खेती, उत्पादन, फसल एकत्र करने और प्रसंस्करण पर अनुसंधान आदि।

(घ) तथा (ड.) जी हां। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:–

1. रबड़ रोपण के अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए 8000/–रू० प्रति हेक्टेयर की दर से आर्थिक सहायता।

2. रोपण कार्य के लिए पोलीबैग पौधों का प्रयोग करने हेतु अधिकतम 3000/–रू० प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि।

3. सम्पूर्ण विकास लागत पूरी करने के लिए बैंक ऋण।

4. मुफ्त विस्तार सहायता।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण

2934. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के शीर्ष बैंक कार्यालय ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुछ आवेदकों को इस आधार पर ऋण स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया है कि प्रायोजन करने वाली एजेंसी अर्थात् "चंडीगढ़ चाइल्ड एण्ड विमेंन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड" द्वारा पहले प्रायोजित किए गए मामलों में कम वसूली हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य इस विषय से संबंधित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है;

(ग) क्या आवेदकों को उनके दावों की व्यवहार्यता और प्रमाणिकता पर विचार किए बिना दूसरों के दोषों के आधार पर ऋण देने से इन्कार किया जा सकता है; और

(घ) तत्संबंधी मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने सूचित किया है कि चंडीगढ़ बाल और महिला विकास निगम लि० द्वारा प्रायोजित 49 मामलों में से 18 मामलों में वर्ष 1993-94 के दौरान ऋण मंजूर किये गये हैं। मनीमाजरा स्थित

बैंक की शाखा ने इस आधार पर 7 आवेदकों को ऋण मंजूर करने से मना कर दिया है कि निगम द्वारा पहले प्रायोजित मामलों में वसूली कम थी। बैंक ने अपने उस प्रबंधक को निगम से सम्पर्क करने और उन मामलों को पुनः हाथ में लेने और गुणदोषों के आधार पर उन पर विचार करने का अनुदेश दे दिया है। बैंक ने आगे बताया है कि आवेदकों को दूसरों द्वारा की गई चूकों के आधार पर ऋण देने से मना नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटन विकास

2935. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन के विकास के संबंध में ऐसी कितनी परियोजनाएं भेजी गई जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूरी प्रदान की गई थी;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए अब तक कितनी राशि आबंटित और जारी की गई है; और

(ग) शेष राशि कब तक जारी कर दी जायेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास हेतु चार पूर्ण परियोजनाएं/प्रस्ताव किए थे। प्रत्येक परियोजना के लिए स्वीकृत तथा अवमुक्त राशियों के आंकड़ों सहित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बकाया राशि अवमुक्त करना, राज्य सरकार द्वारा समापन/भूमि स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें–बिहार

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत का वर्ष	स्वीकृत राशि (रू. लाखों में)	अवमुक्त राशि
1.	मेलों और उत्सवों के संवर्धन के लिए सहायता	1985-86	38.00	4.00
2.	मैनर शरीफ में कैफेटेरिया का निर्माण	वही	3.43	3.00
3.	बोधगया, नालंदा, राजगीर में (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जरिए) शौचालय और पेयजल सुविधाएं	वही	4.50	3.00
4.	नालंदा में पर्यटक बंगला	वही	25.00	12.00
		जोड़	36.93	22.00

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को लाभ/हानि

2936. **श्री छीतूभाई गामीत** : **क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1992-93 और 1993-94 के दौरान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि का ब्यौरा क्या है,

(ख) इन बैंकों में कितनी हानि हुई; और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस हानि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) गुजरात में राज्य सहकारी बैंक (एस सी बी) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डी सी सी बी) के कार्यशील परिणामों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

राज्य सहकारी बैंक (एस सी बी)

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि गुजरात एस सी बी ने 1991-92 के दौरान 152.38 लाख रूपए का और 1992-93 के दौरान 200.08 लाख रूपए का लाभ अर्जित किया। 1993-94 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डी सी सी बी)

(करोड़ रूपये)

वर्ष	डीसीसीबी की कुल संख्या	लाभ अर्जित करने वाले डीसीसीबी की संख्या	राशि	हानि वाले डीसीसीबी की संख्या	राशि
1990-91	18	14	9.16	4	27.57
1991-92	18	12	8.77	6	13.29
1992-93	18	13	13.74	5	10.93

वर्ष 1993-94 के लिए डी.सी.सी.बी. के कार्यशील परिणाम उपलब्ध नहीं हैं।

निम्नलिखित कारणों से डी.सी.सी.बी. को हानियां हो सकती है :– (i) प्रबंधन की उच्च लागत, (ii) निधियों का अविवेकपूर्ण प्रबंधन, (iii) कम वसूली और विशेष रूपये ब्याज की कम वसूली और (iv) कृषि ऋणों का वित्तपोषण करने में कम मार्जिन।

(ग) सहकारी बैंकों की हानियों को रोकने के उद्देश्य से नाबार्ड ने सभी एस.सी.बी. से कहा है कि वे हानि उठाने वाले डी सी सी बी के हानि के कारणों का पता लगाएं और उनकी लाभप्रदता में सुधार करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें।

यह भी बताया गया है कि इन बैंकों को सुदृढ़ करने तथा उनकी अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए राज्य–विशेष की विकास कार्य योजनाओं (डीएपी) को कार्यान्वित करने हेतु नाबार्ड एस सी बी/डी सी सी बी तथा संबद्ध राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर करेगा।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम का कारोबार

2937. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम, दक्षिणी जोन का कारोबार गत तीन वर्षों के दौरान 5000 करोड़ रूपयों तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारोबार का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जीवन बीमा निगम की सेवाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। वर्ष 1993-94 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र ने 5000/– करोड़ रूपये से अधिक की बीमित राशि का नया कारोबार किया। पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिणी क्षेत्र द्वारा किया गया नया कारोबार निम्न प्रकार है:

वर्ष	बीमित राशि (करोड़ रूपये)
1991-92	4075.43
1992-93	4889.93
1993-94	5721.84

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नए कारोबार का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

बीमित राशि (करोड़ रूपये)

वर्ष	केरल	तमिलनाडु	कुल
1991-92	1458.63	2116.80	4075.43
1992-93	1719.54	3170.39	4889.93
1993-94	2125.37	3596.47	5721.84

(ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि पालिसीधारकों को निकटतम केन्द्र पर त्वरित और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए पालिसीधारकों की सभी सेवाओं को शाखाओं के लिए विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आगे सुधार लाने के लिए शाखाओं को तकनीकी सहयोग बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

आयकर के छापे

2938. **श्री मोहन रावले** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1994 में दिल्ली में आयकर अधिकारियों ने डाबर इंडिया लिमिटेड के लगभग पैंतीस परिसरों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो छापे में आयकर प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए सामान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) आयकर विभाग द्वारा डाबर इंडिया लिमिटेड तथा इससे संबंधित मामलों में 24 बैंक लाकरों सहित 63 परिसरों की तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान पकड़ी गई लेखा–बाह्य परिसम्पत्तियां निम्न प्रकार की :–

परिसम्पत्तियां	**मूल्य**
	(रू० लाखों में)
नकदी	48.09
जेवरात	34.94
अन्य	167.17
योग :	250.20

प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाहियां की गई है।

कॉफी का निर्यात

2939. **श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कॉफी का उत्पादन करने वाले देशों में कॉफी की फसल को हुई भारी क्षति से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की कीमत में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस बढ़ी हुई कीमत से भरपूर फायदा उठाने के लिए अधिकाधिक कॉफी के निर्यात हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) कॉफी का अधिकतम निर्यात करने और कॉफी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत स्थिति का पूरा–पूरा लाभ उठाने के उद्देश्य से कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए है :–

(1) उपजकर्त्ताओं को उनके उत्पादन के 50 प्रतिशत तक भाग के मुक्त बिक्री कोटे की अनुमति दी गई है ताकि वे उसे निर्यात बाजारों में बेच सकें।

(2) दोहरे नीलामी प्रबन्धों की जगह पर एकल नीलामी प्रणाली अपनाई गई है।

(3) कॉफी बोर्ड द्वारा पाक्षिक नीलामियों की बजाए साप्ताहिक नीलामियां की जाती हैं ताकि समय अन्तराल को कम किया जा सके और निर्यात बाजार के लिए काफी का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

(4) आन्तरिक नीलामी के लिए न्यूनतम आरक्षण कीमत के रूप में आई सी ओ बदलते

औसत को अपनाया जा रहा है जिससे घरेलू उपजकर्त्ताओं को अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी कीमत–प्रवृत्ति का पूरा–पूरा लाभ सुनिश्चित हो सके।

रूई का मूल्य

2940. **श्री राजनाथ शास्त्री** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "टास्क फार्स टू बूल्ट काटन आउट पुट सेट अप" शीर्षक के अंतर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृतिक बल की स्थापना से रूई और सूती धागे की बढ़ती कीमतों को रोकने में तथा देश में रूई के उत्पादन को बढ़ाने में कितनी सहायता मिली है अथवा मिलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी हां। कपास उपजाने वाले प्रमुख राज्यों के साथ दिनांक 26.5.1994 को कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई एक विशेष खरीफ बैठक में यह निर्णय लिया यया था कि कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य बल की स्थापना की जाए। इस कार्य बल में केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों, व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ–साथ अनुसंधान वैज्ञानिक भी होंगे। यह कार्य बल देश में कपास उत्पादन से संबंधित मुद्दों को हल करेगा।

चाय के उत्पादन में गतिरोध आना

2941. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चाय के उत्पादन में गतिरोध आने के क्या कारण हैं;

(ख) चाय उत्पादन के किन क्षेत्रों में चाय उत्पादन का गतिरोध सबसे अधिक है; और

(ग) चाय उत्पादन में गतिरोध को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाऐ गए हैं।?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) देश में चाय के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 1983 से 1993 के बीच देश में चाय का उत्पादन करने वाले सभी प्रमुख क्षेत्रों में लगातार वृद्धि होने से उत्पादन के स्तर में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विदेशी मुद्रा

2942. **श्री बी०एल० शर्मा "प्रेम"** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में चल रहे अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पता चले ऐसे मामलों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और प्रत्येक मामले में कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई;

(ग) इनमें लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र

की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जूट मिलें

2943. **डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और जूट उद्योग के श्रमिक संघ हाल में जूट मिलों के लिए चौमुखी रणनीति पर एकमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी हां। वस्त्र राज्य मंत्री ने एन जे एम सी में प्रस्तावित पुनरूद्धार योजना पर विचार–विमर्श करने के लिए एन जे एम सी के मजदूर संघों के सभी प्रतिनिधियों के साथ दो बैठकें की थीं। 27 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में हुई दूसरी बैठक के बाद सर्व–सहमति से यह तय किया गया कि सरकार एन जे एम सी का आधुनिकीकरण करके और उसे अर्थक्षम उद्यम में परिवर्तित करके एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में चलाने के सभी प्रयास करेगी। मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने इस प्रयास में सरकार को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस पर भी सहमति प्रकट की गई कि एन जे एम सी मिलों के उत्पादन और उत्पादकता में आधुनिकीकरण से सुधार लाना होगा। अपेक्षित कार्य बल को, उत्पादन और कार्य दिवस प्रति टन की औसत से कुछ न्यायिक मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए वार्त्ताओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ग) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजीरा) ने एन जे एम सी को पुनर्जीवित करने की एक योजना प्रस्तुत की है जो कि विभिन्न मंत्रालयों/एजेंसियों के परामर्श से इस मंत्रालय के विचाराधीन है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण वितरण

2944. **श्री एस. एम. लालजान बाशा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम स्वीकृत ऋणों को वितरित करने में सुस्त रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास धनराशि की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और इंडस्ट्रियल क्रेडिट इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया जैसी अन्य संस्थाओं के बीच धनराशि को स्वीकृत करने और उसे वितरित करने की प्रणाली का कोई तुलनात्मक अध्ययन कराया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि० ने सूचित किया है कि वर्ष 1993-94 (अप्रैल–मार्च) के दौरान उसने कुल 2163.13

करोड़ रूपये संवितरित किए हैं जबकि 1992-93 (अप्रैल–मार्च) के दौरान 1732.48 करोड़ रूपए संवितरित किए गए थे। यह 24.9% प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने यह भी सूचित किया है कि 1994-95 के दौरान लक्ष्यगत संवितरण के लिए उनके संसाधन की स्थिति संतोषजनक है।

(घ) जी नहीं।

(ड.) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपक्षीय वार्ता

2945. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 जुलाई, 1994 के ऑनजर्वर ऑफ बिजिनेस एण्ड पालिटिक्स, नई दिल्ली में "डिक्लाइन आफ ट्रेड यूनियनिज्म डिस्ट्रायज ट्राइपार्टिज्म" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) श्रमिक, प्रबंध और राज्य के बीच समय कार्य–कुशलता तथा उत्पादकता को बनाए रखने के लिए त्रिपक्षीय लोकप्रिय अवधारणों को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्रम संबंधी प्रमुख अर्थशास्त्री श्री वाल्टर गेलेन्सन द्वारा व्यक्त किए गए विचार, अं०श्र०सं० की पत्रिका, "वर्ल्ड आफ वर्क" के वार्षिक अंक (जून, 1994) में आरम्भ में प्रकाशित किए गए विचार अं०श्र०सं० के नहीं हैं अपितु अधिकांश औद्योगिकृत देशों जिनमें यू०एस०ए०, यू०के०, फ्रांस और इटली प्रमुख हैं, में 1980-88 के दौरान व्यवसाय संघ घनत्व में गिरावट के बारे में एक डच अध्ययन पर आधारित हैं। तथापि, श्री गेलेन्सन के अनुसार, औद्योगिकृत देशों में किसी भी तरह से व्यवसाय संघों के विलोपन का डर नहीं है और उनमें से अधिकांश संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। वास्तव में कुछ पूर्वी एशियाई देशों में संघ की संख्या और शक्ति का संवर्धन दिखाई दिया है। अफ्रीका में भी श्रमिक आन्दोलन और अधिक संगठित हो रहे हैं।

भारत में, अभी व्यवसाय संघ सदस्यता में तेजी से गिरावट आने का कोई प्रमाण नहीं हैं और सामूहिक सौदेकारिता तथा त्रिपक्षीयता का गतिविज्ञान संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

बेकल किला

2946. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के केसरगोड जिला में बेकल किले को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ग) क्या इस परियोजना को राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा संयुक्त क्षेत्र के अधीन स्थापित किया जायेगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) बेकल को आन्तरिक विकास के लिए विशेष पर्यटन क्षेत्र अभिनिर्धारित किया गया है। केरल सरकार ने बेकल दुर्ग के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षण प्रणाली

2947. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने भारतीय यात्रा एजेंटों को "सैबर रिजर्वेशन सिस्टम" उपलब्ध करने के लिए अमरीकन एयरलाइंस के साथ हाल ही में समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे क्या उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे; और

(घ) घरेलू और अंतरर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और उड़ानों में नई प्रणाली शुरू करने से भारतीय यात्रियों और एजेंटों को क्या–क्या लाभ प्राप्त होंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलांइस और एयर इंडिया ने भारतीय ट्रेवल एजेंटों को ट्रैवल एजेंट के कार्यालय में स्थित एक ही कम्प्यूटर टर्मिनल के प्रयोग से विश्वभर की किसी भी एयरलाइंस की बुकिंग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अमेरिकन एयरलाइंस के स्वामित्व वाले ग्लोबल कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम, सैबर के साथ बात पक्की की है। इस सुविधा से ट्रैवल एजेंटों का कार्य और अधिक दक्षतपूर्ण हो जाएगा तथा वे एयरलाइनों से अलग–अलग सम्पर्क किए बिना ही यात्रियों को किसी भी उड़ान के लिए तत्काल पुष्टिकरण प्रदान करने की स्थिति में होंगे। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कें यात्रियों को इससे सीधा लाभ होगा क्योंकि इस प्रणाली से अधिक विकसित देशों में उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप यात्रा सम्बन्धी अन्य सेवाओं जैसे किराये पर कार लेना, होटल आरक्षण आदि सहित विभिन्न एयरलाइनों द्वारा आगे की यात्रा के तात्कालिक पुष्टिकरण की सुविधा उपलब्ध होती है।

[हिन्दी]

मुफ्त विमान यात्रा की सुविधा

2948. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाईंस द्वारा अपने कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों के अतिरिक्त अन्य लोगों को 1993 के दौरान और 1994 में 30 जून तक दी गई मुफ्त विमान यात्रा की सुविधा का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सुविधा के भोगियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन मुफ्त विमान यात्रा सुविधाओं को देने पर अलग-अलग कितना खर्च किया गया?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा घोटाला

2949. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री तारा सिंह :

श्री पी० कुमारासामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रकाश में लाए गए विदेशी मुद्रा के घोटाले के बारे में जानकारी मिली है जैसा कि 7 जुलाई, 1994 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समाचार में उल्लिखित सोसाइटी से संपर्क किया गया। बेईमान एजेंटों द्वारा विदेशी मुद्रा के गैरकानूनी अर्जन/अंतरण के ब्यौरे सोसाइटी द्वारा अभी प्रस्तुत किए जाने हैं। सोसाइटी द्वारा संगत ब्यौरे/सामग्री प्रस्तुत किए जाने के बाद, जांच की जाएगी और कानून के अंतर्गत किए गए उपबंध के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में बेरोजगार

2950. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में पृथक रूप से बेरोजगार इंजीनियरिंग डिप्लोमा और आई.टी.आई. सर्टिफिकेटधारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में कितने डिप्लोमाधारियों को रोजगार दिया गया?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए.संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बैंक जमाराशियां

2951. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो बैंक–वार और अन्य राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बैंकों की जमाराशियों में उक्त अवधि के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा कितनी वृद्धि की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक और दूसरे बैंकों की पिछले तीन वर्षो की जमाराशियां विवरण–I में दी गई हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों की राज्य–वार स्थिति भी विवरण–II में दी गई हैं।

(ग) अनिवासी (बाह्य) रूपया खाता और विदेशी मुद्राअनिवासी खाता योजनाओं के अंतर्गत मार्च 1992 की 21,679 करोड़ रूपए की कुल जमाराशियां जून 1993 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक बढ़ कर 25,235 करोड़ रूपए हो गई।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षो के लिए (अर्थात 1992, 1993, 1994) बैंकों की जमाराशियां

सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित बैंक (करोड़ रूपए)

बैंक का नाम	1992	1993	1994
1	2	3	4
1. भारतीय स्टेट बैंक	53620.42	59440.80	68540.96
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	2469.84	2875.34	3379.32
3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	3031.08	3631.08	4530.51
4. स्टेट बैंक आफ इंदौर	1238.81	1430.34	1715.88
5. स्टेट बैंक आफ मैसूर	1719.92	2108.79	2610.47
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला	2716.77	3349.48	4410.57
7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्रा	1356.85	1668.62	2094.90
8. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	2582.66	3162.40	3965.47
9. इलाहाबाद बैंक	6584.24	7479.50	8212.29

1	2	3	4
10. आन्ध्रा बैंक	3762.01	4131.39	4886.13
11. बैंक आफ बड़ौदा	13605.12	16616.85	19163.66
12. बैंक आफ इंडिया	12805.10	14201.41	15943.02
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	3385.29	3883.89	4425.60
14. केनरा बैंक	13687.77	15640.45	19152.57
15. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	12798.49	13576.61	15607.53
16. कारपोरेशन बैंक	2310.15	2803.30	4083.35
17. देना बैंक	3299.85	4012.05	4860.46
18. इंडियन बैंक	7651.25	9385.03	10513.01
19. इंडियन ओवरसीज बैंक	6254.13	7569.86	9118.53
20. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2506.69	4221.00	5206.58
21. पंजाब नेशनल बैंक	15950.23	18078.57	22146.86
22. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2777.12	3337.17	3949.92
23. सिंडिकेट बैंक	6528.65	7371.62	8523.36
24. यूनियन बैंक आफ इंडिया	7921.39	9201.40	11803.44
25. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	5027.48	5883.34	6722.58
26. यूको बैंक	6374.06	7110.11	7265.55
27. विजया बैंक	2716.42	3289.90	4277.43
28. न्यू बैंक आफ इंडिया	2135.71	2350.82	-
विदेशी अनुसूचित बैंक			
1. आबूधाबी काम. बैंक लि०	98.98	208.04	278.84
2. ए वी एन एर्मो बैंक लि०	347.10	306.79	690.84
3. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि०	1334.57	1556.11	2188.36
4. एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक	3616.64	4474.95	4408.03
5. बैंक आफ अमेरिकन एनटी एंड एसए	1169.24	1536.60	1600.45
6. बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	142.76	195.62	199.16
7. माशरेड बैंक पीएससी	168.07	182.82	262.24
8. बैंक आफ नोवा एस्कोटिया	58.46	59.31	74.34

1	2	3	4
9. बैंक आफ टोकियो लि०	485.62	544.06	596.52
10. बांको इंदोसुज	194.84	187.87	381.39
11. बांको नेशनल दे पेरिस	250.80	280.02	257.55
12. बोर्कलेज बैंक	29.40	51.24	49.44
13. ब्रिटिश बैंक आफ मिडिल ईस्ट	543.87	659.88	774.84
14. सिटि बैंक एन ए	4244.09	5007.16	6257.70
15. क्रेडिट लायोनेस	257.40	314.15	516.32
16. ड्यूश बैंक (एशिया)	296.24	360.09	530.26
17. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिग कार्पो.	1406.13	1821.92	2689.12
18. ओमान इंटरनेशनल बैंक साओग	167.36	186.81	128.64
19. सकूरा बैंक	108.74	176.25	288.67
20. सनवा बैंक	56.71	49.96	27.50
21. स्काटिया जेनरल	197.76	187.31	362.84
22. सोनाली बैंक	3.44	5.57	6.70
23. स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1534.50	3398.81	2383.05
24. बी.सी.सी.आई	400.08	417.36	-

विवरण- II

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्यवार जमाराशि (राशि लाख रू०)

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 1992	मार्च 1993	दिस. 1994
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	47603.18	54607.29	63687.10
हरियाणा	4342.48	5063.99	5691.41
हिमाचल प्रदेश	1590.86	1855.79	2111.16
जम्मू व कश्मीर	2011.93	2233.39	2491.31
पंजाब	11063.84	12661.11	14327.04
राजस्थान	6159.38	7256.10	8237.43
चंडीगढ़	1590.84	1977.61	2056.98

1	2	3	4
दिल्ली	20843.82	23559.26	28771.73
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3729.20	4123.24	4511.60
अरूणाचल प्रदेश	173.99	200.50	219.75
असम	2424.02	2667.85	2955.41
मणिपुर	109.16	105.11	122.52
मेघालय	382.33	457.76	522.78
मिजोरम	106.53	113.00	115.44
नागालैण्ड	226.90	241.70	231.03
त्रिपुरा	306.25	337.28	344.64
पूर्वी क्षेत्र	33966.68	38777.11	42509.10
बिहार	9959.63	11108.72	12116.68
उड़ीसा	3022.52	3591.09	3768.41
सिक्किम	104.51	121.86	125.38
पश्चिम बंगाल	20815.03	23876.25	26403.45
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	64.97	79.17	95.17
केन्द्रीय क्षेत्र	31030.94	34875.31	40441.57
मध्य प्रदेश	8491.55	9444.03	10446.66
उत्तर प्रदेश	22539.38	25431.28	29994.90
पश्चिमी क्षेत्र	68453.05	83503.29	88029.09
गोवा	1660.02	1987.85	2174.40
गुजरात	13716.87	16145.34	17722.40
महाराष्ट्र	52987.07	65257.20	67996.29
दादरा व नागर हवेली	19.11	28.69	32.40
दमन व दीव	69.97	84.19	103.48
दक्षिण क्षेत्र	48302.62	58181.66	63909.05
आंध्र प्रदेश	12167.01	13895.78	15170.01
कर्नाटक	11216.62	13366.73	14558.09

1	2	3	4
केरल	9386.42	11726.71	13516.96
तमिलनाडु	15153.35	18745.15	20150.56
लक्षद्वीप	11.52	13.61	15.30
पांडिचेरी	367.67	433.66	498.10
अखिल भारत	233085.69	274067.93	303087.53

सिल्क एक्सपो, 1995

2952. **श्री एस. बी. सिदनाल :**

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फरवरी, 1995 में बंगलौर में सिल्क एक्सपो आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से रेशम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं;

(घ) रेशम उत्पादों का किन-किन देशों को निर्यात किया जा रहा है;

(ङ) रेशम उत्पादकों को निर्यात हेतु क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(च) रेशम उत्पादकों और विदेशी उपभोक्ताओं के बीच पारस्परिक संपर्क में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) भारत से रेशम उत्पादों का निर्यात अनेक देशों को किया जाता है। इनमें से प्रमुख देश अमरीका, इंग्लैण्ड, जर्मन, यू ए ई, फ्रांस, कनाडा, इटली, सिंगापुर, हालैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, आस्ट्रिया, स्पेन तथा आस्ट्रेलिया हैं।

देश के विभिन्न राज्यों (कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश सहित) से निर्यातों को बढ़ाने के लिए तथा विदेशी उपभोक्ताओं और रेशम उत्पादकों के बीच आपसी संबंध बढ़ाने के लिए सरकार मेलों में भाग लेना, बिक्री-सह-अध्ययन दौरे तथा क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, उत्पाद विकास विदेश व्यापार पत्रिकाओं में प्रचार, निर्यातकों में विदेशी व्यापार सूचना प्रसारित करना आदि जैसी विभिन्न निर्यात क्रियाकलापों लेने के लिए भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद को सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने रेशम वस्त्र उत्पादों सहित निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। कुछ प्रमुख उपायों में अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत अपरिष्कृत सामग्री

के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा, निर्यात उत्पाद के लिए शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत वस्तुओं को आयात शुल्क वापसी देना, निर्यात घराना/व्यापार घराना/अग्रणी व्यापार घराना के रूप में नाम देने के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त महत्व देना आदि शामिल हैं।

कुवैत से सहायता

2953. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत सरकार देश में कुछ विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करने को सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। अरब आर्थिक विकास कुवैती निधि एक ऐसा अभिकरण है जिसके माध्यम से कुवैती सहायता प्रदान की जाती है और वह इस समय भारत में दो विकास परियोजनाओं को अर्थात् कर्नाटक में कालिनदी पनः बिजली परियोजना (चरण–II) और केरल में झींगा मछली पालन के लिए केरल मत्स्य पालन विकास परियोजनाा (चरण-I) को वित्त पोषित कर रहा है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए कुवैती निधि ने 7-7 मिलियन कुवैती दिनार का ऋण दिया है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान उक्त ऋण में से लगभग (2 मिलियन कुवैती दिनार) 21 करोड़ रूपए प्राप्त करने का अनुमान है।

[हिन्दी]

स्वरोजगार के लिए ऋण

2954. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान गुजरात में कितने बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण की मांग की;

(ख) बैंकों ने उनमें से कितने युवाओं को ऋण दिया; और

(ग) बैंकों द्वारा शेष युवाओं को ऋण न दिये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना, शहरी व्यष्टि उद्यम योजना और शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्वरोजगार उत्पादक योजनाओं के अंतर्गत गुजरात में प्रायोजक एजेंसियों से बैंकों को प्राप्त ऋण आवेदनों की संख्या और ऋण मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :–

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	मंजूर किए गए आवेदनों की सं.
1991-92	10723	6013
1992-93	5630	4686
1993-94*	6109	2461

*आकंड़े अनन्तिम

बैंक सामान्यतया उन आवेदनों को अस्वीकार करते हैं जहां परियोजनाएं अर्थक्षम नहीं होती हैं/जहां हिताधिकारी योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जाने के लिए पात्र नहीं होते/ हिताधिकारी योजना के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं।

[अनुवाद]

व्यापार ब्लॉक

2955. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय निर्यात क्षमता पर व्यापार ब्लॉकों के संभावित कुप्रभावों के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने व्यापार ब्लॉकों से कोई विशेष छूट देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो व्यापार ब्लॉकों के संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) हालांकि गाट पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अक्षुण्ण है फिर भी क्षेत्रीय व्यापार–ब्लाकों के सृजन के प्रति सम्मान बढ़ रहा है। भारत इनमें से किसी भी व्यापार–ब्लाक का सदस्य नहीं है। इन व्यापार ब्लाकों का विश्व के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह ब्लाक स्वयं किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। यदि वह "नीतिगत हित द्वारा निर्धारित" बाहरी टैरिफों के साथ अंतर्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हैं तो इससे व्यापार का रूख काफी बदल सकता है। दूसरी और, यदि उनका दृष्टिकोण बहिर्मुखी रहता है तो व्यापार में बदलाव–सुझाव का प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित रहेगा।

विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा जो इस समय 0.5 प्रतिशत से भी कम है, उसमें वृद्धि करने की भारत की क्षमता मुख्यतः हमारे उत्पादों की कीमतों, क्वालिटी और सुपुर्दगी की आधारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के प्रयासों पर निर्भर करेगी। अतः ऐसी आशा है कि क्षेत्रीय व्यापार ब्लाकों के सृजन का भारत के विदेश व्यापार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

भारत ने आपेक (ए पी ई सी) की सदस्यता हेतु अनुरोध किया था किंतु अनुरोध पर प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं रही है। अप्रैल, 1992 में हमने आसियान (ए एस ई ए एन) के साथ बहुपक्षीय ढांचे के भीतर दोनों पक्षों के बीच व्यापार, पूंजीनिवेश और पर्यटन बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय बातचीत की।

भारत ने ई ई सी के साथ आर्थिक सहयोग के बारे मे अभी हाल ही में एक छत्र करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुक्त व्यापार आर्थिक जोन

2956. **श्री मोहन रावले** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ अनिवासी भारतीयों के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सिंगापुर और हांगकांग के पैटर्न पर एक मुक्त व्यापार जोन से परिवर्तित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) हालांकि मुक्त पत्तन स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों से समय–समय पर सुझाव मिलते रहे हैं परंतु कोई ठोस प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने देश में मुक्त पत्तन स्थापित करने की वांछनीयता और संभावना का अध्ययन करने के लिए श्री रौनक सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति ने, जिसकी सिफारिशों की जाचं की जा रही है, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को उपयुक्त स्थान नहीं पाया है।

रोजगारों का सृजन

2957. **श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल** :

श्रीमती बिभू कुमारी देवी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो दशकों के लिये कई योजनाओं को कार्यान्वित करने के बावजूद रोजगार के विकास दर का औसत स्थिर रहा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कारणों का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है;

(ग) गत पांच वर्षों में रोजगार की वृद्धि दर के औसत का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) रोजगार सृजन का औसत वृद्धि दर बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) रोजगार पर तुलनात्मक अनुमान, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा पांच वर्षों के अंतराल पर किये गये व्यापक सर्वेक्षणों पर आधारित है, वर्ष 1972-73, 1977-78, 1983 और 1987-88 के लिए उपलब्ध हैं। रोजगार के अनुमान, आठवीं योजना के प्रारंभ में और आठवीं योजना के प्रथम और द्वितीय वर्षों के अंत में योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये हैं। रोजगार वृद्धि की वार्षिक दर विभिन्न अवधियों के लिए साप्ताहिक स्तर पर, जो रोजगार अनुमानों पर आधारित हैं निम्नलिखित है :

अवधि	रोजगार वृद्धि की औसत वार्षिक दर (%)
1972-73 से 1977-78	0.97
1977-78 से 1983	1.81
1983 से 1987-88	1.83
1987-88 से 1992	1.82
1992 से 1994	1.96

(घ) रोजगार अवसरों का विस्तार आठवीं पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण उद्देयय है और योजना नीति में संभावित उच्च रोजगार वाले सैक्टरों, सब–सेक्टरों और क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि पर बल दिया गया है, जिससे रोजगार वृद्धि की गति तेज हो।

विकलांग दस्तकार

2958. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या केन्दीय सरकार विकलांग दस्तकारों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को आर्थिक सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को कितनी सहायता दी गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) विकलांग कारीगरों को ही आधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने 1992 में देश के चुनिंदा जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से विकलांग कारीगरों सहित ग्रामीण कारीगरों को संसाधित टूल–किट्स देने के संबंध में एक योजना प्रारंभ की थी।

इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा राज्य को प्रदान की गई सहायता निम्न प्रकार है :

(लाख रू. में)

वर्ष	प्रदान की गई सहायता
1991-92	-
1992-93	36.00
1993-94	46.80

रूस में भाण्डागारों का निर्माण

2959. **श्री एस. एम. लालजान बाशा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रूस में तम्बाकू और अन्य उत्पादों के भंडारण के लिये भाण्डागारों का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उस देश को तम्बाकू के निर्यातकों को दीर्घकालीन लाभ प्रदान करने हेतु अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सिद्धान्त रूप में यह सहमति हुई थी कि एस टी सी एवं एम एम टी सी विभिन्न भारतीय उत्पादों के स्टॉक एवं बिक्री प्रचालन की सुविधा प्रदान के लिए रूस में भण्डारगृहों की स्थापना करेंगे। एस टी सी एवं एम एम टी सी इन भण्डारगृहों की रूपात्मकता तैयार करने के लिए रूसी पक्ष के साथ व्यापार विचार–विमर्श कर रहे हैं। सरकार ने भी भण्डारण एवं माल के निर्यात की शर्तों को भी उदार बना दिया है ताकि भारतीय निजी कंपनियां सुविधापूर्वक रूस में भण्डारगृहों की स्थापना कर सकें; कुछ कम्पनियों ने मास्को एवं रूस के अन्य शहरों में पहले ही भण्डारगृह स्थापित कर दिए हैं।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार रूस के साथ अनवरत सम्पर्क बनाए हुए है ताकि रूसी आयातकों द्वारा तम्बाकू की दीर्घावधि खरीद को सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री की रूस यात्रा (29 जून– 2 जुलाई, 1994) के दौरान यह सहमति हुई थी कि रूस को तम्बाकू समेत कुछ संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात के लिए तीन वर्ष तक चलती रहने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी जाये। व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत–रूस कार्यदल की हाल ही में सम्पन्न बैठक में (21-22 जुलाई, 1994) रूसी पक्ष ने सिद्धान्त रूप में अपनी इस बचनबद्धता को दोहराया और यह सहमति प्रकट की कि वह अनुवर्ती कार्रवाई में शीघ्रातिशीघ्र तम्बाकू मंगाने के आदेश प्रस्तुत कर देगा। इस संबंध में भारतीय पक्ष ने एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया जो पारस्परिक रूप से सहमत सुस्पष्ट, प्रभावी तथा ऐसी हो जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सके। रूस को तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने जो अन्य उपाय किए हैं उनमें शामिल हैं– निर्यातकों को प्रति–व्यापार आधार पर निर्यात करने एवं रूस में अपने व्यापार संवर्धन कार्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहित करना तथा सिगरेट बनाने के संयुक्त उद्यम लगाने अथवा रूस में सिगरेट फैक्ट्री अधिगृहीत करने के लिए सिगरेट विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करना ताकि तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने में मदद मिल सके।

गुड़गावां के निकट अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना

2960. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार से हाल ही में फ्रेट सिटी काम्पलेक्स द्वारा कार्य आरम्भ कर देने के पश्चात् गुड़गावां के निकट एक अंर्तराष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने प्रस्तावित विमानपत्तन के निर्माण हेतु भूमि देने की भी पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारत पर्यटन विकास निगम

2961. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) के होटलों से कितना लाभ अर्जित करने का अनुमान है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों ने 1994-95 के दौरान पर्यटकों के आगमन के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम विदेशी पर्यटकों को पूरे देश में फैले अपने होटलों की ओर आकृष्ट करने हेतु विपणन के क्षेत्र में विदेशी फर्मों से समझौता करने पर विचार कर रहा है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) किन-किन देशों के साथ इस संबंध में बातचीत की गई है; और

(ज) कब तक इन समझौतों को कार्यान्वित किया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का अनुमानित लाभ 224.14 लाख रूपये है।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में पर्यटकों के आने के संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम ने वर्ष 1994-95 के लिए एक 56 प्रतिशत संचयी अधिभोग के बजट की व्यवस्था की है।

(घ) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम अपने एलीट होटलों का विपणन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होटल श्रृंखलाओं के साथ विपणन-समझौतों की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

(ङ) से (च) विपणन समझौतों के लिए विचार-विमर्श प्रारम्भिक अवस्था में है। इस तरह के किसी समझौतों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पोलैण्ड के साथ व्यापार

2962. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पौलेण्ड के बीच 1993 में दुर्लभ मुद्रा में व्यापार शुरू करने के बाद से दोनों देशों के व्यापार में गिरावट आई है;

(ख) क्या विकासशील देशों में से भारत 1970 और 1980 के दशकों में पोलैण्ड का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार था, जो रूपये में व्यापार खत्म होने के बाद यूरोपीय देशों से पिछड़ता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्होंने इस संबंध में ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत पोलैण्ड व्यापार में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) हालांकि भारत–पोलिश व्यापार सन् 1991 से ही दुर्लभ मुद्रा में होने लगा था फिर भी कुछ अवशिष्ट् व्यापार रूपया में भी जारी रहा। अक्तूबर, 1993 से व्यापार कार्य पूरी तरह से दुर्लभ मुद्रा में होने लगा। वित्त वर्ष 1993-94 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना मे भारत से पोलैण्ड को होने वाले निर्यात में 12 प्रतिशत की कमी आयी और पोलैण्ड से भारत को होने वाले निर्यात में 48 प्रतिशत की कमी आयी।

(ख) और (ग) विकासशील जगत से भारत 1970 तथा 1980 के दशक में जिन दिनों रूपया व्यापार चरम सीमा पर था, पोलैण्ड का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार था। पोलैण्ड में प्रणालीगत आर्थिक परिवर्तनों से व्यापार की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। पोलैण्ड ने यूरोपीय संघ के साथ एसोसिएशन करार पर हस्ताक्षर किये हैं और यूरोपीय संघ के देश अब इसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार है। भारत–पोलिश व्यापार में गिरावट अन्य बातों के साथ–साथ इसलिए भी आयी क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार की कुछ मदों की एक दूसरे के बाजारों में अब प्रतिस्पर्धा नहीं रही है।

(घ) और (ड.) भारत सरकार और पोलैण्ड की सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और कई विचार–विमर्शों के दौरान व्यापार बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। उच्चस्तरीय राजनीतिक यात्राओं के जरिए द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सम्बधों को गति प्रदान करने के अतिरिक्त जिन मुख्य उपायों पर चर्चा की गई उनमें शामिल हैं : व्यापार के वस्तु–समूहों का विविधीकरण, संयुक्त कारोबार परिषद् की समय–समय पर बैठकें, भण्डार गृह खोलने को प्रोत्साहन और व्यापार–मेलों तथा प्रदर्शनियों में अधिक भागीदारी आदि। द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धों की व्यापक समीक्षा करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए ठोस उपायों का पता लगाने के लिए भारत–पोलिश संयुक्त आयोग की नई दिल्ली में एक बैठक शीघ्र ही होने जा रही है।

इंडियन ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाईजेशन

2963. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन ने हाल में दक्षिण अफ्रीका में एक बाजार सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कौन–कौन सी मदों की पहचान की गई तथा व्यापार विकास योजनाओं जैसे व्यापार मेले और प्रदर्शनी, निवेश, संयुक्त उपक्रम द्वारा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को दृढ़ कराने की क्या संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण से दक्षिण अफ्रीका को निर्यात के लिए विभिन्न मदों की पहचान हुई है। ये मदें हैं :– परिधान, वस्त्र, गृह सज्जा की वस्तुएं, चावल, मसाले, कॉफी, कम्प्यूटर सॉफटवेयर और हार्डवेयर, हाथ के औजार और मशीनी औजार, शल्य चिकित्सा और मैडिकल उपस्कर, खिलौने, हस्तशिल्प, चमड़े की वस्तुएं, रसायन और रंजक आदि।

सर्वेक्षण के जरिए दक्षिण अफ्रीका में व्यापार मेलों में भागीदारी या अन्य भारतीय प्रदर्शनियों के आयोजन की संभावना की भी जांच की गयी।

(ग) आई टी पी ओ ने सर्वेक्षण के निष्कर्षों का वितरण करने और अभी तक अछूते दक्षिणी अफ्रीकी बाजार के लिए व्यापार कार्य नीति बनाने में व्यापार और उद्योग की सहायता करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सहयोग से बंबई में 11 जून, 1994 को एक सेमिनार का आयोजन किया था।

आई टी पी ओ 22 से 28 अगस्त, 1994 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक बड़ी अनन्य भारत प्रदर्शनी "इनउेक्सपो–94" का आयोजन कर रहा है।

विदेशी मुद्रा भण्डार

2964. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**

डॉ० वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा भण्डार 16 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विदेशी मुद्रा भण्डार में अनिवासी भारतीयों की बैंकों में जमा सावधि धनराशि का हिस्सा कितना है;

(ग) इस सावधि जमा धनराशि पर प्रतिवर्ष कितना ब्याज दिया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा इसमें वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जुलाई, 1994 के अन्त

तक विदेशी मुद्रा भण्डार 21.67 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के बराबर हुआ है, जिसमें से विदेशी मुद्रा आस्तियां 17.52 बिलियन डालर के बराबर थी।

(ख) विदेशी मुद्रा भण्डार, जिन्हें प्राधिकृत डीलरों से क्रय के माध्यम से व्यापक, रूप से निर्मित किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को चालू और पूंजीगत प्रवाह के मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए मुद्रा भण्डार के उस भाग को अलग करना संभव नहीं हैं, जिन्हें अनिवासी भारतीयों द्वारा बैंकों में जमा सावधि जमा धनराशि से निर्मित गया था।

(ग) और (घ) इन जमाराशियों से होने वाली मुद्रा लागत के जोखिम और उतार–चढ़ाव को समाप्त करने को ध्यान में रखते हुए पिछले दो वर्षो के दौरान अथवा उसी तरह अनिवासी भारतीयों की जमा स्कीमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। 1993-94 के दौरान, विदेशी मुद्रा अनिवासी भारतीयों के लेखा (वि. मु. अ. भा. ले.) और विदेशी मुद्रा (बैंक और अन्य) जमा वि. मु. (बैंक और अन्य जमा) स्कीमों के अधीन निवल बाहिर्वाह थे। ये अन्य जमा–स्कीमों जैसे विदेशी मुद्रा अनिवासी भारतीय (बैंक) (वि. मु. अ. भा. बैं.), अनिवासी विदेशी रूपया लेखा (अ. वि.) (रू. ले.) और अनिवासी (गैर–प्रत्यावर्तनीय) (रूपया जमा) (अ.) (गैर–प्र.) (रू.ज.) योजनाओं के अधीन निवल अन्तर्वाह द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने से कहीं अधिक थे। ब्याज –दरें वि. मु. अ. ले. और वि. मु. अ. (बैंक) के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज–दरों में परिवर्तन के साथ समय–समय पर समायोजित की गई है। अ. (वि.) रू. ले. के अधीन की गई जमाराशियों के लिए 12 अक्तूबर, 1993 से प्रभावी ब्याज–दरें बचत जमाराशियों के लिए 5.0 प्रतिशत हैं और 16 मई, 1994 से प्रभावी, 46 दिनों से 3 वर्ष और उससे अधिक अवधि के लिए परिपक्वता की आवधिक जमाराशियों के लिए 10 प्रतिशत तक सीमित थीं। बैंक, अ. (गैर प्र.) रूपया जमा–स्कीम और विदेशी मुद्रा साधारण गैर–प्रत्यावर्तनीय स्कीम के अधीन की जाने वाली जमाराशियों के लिए ब्याज–दरों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इन जमाराशियों पर वार्षिक ब्याज–अदायगियों की राशि का सुनिश्चित निर्धारण करना संभव नहीं है।

रसायनों और औषधियों को सस्ते दामों पर बेचा जाना

2965. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन तथा अन्य देशों द्वारा औषधि निर्माण हेतु कच्चे माल सहित रसायनों और औषधियों की बड़ी मात्रा से देश के बाजारों में सस्ते दामों पर बेचने तथा इससे घरेलू उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में विभिन्न संगठनों/व्यक्तिगत कम्पनियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। नामित प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में ऐसे कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें चीन/अन्य देशों से आने वाली आईसोब्यूटाइल बेंजीन (आई बी बी), थीयोफाईलीन, कैफीन 3, 4, 5 ट्राईमिथॉइल बेन्जेल्डिलाइड (टीएमबीए), पोटेसियम परमैगनेट, साइट्रिक एसिड, 1–बेस, बिसफिनोल "ए" फॉस्फोरस और सोडियम फेरोसाइनाइड की डंपिंग करने के आरोप लगाए गए हैं।

(ग) नामित प्राधिकारी ने आइसोब्यूटाइल बेंजीन की डंपिंग संबंधी जांच पहले ही शुरू कर दी है। डंपिग, क्षति और आकस्मिक संबंध के प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में पोटेसियम परमैगनेट, साइट्रिक एसिड, एल–बेस, फॉसफोरस और सोडियम फेरोसाइनाइड से संबंधित याचिकाओं पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

भारत-जर्मन समझौता

2966. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निवेश को बढ़ाने तथा उसके पारस्परिक संरक्षण के लिए भारत–जर्मन समझौते में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो दो देशों के बीच किन–किन मुख्य मुद्दों पर मतभेद है;

(ग) इन मतभेदों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) इस वर्ष 1994-95 के दौरान जर्मनी भारत में कितना पूंजी निवेश करेगा; और

(ङ.) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनमें यह निवेश किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जनवरी, 1994 तथा मार्च, 1994 में जर्मन सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के दो दौर सम्पन्न किए गए जिसके बाद अनौपचारिक विचार–विमर्श किया गया और जर्मनी के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा संरक्षण करार के प्रमुख घटकों पर सहमति हो गई है। मतभेद संबंधी शेष मुद्दों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) से (ङ.) विदेशों द्वारा किए जाने वाले निवेश के स्तरों की मात्रा अथवा निवेश क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है क्योंकि यह विदेशी निवेशकों की राय और हितों पर निर्भर करेगा।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सभा का ध्यान भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के दावों के निपटान में हुए अनावश्यक विलम्ब की ओर दिलाना चाहता हूं, उनमें से लाखों लोग अभी भी न्याय पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि इसका प्रमुख कारण पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों का उपलब्ध न होना है। प्रश्न संख्या 1343

तथा 1347 के संदर्भ में राज्य सभा में दिनांक 4 अगस्त, 1994 को दिये गये उत्तर में, यह बताया गया था कि दिनांक 14.7.1994 तक मृत्यु होने अथवा घायल हो जाने के कारण दर्ज किये गये 6,13,000 दावों में से कुल 77,386 दावों का निपटान किया जा चुका है तथा 3,59,603 मामलें अभी भी लम्बित पड़े हुए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि शेष लम्बित पड़े लगभग 1,76,000 दावों की क्या स्थिति है। यह विभिषिका लगभग एक दशक पहले घटित हुई थी।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न पुराना हो चुका है।

.....व्यवधान.....

श्री श्रवण कुमार पटेल : संशोधित योजना के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के बाद भी इन मामलों के निपटान में तीन वर्षो से भी अधिक समय लगने की सम्भावना है।

अतः, क्या मैं सरकार से यह निवेदन कर सकता हूं कि लम्बित पड़े शेष मामलों का तेजी से निपटान करने हेतु जो भी कदम आवश्यक हो उठाये। उदाहरण के लिए इन मामलों के निपटान के लिए यदि सेवानिवृत न्यायाधीशों की सेवाएं भी ली जायें, तो भी लगभग एक वर्ष की समय–अवधि लगेगी।

श्री ई० अहमद : महोदय, अभी तक हमने यह देखा है कि संसदीय कार्य मंत्रियों में से केवल एक मंत्री ही यहां उपस्थित होते हैं। आज इन मंत्रियों में से मुझे कोई भी मंत्री यहां उपस्थित दिखाई नहीं दे रहा है। क्या विपक्ष के साथ उन्होंने भी इस सभा का बहिष्कार कर दिया है? यह पहला मौका है, जब मैं यह देख रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्रालय से एक भी मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। निस्संदेह, मंत्री–परिषद् में से कुछ मंत्री यहां अवश्य उपस्थित हैं। लेकिन सभा के समक्ष सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, उसे नोट करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को तो यहां उपस्थित होना ही चाहिये।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : सभा में उठाये गये मुद्दों को मैं नोट करूंगा।

श्री ई० अहमद : यह दूसरी बात है कि आप इन्हें नोट करेंगे। मंत्री मण्डल के अन्य मंत्रीगण यहां उपस्थित हैं। संसदीय कार्य मंत्रियों की संख्या आधा–दर्जन है। लेकिन क्या उनमें से एक भी मंत्री यहां उपस्थित होने का समय नहीं निकाल पाया। यह लोक सभा है। यह एक महत्वपूर्ण सदन है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह सरकार इस सदन को इतने हल्के–फुलके ढंग से क्यों ले रही है। मुझे अपना क्षोभ प्रकट करना है। क्या किसी को इस प्रकार की बातें कहनी चाहिये? इस सदन को इस ढंग से नहीं लिया जा सकता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण सदन है। सभा के समक्ष सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, उसे नोट करने के लिए उनमें से एक मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिये। मैं यह अनुभव करता हूं कि अध्यक्ष महोदय को इस बारे में अवश्य ही कोई टिप्पणी करनी चाहिये।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, कल पूरी सभा वित्त मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य देने की मांग कर रही थी। कृषि मंत्री महोदय भी यहां विराजमान हैं। उन्होंने भी इस बारे में वायदा

किया था। उस वक्त, उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे। उन्होंने भी वित्त मंत्री जी को निदेश दिये थे। मैं यह अपेक्षा कर रहा था कि वित्त मंत्री जी एक वक्तव्य देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

श्री ई० अहमद : यह दूसरा विषय है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। वह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था। माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उसके महत्व को कम नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कल, पूरी सभा कुछ राज्यों में बाढ़ के कारण हुई क्षति के बारे में उत्तेजित थी। उस समय, उपाध्यक्ष महोदय ने यह टिप्पणी करने की कृपा की थी कि इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये। लेकिन उस टिप्पणी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वित्त मंत्री महोदय यहां उपस्थित थे। मैंने यह सोचा था कि श्री मनमोहन सिंह इस बारे में यहां एक वक्तव्य देने जा रहे हैं। लेकिन वह चुपचाप सभा से बाहर चले गये। पिछले सप्ताह में हमने देश में बाढ़ की समस्या पर तीन दिन तक चर्चा की है। पूरी सभा ने इस संबंध में सरकार की ओर से कुछ कार्रवाई किये जाने की मांग की थी। लेकिन वित्त मंत्री महोदय ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।.....**(व्यवधान)**.....

श्री ई० अहमद : मेरी समझ में यह बात नहीं आ सकती। मुझे विपक्ष द्वारा संसद का बहिष्कार करने की बात बहुत भली प्रकार समझ आ सकती है। बिल्कुल साफ तौर पर यह बताया था कि उन द्वारा संसद के बहिष्कार का क्या कारण था।.....**(व्यवधान)**.....

प्रो० पी० जे० कुरियन : इन सभी कार्यों को करवाने के लिए क्या कोई विपक्ष होना चाहिये?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईये। अब, मैं यह समझता हूं कि यदि उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा है कि वक्तव्य दिया जायेगा, तो यह वक्तव्य दिया जायेगा और अवश्य दिया जायेगा। कृपया इस बात को नोट कर लें तथा यह संदेश मंत्री महोदय को पहुंचा दें।

दूसरी बात यह है कि उनकी भी अनेक परेशानियां हैं। वे वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं बजट में उलझे हुए हैं। उन्हें इस समस्या का समाधान खोजना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि वे इसका कोई समाधान निकाल लेंगे।

.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : वाद–विवाद में न उलझें। ऐसा करना उचित नहीं है। इससे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पायेंगे।

.....**(व्यवधान)**.....

प्रो० पी० जे० कुरियन : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दे चुका हूं। यदि आपने इससे आगे एक भी शब्द कहा, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे परेशानी यह है.....

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या परेशानी है?

प्रो० पी० जे० कुरियन :कृपया आप इस बात पर गौर कीजिये कि वित्त आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था। यदि वित्त आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख किया जाता है, तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरा यही कहना है।.....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे विदित नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए। अतः मैं इसका फैसला सरकार पर ही छोड़ता हूं। इतना ही काफी नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, तो हम क्या करें?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हजारों लोग बेघर हो गये हैं। इसी कारण, मैंने यह मुद्दा उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : केवल ऐसा करने से, आपको कुछ हासिल नहीं होगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसी वजह से मैं इस मुद्दे को यहां उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना उचित नहीं है। सभी सदस्यों में से आप द्वारा ऐसा करना उचित नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे को हमें और कहां उठाना चाहिये?

अध्यक्ष महोदय : मुझे विदित नहीं है। हरेक व्यक्ति इस सभा में अपनी बात मनवाने पर जोर देता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमारा राज्य बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी कारण, मैं यह मुद्दा यहां उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना गलत है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य है।, जिन्हें यह विदित है कि सरकार क्या है और संसद क्या है।

.....**(व्यवधान)**.....

श्री ई० अहमद : जो मैंने कहा था, उसका क्या जबाव है?

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद जी, आपने जो कुछ कहा है, उसे कार्यवाही–वृतांत में शामिल कर लिया गया है। मेरे विचार से, सरकार इस पर गौर करेगी। यह जरूरी है कि मंत्रीगण सभा में उपस्थित होने चाहियें। लेकिन, यह जरूरी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री को हर समय इस सभा में उपस्थित होना चाहिये। हमें यह बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ लेनी चाहिये।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेताओं द्वारा **लोक चेतना कार्यक्रम** तथा **लोक संसद** के लिए रांची में एकत्रित होने हेतु किये गये आह्वान के फलस्वरूप जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न होगी, उसकी ओर मैं सरकार एवं इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस मोर्चे के नेताओं ने सरकार को यह चेतावनी भी दी हुई है कि यदि सरकार ने 14 अगस्त तक उनकी अलग झारखंड राज्य की सथापना की मांग पर विचार नहीं किया, तो वे

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को **लोक संसद** में झारखंड राज्य की घोषणा कर देंगे।

[अनुवाद]

मेरा सरकार से यह आग्रह है कि गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये ताकि सभा को इस अंतिम निर्णय के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बारे में सूचित किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ले जाना चाहता हूं। भारत सरकार की तरफ से एक नयी इंटरस्टेट रीवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ड्राफ्ट पालिसी बनायी गयी है। जिसमें हर एक राज्य सरकार से इस ड्राफ्ट पालिसी पर अपने–अपने कमेंट्स देने के लिए कहा गया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस ड्राफ्ट पालिसी के जरिये हिन्दुस्तान की तमाम नदियों के पानी और बिजली का वितरण करना हैं, पंजाब सरकार को इस मामले में बिल्कुल नहीं पूछा गया है। यही कारण है कि पंजाब सरकार की ओर से इस पर कोई कमेंट्स नहीं आये हैं।

[अनुवाद]

12.09 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

[हिन्दी]

मैं यह बताना चाहता हूं कि देश की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में पंजाब का बहुत बड़ा योगदान हैं। पंजाब सरकार से इस बारे में कोई कमेंट्स प्राप्त न होने से बहुत फर्क पड़ने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि अभी यहां पर वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर यहां नहीं है। .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।

श्री ई. अहमद : उन्होंने कहा है, "जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री" **(व्यवधान)**

श्री जगमीत सिंह बरार : मेरे विचार से आप नई मसौदा नीति पर नहीं बोल सकेंगे। महोदय, मैं आपकी मौजूदगी की सराहना करता हूं।

[हिन्दी]

इसलिए मैं आपके जरिये इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस नयी ड्राफ्ट पॉलिसी में जो यूनिवर्सली ऐक्सेप्टेड रिपेरियन प्रिन्सिपल है, उसको छोड़कर एक नेशनल इंटरस्ट के नाम पर आपने पॉलिसी बनाई है, वैसे यह सारी पॉलिसी ऐण्टी नेशनल है, इसमें नेशनल कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ कुछ स्टेट्स को को–बेसिन स्टेट्स डिक्लेयर करेगी। यह सबों का हित और हक छुड़वाने की बात है। मैं आपके जरिये जल संसाधन मंत्री से यह अपील करूंगा कि तीन महीने

का समय और दिया जाए ताकि जो नयी पॉलिसी जल के वितरण के संबंध में बनी है। उसके ऊपर सूबों को ज्यादा समय मिल सके और वह अपने कमेण्ट्स दे सके। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इस नयी पॉलिसी में एक और नेशनल इंटरस्ट के नाम पर कहा गया है कि लांग वाटर डिसटेन्स प्रपोजल होगा कि अगर पानी दो हजार किलोमीटर लेकर जाना है तो वह किसी स्टेट से बिना पूछे और उसके तो अधिकार है उनको इनफ्रिन्ज करके दूसरे सूबों को जा सकता है। मैं जल संसाधन मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह पॉलिसी ऐण्टी नेशनल है, ये पॉलिसी सूबों के रिपेरियन प्रिन्सिपल्स को तोड़ती है और जो वर्षों से डिसप्यूट चल रहे हैं, उनको यह बढ़ावा देगी। इसलिए तीन महीने का समय इस पोलिसी के लिए मिलना चाहिए और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि तीन महीने पहले जल नीति के ऊपर यहां चर्चा हुई और मुझे अफसोस है कि भारत सरकार के इतने वरिष्ठ मंत्री के द्वारा उस नीति का जिक्र भी अपनी तक़रीर में नहीं किया गया। इस पॉलिसी को विदड्रा करना चाहिए या तीन महीने का समय देकर उनके कमेण्ट्स इसके ऊपर मंगाने चाहिए, यह मैं आपके जरिये भारत सरकार से विनती करूंगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमने 10 मिनट का उपयोग किया है। हमारे पास 20 मिनट हैं। काफी सदस्यों को अभी बोलना है। उनके नाम मेरे पास है। मैं उन्हें समुचित तरीके से बुलाऊंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप धैर्य रखें। जिन सदस्यों को बोलने का अवसर मिले उन्हें एक मिनट में अपनी बात कह देनी चाहिये ताकि अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिल सके। जिनका नाम आखिर में है वे बहुत ही रोष में हैं। मेरे विचार में कल और परसों भी हमें यही अनुभव हुआ था। मेरे विचार से आप सभी इस प्रस्ताव से सहमत होंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चिन्ता मत कीजिए। आपने नोटिस दिये हैं। आपके नाम मेरे पास हैं। मैं सूची के अनुसार आपको बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड आंदोलनकारियों के नेता शिबू सोरेन ने 1 अगस्त से पैदल यात्रा कार्यक्रम चलाया है और 15 अगस्त को वे झारखंड संसद की घोषणा करने वाले हैं। हमारी सरकार झारखंड परिषद् को मानने को तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बिहार के सारे लोगों को झारखंड काउंसिल देने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और मैं मांग करता हूं कि हमारे गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट जी यहां बैठे है। ये इस पर वक्तव्य दे और बताएं कि इस सत्र के दौरान आप उस पर कोई कार्रवाई करने जा रहे है या नहीं। अगर आप कार्रवाई करेंगे तो झारखंड संसद की घोषणा नहीं होगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मेरे विचार से हम सभी को इसे मानना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : मंत्री जी इस बारे में कुछ बोलें। यह झारखंड गोरखा लैंड बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा। यह बहुत गंभीर मामला है। ..... **(व्यवधान)** .....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया मेरी बात सुनेगें। आप पहले मेरी बात सुनिये, अगर वह गलत हो, तो आप उसे ठीक करने के लिए स्वतंत्र हो। यह शून्य काल है। इसमें हाल में हुए तात्कालिक लोक महत्व के मामलों को उठाया जाता है। इस मामले पर कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी इस समय सदन में बैठे हैं।

..... **(व्यवधान)**.....

श्री सूर्य नारायण यादव : हम लोग यहां बिहार से आते है। वहां की स्थिति नाजुक है। मैं मांग करता हूं कि झारखंड परिषद् देनी चाहिए। मंत्री जी सदन में बैठे है। क्या जब वहां आंदोलन हो जाये, क्रांति हो जाये तब आप कुछ करेंगे। इस विषय पर मंत्री जी को बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम यह एक गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो भी हो, मैं माननीय मंत्री से बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री राजेश पायलट : मैंने इस विषय पर माननीय सदस्यों को उत्तेजित देखा है, अतः, ऐसी धारणा नहीं बननी चाहिए कि सरकार इसके बारे में चिंतित नहीं है अथवा सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। इस सभा से राष्ट्र को यह संदेश नहीं जाना चाहिए। यह सच है कि जैसाकि आपने स्वयं कहा है यह समस्या लम्बे समय से चली आ रही है। अगर श्री सूरज मंडल को याद हो तो आठ महीने पहले हमने इस पर 18 घंटे की चर्चा की थी। बिहार के मुख्य मंत्री जी भी यहां मौजूद थे श्री सूरज मंडल तथा उनके दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे तथा अन्य राजनीतिक नेता भी उस बैठक में मौजूद थे। 18 घंटे तक हमने उस मुद्दे पर चर्चा की। बहुत सी बातों पर हमारी सहमति थी सिवाय इसके कि बिहार के मुख्य मंत्री एक विषय पर हमसे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि कानून और व्यवस्था को स्वायत्त परिषद् के अधिकार में दिया जाये या नहीं। केवल इसी बात पर हमारा मत–वैमिन्नय था। उस समय यह सुझाया गया था कि माननीय मुख्य मंत्री राज्य में जाकर अपने सहयोगियों, अपने विधायकों से इस पर चर्चा करें और उसी तरह का एक विधेयक लायें। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही वह पटना पहुंचे उन्होंने अपना विचार बदल दिया और इस पर उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण अपना लिया।

मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यह देश के उस भाग के आदिवासी लोगों की बहुत उपयुक्त मांग है। वे कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे। हम इस बारे में चिंतित हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने लाल किले से कहा है कि हम उन्हें उनके विश्वास के लिए, उनके भविष्य के लिए एक स्वायत्त परिषद् देने के लिए वचनबद्ध है। यह हमारी वचनबद्धता है। केन्द्रीय सरकार उस वचनबद्धता को निभायेगी। आज प्रधान मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री को यहां बुलाया है। 12 बजकर 45 मिनट पर वे यहां पहुंच रहे है। हम इस विषय पर उनसे चर्चा करेंगे। इस आश्वासन के साथ बिहार के माननीय सदस्यों से मैं अपील करता हूं कि वे इस प्रकार का आंदोलन न करें जैसा 15 अगस्त को करने की उन्होंने घोषणा की है। हम आपके साथ हैं। हम आपको स्वायत्त परिषद् देने के लिए वचनबद्ध है। अगर मुख्य मंत्री के साथ आज की बातचीत सफल नहीं रहती और जरूरत पड़ी तो हम संविधान ने केन्द्र सरकार को जो भी अधिकार दिया है, उसका प्रयोग करेंगे। सांविधानिक उपायों के माध्यम से हम आपको स्वायत्त परिषद् अवश्य प्रदान करेंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह बात स्पष्ट करनी है। यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है और प्रत्येक सदस्य जो कोई प्रश्न उठाता है, उसे तत्काल ही सत्तापक्ष से जवाब की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : उन्हें यह आश्वासन देने दीजिये कि वे 15 अगस्त को आंदोलन नहीं करेंगे।

श्री मृत्युजंय नायक (फूलबनी) : महोदय, आप कह रहे थे कि जिन्होंने नोटिस दिया है, केवल उन्हें ही बोलने की अनुमति दी जायेगी ..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाने के लिए स्वतंत्र है।

श्री मृत्युजंय नायक : निश्चित रूप से हमें यह अधिकार मिला है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : बिहार के सारे लोग आपके आभारी रहेंगे, मंत्री जी आप यहां कुछ कहिये।

श्री सूरज मंडल : आने वाली 15 अगस्त को पूरा एक साल हो गया। इसीलिए हम लोगों ने यह डिसाइड किया है ..... **(व्यवधान)**..... चूंकि यहां बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम लिया गया, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा है कि पटना में बयान छापा गया। इन्होंने यह भी कहा कि चीफ मिनिस्टर ने उन्हें गुमराह किया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : हम विदड्रा नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसी सत्र में कुछ घोषणा करते हैं तो वह घोषणा आप कर दीजिये, उसके बाद हम वहां जाकर कोई विचार कर सकते हैं। ... **(व्यवधान)**... क्योंकि उस बात को बोले हुये पूरा एक साल हो गया। मंत्री जी ने कहा कि

चीफ मिनिस्टर ने इन्हें गुमराह किया। आपका बयान पटना में छापा गया।..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर ऐसा हुआ होता तो हम सभी सदस्यों को नहीं बुला पाते।

श्री मृत्युंजय नायक : चूंकि आपने मुझे आदेश का पालन करने को कहा था, हम उसका पालन कर रहे हैं। हम आपसे न्याय की उम्मीद रखते है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार आपकी भावनओं को समझती है। माननीय मंत्री ने जवाब दिया है कि वे आपके पक्ष में हैं। क्या आप अपना आंदोलन वापिस ले रहे हैं?

श्री सूरज मंडल : जी नहीं, हम इसे वापिस नहीं ले रहे हैं।

[हिन्दी]

वैशाली के चुनाव के समय आपका बयान पेपर में छपा था कि लालू यादव ने मुझे गुमराह किया है। वह हिन्दुस्तान के लोगों को, आपको हम लोगों को गुमराह कर रहा है। हम फिर कहीं गुमराह न हो जाएं। इसलिए आप गांरटी दीजिये कि इसी सत्र के अंदर बिल लाकर आप उसको बनाएगें। तभी हम विचार कर सकते हैं क्योंकि हमें बिहार के चीफ मिनिस्टर पर विश्वास नहीं है। वे रिलायबल नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ई. अहमद बोलेंगे।

श्री ई. अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए बाध्य हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अहमद जी, आपको अच्छी तरह मालूम है कि समय समाप्त हो गया है। अतः, हमारे पास केवल तीन मिनट बचे हैं।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैं केवल दो या तीन मिनट लूंगा।

जहां तक हमारे देश के पिछड़े वर्गों का संबंध है, मैं इस महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए मजबूर हूं। उस दिन दूसरी सभा में माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि अगर विपक्ष सहमत हो तो सरकार तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित 69 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले नये विधान को संविधान की नौवीं सूची में शामिल करने के लिए एक सांविधानिक संशोधन विधेयक लाने के लिए तैयार है। आज, विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता ने वक्तव्य दिया था कि विपक्ष के राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा इस सभा में सरकार का सहयोग करेंगे। अब मुझे लगता है कि यह हम सभी के हित में है कि कुछ विपक्षी दलों ने मुद्दे पर आधारित सभा के बहिष्कार और मुद्दे पर आधारित समर्थन पर एक दृष्टिकोण अपनाया है। मुझे इसकी बहुत खुशी है।

झारखंड के मामले पर, झारखंड मोर्चा से मेरे मित्र इस सभा में आये हैं; पिछडे वर्गो के मामले पर भी विपक्ष के बहुत से सदस्यों ने इस सभा में आकर सरकार को सहयोग करने की अपनी मंशा अब जाहिर की है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। निःसंदेह, स्थगन आदेश पारित करना सर्वोच्च न्यायालय का अंतर्विहित अधिकार है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इससे अब हर

मामले में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई है। एक ओर राज्य सरकार द्वारा पारित किसी अधिनियम से फायदा मिलता है, दूसरी और उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करके वापिस ले लिया जाता है।

अतः इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करना है ताकि इसे देश के किसी भी कानून के अंतर्गत वाद योग्य न ठहराया जा सके। इसलिए, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह अब विपक्ष के एक उत्तरदायी नेता के वक्तव्य के प्रकाश में, कि वे सहयोग करने के लिए तैयार है, संवैधानिक संशोधन लाने के लिए तैयार है। इस संबंध में विपक्ष सभा में आएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अध्यक्ष जी, कृपया यह महसूस करें कि बोलने के लिए अन्य सदस्य भी हैं।

श्री ई० अहमद : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं क्योंकि दूसरे सदन में वह पहले ही प्रत्युत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं श्री ओस्कर फर्नान्डीज को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री अहमद, यह असम्भव है नहीं, आपको सभा के नियमों का पालन करना होगा।

श्री ओस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : मैं सरकार से मंगलौर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने पर विचार करने के लिए अनुरोध करूंगा क्योंकि मेरे जिले में भारी संख्या में लोग विदेशों में विशेषकर मध्य–पूर्व में नौकरी ढूंढ रहे हैं। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु विदेशों में भी जाना होता है। इसलिए, महोदय, मैं अधिक समय लिए बिना सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मंगलौर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने पर विचार करे। धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत–बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्री मृत्युंज्य नायक।

श्री मृत्युंज्य नायक : देश में लगभग सभी नवोदय और कैन्द्रीय विद्यालयों में विद्यमान परिस्थिति धीरे–धीरे खराब हो रही है। भोजन, औषधि, पोषण और शिक्षा के स्तर संबंधी विद्यमान परिस्थितियां धीरे–धीरे खराब हो रही हैं।

मेरे निर्वाचन–क्षेत्र, फूलबनी, में एक नवोदय विद्यालय है जहां विद्यार्थियों में आपस में झगड़े और विद्यार्थियों के अध्यापकों के साथ झगड़े के कारण अनेक विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। भवन की दशा, जहां विद्यार्थियों को आवास प्रदान किया जाता है, और इसकी गुणवत्ता बिल्कुल घटिया स्तर की है। मैं शहरी विकास मंत्री से अनेक बार शिकायत कर चुका हूं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अब, मेरी विनती है कि गुणवत्ता नियंत्रण जांच होनी चाहिए। कार्यवाही तुरन्त की जानी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में सरकार कृपा करे।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री मैथ्यू, कृपया पढ़ कर मत बोलिए। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

* कार्यवाही – वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पाला के० एम० मैथ्यू (इदुक्की) : नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

महोदय, मैं संचार मंत्रालय द्वारा तुरन्त विचार किए जाने और इसके शीघ्र निपटान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सभा के समक्ष लाना चाहूंगा। केरल में मेरे निर्वाचन–क्षेत्र इदुक्की सहित सभी जिला मुख्यालयों में टेलीफोन एक्सचेंज हैं। अब, सरकार यह टेलीविजन एक्सचेंज इदुक्की मुख्यालय से हटा कर एरर्णाकुलम अथवा किसी अन्य स्थान पर ले जाने की योजना बना रही है। यह अत्यधिक अवांछित तथा अन्यायोचित है। मैं चाहूंगा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि टेलीफोन एक्सचेंज इदुक्की जिला मुख्यालय में रहे और इसे नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए जो इसके लिए बनाया गया है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही। यद्यपि यह बहुत ही लम्बा विषय है, तो भी कृपया करके इसे संक्षेप में रखें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी जहां मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र देने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई थी और इसे स्वीकार करके चरणों में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था। अतः आम राय और निर्णय यह हुआ था कि इसे चरणों में लागू किया जाएगा। इस बैठक के बाद, हमने देखा कि उच्चतम स्तर पर निर्णय लिया गया जिससे यह धारणा बनी कि यह समस्या जो विभिन्न क्षेत्रों में क्षोभ पैदा कर रही है, हमेशा के लिए सुलझा ली गई है।

लेकिन, दो दिन पहले पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना संकल्प दोहराया कि जब तक उन छह राज्यों में, जहां विधान सभा चुनाव अगले वर्ष प्रारम्भ में होने हैं, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा फोटो पहचान–पत्र नवम्बर, 1994 के अन्त तक सभी मतदाताओं को उपलब्ध नहीं करा दिए जाते, तब तक वहां चुनाव नहीं करवाए जा सकते। इससे पुनः अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक समय पर चुनाव नहीं कराए जाते, देश में संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाएगा। इसलिए, यह अत्यधिक गम्भीर मामला होने के कारण, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सभा में वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत–बहुत धन्यवाद। यह बहुत अच्छी बात है।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों द्वारा संचालित मजदूर संघों सहित दूरसंचार के प्रमुख मजदूर संघ एक मंच पर आ गए हैं और वे एक आन्दोलन करने जा रहे हैं। वे पहले ही अखिल भारतीय स्तर पर 26 तारीख को धरना रख कर आन्दोलन प्रारम्भ कर चुके हैं। इसका अगला चरण 17 तारीख को होने वाली बैठक में घोषित किया जाएगा और इस दिन वे अपने कार्यालयों में बैठेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। यदि आन्दोलन को इस प्रकार चलाए जाने की अनुमति दी जाएगी तो यह बहुत गम्भीर मामला हो जाएगा।

अब, मै सरकार से आग्रह पूर्वक अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित करें और मामला तय करें। उनका मुद्दा, जो निजीकरण और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के बारे में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि इस मामले में चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने बहुत ही

महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में कहा है। धन्यवाद, महोदय।

श्री अन्नदि चरण दास (जाजपुर) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह आश्चर्यजनक बात है कि ट्रंक काल एक्सचेंज सुविधा जो पहले जाजपुर में थी, उसे अब स्थानंतरित करके कटक ले जाया गया है। इससे क्षेत्र में भारी जन असंतोष फैल गया है क्योंकि लोगों को कभी–कभी कटक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रंक काल बुक कराने में कठिनाई होती है। अधिकांश समय, यह सुविधा खराब पड़ी रहती है और कॉल प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को घंटो इन्तजार करना पड़ता है। इससे आगे जाजपुर जिले में दूरसंचार एक्सचेंज संतोषजनक काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश खराब पड़े हैं।

अतः मैं संचार मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह आवश्यक कदम उठाएं और ट्रंक काल एक्सचेंज सुविधा को जाजपुर शहर में पुनः चालू करें और दूरसंचार नेटवर्क को अधिक कारगर बनाने के लिए अन्य एक्सचेंजों में सुधार लाए।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत–बहुत धन्यवाद। यह बहुत अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. डेलकर (दादरा और नगर हवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, दादरा और नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश है। उसकी आबादी डेढ़ लाख के करीब है। छः साल पहले हमारे वहां प्रशासन में दो आई.ए.एस. अधिकारी होते थे– एक ऐडमिनिस्ट्रेटर और एक कलैक्टर। आज हालत यह है कि दादरा और नगर हवेली के प्रशासन में सात आई.ए.एस. अधिकारियों को लगाया गया है। डेढ़ लाख की बस्ती है और सात आई.ए.एस. अधिकारी लगाए गए हैं। छः साल पहले जो काम दो दिन में होता था, आज उसके लिए हमें एक महीना लगता है, आपस में झगड़े होते है। भारत सरकार की नीति खर्च कम करने और स्टाफ कम करने की है, उसके बावजूद वहां पर स्टाफ को बढ़ाया जाता है, अधिकारी बढ़ाए जाते है। इससे लोगों को भी काफी तकलीफ हो रही है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर स्टाफ को कम किया जाए। छोटी–छोटी पोस्टस पर लोकल ऑफिसर्स को हटाकर बाहर से जो आई.ए.एस, आई.पी.एस. ऑफिसर्स लाए जाते हैं, वह नीति बिल्कुल बन्द कर दी जाए और वहां के लोकल ऑफिसर्स को प्रमोट किया जाए, उनको चांस दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री लाईता उम्ब्रे (अरूणाचल पूर्वी) : महोदय, सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामान्यता आठ से नौ महीने तक मानसून रहता था। लेकिन इस वर्ष, हमें जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। दुर्भाग्य से, जब सम्पूर्ण देश बाढ़ की समस्या का सामना कर रहा है तो हमारे यहां पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर मेरा निर्वाचन–क्षेत्र सूखे की समस्या से जूझ रहा है। अतः मैं कृषि मंत्री और जल संसाधन मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह राहत और अन्य सामान भेजने के लिए उपयुक्त उपाय करें।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, हमारे देश में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की स्थिति बहुत खराब है। दिल्ली स्थित अशोक होटल की स्थिति सबसे खराब है। यहां

सफाई नहीं है। सेवा खराब है और विनयशील नहीं है भोजन खराब है। कल आप भी इस होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे चश्मदीद गवाह मत बनाओ।

(व्यवधान)

प्रो० के० वी० थामस : आप भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में वहां थे। लगभग 100-150 संसद सदस्य रात्रि–भोज के लिए वहां थे। हम जानते हैं कि क्या स्थिति थी। मैंने मैनेजर को एक छोटी स्लिप भेजी थी। **(व्यवधान)**

श्री पी. सी. चाक्को (त्रिचूर) : महोदय, संसद सदस्यों को आमन्त्रित नहीं किया गया था। **(व्यवधान)**

प्रो० के. वी. थामस : मेरा यह सुझाव है कि सेवा में सुधार किया जाना चाहिए। या तो भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों से "पांच तारा" होटल का दर्जा वापस ले लिया जाना चाहिए अथवा उन्हें अपने होटलों को अच्छी तरह चलाने के लिए कहा जाना चाहिए अन्यथा हमारी स्थिति खराब होगी। कोई न कोई कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए। हमें इस होटल पर गर्व है। हम अपने मित्रों को यह सुझाव देते हैं कि वे सम्मेलनों का आयोजन भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में करें। उन अवसरों को छोड़ कर जब मंत्री महोदय वहां जाते हैं, जब हम वहां जाते है तो हर चीज अव्यविस्थत नजर आती है। जब उन्हें किसी आयोजन के लिए वहां बुलाया जाता है। तो सब कुछ सुव्यविस्थत होता है। परन्तु जब वे वहां नहीं होते, तो सब कुछ अव्यविस्थत हो जाता है। इसलिए, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर रूचि लें।

उपाध्यक्ष महोदय : खैर, आपने मंत्री महोदय को अच्छी तरह से प्रभावित किया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, यह जानने के लिए कि यह बात ठीक है या नहीं, हममें से अधिकतर लोग भारतीय पर्यटन विकास नगम के होटलों में जाने की स्थिति में नहीं हैं। आप मंत्री महोदय से कहें कि वे सभी संसद सदस्यों को भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल में आमन्त्रित करके यह यकीन दिलायें कि स्थिति में सुधार हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अपने सभी मित्रों को आमन्त्रित करना चाहिए।

प्रो० पी. जे. कुरियन : उनकी दरें बहुत अधिक हैं। हम वहां नहीं जा सकते।.....**(व्यवधान)**.

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय ठीक है.....**(व्यवधान)**.

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुंदपुरम) : महोदय, केरल सरकार ने इदुक्की तथा वयानाड जिलों में समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजनायें लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। वयानाड जिले के लिए परियोजना पर 385 लाख की लागत आयेगी तथा इसके अन्तर्गत 4,000 हैक्टेयर गैर–वन बंजर भूमि तथा 500 हैक्टेयर वन बंजर भूमि ली जायेगी। इस परियोजना के लागू होने पर कालपेट्टा तथा मनंथवाड़ी खंडों में छः वाटरशैड लाभान्वित होंगे। इदुक्की जिले के लिए कुल परियोजना लागत 545.34 लाख रूपए होगी तथा इसके अन्तर्गत 3827 हैक्टेयर भूमि शामिल की जायेगी।

इदुक्की, देवीकुलम तथा कटट्राप्पना खंडों में इसके कार्यान्वयन से छः वाटरशैड लाभान्वित होंगे।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि त्रिचूर तथा एर्नाकुलम जिलों सहित इन समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजनाओं को अतिशीघ्र मंजूरी दे कर कार्यान्वित करें।

तथा मैं आपका ध्यान वित्त मंत्री के केरल को विशेष सहायता देने सम्बन्धी वक्तव्य के संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कल दिए गये आश्वासन की ओर आकर्षित कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, आपने अपना भाषण बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किया है। हमने दो सदस्यों श्री अन्बारासु तथा श्री सुभाष का नाम भाषण देने के लिए पुकारा था। उस समय वे उपस्थित नहीं थे।

अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को सभा पटल पर रखा जाए।

12.35½ म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (दूसरा संशोधन) विनिमय, 1994 इत्यादि

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : महोदय, मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (दूसरा संशोधन) विनिमय, 1994, जो 21 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन–12/13/1/93–पी एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे।

(1) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (तीसरा संशोधन) विनिमय, 1994, जो 21 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन–12/13/2/92–पी एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी 6258/94)

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल. टी. संख्या 6259/94)

इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 से वर्ष 1992-93 तक के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री कमालुद्दीन अहमद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 6260/94)

(3) (एक) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 6261/94)

(5) (एक) इलैक्ट्रॉनिकी एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 6262/94)

(7) (एक) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 6263/94)

(9) (एक) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 6264/94)

(11) (एक) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 6265/94)

(13) (एक) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 6266/94)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 इत्यादि।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा०का०नि० 382(अ), जो 12 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो संश्लिष्ट ट्रैकों और कृत्रिम सतहों को और उनके संस्थापन के लिए अपेक्षित उपस्करों, जब उनका भारत में आयात किया जाए, पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण तथा अतिरिक्त सीमा–शुल्क से छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 391(अ), 19 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 12 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 103/94–सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 395(अ), जो 21 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 45/94–सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए है। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 417 (अ), जो 27 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा निर्यात और आयात नीति 1992-97 की शर्तो के अनुसार जारी विशेष आयात लाइसेंस के अंतर्गत आयात किए जाने पर सोना और चांदी पर क्रमशः 220 रूपये ग्राम और 500 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से आयात शुल्क की रियायती दर इस शर्त के अध्यधीन निर्धारित की गई है कि शुल्क की अदायगी आयातकर्ता के विदेशी मुद्रा आय लेखा में से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में की जाए, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 445(अ), जो 10 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 64/94–सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 464(अ), जो 16 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 29/86–सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 550(अ), जो 9 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 12 अगस्त, 1992 की अधिसूचना संख्या 257/92–सी०शु० में कतिपय संशोधन क़िए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का०आ० 436(अ), जो 9 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 27 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 38/92–एन०टी०सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का०आ० 559(अ), जो 27 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का०आ० 560(अ), जो 27 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन करने के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 6267/94)

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा०का०नि० 318(अ), जो 16 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संव्यूतित पोलिएस्टर फिलोमेंट्स सूत को, उक्त अनुसूची में विनिर्दष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से जितना तीन रूपये प्रति किलोग्राम की दर से संगणित रकम से अधिक है, 30 अप्रैल, 1994 तक छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 339(अ), जो 29 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चिकित्सा की आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध या होम्योपैथिक प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली औषधियों, जब इन्हें औषधि और प्रसाध अधिनियम, 1940 में विर्निदिष्ट प्राधिकृत पुस्तकों अथवा विर्निदिष्ट औषध कोष में दिये गये फार्मूलों के अनुसार तैयार किया जाता है, को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देना और उन जैव–रासायनिक औषधियों, जिनकी निकासी ब्रान्ड नाम के अंतर्गत न की गयी हो, को भी छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 374(अ), जो 7 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 5/94–के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 375(अ), जो 11 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो शुल्क के माल को जब उनका किसी कारखाने में जाब कार्य के रूप मे विनिर्माण किया जाता है, पर कतिपय शर्तों के अध्यधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 376(अ), जो 11 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो योग्य शुल्क के माल को किसी विनिर्माता द्वारा कोई जॉब कार्य कराने के लिए अपने कारखाने से बाहर किसी स्थान को निकासी करने पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से कतिपय शर्तो के अध्यधीन छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 381(अ), जो 12 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो जिनके द्वारा । मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 7/94/के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए

गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 385(अ), जो 15 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 7/94/के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 386(अ), जो 15 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 401(अ), जो 25 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 22/94/के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 402(अ), जो 25 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 403(अ), जो 25 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 404(अ), जो 25 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जूट यार्न, जूट फैब्रिको और जूट विनिर्मितियों, जिसमें जूट से बनी बोरियां और बैग शामिल है, पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत का मूल उत्पादन शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 405(अ), जो 25 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खराब न होने वाले जूट उत्पादों, लेमिनेटिड जूट उत्पादों तथा अग्नि–प्रतिरोधी जूट उत्पादों पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क, यदि ऐसे उत्पाद शुल्क संदत्त जूट फैब्रिकों से बनाए जाते हों, से छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 406 (अ), जो 25 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 50/90/ के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 407(अ), जो 25 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या 50/91/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 418 (अ) जो 27 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 70/94/के.उ.शु., 6 अप्रैल, 1994 की अधिसूचनाएं संख्या 77/94/के.उ.शु., 78/94/के.उ.शु., और 79/94/के.उ.शु.की वैधता को 31 मई 1994

तक बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 425(अ), जो 2 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 426 (अ), जो 4 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हाथ से बने और क्रोचटिड वस्त्रों पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क की एक समान दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 427(अ), जो 4 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 22/94/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 428(अ), जो 4 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा बिजली की सहायता के बिना बनाये गये साबुन को उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 429(अ), जो 4 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छतरियों, धूप की छतरियों और उनके हिस्सों को उन पर उदग्रहणीय संपूर्ण उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 430(अ), जो 4 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बसों में इस्तेमाल के आशयित विखंडित वातानुकुलनों पर शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 433 (अ), जो 4 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो जिनका आशय दिनांक 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 7/94/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 458 (अ), जो 13 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सकल यान भार 2700 किलोग्राम से अधिक वाले मोटरयानों पर उत्पाद शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) उपभोक्ता कल्याण निधि (दूसरा संशोधन) नियम 1994 जो 16 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 515(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी. 6268/94)

(3) बैंक और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी को वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य विनिबंध और शर्तें) नियम, 1993, जो 4 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 62 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (पीठासीन अधिकारी को वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य विनिबंध और शर्तें) नियम, 1993, जो 4 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 63 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अधिकरण (वसूली अधिकारी और अन्य अधिकारी कर्मचारीवृन्द वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1993 जो 4 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 64 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (अधिकारी और कर्मचारीवृन्द वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1993 जो 4 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 65 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 6269/94)

(4) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1994 जो 25 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 477 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 432 (अ) जो 6 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान निधि में किये जाने वाले अभिदानों और अभिदाताओं के खाते में जमा राशि का प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत (बारह प्रतिशत) की दर से ब्याज देय होना, अधिसूचित किया गया है, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 6270/94)

(6) 31 मई, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण पर समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 6271/94)

(7) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गांरटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गांरटी निगम, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 6272/94)

12.36 म. प.

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा में देनी है :

(i) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 155 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 11 अगस्त, 1994 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा न्यायिक सेवाएं प्राधिकारी (संशोधन) विधेयक 1992 के संबंध में 4 अगस्त, 1994 को हुई अपनी बैठक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत है :

(अधिनियमन सूत्र)

1. पृष्ठ 1 पंक्ति 1

"तैंतालीसवें" **के स्थान पर** "पैंतालीसवां" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 1

2. पृष्ठ 1 पंक्ति 4

"1992" **के स्थान पर** "1994" **प्रतिस्थापित** किया जाये?

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1994 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(iii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 11 अगस्त, 1994 को हुई अपनी बैठक में पारित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 1994 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

12.36½ म०प०

मोटर यान (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 11 अगस्त, 1994 को यथापारित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 1994 सभा पटल पर रखता हूं।

12.37 म०प०

सभा का कार्य

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, अपनी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि 16 अगस्त, 1994 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा :

1. आज के आर्डर पेपर से आगे लाए गए सरकारी कामकाज की किसी भी मद पर विचार।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भूतपूर्व आयुक्त की वर्ष 1986-87, 1987-89 के 28वें और 29वें प्रतिवेदन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग (अब राष्ट्रीय आयोग) के वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के 5वें, 6वें 7वें तथा 8वें प्रतिवेदन पर चर्चा।

3. निम्नलिखित मदों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना :

(क) ट्रेड मार्क विधेयक, 1993

(ख) मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 1994 राज्य सभा द्वारा यथापारित।

4. आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992-97 पर चर्चा।

श्री पी. सी. चाक्को (मुक्तुपुजा) : महोदय, मुझे अगले सप्ताह के कार्य के बारे में एक आपत्ति है। इस बात पर सहमति हुई थी कि केरल में बाढ़ की स्थिति पर और केरल को दी गई सहायता के बारे में वित्त मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया जाएगा। मैं महसूस करता हूं कि यह बात कार्यसूची में नहीं आई है और हम देख रहे हैं कि यह वक्तव्य आज भी नहीं दिया जा रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि चूंकि वक्तव्य आज नहीं दिया जा रहा है इसलिए कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में केरल में बाढ़ की स्थिति के बारे में और केरल को सहायता के बारे में वित्त मंत्री जी द्वारा दिया गया एक वक्तव्य सम्मिलित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सदस्यों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करेंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

1. चुनाव सुधार और

2. उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों का निपटान करने के लिए लोकपालों और लोक आयुक्तों की नियुक्ति।

12.38½ म०प०

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे), 1994-95

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1991-92

उपाध्यक्ष महोदय : अब, अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल) पर चर्चा करेंगे। इसके लिए तीन घण्टे का समय आबंटित किया गया था लेकिन हमने सात घंटे 22 मिनट समय ले लिया है। कुल इतना समय हमने ले लिया है। श्री हरपाल पवार जो बोल रहे थे।

[हिन्दी]

श्री हरपाल पंवार (कैराना) : माननीय उपाध्यक्ष जी, रेलवे की सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स पर चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

रेलवे में काफी कार्य किया गया, इसकी विस्तार से चर्चा सदन में चल रही है। नई रेलवे लाइनें भी बनाई गई, कुछ रूट्स में चेज किया गया, फैसिलिटीज बढ़ाई गई लेकिन मैं एक ऐसी रेलवे लाइन का जिक्र करने जा रहा हूं, जो दिल्ली के बहुत नजदीक है और जिसकी हालत अत्यन्त खराब है। दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली लाइन क्या बड़ौत–श्यामली चार जिलों को जोड़ती है–गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फनगर और सहारनपुर। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण इलाका है। यह बहुत ही सघन आबादी वाला कृषि के क्षेत्र के बारे में अग्रणी इलाका है तथा यहां जमीन बहुत उपजाऊ है। हालांकि इस क्षेत्र के बारे में बाहर यह कहा जाता है यह बहुत डेवेलपड इलाका है लेकिन डेवलपमेंट की बात इस इलाके के लिये नहीं की गई। मैं इस रेल लाइन के बारे में कहना चाहता हूं कि इसकी हालत इतनी खराब है कि कोई भी तेज गति से चलने वाली रेल इस रोड पर नहीं है। जो गाड़िया लगाई गई है उनके डिब्बों तथा ईंजन की हालत भी खराब है। हजारों लोग जो दिल्ली में नौकरी करते हैं उनको रोजाना अपने घरों में जाने के लिए कितनी कठिनाई होती है। उनकी हजारों चिट्ठियां हमारे पास आती हैं। हमने डिपार्टमेंट को लिखा कि उनकी समस्या को सुना जाये तथा उनकी कठिनाई को देखा जाये, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उधर से समय पर आने वाली गाड़ियां चाहिए जिससे वे रोजाना समय पर ऑफिस में पहुंच सके, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि दिल्ली पर बोझ कम हो। लोग आसपास के शहरों, कस्बों में चले जायें लेकिन गाडियां इस लायक नहीं है कि वे लोग आसानी से आ सके।

महोदय, यहां का बस रूट भी ठीक नहीं है, सड़के काफी खराब हालत में है। लोग बसों के ऊपर बैठ कर आते हैं। रेल की हालत मैंने आपको बता दी है कि गाडियां बहुत कम है जो लोगों की पूर्ति नहीं कर सकती। इसी तरह यहां से जाने का भी सवाल है। गाडियों को इस तरह से लगाया गया है कि वे जरूरी जगहों पर भी नहीं रूकती है। ऐलम में हाल्ट बनाया गया है, यहां पर पहले छोटी लाइन थी तब भी वहां बड़ा स्टेशन था। यह कस्बा है जिसकी आबादी करीब 25 हजार है लेकिन वहां गाड़ियों को नहीं रोका जाता। यहां से एक गाड़ी शाम को चलती थी

वह वहां करीब 10 बजे पहुंचती थी, वह पहले रूकती थी। अभी मुझे कुछ दिन पहले पता लगा कि वह गाड़ी वही नहीं रूकेगी। मैंने डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी तथा अधिकारियों से भी इस बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने सर्वे कराया है, लगता है कि वहां के लिए शायद पर्याप्त टिकट नहीं खरीदे जाते। उसके 10-15 दिन बाद मुझे फिर जानकारी मिली, एक कर्मचारी ने कहा कि वह गाड़ी फिर वही रूकने लगी है। मैंने पूछा कि क्यों, क्या जानकारी मिली थी उन्होंने कहा कि गलती से ऐसा हो गया, सर्वे से रिपोर्ट गलत आई है लेकिन ऐसा नहीं था। तो उस रेलवे की यह हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर डिब्बों की हालत देखी जाए तो वह बैठने लायक नहीं है। वहां रोजाना के यात्री किस तरह से ठस–ठस कर जाते हैं उसको जाकर की देखा जा सकता है। उसकी हालत इतनी खराब है, रेलवे का विभाग शायद जानता ही नहीं है कि दिल्ली से सहानपुर तक कोई लाइन यहां पर है। वहां के यात्रियों ने अनेकों बार शिकायतें की है। हम सुनते–सुनते और लिखते–लिखते थक गए लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रोड के फाटक पर कोई आदमी नहीं है, कम से कम 20-25 फाटक तो मेरी जानकारी में है जहां पर नहीं है। कस्बों और गांवों के बीच से गाड़ी गुजरती है और वहां आदमी नहीं है। मैं आपको एक जगह का, ऐलन का उदाहरण दे सकता हूं जहां कि सौ से ज्यादा आदमी मर चुके है। मैं पिछले 3-4 सालों से लिख रहा हूं, पहले जो मंत्री थे उनको भी मैंने कहा था। एक मंत्री जी ने जांच भी कराई थी, उस जांच में आया कि वहां तो एक भी आदमी नहीं मरा है जब कि सौ आदमी मरे है क्योंकि गांव वाले पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं इसलिए रिकार्ड में नहीं है। वहां जो हालत है उसको देखते हुए वहां फाटक पर आदमी का होना अत्यंत जरूरी है। वहां पर सड़क क्रास करने में लोगों को बहुत परेशानी होती है और यह समस्या कोई एक स्थान पर नहीं है। इस रास्ते में कम से कम 20 कस्बे और शहर है, जहां पर फाटकों पर इस तरह की समस्या है, लेकिन बार–बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

इसी तरह से इस रूट पर तेज गति की गाड़ियां भी चलाई जानी चाहिए। इस रूट की जो दूसरी लाईन है, जो अम्बाला, करनाल, पानीपत से जाती है, उस पर शाने पंजाब, शताब्दी, हिमालयन क्वीन आदि 4-5 तेज गति की गाड़ियां है। या तो इनमें से किसी गाड़ी को इस रूट द्वारा चलाया जाए, यदि यह संभव नहीं है तो भविष्य में इस रूट से कोई नई गाड़ी चलाई जाये, यह मेरी प्रार्थना है।

एक और हमारे इलाके के लोगों की बहुत पुरानी मांग को यहां पर रखना चाहूंगा। मुजफ्फरनगर से पानीपत, मेरठ से पानीपत और हरिद्वार से पानीपत तक जाने के लिए एक गाड़ी चलाई जानी चाहिए। हरिद्वार एक पवित्र स्थान है, हरियाणा से बहुत लोग वहां जाते है और इधर से भी जिन लोगों को हरिद्वार जाना होता है, उनको भी कठिनाई होती है। मुजफ्फरनगर से पानीपत को जोड़ने के लिए सिर्फ 60-70 किलोमीटर लाईन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मेरठ से मुजफ्फरनगर

तक और हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक लाईन बनी हुई है, इस टुकड़े को बना देने से यहां के लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। वहां के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग है। वहां के लोगों को रिश्तेदारियों में और नौकरियों के लिए आना–जाना पड़ता है और इसके लिए रोजाना मेरे पास पत्र आते हैं। इससे उन लोगों की समस्या दूर हो सकेगी।

इसी तरह से मुजफ्फरनगर के लोगों को इलाहाबाद और लखनऊ आना–जाना पड़ता है, क्योंकि इलाहाबाद में हाईकोर्ट है और लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। पिछली दफा सहारनपुर से इंतजाम किया गया था कि मेरठ से जो गाड़ी बन कर चलती है, मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए एक बोगी लगाने का इंतजाम किया गया था। मेरा निवेदन है कि 1-2 बोगियों से काम चलने वाला नहीं है, इससे समस्या हल नहीं होगी, मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक खास शहर है, इसलिए या तो अलग से इस रूट पर एक गाड़ी चलाई जाए या और कोचेज को इसमें जोड़ा जाए; ताकि समस्या कुछ कम हो सके। मुजफ्फरनगर में फाटक की भी समस्या है, अभी तक फाटक नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से एक रोड़ भी अभी नहीं चालू हो पाया है। मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि मुजफ्फरनगर की समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास वक्त होना चाहिए। मैंने कई बार उनको लिखा है और यहां पर भी कई बार जिक्र किया है। दिल्ली से सहारनपुर वाया बडौत, शामली ट्रेन की हालत यदि नहीं सुधारी गई और नई गाड़ियां नहीं बढ़ाई गई, समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो मेरे पास लगातार हजारों पत्र धरना आदि देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेल इस देश की ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है, जो इसको एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम करती है। रेल विभाग द्वारा किए गए अच्छे–बुरे कार्यों का प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। रेल में कोई कमी आई हैं, ऐसा में नहीं मानता। एक कमी अवश्य आई है राजधानी और 4 महानगरों को अच्छी रेल सेवाएं प्राप्त हुई है, लेकिन जो राज्यों की राजधानियां है, वे हमेशा रेलवे की ओर से उपेक्षित रही है। हम लोग बिहार से तुलना करते हैं। बिहार में रेलवे की स्थिति इतनी खराब है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता।

मैंने रेलवे बजट पर भी अपनी बातों को रखा और आज फिर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के काफी मजदूर दिल्ली, चंडीगढ़ या अन्य जगहों पर जाते हैं, लेकिन उनके जाने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। हरेक गाड़ी में रिजर्वेशन की व्यवस्था होती है और जो मजदूर काम करने के लिए आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि रिजर्वेशन कहां होता है? मैंने मांग की थी कि जनता एक्सप्रैस चला दीजिए जो दिल्ली से नार्थ ईस्ट की तरफ जाए। जब हम लोगों के लिए राजधानी एक्सप्रैस या शताब्दी एक्सप्रैस चला सकते हैं तो हम देश की सत्तर प्रतिशत आबादी जो गरीब है और मजदूरी करने के लिए बाहर जाने की सोचते हैं तो उनकी सुविधा की

तरफ आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं चाहता हूं कि शीघ्रताशीघ्र मंत्रालय को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मंत्री जी को भी दिल्ली स्टेशन पर जाने को मौका मिला होगा। वहां पर जाकर हम देखते हैं कि यात्रियों की स्थिति क्या है? वैशाली एक्सप्रैस, अवध एक्सप्रैस और श्रमजीवी एक्सप्रैस में यात्रियों के चढ़ने के लिए एक या दो बोगी होती है। उस बोगी में चढ़ने के लिए वह गरीब व्यक्ति रात से बैठा रहता है चूंकि दिन में एक बजे से बोगी खुलेगी तो उसमे वह बैठ जाएगा। आप सोच सकते हैं कि क्या दिक्कत होती होगी। यह स्थिति देश की राजधानी दिल्ली में है जिसको आप समझ सकते है। इसमें सुधार हो सकता है क्योंकि यह नहीं है कि रेल मंत्रालय खर्च नहीं करता है और गाड़ी नहीं चला सकता है बल्कि सोचने की कमी रहती है और लगता है ऐसा ही होता रहेगा। कई सदस्यों ने कहा है कि गाड़ियां बहुत लेट चलती है। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि श्रमजीवी एक्सप्रैस सात–आठ घंटे बहुत विलंब से चलती है और इसी तरह अवध एक्सप्रैस भी विलंब से चलती है, लेकिन उसमे सुधार हो सकता है। अगर जनता को ऐसी दिक्कत होती है तो जो भी सरकार रहेगी तो जनता उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी क्योंकि आप गाड़ी में पानी नहीं दे सकते हैं, झाड़ू नहीं लगाया जाता और उनके लिए रिजरवेशन की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार हो तो उसको सरकार में रहने को कोई अधिकार नहीं हो सकता। हम बिहार के इंटीरियर इलाके से आते हैं। वहां पर एक जानकी एक्सप्रैस और कोसी एक्सप्रैस चलती है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि हरिहरनाथ एक्सप्रैस में इंजन डीजल का लग गया, लेकिन जानकी और कोसी एक्सप्रेस में लाईट, पानी और सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। जब हम ट्रेन के डाईवर से पूछते है तो वह कहता है कि कोयला घटिया है, हम क्या करे। वह जनता के बीच में आकर कहता है एम. पी. साहब हम ऐसी कठिनाइयों से गुजर रहे है तो आप इनको दूर करवाएं। ये सब छोटी–छोटी बातें हैं कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सरकार चाहे तो मिनटों में हल कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कर्मचारियों के बारे में बोला हूं। अब नहीं बोलना चाहता था, लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। कटिहार में एक तेज नारायण तांती पोस्टेड है। उनकी जान को खतरा है। मैंने 6 बार डी. ओ. लैटर मंत्रीजी को और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखा कि इसकी जान को खतरा है, इसे कहीं और नियुक्त कर दे, क्योंकि कभी भी इस व्यक्ति का मर्डर हो सकता है। मेरे लिखने से यह असर हुआ कि उसको संस्पेंड कर दिया और अब उसको वहां जाने नहीं देते। क्या ऐसे कर्मचारियों के लिए रेल मंत्रीजी नहीं है, क्या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है।

दूसरी बात और कहना चाहता हूं। दिल्ली में रेलवे के कार्यालय में नियुक्त दलबीर सिंह के बारे में भी मैंने कहा था। वह एक अच्छा कर्मचारी है। रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात उन्होंने उठाई थी। जब इसकी जांच हुई तो भ्रष्टाचार के प्रमाण भी विभागीय जांच में मिले है। नतीजा यह हुआ कि जहां वह था वहां से हटाकर उसे तुगलकाबाद स्थानांतरित कर दिया। यह उसके साथ अन्याय हुआ है। उपाध्यक्षजी, फिर आप रूलिंग देते हैं कि व्यक्ति विशेष का मामला नहीं उठाया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां रहते हुए आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते है। यदि आपकी कोई निजी गंभीर समस्या है तो आप उसे उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : धन्यवाद। ऐसे ही एक आनंद राय जो समस्तीपुर के परिमंडल में कार्यरत थे, उनका भी मामला है। वहां हड़ताल हुई थी तो उन्होंने निष्ठा के साथ काम किया था। मैं उस समय विधायक था। सरकार ने तब अपील की थी कि जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं होगें उनकी सेवा नियमित की जायेगी। और लोगों की तरह इन्होंने भी सरकार की बात को मानकर उस समय जाइन किया था। वह दिसम्बर में रिटायर होंगे। लेकिन उनकी पेंशन के मामले में सर्विस ब्रेक कर दी गई है। यह आदमी अकेला समस्तीपुर में पड़ा हुआ है। मैंने तीन बार इस संबंध में सरकार को लिखा, लेकिन मुझे अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। मैं रेलवे से इसलिए मतलब रखता हूं क्योंकि मैं आल इंडिया गार्ड कौंसिल का अध्यक्ष हूं। मद्रास में, बम्बई और दिल्ली में क्या घटना घटती है, इसकी मुझे जानकारी हो जाती है। मंत्रीजी मुझें ज्यादा बोलने का अवसर न दे, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का सदस्य हूं और अगर मैं चौराहे पर आकर बोलूं तो यह ठीक नहीं होगा।

असम के लिए आपने राजधानी एक्सप्रैस चलाई है, यह एक अच्छी बात है। बरौनी जंक्शन हम लोगों का बड़ा स्टेशन है। वहां राजधानी का ठहराव है, मुझे मालूम हुआ है कि आप वहां ठहराव नहीं रखना चाहते। मैं भी उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि वहां ठहराव की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसके बजाय खगरिया में ठहराव कर दें। इससे राजधानी एक्सप्रेस को एक निश्चित दूरी तक रूकने के लिए जो पर्याप्त समय चाहिए, वह भी मिल जायेगा। बरौनी से खगारिया की दूरी केवल 40 किलोमीटर है। खगरिया में ठहराव करने से खगारिया, सहरसा और मुंगेर आदि कमिश्नरीज के लोगों को सुविधा होगी। क्योंकि बरौनी में ठहराव से उनको कठिनाई होती है।

1.00 म०प०

इसलिये इतनी कृपा तो आप अवश्य करिये कि यदि बरौनी में राजधानी एक्सप्रैस को स्टापेज हटाना चाहते हैं, तो मेरी सहमति है और उसके स्थान पर खगारिया में कर दे। इसका कारण यह है कि खगारिया कमिश्नरी में कई जिले आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर रेलगाड़ी को कोटा 7 स्थानों के लिये दिया हुआ है जबकि वहां पर 40-50 आदमी आते रहते हैं। जैसा कि श्री राम शरण यादव जी ने बताया वहां पर मारा–मारी होती हे, तो मैं यहीं कहूंगा कि कोटा बढ़ा दिया जाये। लोग पैसा देने के लिये तैयार है तो फिर क्या दिक्कत है?

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले रेल बजट में माननीय रेलमंत्री जी ने मानसी जंक्शन फारबिसगंज के अमान परिवर्तन के लिये मीटर गेज से ब्राडगेज में परिवर्तित करने हेतु अपने भाषण में जिक्र

किया और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस खंड के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा करवा दिया है जिसके लिये 1.1 करोड़ रूपया दिया गया था। यह ऐरिया नेपाल बार्डर से बिलांग करता है। इस रेल लाईन के लिये स्व० रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने भी वायदा किया था लेकिन वे नहीं रहे और आज तक यह योजना लम्बित ही रही। उसके बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मुखर्जी के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह मांग की गयी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि विभाग काम करे तो वे रूपया देने को तैयार है। मेरी इस संबंध में आज भी बात हुई है। मैं इसलिए इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी तैयार है, प्रणव बाबू तैयार है और रेल मंत्रालय इसके लिए तैयार है तो अगले बजट में इस रेल लाइन को ब्राड गेज में परिवर्तित करवा देवे ताकि उस क्षेत्र की जनता की चिरप्रतीक्षित मांग को पूरा किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, नयी रेल लाईन बिछाने की जो योजना बनायी गयी है, उसके लिये निवेदन है कि जितने फंड्स उपलब्ध है, और जिन स्थानों के लिये निर्णय किया गया है, उनको पहले पूरा करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रवण कुमार पटेल।

.....**(व्यवधान)**.....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाटिल जाना चाहते हैं। जैसे ही वे अपना भाषण समाप्त कर लेगें, तो हम मध्यान्ह भोजन के लिए सभा स्थगित कर देंगे।

.....**(व्यवधान)**.....

श्री सुबास चन्द्र नायक (कालाहांडी) : मुझे काफी समय से बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। अब भी मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया है ..... **(व्यवधान)** .....

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायक जब आपका नाम पुकारा गया था जब आप सभा में अनुपस्थित थे। आपका नाम दो बार अलग–अलग समय पर पुकारा गया था। यह कार्यवाही–वृतांत में हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आप यहां नहीं थे।

श्री सुबास चन्द्र नायक : नहीं महोदय मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी आपको अवसर देंगे। दुर्भाग्यवश आप उस समय उपस्थित नहीं थे। ठीक है हम बाद में आपको बोलने का अवसर देगें।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। यदि रेल मंत्री सभा में उपस्थित होते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती लेकिन दुर्भाग्यवश पहले से कुछ कार्य न होने के कारण वह आज दिल्ली में नहीं है। तथापि, मुझे विश्वास है कि संसदीय कार्य मंत्री मेरे भाषण के महत्वपूर्ण मुद्दों को नोट कर लेगें?

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री को मुद्दे नोट करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मैं जानता हूं।

महोदय, हमारे देश का आर्थिक विकास अधिकांशतः भारतीय रेलवे की कुशलता पर निर्भर करता है और उदारीकरण नीति की घोषणा के बाद भारतीय रेलवे के कार्यनिष्पादन का महत्व काफी बढ़ा है। उदारीकरण नीति की सफलता भारतीय रेलवे के कार्य निष्पादन पर निर्भर करती है।

महोदय, आज मैं मध्य प्रदेश के अपने अन्य सार्थियों के साथ प्रधान् मंत्री से मिला था। हमने भारतीय रेलवे के बारे में ही चर्चा की थी। हमारी उपस्थिति में माननीय प्रधान मंत्री ने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया था वे हैं– नई गाड़ियां आरंभ करना रेल–लाइनों का विद्युतीकरण और लाईन परिवर्तन माननीय प्रधान मंत्री ने यह ठीक कहा था कि आज सबसे महत्वपूर्ण कार्य लाइन–परिवर्तन का है। लाइन– परिवर्तन से ही पूरा राष्ट्र पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक एक जुट हो सकता है। हम माननीय प्रधान मंत्री की इस बात-से सहमत थे।

आज, मध्य प्रदेश के सभी सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री को एक हस्ताक्षरित ज्ञापन दिया है जिसमें जबलपुर और गोन्डिया के बीच लाइन–परिवर्तन का कार्य शुरू करने का आग्रह किया जाए। कुछ दिन पूर्व शून्य काल के दौरान मैंने यह मुद्दा उठाया था कि जबलपुर से गोन्डिया के बीच कार्य शुरू किया जाए। चन्दरपुर से गोन्डिया के बीच कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। यह योजना रेलवे की कार्य योजना में पहले ही शामिल की जा चुकी थी। तथापि संसाधनों की कमी के कारण जबलपुर से गोन्डिया के कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री ने 27 सितम्बर, 1993 को जबलपुर में इस योजना की नींव रखनी थी लेकिन मध्य प्रदेश विधान सभा के चुनावों की घोषणा होने से इसे स्थगित कर दिया गया।

अभी वहां रेल–रोको आंदोलन हुआ था जिसमें 1000 लोगों ने भाग लिया था। उन्होंने कई घंटों तक गाड़ियां रोक कर रखी थी। उन्होंने गिरफ्तारियां भी दी इस संबंध में मैंने माननीय प्रधान मंत्री तथा रेल मंत्री को तार भेजे थे।

महोदय, चूंकि सरकार ने बहु–लाइन प्रणाली को लागू करने की नीति की पहले की घोषणा कर दी है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि लाइन–परिवर्तन का कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसा करने से उस क्षेत्र के जनजातिय व्यक्तियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। इससे दक्षिण तथा उत्तर के मध्य एक रास्ता खुल जाएगा। जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है और हमारे क्षेत्र के हजारों गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसलिए मेरा पहला मुद्दा यह है कि जबलपुर और गोन्डिया के बीच लाइन परिवर्तन का कार्य तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। कुछ समय पहले मैंने माननीय रेल मंत्री के साथ पत्र व्यवहार किया था और उनसे आग्रह किया था कि केन्द्रीय क्षेत्र का क्षेत्रीय मुख्यालय जबलपुर में खोला जाए। उन्होंने स्वीकार किया था कि जब भी रेलवे यह मामला लेगा वह जबलपुर के दावे को ध्यान में रखेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री इस अनुरोध को ध्यान में रखेंगे और उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

जबलपुर और भोपाल मध्य प्रदेश के दो अति महत्वपूर्ण शहर है। इन दो शहरों को जोडने वाली कोई भी तेज रफ्तार की गाड़ी नहीं है। जबकि यहां पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। अतः मेरा सरकार से यह सुझाव है कि एक तेज रफ्तार की गाड़ी को भोपाल के लिए प्रातः जबलपुर से चलना चाहिए क्योंकि वह दूरी तय करने में पांच घंटे का समय लगेगा और इसे भोपाल से जबलपुर के लिए भी प्रातः 6 बजे ही चलना चाहिए ताकि यह दोपहर 11.00 बजे तक जबलपुर पहुंच सके। यदि ऐसा होता है तो यात्रियों को आने–जाने में सुविधा होगी।

महोदय, कटनी मध्य प्रदेश का अति महत्वपूर्ण शहर है। यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। मैंने माननीय रेल मंत्री को बार–बार यह लिखा है कि खिरैनी रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल बनाया जाना चाहिए। इससे हमारे क्षेत्र में आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। दिन में लगभग 5-6 घंटे यह रेलवे फाटक बंद रहता है और यातायात की बहुत भीड़ रहती है। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि मुदवारा रेलवे यार्ड पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किया जाए।

जहां तक अमरकंटक एक्सप्रैस का संबंध है यह अति महत्वपूर्ण गाड़ी है। यह महाकौशल क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र को राजधानी से जोड़ती है। यह गाड़ी सप्ताह में तीन दिन चलती है। इस क्षेत्र के सभी सदस्य अनुभव करते हैं कि अमरकंटक एक्सप्रैस रोजाना चलाई जानी चाहिए। महानदी एक्सप्रैस नागपुर से होकर गुजरती है वह घाटे में चल रही है। इस मामले की गहन जांच की जानी चाहिए और यदि संभव हो तो हमारे क्षेत्र की जनता को यह सुविधाएं दी जानी चाहिए।

महोदय, जहां तक इंदौर–बिलासपुर एक्सप्रेस संख्या 3334 का संबंध है मुझे खेद है कि इस गाडी से एक रेक (डिब्बा) हटा दिया गया है। जिनका महत्व इसे दिया जाना चाहिए उतना दिया नहीं गया है। हाल ही में प्रथम श्रेणी का डिब्बा भी हटा दिया गया है।

इस संबंध में न केवल मेरे क्षेत्र की जनता ने आंदोलन किया था बल्कि मेरे अन्य सहयोगियों के क्षेत्रों में भी आंदोलन हुआ था। यह गाड़ी इंदौर से भोपाल के बीच देर से पहुंचती है। यह चार–पांच घंटे देर से पहुंचती है।

तब भोपाल से जालंधर रात्रि को चलने वाली गाड़ी काफी देरी से चलती है और फिर यह सवारी गाड़ी बन कर रह जाती है। अतः इस गाड़ी को उतना महत्व दिया जाना चाहिए जितना इसके लिए अपेक्षित है।

महोदय, राजकोट एक्सप्रैस राजकोट और भोपाल के बीच चल रही है। कई लोग, खासकर व्यापारी लोग जबलपुर, अहमदाबाद और गुजरात के बीच दैनिक यात्रा करना चाहते हैं। इसके लिए मैं रेलवे विभाग को लिखता रहा हूं कि हमें कुछ सुविधाएं प्रदान की जायें। यदि इस एक्सप्रैस को जबलपुर तक बढ़ा दिया जाता है तो यह सबसे अच्छी बात होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि रेलवे की कतिपय समस्याएं है। अतः मेरा सुझाव यह है कि कम से कम एक रेल डिब्बा इसमें जोड़ दिया जाना चाहिए जिसे जबलपुर तक किसी अन्य गाड़ी द्वारा ले जाया जा सके ताकि लोग जबलपुर और अहमदाबाद के बीच दैनिक यात्रा कर सकें। इस बात को कहते हुए मैं यह भी कहूंगा

वाराणसी–सूरत तापती गंगा एक्सप्रैस अर्थात् 4245 और 4246 गाड़ी को भी अहमदाबाद तक बढ़ाया जाना चाहिए। इससे भी हमारा मकसद हल हो जाएगा।

बीना और जबलपुर बारास्ता सागर, दामोह और कटनी के बीच विद्युतीकरण का कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। यह कार्य भी आरंभ किया जाना चाहिये।

जहां तक गोंदावाना सुपरफास्ट एक्सप्रैस का प्रश्न है, आज अपराह्न मैं एक गाड़ी से जा रहा हूं। माननीय रेल मंत्री ने मध्य प्रदेश के संसद सदस्यों की मांग को स्वीकार कर और हमे यह गाडी की सुविधा प्रदान कर बहुत ही कृपा की है। इसके लिए हम उनके प्रति बहुत ही आभारी हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें यह सुविधा सुपरफास्ट गाड़ी के रूप में प्रदान की गई थी। लेकिन किसी प्रकार कुछ अतिरिक्त इसमें जोड़ दिये गये हैं। मैं यह नहीं चाहता कि यह गाड़ी एक सवारी गाड़ी बन कर रह जाये। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए हम यह चाहते हैं कि यह गाड़ी उसी तरह ही चलनी चाहिए जिस तरह से यह चलती रही है। यात्रा का समय कम करके तीन या चार घंटे कर दिया जाना चाहिये। मैं यह भी महसूस करता हूं द्वितीय श्रेणी शयनयान के अतिरिक्त आधा डिब्बा प्रथम श्रेणी वातानुकूलित भी इस गाड़ी में जोड़ दिया जाना चाहिए।

मेरे साथी, रामगढ़ से निर्वाचित संसद सदस्य भी रामगढ़ रेलवे स्टेशन के नवीकरण के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहते हैं। रेलवे विभाग ने इस प्रयोजन के लिये 1 करोड़ रूपये आबंटित किये थे। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह सुविधा वापिस ले ली है। यदि यह सच है तो यह बहुत ही अनुचित बात है।

मैं अपने साथी की एक बात उत्कल एक्सप्रेस के बारे में भी कहना चाहता हूं जो कि हर रोज लगभग आठ से दस घंटे देरी से चल रही है।

मैं अपनी अंतिम बात रेल विभाग के कर्मचारियों के रवैये के बारे में कहना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश कभी कभी हमें कुछ परेशानी होती है। हम इसे एक मुद्दा नहीं बनाना चाहते लेकिन तथापि, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रेलवे कर्मचारियों को ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। जब कभी कोई समारोह अथवा कोई उद्घाटन अथवा शिलान्यास समारोह आयोजित किया जाता है, तो हम कम से कम यह आशा करते हैं कि संसद सदस्यों को निमंत्रण पत्र भेजा जाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, अपने क्षेत्र के लोगों की मांगों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिये आपका अति धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि रेल विभाग द्वारा इन पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सुबास चन्द्र नायक : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं हिन्दी में बोलने के लिये तैयार था . .... **(व्यवधान)** .....

उसके बाद मैंने डिमांड किया मैं उड़ीया में बोलना चाहता हूं। मुझे परमीशन मिलनी चाहिए। मैंने परसों इस बारे में लिखकर दिया है। इसलिये मैं आज उड़ीया में बोलूंगा। क्या मेरी बातों को यहां बैठे आफिशियलस या मंत्री जी समझ सकेंगे?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा मध्याह्न भोजन की लिये स्थगित होती है और इसके बाद आप अपनी बात कहेंगे।

"अब यह सभा 02.15 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।"

1.14 म०प०

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 02.15 म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

2.20 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.20 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन** हुए)

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे) 1994-95 ;
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1991-92 - जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुबासचन्द्र नायक जी अपने विचार रखें।

[हिन्दी]

श्री सुबास चन्द्र नायक (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो यहां रेलवे सप्लीमेंटरी बजट हो रहा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उड़िया में मेरे भाईयों ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उड़िया में बोलूं। इसलिए उड़िया में बोलने के लिए मैं परसों से लिख रहा हूं। आपने मुझे उड़िया में बोलने की इजाजत दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं :

[अनुवाद]

*अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे) का तहदिल से समर्थन करता हूं। महोदय, उड़ीसा राज्य ने माननीय प्रधान मंत्री श्री पी. वी. नरसिंहराव और माननीय रेल मंत्री श्री सी. के. जाफर शरीफ के आर्शीवाद से रेलवे के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। विगत तीन वर्षो के दौरान इन्होंने उड़ीसा राज्य की और उचित ध्यान दिया है। अतः मैं अपनी ओर से और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं उड़ीसा कै कालाहांडी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह एक पिछड़ा हुआ जिला है। कालाहांडी के लोगों को रेलवे के मामले में कोई अधिक लाभ नहीं मिला है। अतः

* मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैंने रेलवे के बारे में बोलना चाहा है। महोदय, मुझे याद है कि पिछले बजट सत्र में रेल बजट पर हुई चर्चा में भाग लिया था। चूंकि सभा में रेल बजट पर चर्चा हो रही थी, मैं पूरी रात नहीं सो सका। मुझे प्रातःकाल 5.00 बजे बोलने का अवसर मिला था। यह कार्य मैंने इसलिये किया क्योंकि किसी ने मुझे रेलवे विषय पर बोलने का सुझाव दिया था। उसने यह कहा था कि "सरकार आपके निर्वाचन क्षेत्र के लिये कुछ न कुछ करेगी। यदि आप अपनी समस्या को उठाते हैं, तो आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोग प्रसन्न हो जायेगें।

[हिन्दी]

पिछली रेल बजट की बहस पर मैं रात भर सोया नहीं था। किसी ने मुझसे कहा था कि अगर आप रेलवे बजट में कुछ डिमांड रखेंगे तो इससे आपकी कांस्टीट्यन्सी को आगे उड़ीसा क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। इसी भरोसे में रात भर सोया नहीं और सुबह 5 बजे तक मैं यहां पर बैठा रहा। रेलवे बजट में कुछ बोलने के लिए मुझे सुबह 5 बजे बोलने के लिए मौका मिला। मैं 20.3.93 को भी बोला था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कालाहांडी में लोजीगढ़ रोड में जूनागढ़ तक एक नई रेलवे लाइन का फाउंडेशन 22.4.93 को किया। इससे हमारी कालाहांडी की जनता बहुत खुश हुई कि रेल मंत्री के आर्शीवाद से कमाल हो गया। कालाहांडी के एम.पी. श्री भक्त चरणदास जो कि पहले रेल मंत्री भी थे, वह यह काम नहीं करा सके। तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अचानक कालाहांडी आकर एक नई रेल लाइन हमको दी। इससे हमारे आदिवासी क्षेत्र को बहुत खुशी हुई। पिछली दफा जब रेलवे बजट पेश हुआ था तब मुझे बोलने का मौका मिला था। उस दिन मैंने सोचा था कि कुछ होगा परंतु उसके बाद मैंने देखा कि रेलवे का सर्वे वर्क फोनिशड हो गया है। लांजीगढ़ से जूनागढ़ तक नई रेल लाइन जो कि 54 किलोमीटर है, के लिए भारत सरकार ने रेल डिपार्टमेंट को 2 करोड़ रूपये देना नामंजूर कर दिया। मगर उसके अंदर की बात क्या है?

[अनुवाद]

*जिस समय प्रधान मंत्री जी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए रेलवे की योजना को स्वीकृति दी थी, तो उस समय कालाहांडी के लोगों को काफी प्रसन्नता हुई थी। लोजीगढ़ रोड़ से जूनागढ़ तक नई रेलवे लाईन का निर्माण किया जा रहा है। जैसाकि आप जानते हैं, कालाहांडी एक पिछड़ा हुआ जिला है जहां पर काफी संख्या में आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। लोजीगढ़ से जूनागढ़ तक रेल लाइन के निर्माण के लिये भारत सरकार ने दो करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं। लेकिन बड़े खेद की बात है कि यह धनराशि निर्माण कार्य पर अभी तक भी खर्च नहीं की गई है। इसके पीछे क्या कारण है? दुर्भाग्यवश माननीय मंत्री जी यहां पर विद्यमान नहीं हैं। वरन् मैं उनसे पूछता कि कार्य अभी तक आरंभ क्यों नहीं किया गया और निधि को कहां पर लगा दिया गया है?

---

* मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

दो करोड़ रूपये देने के बाद भी आज तक खर्च क्यों नहीं हुए? मंत्री जी को इसका कारण बताना चाहिए। मैं समझा कि हमसे कुछ गलती हो गई है। मेरे भाइयों ने हमसे कहा कि यह तो प्रधानमंत्री जी का आर्शीवाद है, रेल मंत्री जी ने डायरैक्ट दिया है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसलिए यह काम जरूर शुरू होगा। मैं इसकी इन्क्वारी करने कलकत्ता गया तो पता लगा कि वहां श्री वसाली, चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर है। मैं उनकी सिनसेयरिटी, को क्वश्चन नहीं करता। वे चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर कलकत्ता में रहते है जोकि एस. ई. रेलवे, कलकत्ता के अंडर आता है जबकि उनका आफिस भुवनेश्वर में है। मैं जानना चाहता हूं कि वे भुवनेश्वर में न रहकर कलकत्ता में क्यों रहते हैं? क्या उनकी पोस्टिंग कलकत्ता में हुई है? उनकी पोस्टिंग उड़ीसा की रेलवे लाइन का विकास करने के लिए हुई है। वे जब तक भुवनेश्वर में रहकर काम नहीं करेंगे तब तक उड़ीसा का विकास नहीं हो सकता है।

मैंने इस रेलवे बजट का स्वागत किया है। कालाहांडी पिछड़ा इलाका है। यदि वहां पर नई रेल लाइन शुरू हो जायेगी तो हमारी जनता भी गाड़ी में जाएगी। हमने या कसूर किया है जो हमारे वहां इरीगेशन की व्यवस्था नहीं है, इंडस्ट्री की व्यवस्था नहीं है और न ही लेबर के कार्य करने की कोई व्यवस्था है। उड़ीया में बोलते हैं :

[अनुवाद]

*यदि आप अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी मातृ भाषा का सुधार करें और अपनी भाषा के सुधार के लिये कार्य करें।

[हिन्दी]

यदि उड़ीसा को आगे ले जाना है या अपनी मातृभूमि को ऊंचा उठाना है तो अपनी भाषा को आगे लाना होगा। इसलिए आज हमारे उड़ीया भाइयों ने हमसे कहा कि आपको उड़ीया में बोलना पड़ेगा। फिर किसी ने कहा कि आप उड़ीया, हिन्दी और अंग्रेजी में बोले क्योंकि सिर्फ उड़ीया बोलने से सब समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं उड़िया, हिन्दी और अंग्रेजी मिक्स्ड भाषा में बोल रहा हूं। यहां पर मनमोहन सिंह जी बैठे हैं। मैं बार–बार माननीय रेल मंत्री जी से मिला और दो करोड़ रूपयों को पांच करोड़ करने के लिए कहा।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जब तक चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर भुवनेश्वर में नहीं बैठेगे, तब तक उड़ीसा की रेल लाइन का कार्य नहीं हो पाएगा। इस बारे में मेरी बहुत सी मांगे भी है। मैंने पिछली बार भी कहा था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं बार–बार उस बात को बोलना चाहता हूं। मैंने 8.3.94 को रेल बजट की चर्चा में जो बोला था, उसमें सब कुछ बताया था। उसका किसी तरह से हल कर देगे, अगर वह काम कर देंगे तो हमारा उड़ीसा बहुत आगे जायेगा। आज उड़ीसा गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन के लिए,

* मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जूनागढ़ लांजीगढ़-रोड के लिए मैं बोल रहा हूं, उनका भवानीपटना डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। भवानीपटना डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के कलैक्टर ने, रेवेन्यु डिपार्टमेंट ने इसके लिए लैंड भी दे दी है। इसके लिए मैं और हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री श्री के. पी. सिहंदेव, दोनों मिलकर श्री जाफर शरीफ जी के आफिस में गये थे, उनसे हमने प्रार्थना की थी कि आप वहां पर चलिये और रेलवे स्टेशन का अपने हाथ से इनोगरेशन करिये तो उन्होंने हमको इसके लिए एक तारीख दी थी। सब लोग जानते हैं कि रथ यात्रा उड़ीसा का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। उस दिन जगन्नाथजी की रथयात्रा का दिन था, उसी दिन हमने निस्पत्ति की कि भवानीपटना में रेलवे स्टेशन होगा। हमने यहां पर मैसेज दे दिया, सरकार की तरह से भी मैसेज चला गया तो मेरे कालाहांडी की जनता बहुत खुश हो गई कि भवानीपटना में रेलवे स्टेशन होगा। जिस भवानीपटना में इंदिरा गांधी गई थी, जब राजीव गांधी पावर में नहीं थे तो राजीव गांधी भवानीपटना में गये थे। उनसे हम लोगों ने डिमांड की कि हम लोग बैकवर्ड हैं, हमको एक रेडियो स्टेशन दीजिए, एक टी वी स्टेशन दीजिए। उन्होंने वहां पर घोषणा की थी, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं अगर किसी दिन पावर में आऊंगा तो आपको टी वी स्टेशन जरूर दूंगा, आपको रेडियो स्टेशन जरूर दूंगा। जब वह प्राइम मिनिस्टर पद पर बैठे तो उन्होंने पहले कालाहांडी वासियों का सपना पूरा किया। उन्होंने कालाहांडी में 100 के. वी. का एक टी वी स्टेशन दिया तो उनका जो सपना था, इंदिरा गांधी का जो सपना था, पंडित जवाहर लाल नेहरू का जो सपना था कि जब तक कालाहांडी आगे नहीं जायेगा, हिन्दुस्तान आगे नहीं जायेगा, उसको उन्होंने पूरा किया।

मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर हमने श्री जाफर शरीफ साहब का प्रोग्राम दे दिया और वह प्रोग्राम हमने गांव–गांव में जाकर बोल दिया। लेकिन बाद में जाफर शरीफ जी के आफिस से फोन आ गया कि साहब की तबियत खराब है, साहब अभी नहीं जा सकेंगे। आप सोच सकते है कि मेरी जनता का क्या हाल हुआ होगा। वह बोलते हैं कि क्या जाफर शरीफ, रेल मंत्री का प्रोग्राम रखा, वहां के कालेज के छात्र खुद आये थे, और मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि हमारे कालेज का फंक्शन आप अटैण्ड करो तो वह राजी हो गये और मंत्री महोदय ने लिखकर दे दिया। इनके न जाने से वहां पर कालेज का प्रोग्राम भी नहीं हुआ।

आज फिर कालाहांडी की जनता सोचती है कि क्या सचमुच भवानीपटना में रेलवे स्टेशन होगा? क्या सचमुच जाफर शरीफ जी आयेंगे और यहां पर इनोगरेशन करेंगे? उनका जो सोचना है, उसमें उस प्रोग्राम की वजह से बाधा पड़ी है। मैं आपके माध्यम से फिर रेल मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि कालाहांडी की जनता को खुश करें, और उनकी आत्मा को संतोष प्रदान करें और तुरंत जाकर भवानीपटना में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करें इसके लिए सरकार की जमीन भी हमारे पास है, पैसा भी है इसलिए आप अगर चले जाते है तो वहां रेलवे स्टेशन हो जायेगा। रेलवे स्टेशन होने से वहां पर सारे आफिसर्स भी आयेंगे और वहां पर 3-4 मिनट के लिए रिव्यू भी करेंगे तो मेरा काम हो जायेगा। इसके लिए मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं। मंत्री जी तो यहां पर नहीं है, नहीं तो मैं यहां पर बैठने के लिए तैयार था। फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को फिर अनुरोध कर रहा हूं कि भवानीपटना जाकर कालाहांडी की जनता

को और मुझे खुश कर दें।

केसिंगा, नरला रोड, रूक्का रोड, लांजीगढ़ रोड़ स्टेशनों को अगर आप देखेंगे तो कालाहांडी तो बहुत पीछे है ही, मगर स्टेशनों को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा क्षेत्र और मेरा उड़ीसा अर्थनीतिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में आगे गया है। यह जो 5 रेलवे स्टेशन है, उनके ऊपर यदि रेल मंत्री और रेल विभाग की थोड़ी सी दया हो और उन 5 रेलवे स्टेशनों की थोड़ी मरम्मत करके टिपटाप करा देंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा।

मेरे लिए आप घंटी बजाते हैं, मैं तो कभी नहीं बोलता हूं। घंटी बजने से मेरा माइंड आफ होता है। ठेकानाल का, श्री के. पी. सिंहदेव के क्षेत्र की एक मांग मैं लाया हूं।

[अनुवाद]

*महोदय, मैं आपका ध्यान उड़ीसा में धेनकनल की और ले जाना चाहूंगा जोकि श्री के. पी. सिंहदेव का निर्वाचन क्षेत्र है। मैं इस निर्वाचन क्षेत्र की कुछ मांगों को उठाना चाहूंगा। एक गाड़ी कलकत्ता मुख्य लाइन बरास्ता गढ़ धेनकनल तथा जरोड़ा, जोकि कपिलास रोड़ के समीप स्थित है, पर चल रही है। यह एक धार्मिक स्थल है और साधुओं तथा भीमाभोई के अनुयाईयों के ठिकाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है जिन्होंने **मतिमा धर्म** की स्थापना की थी जिसे **अलख धर्म** भी कहा जाता है। अलख अथवा साधु लोग तथा **मतिमा धर्म** के अनुयायी कपिलास के समीप जरोंडा में रहते हैं। इस धार्मिक स्थल पर सैकड़ों तीर्थयात्री हर रोज जाते है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जूनागढ़ इलाके से काफी संख्या में अलख लोग जरोंडा में रह रहे हैं। अतः कपिलास रोड़ को रेल मार्ग से अच्छी तरह से जोड़ा जाना चाहिए।

ढ़ेंकनाल कालाहांडी की तरह ही एक भूतपूर्व रियासत है। हम इन क्षेत्रों की जनता की भलाई चाहते हैं।

जाजपुर–क्योंझर रोड और बनरपल के बीच बरास्ता सुकिन्दा, भुबन और कामोक्ष्या नगर एक रेलवे लाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित रेल लाइन इन पिछड़े क्षेत्रों से गुजरेगी। इस संबंध में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई है, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस परियोजना के सर्वेक्षण के कार्य में तेजी लाए।

मैं अब लिंक एक्सप्रेस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं रेलवे के विकास और कालाहांडी क्षेत्र के विकास की मांग करता रहा हूं।

[हिन्दी]

एक छोटी सी ट्रेन है जोकि 1947 से पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसको एक्सप्रैस बना दिया और उसका नाम लिंक एक्सप्रेस दिया। उससे हमारे यहां की जनता कालाहांडी, फुलवारी और

* मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कोरापुट से दिल्ली आती थी। आपने जब इसका विलासपुर एक्सटेंशन कर दिया तो इससे जनता को बड़ी परेशानी हुई। विशाखापट्टनम से रायपुर जो लिंक एक्सप्रेस चल रही थी उसको बिलासपुर एक्सटेंशन कर दिया इस कारण से हमारे यहां की जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। हमको जनता की तरफ से नोटिस मिल रहे है कि आप हमारी इस मांग को पूरा कीजिए, नहीं तो हम केसिगा में रेल को रोकेंगे। इसलिए हमारी इस समस्या का तुंरत हल कीजिये। संबलेक्ष्वरी एक्सप्रेस को रायगढ़ा या विशाखापटनम तक एक्सटेंशन कर दीजिये, क्योंकि अभी वह संबलपुर तक आती है इसलिये उसका हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। संबलपुर से टिटलागढ़ तक इसकी दो बोगी आती है उसको रायगढ़ा या विशाखापटनम तक एक्सटेंशन तुरंत कर दीजिये। उड़ीसा के सारे माननीय सदस्यों ने बोला है कि उसको रायगढ़ा तक एक्सटेंशन कर दीजिये, अगर यह काम आप कर दें तो वहां की जनता को सुविधा होगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपनी बात को समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुबास चन्द्र नायक : बस, मैं एक–दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सुबास जी, कृपया मेरी बात सुनिये। वाद–विवाद में तीस सदस्यों ने भाग लिया है। प्रत्येक माननीय सदस्य को दस मिनट का समय दिया गया था। मैं काफी देर से घंटी बजा रहा हूं लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि आप स्वयं नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इन नियमों का पालन कौन करेगा?

[हिन्दी]

श्री सुबास चन्द्र नायक : महोदय, केसिगा कालाहांडी का मैन गेट है, वहां रेलवे स्टेशन है। मैंने इसके बारे में बार–बार लिख कर दिया है। लेकिन आज तक वहां कोई तरक्की नहीं हुई। वहां आरक्षण का कोटा भी बन्द कर दिया। रेल मंत्री जी का कालाहांडी के प्रति यह कैसा व्यवहार है? इसलिए हमें दुख होता है। मैं रेल मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अगर आप कालाहांडी और उड़ीसा के बारे में भी सोचेंगे तो मेरा उड़ीसा और कालाहांडी आगे चला जायेगा।

[अनुवाद]

*महोदय, अन्त में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए में धन्यवाद व्यक्त करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

---

* मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री छीतूभाई गामीत (माण्डवी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इन मांगों का समर्थन करता हूं।

देश के विकास में रेलवे का बहुत योगदान रहा है। आज देश में जिस क्षेत्र में रेलवे का विकास हुआ है, वहां पर अन्य क्षेत्रों में भी अधिक विकास हुआ है लेकिन हमारे देश में रेलवे का विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। सारे देश में रेलवे का संतुलित विकास नहीं हुआ है, जबकि सारे देश में संतुलित विकास के लिए सब जगहों पर रेलवे का संतुलित रूप से विकसित होना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। इसलिए मैं आदिवासी क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश में आदिवासी क्षेत्र आज भी बहुत पिछड़े हुए है। इन क्षेत्रों में विकास के कार्य नहीं हो पाए है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन क्षेत्रों में रेल सेवाएं नगण्य है। आदिवासी इलाकों में लोगो को यातायात के साधन प्राप्त करने के लिए 20-30-40 किलोमीटर पैदल चल कर जाना पड़ता है। इन क्षेत्रों में विकास न होने पर यहां के लोग आज भी गरीबी और बेरोजगारी के शिकार बने हुए है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के संतुलित विकास के लिए आदिवासी क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें बिछाने के कार्य को प्राथमिकता दी जाए। गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बलसाड़ से नासिक तक नई रेल लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र किया जाए। यह मांग इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही है, इसको स्वीकार करने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं गुजरात में अपर्याप्त रेल सुविधाओं की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुजरात के लोगों की यह धारणा है कि रेल मंत्रालय द्वारा गुजरात के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके बारे में गुजरात के लोगों ने कई बार तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 1977 से जब से मैं लोकसभा का सदस्य हूं, तब से मैंने सदन में प्रस्तुत सभी रेल बजटों का अध्ययन किया है और यह पाया है कि सारे बजटों में गुजरात में रेल विकास के लिए बहुत कम धनराशि का प्रावधान किया गया है। यह बहुत खेद और दुख की बात है।

गुजरात राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गुजरात की जनता और गुजरात सरकार की और से कई छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने की मांग कई वर्षो से की जा रही है और यह उनकी तीव्र मांग है और मेरा अनुरोध है कि इन लाइनों को ब्राडगेज में परिवर्तित करने की मांग को स्वीकार किया जाए और इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाए। जिन लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना है, वे इस प्रकार हैं। अहमदाबाद–दिल्ली लाइन, राजकोट–पेरावल लाइन और इसका कोड़ी नगर तक विस्तार, भावनगर–सुरेन्द्र नगर, नवलेखी–दहीसरा मोरवी, सुरेन्द्रनगर–राजुले और पीपीवाव तक विस्तार, गांधीधाम–भूंज नलीचा,

अहमदाबाद–बिजापुर, दहीलरा–मालिया मियांला, अहमदाबाद–बीजापुर, अहमदाबाद–हिम्मतनगर, महसाना–दिरमगाम, डभाई–मियांगाम, इन रेलवे लाइनों को बड़ी लाईन में कनवर्ट किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन सभी रेल लाईनों को मीटर गेज से ब्राडगेज में परिवर्तित करने के लिए तुरंत स्वीकृति दी जाए और आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाए। गुजरात में बड़ौदा और राजकोट में पश्चिम रेलवे का विभागीय कार्यालय है और अहमदाबाद में नया रेलवे विभागीय कार्यालय शुरू करने की कई सालों से मांग चल रही है। अहमदाबाद में करीब हर रोज 150 पैसेंजर इतनी ही माल गाडियों का आवागमन होता है। अहमदाबाद में रेलवे कार्यालय की अपर्याप्त सुविधा है इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अहमदाबाद में रेलवे का विभागीय कार्यालय खोला जाए और इस मांग को स्वीकार किया जाए।

रेल मंत्रालय ने मालदा, भोपाल, अम्बाला और अहमदाबाद में विभागीय कार्यालय शुरू करना सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है। मालदा, अम्बाला और भोपाल में विभागीय कार्यालय शुरू हो गए हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अहमदाबाद मे आज तक विभागीय कार्यालय शुरू नहीं किया गया है। मैं अभी अपने संसदीय क्षेत्र मांडवी और सूरत जिले की रेलवे से संबंधित समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं। सूरत, गुजरात का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यापारी शहर है। यहां भारत सरकार, राज्य सरकार और कई कंपनियों के बड़े–बड़े उद्योग हैं और इसी तरह इनके कई महत्वपूर्ण कार्यालय भी हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सूरत स्टेशन सबसे गंदा स्टेशन है। यहां हर रोज 70 से 80 पैसेंजर गाड़ियों और 60 से 70 माल गाड़ियों का आवागमन होता है। सूरत रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म की सुविधा पूर्णतः अपर्याप्त है और इसी तरह वहां पर शौचालय, पीने का पानी और स्नानघर की सुविधा अपर्याप्त है। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि सूरत रेलवे स्टेशन पर जरूरी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराएं और इसके लिए धनराशि का प्रबन्ध करने की कृपा करें और इसी तरह वहां पर वी. आई. पी लोगों के लिए भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र में पश्चिम रेलवे की सूरत–भुसावल रेलवे लाईन है। इस पर हर रोज 12 गाड़ियां चलती हैं और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा आदि स्थानों से गुजरात के उद्योगों के लिए कोयला, लोहा आदि चीजों के लिए कई माल गाड़िया भी चलती है। सूरत और भूसावल के बीच जो पैसेंजर गाड़ियां कई सालों से नियमित रूप से अनियमित चलती हैं। इन गाड़ियों में नियमित रूप से चोरी लूट और झगड़े आदि होते रहते हैं। मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं 1977 से इस क्षेत्र से संसद सदस्य हूं और तब से आज तक मैं इसके बारे में शिकायत करता रहा हूं। मैं रेल मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी बातों को गंभीरता से लें और रेलवे के अधिकारियों को इसके बारे में कड़े निर्देश दिये जाएं। मैं यह भी मांग करता हूं कि सूरत–भुसावल लाईन को डबल लाईन और विद्युतीकरण किया जाए और इसी रेलवे लाईन का बारडोली स्टेशन पर ऊपरी पुल का तुरंत निर्माण किया जाए।

अंत में आपसे मांग करता हूं कि बलसाड़ और नासिक तक आदिवासी क्षेत्र में नई रेलवे लाईन बनाने का निर्णय लिया जाए और आवश्यक धनराशि प्रदान की जाए। गुजरात और अहमदाबाद में पश्चिम रेलवे का तुरंत विभागीय कार्यालय शुरू किया जाए। गुजरात में जो मीटर गेज रेलवे लाईनें है उनको ब्राड गेज में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जाए और इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाए। रेलवे में जो चोरी, लूट और मारामारी होती है इसको रोका जाए ताकि मुसाफिरों को सुविधा हो सके। सूरत रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की सुविधा के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं प्रदान की जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम पूर्वोत्तर क्षेत्र के संसद सदस्यों के अनुरोध पर दिल्ली से गुवाहाटी के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाने के लिए माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने देश के अन्य भागों के साथ–साथ इस क्षेत्र में अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की है।

लेकिन महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब श्रीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ने की बात की जा रही है तो इम्फाल को क्यों इससे वंचित रखा गया है? इसके क्या कारण है? मैं श्रीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ने के खिलाफ नहीं हूं बल्कि मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन किस विचार से इम्फाल को इस सुविधा से वंचित रखा गया है? श्रीनगर अत्यंत दूरतम एवं सामरिक महत्व के स्थान पर स्थित है और उसी प्रकार इम्फाल का भी देश में एक सामरिक महत्व का स्थान है। अतः मैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल को रेलवे लाइन से जोड़ने की आवश्यकता के बारे में इस सभा में बार–बार मांग करता रहा हूं। इसके जवाब में माननीय रेल मंत्री ने केवल इतना बताया कि इस संबंध में सर्वेक्षण किया गया था और उस सर्वेक्षण के अनुसार इम्फाल पहुंचने के लिए धनसीरी से लगभग 190 कि. मी लम्बी रेल लाइन बिछानी पड़ेगी और इसकी अनुमानित लागत लगभग 833 करोड़ रूपये है। यह भी बताया गया कि यह लाभकारी नहीं होगी और इसलिए इसे नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस संबंध में मेरा कहना है कि इसकी इतनी आवश्यकता है कि यह राष्ट्र की आवश्यकता बन जाएगी। कृपया इसे केवल मणिपुर राज्य तक ही सीमित मत समझिए इसे राष्ट्रीय सम्पत्ति समझा जाना चाहिये। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करेगी। इस की आवश्यकता केवल उस समय महसूस की जाएगी जब उत्तर के उस क्षेत्र से विदेशी आक्रमण होगा। जब आरम्भ काल में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तब इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। लेकिन अब मेरा सरकार से विशेषकर रेल मंत्री से अनुरोध है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस पर विचार किया जाए और कुछ समय बाद यह लाभकारी भी होगी। लेकिन यदि सरकार का यह विचार है कि यह लाभकारी नहीं होगी और इसलिए इसे नहीं लिया जा सकता, यह कोई अच्छा विचार नहीं है। आरम्भ में यह लाभकारी नहीं हो सकती लेकिन कुछ समय बाद यह लाभकारी सिद्ध होगी। यदि इसे राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लिया जाता है तो यह लाभकारी सिद्ध हो सकती है लेकिन केवल धनोपार्जन की दृष्टि से ही नहीं।

अतः इस मांग पर गंभीरता से विचार कीजिए। जब आप श्रीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ने के प्रति वचनबद्ध है और जब इम्फाल के मामले में ऐसा करने से मना कर रहे हैं तो यह बहुत ही गंभीर बात हो सकती है और इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्तमान में घट रही घटनाओं के सन्दर्भ में चर्चा की जाएगी। कृपया इस पर गम्भीरता से विचार कीजिए। वहां की जनता यह सोच रही है कि उनके क्षेत्र के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो कि वह इस देश का, भारत का भाग नहीं है। अतः इस बात को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। मैं इस सभा से आग्रह करता हूं ताकि सभा इस पर केवल लाभकारी दृष्टिकोण से ही विचार न करें और यह भी न सोंचे कि इस पर आपको लगभग 834 करोड़ रूपये की लागत पड़ेगी। इसको बनाने में काफी समय लग सकता हैं। भले ही दस अथवा पन्द्रह वर्ष का समय लगे, इसको शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत प्रावधान किया जाना चाहिये। मैं केवल इतना चाहता हूं कि सरकार यह वचनबद्धता दे, जिससे यह पता लगे कि सरकार को वहां की जनता के प्रति सहानुभूति है। अतः यह भावना की बात है।

महोदय, मैं विशेषकर माननीय रेल मंत्री से और सामान्यतः केन्द्र सरकार से पुनः यह आग्रह करता हूं कि मणिपुर की राजधानी, इम्फाल को रेलवे लाइन से जोड़ना चाहिए जो कि धनसीरी से 190 कि. मी. की दूरी पर है।

महोदय, यह सच है कि जिरीबम, जो कि मणिपुर राज्य का आंतरिक भाग है, में रेल हेड है। सिल्चर से जिरीबम तक एक रेल लाइन है परन्तु इसकी सेवा इतनी अनियमित है कि इससे वहां की जनता की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मणिपुर के लोगों की गम्भीर शिकायत रही है कि उन्होंने जिरीबम रेल हेड पर बड़ी मात्रा में बांस की चैली (चिप्स) इकट्ठे कर रखे हैं परन्तु उन्हें 28 जुलाई से अब तक वहां से उठाया नहीं गया है। जिरीबम में स्थित मणिपुर सरकार का उपक्रम, लुगदी उद्योग सिल्चर में स्थित कागज मिलों को बांस की चैली (चिप्स) की आपूर्ति करता रहा है। लेकिन बांस के टुकड़े का वहां से लदान नहीं किया गया है क्योंकि वहां इनकी भारी मात्रा की ढुलाई के लिये अन्य कोई सुविधा/साधन नहीं है तथा वे इस वर्ष की 28 जुलाई से वहां पड़ी हुई हैं। कृपया इस बात का अंदाजा लगाए कि सरकार को इसके कारण कितनी हानि हुई है। इस स्थान के लिए कोई नियमित रेल–सेवा नहीं है, अतः इस रेलवे स्टेशन का क्या उपयोग है? यह रेलवे–स्टेशन केवल नाममात्र के लिए बनाया गया है। अतः, कृपया इस माल को वहां से उठाइये। मेरा कहने का यह अर्थ है कि इस माल को रेलवे–स्टेशन पर इक्ट्ठा किया जाये। अन्यथा, इस रेलवे–स्टेशन का क्या उपयोग है, जबकि यह केवल नाममात्र के लिए ही बनाया गया है?

महोदय, अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से यह मांग करता हूं कि उन्हें जिरीबम के लिए नियमित रेल–सेवा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहियें। मेरा यही निवेदन है तथा इस बजट से मणिपुर राज्य की जनता को जो परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, उनका भी निवारण करें।

महोदय, अभी तक केवल एक ही माल–डिब्बा दिया गया है। यदि वहां समुचित रेल–सेवाएं

हो, तो बांस के टुकड़ों को उठाने के लिए कम से कम पांच से छह माल–डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। अन्यथा पेपर मिलें घाटा उठा रही हैं क्योंकि कच्चे माल की ढुलाई समय पर नहीं होती है।

03.00 म.प.

अतः, इन बातों पर विचार करना होगा। मालीगांव के प्रबंधक से सम्पर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने नियमित सेवा प्रदान करने से इन्कार कर दिया है। यदि इस रेलवे–स्टेशन से नियमित सेवाएं नहीं मिल रही हैं तो इसका लाभ क्या है? कृपया इसे अत्यंत गम्भीर समझें। यदि मणिपुर के लोगों की शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया, तो वे समस्याएं उत्पन्न करेंगे तथा तभी सरकार इस कठिनाई को महसूस करेगी। अतः, मैं पुरजोर यह सिफारिश करता हूं कि इसे गम्भीरतापूर्वक लिया जाये ताकि उस माल को तुरंत उठाया जा सके तथा सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम को और अधिक नुकसान न उठाना पड़े। इस समय यह नुकसान लाखों रूपये का हो सकता है। इस कार्य से सरकार को लाखों रूपये की हानि हुई है।

इम्फाल में, एक एजेंसी ऐसी है जहां कि रेल आरक्षण की सुविधा है। इस एजेंसी का कार्यालय समाप्त होने वाला है। लेकिन इस एजेंसी में कम्प्यूटर सेवा उपलब्ध नहीं है, परिणामस्वरूप यह एजेंसी इम्फाल से जाने वाले यात्रियों को उनकी सीटों के आरक्षण की सुविधा गुवाहाटी स्टेशन से नहीं दे सकती। अतः, मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात की ओर ध्यान दें। मुझे यह जानकर हैरान हुई है कि मणिपुर के यात्रियों के लिए राजधानी एक्सप्रेस में गुवाहाटी से वातानुकूलित शयनकक्ष में दो सीटें आरक्षित हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इस आरक्षण कोटे में वृद्धि और की जानी चाहिए, ताकि इम्फाल से यात्रा करने वाले लोग राजधानी एक्सप्रेस में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से ही आसानी से आरक्षण प्राप्त कर सकें। मैं यह बात रेल मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं तथा सीटों के आरक्षण की संख्या बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

इम्फाल से गुवाहाटी जाने के लिए रेल यात्रा की वर्तमान आरक्षण सुविधा इम्फाल के रेल यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया इस संख्या में वृद्धि कीजिये ताकि इम्फाल जाने वाले रेल यात्रियों को गुवाहाटी से आसानी से रेल आरक्षण मिल सके। गुवाहाटी से गाड़ी पकड़ने के लिए, मणिपुर के लोगों को एक दिन की बस यात्रा करके जाना पड़ता है, यहां तक कि इस दौरान उन्हें रात्रि के समय जंगल एवं पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें आरक्षण मिलेगा भी अथवा नहीं। कृपया रेल–गाड़ी की सेवाओं का उपयोग करने वाले उन लोगों के लिए भी कोई प्रबंध कीजिये। वे भी इसी देश के नागरिक हैं।

गाड़ियों का समय इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे वे निर्धारित समय पर पहुंचे। यह एक आम शिकयत है। रेल–यात्रा के दौरान, मैंने यह पाया है कि बहुत से यात्रियों की प्लेटफार्म पर बैठने के लिए कोई कुर्सिया उपलब्ध न होने के बारे में शिकायतें हैं। हमें बड़े स्टेशनों जैसे कि नई दिल्ली तथा कुछ अन्य बड़े स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर कुर्सियां उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी चाहिये। अन्य छोटे–छोटे स्टेशनों पर मैंने पाया कि वहां कुर्सियों की व्यवस्था की गई हे, लेकिन इन सभी बड़े स्टेशनों पर ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं सरकार से

अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि मंत्री महोदय यह वायदा करें कि इम्फाल को राष्ट्रीय हित में रेलवे–लाइन के साथ जोड़ा जायेगा, यद्यपि इस कार्य पर 833 करोड़ रूपये की लागत आयेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगो का समर्थन करता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं रेलवे की अनुदानों की पूरक मांगों तथा अतिरिक्त मांगों का समर्थन करता हूं। आरम्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे रेल मंत्री महोदय यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन हमारे वित्त मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं। वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूं। इस सम्मानीय सभा में, हम नयी रेल लाइनें बिछाने की मांग कर रहे हैं। हम नये प्रस्तावों की मांग कर रहे हैं तथा हम अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा देश के अन्य भागों के लिए बहुत सी चीजों की मांग कर रहे हैं। सबसे पहली एवं अधिक महत्वपूर्ण बात रेलवे की वित्तीय समस्या है। भारतीय रेल हमारे देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तथा इससे हमारे विकास की गति और अधिक तेज हो सकती है। दुर्भाग्यवश, गत वर्षो से भारतीय रेल के बजट में व्यापक कमी आती जा रही है। गत वर्ष यह कुल बजट राशि का 16 प्रतिशत था। इसमें तेजी से कमी आ रही है, अतः हम इस सम्मानीय सभा में जो प्रस्ताव रखते हैं, वे ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं कर पाते। अतः, मैं वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि चूंकि रेलवे हमारी परिवहन व्यवस्था का एक साधन है तथा इससे हमें विकास का अवसर मिलता है और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होता है, अतः इसके बजट में वृद्धि की जानी चाहिये ताकि जनता को और अधिक सुविधा मिल सके तथा रेल–लाइनों का और अधिक विस्तार हो सके। इससे हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि होगी। जहां तक एक समान रेलवे आमान व्यवस्था का संबंध है, भारतीय रेलवे ने इस व्यवस्था को अधिक महत्व दिया है। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं। छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तन करना निस्संदेह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मेरा यह निष्ठापूर्वक यह मानना है कि आमान–परिवर्तन करना तो सही है, लेकिन हमें नई रेल लाइनें बिछाने के प्रस्तावों की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि हम विकास संबंधी पहलू को नहीं भूल सकते। नई रेल लाइन बिछाये जाने से ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि होगी। भारतीय रेलवे ने एक समान आमान अर्थात छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने की एक मात्र कार्यक्रम अपने हाथ में ले लिया है, ताकि कुछ समय के बाद भारत में मात्र एक ही आमान (यूनीगेज) हो जाये। लेकिन हम नई लाइनें बिछाने के बारे में भूल रहे हैं। चूंकि हम नई रेल लाइनें बिछाना प्रारम्भ नहीं कर रहे हैं, अतः ऐसा न करने से औद्योगिक क्षेत्रों एवं निर्धनताग्रस्त क्षेत्रों का विकास नहीं होगा। मेरे ही दल के अनेक साथियों ने आदिवासियों, पिछड़े क्षेत्रों तथा पूर्णतया उपेक्षित क्षेत्रों के बारे में कहा है। मैंने रेलवे द्वारा विकासोन्मुख दृष्टिकोण अपनाये जाने के बारे में उल्लेख किया है। एक समान आमान परिवर्तन की प्रणाली हमारे लिए स्वागतयोग्य है। इसके साथ ही हम नई रेल लाइनें बिछाने की भी उपेक्षा नहीं कर सकते।

अतः, सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि हमें नई रेल लाइनें बिछाने को अधिक महत्व देना चाहिये।

महोदय, अब नियोजन संबंधी विषय को लेता हूं। जहां तक रोजगार के अवसरों का प्रश्न है. मैं यह महसूस करता हूं कि रेलवे एक ऐसी संस्था है, जिसमें कि हम कई लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। रेलवे में रोजगार–प्रदान करने की काफी सम्भावनाएं विद्यमान हैं। आज, हमारे देश में शिक्षित युवक रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बहुत–सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन, पिछले चार वर्षों से, रेलवे के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में व्यापक कमी आई है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम इस देश के युवकों को अधिक संख्या में रोजगार प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, हम यह देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में व्यापक कमी आ रही है। इस देश में जन–शक्ति की काफी सम्भावनाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहां बेरोजगारी की भी समस्या है। अतः, मैं यह महसूस करता हूं कि भारतीय रेलवे को बेरोजगारी की समस्या की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। रेलवे में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को जल्द भरा जाना चाहिये ताकि इस देश के युवकों को कार्य करने के अधिक अवसर मिल सकें। अब मैं अपने राज्य और विशेष तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र को लेता हूं। यदि आप भारतवर्ष के रेलवे मानचित्र पर ध्यान दें, तो यह पायेंगे कि भारत–गांगेय क्षेत्र तथा तमिलनाडु आदि के दक्षिणी क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है, जबकि केरल राज्य में कासारगोड़ा से पारासाला तक प्रमुख रूप से एक ही मुख्य तटीय लाइन है, जिसे अब एर्णाकुलम से कन्याकुमारी बरास्ता अल्लेघी एक और तटीय लाइन से जोड़ दिया गया है।

केरल में क्षेत्र–वार अथवा जनसंख्या–वार से रेल लाइन बहुत कम है। केरल में एक लहरदार भू–भाग होने के कारण रेल परिवहन की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि इस लहरदार राज्य में सड़कें ढाल वाली है और घुमावदार हैं तथा सम्पूर्ण राज्य की अत्यधिक यात्री आवश्यकताओं को कारगर ढंग से पूरा नहीं कर सकती। मैंने गत बजट चर्चा में भी नई रेल लाइन के लिए एक प्रस्ताव रखा था? वह कोट्टयम–पुनलूर रेल लाइन वाया ईरूमेली तथा सबरी मलई के लिए था यह रेल लाइन के लिए एक नया प्रस्ताव है। अधिकांश दक्षिणी राज्यों के तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के लगभग सभी संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री और रेल मंत्री से इस रेल लाइन के लिए अनुरोध किया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस रेल लाइन को सर्वेक्षण में शमिल किया गया है और यह सर्वेक्षण शीघ्र ही होने जा रहा है। प्रश्न यह है, जैसाकि मैंने पहले यहां बताया था, यद्यपि भारतीय रेल प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आमान परिवर्तन कर रही है, हम नई रेल लाइन संबंधी प्रस्ताव को शामिल नहीं कर सकते। कोट्टयम से शुरू होकर और मनारकोड, पोणकुन्नम, कांजीरापल्ली, ईरूमेली से गुजरती हुई और इसके बाद रान्नी, कोन्नी, पथानपुरम क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ना और पुनलूर में कोल्लम–मुदरई से जुड़ते हुए रेल लाइन बनाने का वर्तमान प्रस्ताव है। ईरूमेली से सबरी फुट हिल्स से एक ब्रांच लाइन का निर्माण तीर्थ यात्रियों को सम्पूर्ण दक्षिण भारत से सबरी फुट हिल्स तक परिवहन हेतु किया जा सकता है। यह नई कोट्टयम–पुनलूर लाइन लगभग 95 किलोमीटर होगी और सबरी तक ब्रांच लाइन लगभग

15 किलोमीटर होगी। इसकी निर्माण लागत लगभग 100 करोड़ रूपए हो सकती है। विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ही लम्बाई और लागत का और अधिक सही आंकलन किया जा सकता है।

यह कोल्लम–मुदरई सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने के साथ मध्य त्रावणकोर–कोट्टयम और पटानमथित्ता जिलों के विकास हेतु एक अत्यधिक महत्वपूर्ण लाइन है। यह लाइन कोचीन और मध्य केरल को दक्षिण तमिलनाडु के नगर, मदुरई, तिरूनेलबेल्ली, तूतीकोरिन आदि से जोड़ेगी। यह देश के विभिन्न भागों से प्रति वर्ष सबरी मलई यात्रा करने वाले करोड़ों तीर्थ यात्रियों की यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करेगी। यहां न केवल देश के दक्षिण भाग से बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग सबरी मलई की यात्रा करने आते हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है। पिछली बार, यह अनुमान लगाया गया था कि देश के विभिन्न भागों से तीन करोड़ लोग इस स्थान पर तीर्थ यात्रा हेतु आए थे। यह राष्ट्रीय एकता का स्थान होगा। मैं समझता हूं कि सबरी मलई ही केवल एक ऐसा स्थान है जहां समाज के विभिन्न वर्ग, जाति और नस्ल का ध्यान रखे बिना इस मंदिर में आ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में भी यह लाइन सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाइनों में से एक है। यह लाइन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में ईसाई समाज, मुस्लिम समाज और हिन्दू समाज के विभिन्न वर्गो के लगभग सभी तीर्थस्थल केन्द्रों को जोड़ रही है। यह साम्प्रदायिक स्नैहार्द का संदेश देगी।

मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान रेल बजट में इस लाइन का एक प्राथमिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण शामिल था। दुर्भाग्यवश, इसके लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई थी। मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसे शामिल किया और इस नई रेल लाइन के सर्वेक्षण हेतु धनराशि मंजूर की। इस सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद परियोजना कार्यान्वित की जानी चाहिए। केवल सर्वेक्षण से कुछ मदद नहीं मिलेगी। केरल विशेषकर मध्य त्रावणकोर के लोगों की काफी समय से लम्बित मांग यह है कि सबरीमाला के लिए एक नई रेल लाइन होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं, यद्यपि माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं है, हमारे पूर्व राज्य मंत्री श्री मल्लिकार्जुनया, जो यहां उपस्थित हैं, माननीय रेल मंत्री को सम्प्रेषित कर देंगे। केरल के लोगों की काफी समय से लम्बित मांग पूरी की जानी चाहिए।

रेल मंत्री ने जब यहां रेल बजट पेश किया था, हम केरल के सभी सदस्य बहुत प्रफुल्लित थे। लेकिन आज छह महीने बीत चुके हैं, केरल में एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। सभी परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक भी परियोजना प्रारम्भ नहीं की गई और आबंटित धनराशि बहुत ही कम थी। जब केरल के सभी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया था तो वे सभी चिन्तित थे क्योंकि ऐसा बताया गया था जहां तक रेल का संबंध है, केन्द्रीय सरकार केरल राज्य को अधिक महत्व दे रही है।

शोरानूर–मंगलोर से लाइन का दोहरीकरण करने तक के लिए, धनराशि आबंटित की गई थी। कुट्टीपुरम–कालीकट लाइन के लिए भी धनराशि आबंटित की गई थी। लेकिन आबंटित धनराशि बहुत ही कम है। यह कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। प्रेस में यह बताया गया

था कि दो हजार टन रेल जो मूलतः क्विलोन–त्रिवेन्द्रम दोहरीकरण लाइन के लिए थी, कर्नाटक के लिए ले जाई गई। केरल में सभी समाचारपत्र इस विषय पर बड़े और मोटे शीर्षकों से छप रहा है।

ईरोड से कोचीन लाइन तक के विद्युतीकरण के लिए प्रस्ताव था। अब, प्रस्ताव पर काम धीरे चल रहा है और मैं समझता हूं कि पिछले बजट में यह घोषित किया गया था कि यह काम प्रारम्भ नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि क्विलोन–मुदरई लाइन और कुट्टीपुरम–कालीकट लाइन की भी बजट की घोषणा हुई थी। परन्तु अभी तक प्रारम्भिक कार्य भी शुरू नहीं किया गया।

जब कांकण रेल परियोजना चालू की जाती है तो केरल के लोगों को तभी लाभ मिलेगा जब शोरानूर–मंगलौर लाइन का दोहरीकरण किया जाए। मैं इसमें विस्तृत रूप से नहीं जाना चाहता। जब बजट पेश किया गया था तो इस बारे में बहुत कुछ कहा गया था। लेकिन जब हमने वास्तविकता की जांच की तो कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। मैं बल देकर यह कहूंगा कि इसक पीछे कोई लॉबी काम कर रही है। कुछ लोग राज्य में रेल का विकास नहीं चाहते। यद्यपि मंत्री जी सहमत हैं तो भी कोई लॉबी इसके विरूद्ध कार्य कर रही है। मैं नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता। यह सही नहीं है और ये सब बातें कहने के लिए यह मंच नहीं है क्योंकि मैं एक जिम्मेदार संसद सदस्य हूं। मैं केवल यह बता रहा हूं कि केरल राज्य के हितों के विरूद्ध कोई लॉबी कार्य कर रही है। मंत्री जी द्वारा इन सभी परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई थी। कुछ धनराशि भी निर्धारित की गई थी। हम जानते हैं कि कुछ नई परियोजनाओं के लिए धनराशि आबंटित की गई थी, कार्यक्रम चल रहे हैं और नए परिवर्तन हो रहे हैं। राज्य की इस लॉबी के कार्य करने के कारण पूर्णतया उपेक्षा की गई है।

अन्ततः मैंने गत वर्ष भी अपने जिला मुख्यालय कोट्टायम रेल स्टेशन का कम्प्यूटीकरण करने का अनुरोध किया था। मैं समझता हूं कि अगले बजट में यह रेलवे स्टेशन कम्प्यूटीकरण हो जाएगा। कोट्टायम से तेज और लम्बी दूरी तक चलने वाली रेलगाड़ियों में और अधिक आरक्षण कोटा होना चाहिए। हमारे सभी मित्रों ने भी राजधानी एक्सप्रेस के बारे में उल्लेख किया था। हम इस बात के बहुत आभारी हैं कि राजधानी एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाया गया। लेकिन, दुर्भाग्यवश, हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति त्रिवेन्द्रम से कोचीन जाना चाहता है तो उसे एरोड के लिए टिकट लेना पड़ेगा। यह अनियमितता ठीक की जानी चाहिए। सभी परियोजनाएं जिनकी बजट में घोषणा की गई थी। और जो लॉबी केरल के हितों के विरूद्ध कार्य कर रही है उनसे सख्ती से निपटा जाए। सभी वायदें पूरे किए जाने चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ रेल के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगो का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994-95 की रेलवे की अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। रेलवे आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रदेश में जितनी रेल लाईने होंगी, उसी अनुपात में

उनकी पर केपीटा इन्कम भी बढ़ती जाती है। उड़ीसा जैसी जगह को ब्रिटिशर्स ने बाद में लिया था। सरकार के अनुसार वहां 40 प्रतिशत आदिवासी, हरिजन हैं। परन्तु वास्तव में 47 प्रतिशत है। एस, सी, एस, टी, व बैकवर्ड को मिलाकर 90 प्रतिशत है। इन सबको देखते हुए आज जितना काम हुआ है, वह बहुत कम है। आपने मुझे बोलने के लिए 10 मिनट ही दिये हैं। मैं 16 तारीख को हाउस में नहीं रहूंगा, इसलिए सारी बातें न बताते हुए कुछ जरूरी बातें ही इस सदन के सामने रखना चाहता हूं ताकि यह सदन उस पर विचार कर सके। एस. ई. रेलवे में जापान की सहायता से इलैक्ट्रिफिकेशन किया गया था, लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बम्बई और हावड़ा को कनेक्ट करने के लिए जिस रास्ते से एस, ई, रेलवे की गाड़िया जाती है और उसी लाइन में हावड़ा से मद्रास जाने के लिए उड़ीसा से होते हुए जो लाइन जाती है, वहां पर छोटी व बड़ी लाइन में कुछ इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। इंडिया में सबसे अच्छा मेनटेनैंस वही होता है। वहां से दूसरे लोग लौह–अयस्क लेने की कोशिश करते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हर रोज 12-13 गाड़ियां बेलाडीला से लौह अयस्क लेकर विशाखापट्टनम जाती है। सिर्फ पैसा ही नहीं, इंजन भी जापान का ही है। हमारे देश के केवल एक या दो ही इंजन लगे होंगे। उनका प्रयत्न यही होता है कि जापान के लगे इंजन से जल्दी सामान खींच लें। हम जो लौह अयस्क निकालते हैं, वह उसे समुद्र के अंदर रखते हैं। हमारे जाजपुर में 8 साल पहले रेलवे ओवर ब्रिज का सर्वे हुआ था, लेकिन वहां अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वह जुलाई तक पूरा होना था परन्तु वह अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। वह कब तक शुरू होने वाला है?

वहां पर कई आदमी मरें, काफी हल्लागुल्ला हुआ। उसके बाद इतना पैसा मंजूर हुआ तब भी वह काम शुरू नहीं हुआ है। इसमें देर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार हमारे जाजपुर, क्योंझर रेलवे लाईन के मॉडर्नाईजेशन की भी शुरूआत हुई लेकिन वह इतनी धीरे चल रही है कि मुझे संदेह है पता नहीं, वह कब तक पूरी होगी। जंगपुरा, बांसबानी, दैतारी रेलवे लाइन का काम भी क्यों डिले होता जा रहा है। जाजपुर से बोलंगीर, खुरजा रोड़ तक सर्वे की शुरूआत नहीं हुई है। यह क्यों नहीं हुई? मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री जी इसका जवाब दें।

मैं कुछ ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहता हूं। रेलवे में एक रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स होती है और एक रेलवे पुलिस होती है। इन दोनों में तालमेल नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों को निकालकर अलग से कोई संस्था बनाई जाए।

रेलवे के बगल में बहुत सी जमीन खाली पड़ी होती है। वहां पर ट्री प्लांनटेशन होना चाहिए और किसी कार्य के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है।

अभी तक रेलवे के पास बहुत पैसा हो जाता क्योंकि उन्होंने बॉड निकाले थे। वह बहुत कम रूपयों का था। मैंने कहा था कि इतने कम रूपयों में आपसे कोई शेयर नहीं लेगा। दूसरे लोग जब शेयर की वैल्यू ज्यादा लगाते हैं तो आप भी ज्यादा कर दीजिए। मेरे ख्याल से उस पर कोई चर्चा हुई होगी। अभी तो ये वर्ल्ड बैंक से रूपया लेकर पता नहीं क्या–क्या कार्य कर रहे हैं। इस तरह से आज थोड़ा डिसक्रिमिनेशन हो रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमें गैर--सरकारी सदस्यों के कार्य पर भी चर्चा करनी है।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : उसके लिए तो अभी थोड़ा समय है।

मैं विजिलैंस डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। विजिलैंस डिपार्टमेंट रेलवे विभाग का नहीं होना चाहिए। विजिलैंस का काम किसी अलग संस्था से करवाना चाहिए। विभाग का विजिलैंस डिपार्टमेंट होने से कार्य ठीक से नहीं होता है। उसमें भी एक कानून बनाना चाहिए कि जिस संस्था को यह कार्य सौंपा जाए, हर 3-4 साल बाद उनकी वैरीफिकेशन होनी चाहिए।

आप ऐक्सैस लैंड को बेचकर कुछ रूपया वसूल करने वाले थे। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर यह कार्य करने जा रहे हैं, उसमें आदिवासी और हरिजनों का कोटा जरूर होना चाहिए। मैंने यह बात एक मीटिंग में कही थी तो सब लोग हमारे खिलाफ हो गए थे। यह तो हमारे आदिवासी भाइयों का हक है। मान लीजिए उड़ीसा में 40 प्रतिशत आदिवासी है।

[अनुवाद]

इसे राज्य की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। राज्य की जनसंख्या को मानदंड माना जाना चाहिए। इस प्रकार, अनेक प्रश्न हैं समय बहुत कम है।

[हिन्दी]

रिजर्वेशन पालिसी में जिस ढंग से काम करना चाहिए, जैसा एस सी, एस टी वेलफेयर कमेटी रेलवे को करने को कहती है, वह रेलवे के खिलाफ बहुत लिखती है लेकिन यह लोग कुछ जवाब नहीं देते हैं और आखिर में वह काम नहीं होता है, जिस तरह से होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : दास जी, कृपया एक मिनट रूकिए। माननीय सदस्यगण क्या हम गैर सरकारी सदस्यों का कार्य 3.45 म.प. पर ले सकते हैं ताकि श्री दास और श्री अन्बारासु अपना भाषण पूरा कर लें?

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : हम यह 4 म.प. तक करेंगे।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): क्या इसमें भाग लेने वाले यही वक्ता है?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अन्य अनेक वक्ता है।

श्री मल्लिकार्जुन : तब तो इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम इसे किसी और दिन ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। दास जी, आप किसी और दिन बोल सकते हैं। आपको बाद में बोलने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री अनादि दास चरण : हमको पार्टी की तरफ से बोला है और फोन किया गया है कि तुम एक घंटा बोलो। जो बात कोई नहीं बोलता है, मैं वह बात बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा यह चाहती है कि हम इसमें पांच मिनट और बढ़ा दें ताकि श्री दास अपना भाषण पूरा कर लें?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, दास जी आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : 16 तारीख को मैं यहां नही रहूंगा। जो यहां रहने वाले हैं, आप उनसे कहे। मुझे आप कम से कम 10 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं सब सजैशंस दे रहा हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो कमेटी है, उसके लिए आपको जो रखना है, जैसे आप किसी बिजनेस या आर्गेनाइजेशन के लिए रखते हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे नम्र विनती करूंगा कि यह प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस का समय है। इस समय दूसरा बिजनैस लेने के लिए किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए आप 16 को बोल सकते हैं, आपको उस दिन ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा।

श्री अनादि चरण दास : कब मिलेगा, मैं तो 16 तारीख को यहां रहूंगा ही नहीं इसलिए आप हाउस की इजाजत लीजिए और समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दीजिए।

आपने हाउसिंग में हमारा रिजर्वेशन 5 परसेंट रखा है तो यह 5 परसेंट क्यों हैं? अभी भी हिन्दुस्तान में अनटचेबिलिटी है इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनकी पोपुलेशन के मुताबिक घर दना चाहिए। जैसा हमारे रोस्टर में और दूसरी जगह रिजर्वेशन होता है, इसी तरह से सर्विस में हाउसिंग में रखना चाहिए। अभी आपने 5 परसेंट रिजर्वेशन रखा है लेकिन वह भी ठीक ढंग से नहीं देते हैं और आप किसी भी हरिजन, आदिवासी को हैरान करते हैं। आज उनकी जहां बिरादरी होती है, वहीं वह रह सकते हैं, क्योंकि आज भी जैनरेशन गैप बहुत अधिक हैं जब तक इस खाई की पूर्ति नहीं होगी, तब तक इन लोगों को कैसे आराम मिलेगा। आज आदिवासी बाहर जाकर इण्टरव्यू नहीं दे सकते इसलिए जो नौकरी में हैं, उनको उनकी पोपुलेशन के मुताबिक घर का रिजर्वेशन जरूर रहना चाहिए।

रेलवे में कुछ पोस्ट्स ऐसी है, जहां पर आपके मुताबिक रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। इसमें आपने एक सेफ्टी कैटेगरी करके रखी है, इसमे पहले तो 7 पोस्ट थी लेकिन अभी आपने एक

लम्बी लिस्ट निकाली है। इसके लिए कमेटी के सामने भी बात आई थी तो आपने कमेटी को 46 पोस्टों की लिस्ट दी थी, जिन पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। इसमें स्टेशन सुपरिन्टेण्डैण्ट, स्विचमैन, सफिटंग जमादार, ब्रिज इन्सपैक्टर, असिस्टेण्ट आफ सुपरिन्टण्डैण्ट, सिगनल इन्सपैक्टर, असिस्टैण्ट शाप सुपरिन्टेण्डैण्ट, लोको फोरमैन।

[अनुवाद]

कैरिज फोरमैन/वैगन फोरमैन, चालन प्रशिक्षक, पॉवर नियंत्रक, ट्रैक्शन फोरमैन, बॉयलर निरीक्षक, सहायक शाप अधीक्षक तथा प्रयोगशाला अधीक्षक।

[हिन्दी]

वगैरह–वगैरह है। ये बहुत लम्बी लिस्ट है। हमारे इंडियन एयर लाइन में पायलट का रिजर्वेशन है लेकिन रेलवे में एस सी, एस टी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्या यहां पर आपने रिजर्वेशन लागू नहीं किया। आप आदिवासी हरिजनों के साथ क्यों अन्याय करते हैं? आपका आदमी किस तरह से भरा जायेगा इसलिए आपने यह कायदे बना करके रखे हैं।

महोदय, हम सब रेलवे अथारिटी से बात करते हैं तो वे हमारे सामने तो बात मान जाते हैं लेकिन बाद में किसी बहाने से उसे हटा देते हैं, बाद में वे अपने हिसाब से करते हैं। अभी भी 1990 में एक नयी लिस्ट निकाली है और उसके साथ ऐड किया है। इस तरह से आदिवासी हरिजनों पर अन्याय किया जाता है। क्या आपकी अथारिटी इसको नहीं देखेंगी कि हमारे आदिवासी हरिजन भाइयों के लिये रिजर्वेशन नहीं होता है? क्या एसी, एसटी के लोग लालटेन नहीं हिला सकते, लीवर नहीं उठा सकते। आज आई.ए.एस. मे हमारे आदिवासी हरिजन लोग पूरे भरते हैं, मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान दें और इस तरह से जो होता है इसको दुरूस्त करे। हमारी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वह ठीक ढंग से लागू हो।

महोदय, जहां पर लोग 45 दिन के लिये काम करते हैं वहां पर भी रिजर्वेशन लागू होता है। उनका एक अलग वोचर निकाला है जिसे गुमराह करके ये रिजर्वेशन नहीं होता। इससे कोई फायदा नहीं है इसमें बहुत सी गलतियां है। जैसे रेलवे किसी स्टेट में जाता है, उन्होंने सब का परसेंटज़ लेकर एक अलग पालिसी बनाई है। एसई रेलवे में थोड़ी लाइन महाराष्ट्र में गई लेकिन महाराष्ट्र, बिहार का पापुलेशन, उसी के साथ उड़ीसा, आंध्र का सारा मिला करके एक अलग रिजर्वेशन परसैंटज निकाला है। यह इन्होंने अलग दिया है। जिस स्टेट में ज्यादा हरिजन–आदिवासी है वहां इन लोगों को कम फायदा मिलता है। महाराष्ट्र में थोड़ा कदम उठाया है लेकिन इसका कोटा इसके साथ मिला कर ज्यादा दूसरे लोगों को देते हैं और किसी बहाने से इन लोगों को फायदा नहीं मिलता है। पहले तो रख लेते है लेकिन बाद में किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, हमें इस बात की बड़ी जलन हो रही है। इसलिए इसमें सुधार करना सरकार का काम है।

महोदय, मेरे ख्याल से जो बात अभी नहीं उठी थी वह बात मैंने उठाई है। आप इस पर जरूर गौर करेंगे और आदिवासी हरिजनों को, जहां उनके लिये रेलवे की सुविधाएं हैं वहां उनको परसैंटेज के मुताबिक जरूर दें। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के विचारर्थ कार्य लेगें।

पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक।

मद संख्या 1 श्री वेंकटेश्वर डी. राव – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 2 श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 3 श्री काशीराम राणा – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 4 पुनः श्री काशीराम – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 5 श्री मोहन सिंह – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 6 श्री जार्ज फर्नान्डीज – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 7 अब, श्री याइमा सिंह युमनाम बोलेंगे।

3.41 म०प०

श्री याइमा सिंह युमनाम का
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक*
अनुसूची में संशोधन

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 12.8.1994 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय :

मद संख्या 8 श्री एम कृष्णामूर्ति – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 9 श्री चित्त बसु – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 10 श्री चित्त बसु – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 11 पुनः श्री चित्त बसु – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 12 श्री मोहन सिंह – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 13 पुनः श्री मोहन सिंह – उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 14 श्री काशी राम राणा – उपस्थित नहीं है।

03.42½ म०प०

श्री जार्ज फर्नान्डीज का
उधार सीमा नियमन विधेयक - जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 15 अर्थात् श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर और आगे विचार करते हैं। इस विषय के लिए तीन घंटे तय किए गए थे और इस पर दो घंटे 15 मिनट लग चुके हैं। इस प्रकार 45 मिनट बचे हैं।

पिछली बार श्री गंगवार बोल रहे थे। वह यहां पर उपस्थित नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री को बुलाता हूं।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के बढ़ते हुए सार्वजनिक कर्ज से संबंधित इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता की चिंता से मैं सहमत हूं। इसके साथ ही यह बताना चाहता हूं कि इस समस्या का कोई सरल समाधान नहीं है। अगर हम भारत के सार्वजनिक कर्ज; भारत के संचित कोष की एवज में उधार पर गौर करें तो यह ऋण इस समय हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 45 प्रतिशत है। अनुच्छेद 292 के अंतर्गत उधार के अतिरिक्त हमने सार्वजनिक खातों, लघु बचत तथा अन्य माध्यमों के तहत अन्य उधार ले रखी है; अगर हम इन सभी को जोड़ें तो केन्द्र सरकार का कुल सार्वजनिक कर्ज तथा अन्य देयताएं 67.3 प्रतिशत हो जाता है। अब तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 292 के तहत सार्वजनिक कर्ज इस समय लगभग 44.66 प्रतिशत है।

महोदय आप यह मानेंगे कि अगर हम इस प्रतिशत को घटा कर 15 प्रतिशत करने वाले इस विशेष संकल्प को स्वीकार कर लें तो यह एकदम व्यावहारिक कार्य नहीं है। हमें कुल सार्वजनिक कर्ज में एकदम अत्यधिक कमी करनी पड़ेगी और ऐसा हम व्यय में एकदम अत्यधिक कटौती करके ही कर सकते हैं। अगर हम इस विशेष विधेयक में वर्णित तरीके के अनुसार सार्वजनिक व्यय में कटौती करते हैं तो इसका यह अर्थ होगा कि विकास संबंधी कामों को गहरा धक्का लगेगा।

अतः मैं नहीं समझता कि यह एक व्यवहार्य उपाय है।

भारत द्वारा देय लोक ऋण में आंतरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के ऋण सम्मिलित हैं। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि बढ़ते हुए ऋण को कम किया जाये। संक्षेप में, हम अपनी सरकार का वित्तीय घाटा कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 1990-91 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी, उस समय वित्तीय घाटा 8.5 प्रतिशत था। हम ने इसे कम किया है तथा आने वाले वर्षों में हमारा इरादा इस वित्तीय घाटे को और कम करने का है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण कम हो जायेगा। परंतु, महोदय जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, लोक ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 15 प्रतिशत से कम करना कुछ समय तक संभव नहीं है। इसका तात्पर्य यहीं है कि हमें अपने विकास पर व्यय कम करना होगा। इसका यह कार्य भी होगा कि अगर कोई आपदा अथवा आपातकालीन स्थिति आती है तो केन्द्रीय सरकार इस आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठा पायेगी।

अंतिम आकलन यह है कि ऋण समाप्त करने का एक मात्र रास्ता वित्तीय घाटे को समाप्त करना हैं और वित्तीय घाटे को समाप्त करने के लिए हमें सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना होगा और सरकारी राजस्व में वृद्धि करनी होगी हमने अपने देश में महत्वपूर्ण कर सुधार आरंभ किए हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमारी कर प्रणाली में व्याप्त उत्प्लावन तथा लचीलापन बढ़ेगा। एक तरफ जबकि हम करों की दरों में कमी ला रहे है, इसके साथ–साथ हम ऐसी प्रणाली अपनाने जा रहे हैं जिसके कारण कर वसूली में सुधार होगा तथा समय के साथ–साथ राष्ट्रीय आय में कर राजस्व के योगदान में वृद्धि होगी।

इसके साथ–साथ हमें खर्च पर नियंत्रण करना है परंतु यहां भी अल्पावधि में हमारे पास खर्च को कम करने की बहुत कम गुंजाइश है। ऋण लेने की आवश्यकता को कम करने के लिए वित्तीय घाटे को कम करने का एक रास्ता सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश पर लाभ की दर में सुधार लाना है। इस समय केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र मे जो भारी निवेश कर रखा है उस पर औसत लाभ की दर दो प्रतिशत है। ये अधिक नहीं है। उदाहरणार्थ, अगर हम कुछ समय में लाभ की दर को बढ़ा कर दस प्रतिशत तक ले आते हैं तो वित्तीय घाटा बहुत कम हो जायेगा तथा इसके परिणामस्वरूप लोक ऋण में वृद्धि करने की बहुत कम आवश्यकता रह जायेगी। यहां भी इसे बीच की अवधि के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा।

वर्ष 1980-81 में हमारा रक्षा व्यय 36.63 करोड़ रूपये था तथा इस वर्ष के बजट में यह 23,000 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है। वर्ष 1980-81 में सबसिडी की राशि 2,028 करोड़ रूपये थी; इस वर्ष सबसिडी पर 9463 करोड़ रूपये खर्च होंगे। वर्ष 1980-81 में केन्द्र सरकार का पुलिस पर व्यय 274 करोड़ रूपये था; इस वर्ष यह व्यय 2,624 करोड़ रूपये है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को मिलने वाले अनुदान की राशि 626 करोड़ रूपये से बढ़ कर 2,324 करोड़ रूपये हो गई है। राजस्व खाते पर योजना व्यय वर्ष 1980-81 में 2,379 करोड़ रूपये था और इस वर्ष यह व्यय 28,062 करोड़ रूपये होगा। इसी प्रकार, योजनागत तथा गैर–योजनागत दोनों प्रकार का पूंजी व्यय जो कि वर्ष 1980-81 में 8,411 करोड़ रूपये था; इस वर्ष 26,057 करोड़ रूपये

होगा। अन्य योजनागत व्यय वर्ष 1980-81 में 2,907 करोड़ रूपये से बढ़ कर वर्ष 1994-95 में 14,159 करोड़ रूपये हो गया और इन सब खातों के अतिरिक्त, पिछले दशक के दौरान ऋण लेने की मात्रा में वृद्धि के कारण केन्द्र द्वारा ब्याज के रूप में किए जा रहे व्यय की राशि वर्ष 1980-81 में जो 2,604 करोड़ रूपये थी, बढ़ कर 46,000 करोड़ रूपये हो गई है।

इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम अपने देश का लोक ऋण कम करना चाहते हैं तो हमे वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करना होगा। वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए हमें द्वि–पक्षीय नीति अपनानी होगी एक तरफ तो कर–आय के अनुपात में सुधार लाना होगा तथा दूसरे व्यय–सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को कम करना होगा। इन दोनों दिशाओं में हमने प्रक्रिया को आरंभ किया है तथ मुझे आशा है कि हम धीरे–धीरे लोक ऋण तथा राष्ट्रीय आय के अनुपात को कम करने में सफल होंगे। परंतु इस विधेयक को स्वीकार करने से हमारी अर्थ–व्यवस्था में मुद्रा–अवस्फीति की प्रक्रिया आरंभ हो जायेगी जिसके कि मेरे विचार में विपरीत परिणाम निकलेंगे। यह व्यावहारिक नहीं है। इसलिए मैं इस विधेयक को स्वीकार करने की सिफारिश इस माननीय सदन से नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज उत्तर देंगे – उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार की सीमा नियत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

03.52 म०प०

[अनुवाद]

श्री विश्वेश्वर भगत का
इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 16 लेंगे। श्री विश्वेश्वर भगत।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

भारत जैसे विशाल देश में चिकित्सा पद्धति की सुविधा और मनुष्य जीवन के लिए चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश में वर्तमान में ऐलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति, ये चार पद्धतियां प्रचलित है। इनके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा

पद्धति के माध्यम से भी हमारे यहां आजकल इलाज किया जा रहा है।

इतने बड़े देश में हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग चिकित्सा से वंचित है। जरूरत इस बात की है कि हम सस्ती से सस्ती चिकित्सा पद्धति अपने देश में लागू करे। जिससे जन–साधारण भी उसका लाभ उठा सकें। आज जो हमारे देश में चिकित्सा पद्धतियां है। उनके अलावा भी जो ज्यादा सुविधाजनक, फायदेमंद और किफायती चिकित्सा पद्धतियां है, उन पर खोज और आविष्कार हो रहे हैं। वे होने चाहिए।

3.53 म०प०

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुई)

मेडिकल सांइस में दिनों–दिन आविष्कार हो रहे हैं, जोकि बहुत जरूरी है। जिससे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जीवन के लिए सेवा उपलब्ध हो सके। ऐसी ही एक पद्धति का इटली में काउंट–सुजरनिटी ने इलेक्ट्रोपैथी का विकास किया। यह पद्धति होम्योपैथी से मिलती–जुलती है। थोड़ा–बहुत इन दोनों में फर्क है। उसमें दवाओं का निर्माण और चिकित्सा पद्धति एक दूसरे से भिन्न है। हमारे देश में जो वनस्पति विद्यमान है। प्राचीन समय में हमारे देश में साधु–संतों के जमाने से जो हमें विरासत में औषध वनस्पति मिली है, जोकि आज भी विद्यमान है और इतिहास साक्षी है कि औषध वनस्पति के माध्यम से प्राणी जगत में चिकित्सा करने के कार्य होते रहे हैं। आपने देखा होगा कि जानवर भी औषध वनस्पति के द्वारा अपना इलाज कर लेता है। अगर कुत्ता बीमार हो जाता है तो वह भी इसके इलाज के लिये औषध वनस्पति की खोज में लग जाता है और उसको पाकर अपनी चिकित्सा कर लेता है। इस प्रकार हमारे देश में ऐसी अनेक औषध वनस्पतियां है जिसे मनुष्य अपने लिये प्रयोग में लाकर इलाज कर सकता है। आज अनेक चिकित्सा पद्धतियों में यह पाया गया है कि वनस्पति में ऊर्जा रहती है, उसको निकालकर एक असेंस के माध्यम से मनुष्य के रोग का कारगर ढंग से इलाज किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी के लिये बता दूं कि महाराजा रणजीत सिंह जब फ्लू के शिकार हुये तो उस समय इटली से होम्योपैथी के जन्मदाता सैम्युल हैनिमैन को यहां बुलाया गया और तब उनकी चिकित्सा की गयी। इसलिए कहता हूं कि हमें हौम्योपैथिक पद्धति को इग्नौर नहीं करना चाहिए। इस देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास औषध वनस्पति उपलब्ध रहती है इसलिये वे अपना रोग का निदान अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि 1988 के बाद से हमारे देश में बहुत सारे लोग इस प्रकार का काम करते आ रहे है। हजारों छात्र अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं जो निश्चित रूप से इस देश के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यह बात सही है कि किसी भी पद्धति को अपनाने में समय लगता है। हमारे देश में धन्वन्तरि जैसे वैद्य हुये हैं। उनकी आयुर्वेद पद्धति को भी अपनाने में सैकड़ों साल लगे। लेकिन उसके बाद भी आयुर्वेद के ज्ञाता उसका अनुसंधान और विकास तथा प्रमोशन करते रहे और अंत में वह दिन आया जब 1938 में भारत सरकार ने इस पद्धति को मान्यता दी। इसी प्रकार होम्योपैथी पद्धति को भी 134 साल बाद यानि 1973 में भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली है। यदि हम इन पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने में देरी करेंगे तो इन पद्धतियों के विकास कार्यों में बाधा पड़ेगी। इससे देश का बहुत

बड़ा ह्रास होगा। आज इस देश मे गैट लागू हो रहा है। हमारे देश के वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और औषध वनस्पतियों से दवाईयों के निर्माण में गैट के रहते हमारे वैज्ञानिक पीछे रह जायेंगे।

4.00 म०प०

मेरा सुझाव है कि मंत्री जी इस मामले में एक जींस का बैंक बनाएं जिससे हमारे देश की वह चीज सुरक्षित रह सके, जिससे दूसरे लोग उस पर अधिकार न कर सकें। इसके लिए मंत्री जी पूरी तरह से प्रयत्नशील है। मैंने मौखिक रूप से इस बारे में कई बार चर्चा की है। इस पद्धति के लिए शासन की ओर से 1988 में एक ऐक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी। उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय मोतीलाल वोहरा जी थे। इस कमेटी की रिपोर्ट भी संभवतः पहुंच गई है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जहां वह ऐक्सपर्ट लोग उस ऐक्सपर्ट कमेटी में रहे होंगे, उन सब चीजों को उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है। देश के करोड़ों करोड़ लोगों के लिए इस पद्धति को मान्यता देने में मंत्री जी निश्चित रूप से पहल करेंगे।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रोपैथी का इस देश में लाखो छात्र अध्ययन कर रहे हैं। उनके भविष्य की और इस पद्धति के प्रमोशन को मद्देनजर रखते हुए इसमें अविलंब सराहनीय कदम उठायेगें और इस इलैक्ट्रोपैथी को मान्यता प्रदान करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इसकी मान्यता के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करें और इसे मान्यता प्रदान करें। धन्यवाद

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदया, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं श्री भगत को यह विधेयक लाने पर बधाई देता हूं जिसके कारण ऐसे विषय पर इस सदन में चर्चा करने का अवसर मिला है, चाहे सरकार इसे स्वीकार करे या न करे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमारी व्यवस्था में किसी भी नई चीज को स्वीकार करने में समय लगता है। इस लिए संसद में इस विषय पर चर्चा सही दिशा में एक कदम है।

महोदया, इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में मुझे समाचार पत्रों से यह पता चला है कि कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय उपमंत्री महोदय ने इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने संबंधी आदेश जारी किया था। यह बहुत ही अद्भुत स्थिति है। तत्पश्चात् मंत्रालय ने यह कहा कि उन्होंने इस पद्धति के विशेषज्ञों की राय लिए बगैर यह निर्णय ले लिया था। खैर, उसके पश्चात इस मुद्दे पर

गौर करने के लिए एक समिति गठित की गई तथा एक समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मेरे विचार में समिति की सिफारिश अनुकूल थी। परंतु मंत्रालय के सचिव इस सिफारिश से सहमत नहीं हुए। उन्होंने इसके लिए कुछ कारण दिए हैं। अगर रामायण काल में ऐसी अफसरशाही होती तो सीता बिल्कुल ही स्वतंत्र न हो पाती। हम सब जानते हैं कि रावण सीता को उठा कर समुद्र पार श्रीलंका ले गया था। जब सीता को ढूंढ लिया गया तो राम को इसके बारे में पता चला। परंतु प्रश्न यह था कि अन्य लोगों के साथ समुद्र को कैसे पार किया जाये। इसके लिए कोई पुल नहीं था तुरंत ही हनुमान जी आगे आये तथा रामेश्वरम के नजदीक एक पुल का निर्माण किया गया तथा इसमें बन्दरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान जी ने यह नहीं सोचा कि यह कार्य असंभव है।

परंतु अगर आप अपनी अफसरशाही को कोई अच्छा प्रस्ताव देंगे तो सबसे पहले उनका उत्तर नकारात्मक होगा। वे सभी बाधाओं तथा रूकावटों का उल्लेख करेंगे। उसके पश्चात मंत्रियों तथा चुने हुए प्रतिनिधियों को उन पर दवाब डालना पड़ता है तथा काफी दवाब डालने के पश्चात वे कार्य आरंभ करते हैं। तब तक दो तीन वर्ष निकल चुके होते हैं।

आज चिकित्सा व्यवसाय में मुख्यतः चार पद्धतियां है – एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी तथा यूनानी इत्यादि। निःसंदेह आयुर्वेद हमारी अपनी पद्धति है तथा हमारी विरासतों तथा संस्कृति का हिस्सा है। हमें इस पर गर्व है। हमारे प्रधानमंत्री इस पद्धति के प्रशंसक है। पिछले दिन प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य उप–मंत्री महोदय जब नागपुर में आयुर्वेद संबंधी एक सम्मलेन को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इस पद्धति को सभी प्रकार से प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसलिए, इस मुद्दे पर नये सिरे से विचार किया जाना चाहिए। एक पत्रकार सम्मेलन में भी ए०आई०पी०सी० डाक्टर सैल के संयोजग डाक्टर ठाकुर ने इस पद्धति को मान्यता देने के लिए पुरजोर सिफारिश की थी।

इस पद्धति में केवल 64 दवाइयां है तथा उनका यह दावा है कि इस 64 दवाईयों से सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इसका भी अपना लाभ है क्योंकि हजारों दवाइयां रोग को और जटिल बना देती है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि नकली दवाइयां बड़ी संख्या में उपलब्ध है।

बेशक हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। हजारों की संख्या में दवाइयां लोगों को उलझन में डाल देती है तथा एक प्रकार से लोगों का शोषण है। एक ही दवाई का नाम बदल कर तथा थोड़ा बहुत परिवर्तन करके दुगुनी कीमत पर बेची जाती है। इस प्रवृति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार, इस विज्ञान में लगभग 64 दवाइयां है जो बहुत सस्ती है और जिनका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इनका कोई "साइड इफेक्ट" नहीं है अथवा यदि ये दवाइयां अधिक मात्रा में ले ली जाती है तो इनका कोई "रिएक्शन" नहीं होता हैं इस प्रणाली के प्रतिपादकों के ये दावे हैं। अतः, इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

निःसंदेह, जब हमारे शारीरिक तंत्र अथवा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में असंतुलन पैदा हो जाता है और बीमारियां पैदा हो जाती है तो हमें यह देखना है कि उनमें तालमेल कैसे बिठाया जाए तथा सामञ्जस्य कैसे स्थापित किया जाए। इस चिकित्सा पद्धति में इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है।

जैसा कि मैंने कहा है कि दवाईयां प्राकृतिक पदार्थों विशेषकर पौधों से बनाई जाती है। ये पौधो के पत्तों, जड़ों से तैयार की जाती है। इस पद्धति में रसायनों आदि का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए यह अहानिकारक है। ये गोलियों तथा शर्बत दोनों प्रकार में मिलती है और इनका स्वाद भी बुरा नहीं है। हमने देखा है कि उन्होंने सभी बीमारियों को सूचीबद्ध कर यह दावा किया है कि उन सभी का इलाज इन दवाइयों से किया जा सकता है।

आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि अभी उन्हें नकारात्मक उत्तर देकर अस्वीकार नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से विधेयक के प्रस्तुतकर्ता ने भी यह आशा नहीं की है कि अभी इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा।

यह नई प्रणाली है और अन्य स्थानों में इसके परिणाम भी सामने आए हैं। भारत में भी अनेक स्थानों पर उनके अपने औषधालय है और वे इस प्रणाली से उपचार कर रहे हैं।

आज अनेक प्रणालियां है जैसे प्राकृतिक चिकित्सा, जल चिकित्सा और एक्यूपंचर आदि और पुरानी बीमारियों के रोगियों को इन प्रणालियों से लाभ हो रहा है। स्वाभवतः विज्ञान प्रगति कर रहा है और इसकी अनेक शाखाएं है। यह चिकित्सा शास्त्र की नई शाखा है जो मुख्यतः प्रकृति से संबंधित है। यह अति महत्वपूर्ण भी है।

एलोपैथी इतनी अधिक विकसित है कि हम इसकी तरफ आकर्षित होते है और हमें इससे तत्काल राहत भी मिलती है। लेकिन इनका भी कुछ बुरा प्रभाव होता है और प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जानता है। कम से कम ज्ञाता व्यक्ति तो इसके बारे में जानते हैं। मेरा कहना है कि ऐसी प्रणाली प्रचलित है और इसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया गया। अनेक व्यक्तियों को इस प्रणाली से लाभ भी हो रहा है। एक विशेषज्ञ समिति ने इस प्रणाली की जांच की थी। इसे बिल्कुल अस्वीकार करने से पहले भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालय को इस पर एक बार नए सिरे से विचार करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता श्री भगत को यह विधेयक लाने के लिए और इस प्रणाली पर विचार करने का हमें अवसर देने के लिए धन्यवाद तथा बधाई देता हूं।

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : महोदया, मैं अपने मित्र श्री भगत जी द्वारा चिकित्सा प्रणाली में पांचवें चिकित्सा शास्त्र के रूप में इलेक्ट्रोपैथी आरंभ करने के बारे में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदया, दवाइयों की प्रगति तथा समय–समय पर विभिन्न बीमारियों के लिए इलाज की भिन्न–भिन्न पद्धतियों में आपने यह देखा होगा कि विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों को स्वीकार करने के पीछे अलोचना एक प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए मुझे अभी भी याद है कि एलोपैथी प्रणाली

को किसी समय जादू–टोना माना जाता था। आयुर्वेदिक दवाइयों को बहुत संकोच तथा संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। अब इलेक्ट्रोपैथी एक नई संकल्पना है जिसका विकास कतिपय मूल संकल्पनाओं से अनेक वर्षों में हुआ है। इन संकल्पनाओं को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हैं महोदया, आज भारत में भी अनेक प्रणालियां है तथा दवाइयां उपलब्ध है। जो अनेक जटिल तथा असाध्य रोगों के लिए काफी लाभदायक है।

महोदया, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मेरे गांव में अभी भी कुछ चिकित्सक कैंसर की कुछ किस्मों के इलाज के लिए तांत्रिक प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में कुछ दवाइयां ईश्वर को प्रार्थना करने और श्लोक पढ़ने के बाद आम चीजों से बनाई जाती है जिनसे प्रारंभिक चरण का नाक और दांत का कैंसर ठीक किया जा सकता है। इन दवाइयों पर अधिक अनुसंधान नहीं किया गया हैं। हमारे यहां इस प्रकार के पारंपरिक चिकित्सक भी हैं। जिन्हें हम सपना तत्व कहते हैं अर्थात् स्वप्न दवाइयों द्वारा इलाज किया जाता है। हमारे गांवों के अनेक परिवार पीढ़ियों से इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि एक पीढ़ी के एक व्यक्ति ने सपने में इस दवाई विशेष के बारे में जाना है और वह इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताता है ताकि इसका आम उपयोग न हो सके तथा अपनी मृत्यु से पहले किसी एक व्यक्ति को इस बारे में बता देता है। हमारे यहां ऐसे रोगों के लिए भी प्रभावी समाधान है जिन्हें पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया तथा आम दवाइयों से उनका इलाज नहीं हो सका था।

हमारे पास अनेक तर्कवादी दृष्टिकोण है और तर्कवादी अनेक प्रश्नों को उत्तर प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। वे गलतियां भी करते हैं। जीवन में अनेक रहस्य होते हैं। हर कोई नहीं जानता है कि उसके साथ क्या होगा? हम वैज्ञानिक आधार पर अनेक बातें करते है। मैंने कभी विज्ञान नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं अभी भी सुनता हूं कि लोगों को पूर्वाभास होता है जो सच भी हो जाता है। मैंने सुना है कि लोग अपने पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं। जीवन आश्चर्यजनक घटनाओं और रहस्यों का मिश्रण है और हमें जीवन अत्यंत प्रिय है क्योंकि अधिकांशतः यह रहस्यमयी है और चूंकि हमें इस बात का उत्तर नहीं मिला है कि जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है और जीवन शुरू होने से पहले क्या होता है। अतः यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि हम सभी विशेषज्ञ हैं और हम सब कुछ जानते हैं। जो व्यक्ति यह कहता है कि वह सब कुछ जानता है, वह व्यक्ति विश्व में सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। इसी भावना के साथ मैं आशा करता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के दोनो मंत्री जो मेरे सामने बैठे हैं कुछ प्रयास करेंगे क्योंकि वह क्षेत्र रहस्यमयी गतिविधियों से भरा हुआ हैं

उप–मंत्री से बेहतर इस संबंध में कोई नहीं है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने या उनके परिवार ने कभी न कभी किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए कुछ पारंपरिक दवाइयों का उपयोग किया होगा। मेरे मित्र सिर हिला कर मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि कभी–न–कभी उन्होंने भी पारंपरिक दवाइयों का उपयोग किया होगा जो सामान्य आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयों से अधिक प्रभावी साबित हुई होगी आखिरकार ये दवाइयां जीवन रक्षा के लिए है। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सत्य है लेकिन मेरे अनेक डाक्टर मित्रों, विशेषरूप से जो विदेश से आए हैं,

का यह कहना है कि यह दवाइयां मारक टॉनिक है। यदि आप स्वयं को मारना चाहते है तो यह दवाइयां खा लें। मनुष्य के लिए यही सबसे उपयुक्त है कि वह प्रकृति के आश्रम में ही जाएं। आयुर्वेदिक दवाइयों का आधार विभिन्न प्रकार की जड़ी–बूटियां तथा सब्जियां हैं। लेकिन यह इलेक्ट्रोपैथी विज्ञान सूर्य की किरणों से इलाज करने में विश्वास करता है और यह पारंपरिक विश्वास है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और हमारे जीवन को संचालित करता है। जब आप ज्योतिषियों की बात करते हैं जिन्हें विश्व में हेय दृष्टि से देखा जाता है लेकिन चोरी–छिपे सभी व्यक्ति उनसे मिलते हैं इससे उनके महत्व का पता लगता है। सूर्य की किरणों का मानव शरीर पर प्रभाव पड़ता है और यह कुछ अंश में सौर ऊर्जा को भी अकस्मात् कर सकता है। इसे वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करते हुए यह कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा में अनेक प्रकार की किरणें होती है और जब यह किसी व्यक्ति द्वारा पहले किसी पत्थर विशेष पर पड़ती है तो बुरी किरणें उसमें समा जाती है। हालांकि मैंने देखा है कि अनेक व्यक्तियों की त्वचा की बीमारियों का इलाज एक पत्थर विशेष को अपने शरीर पर धारण करके किया है, मैं यह आजकल यह भी देख रहा हूं कि सभी शीर्षस्थ राजनीतिज्ञ और अधिकारी पत्थर से होने वाले प्रभावी इलाज को स्वीकार करते हैं। मैं भी इस प्रणाली में विश्वास करता हूं। मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो पत्थरों में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन वे विभिन्न प्रकार के साधु–संन्यासियों द्वारा की जाने वाली आध्यात्मिक चिकित्सा को पसंद करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वास्तव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी यह कहा था कि उन्हें कोई भी साधुओं के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास न करे लेकिन वह स्वयं उनकी प्रशंसा करते है पर अन्य व्यक्तियों से कहते हैं कि इन सन्यासियों और साधुओं के होसलें न बढ़ाये। मानव प्रकृति इस प्रकार की होती है और यह सभी प्रकार की वस्तुओं पर निर्भर करती है। चूंकि जीवन रहस्यमय है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से प्यार करता है तथा प्रत्येक मानव की यह कामना होती है कि उसके जीवन में अच्छे से अच्छा सुधार हो सके। साहित्य के विद्यार्थी के रूप में मेरा यह विश्वास है कि जीवन रहस्यों से परिपूर्ण है। मैं उस वर्ग में शामिल नहीं होना चाहता जो आलोचनात्मक आधार पर जीवन को देखते हैं। मुझे यह दृष्टिकोण पसंद नहीं है। मैं जीवन के रहस्यों को ढूंढना चाहता हूं। इस ब्राह्मंड में जो विभिन्न रहस्य है मैं उन्हें खोजना चाहता हूं।

मैं सुबह, दिन–रात नहीं देखता हूं। मैं ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था, तारों, तारों से परे और जो डेनिगन के सिद्धांत से भी परे है केवल जीवन ही नहीं बल्कि जीवन से भी ऊपर शून्यता ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक जानना चाहता हूं। इसी से जीवन के प्रति रूचि जागृत होती है और इसलिए इसी भावना से मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह इस इलेक्ट्रोपैथी के बारे में समुचित विचार करें जो विभिन्न आवश्यक रसायन तत्व और जड़ी–बूटी अवयवों के सम्मिलित करने पर आधारित है। इसका सूर्य की किरणों से भी संबंध है और इसे भी 'आड' फोर्स कहा जाता है। अन्ततोगत्वा मुझे याद आता है कि बर्नाड शॉ तथा अन्य व्यक्तियों ने भी जीवन शक्ति के बारे में चर्चा की थी। अतः यह निश्चित ही एक दूसरी शक्ति है, जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। जीवन शक्ति जीवित रहने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और मानव सभ्यता के विकास की कहानी में एक मौलिक पहलू है।

मैंने देखा है कि इलेक्ट्रोपैथी कुछ बहुत ही कठिन रोगों यथा सामान्य जुकाम और फ्लू का इलाज करने में बहुत सफल रही है। जब हमें जुकाम होता है हम होम्योपैथी और एलोपैथी सभी प्रकार की दवाइयां लेते हैं लेकिन किसी से राहत नहीं मिलती है और हमें आखिर में तीन–चार दिन तक कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रोपैथी में इनका इलाज है। इसमें कुछ तुरंत उपचार करने की क्षमता है।

इसी प्रकार, मैं समझता हूं कि सामान्य सिरदर्द और जिसे माइग्रेन भी कहा जाता है, के लिए कुछ उपचार है। मेरी पत्नी काफी लम्बे समय तक सिरदर्द से पीड़ित रही है। मैं अनेक डाक्टरों के पास गया लेकिन अभी तक सही उपचार नहीं मिल सका यद्यपि एक्सरे आदि भी खींचे गए किंतु उसे अभी तक राहत नहीं मिली है। संभवतः इलैक्ट्रोपैथी से कुछ लाभ हो सकता है।

किसी समय में एक्यूपंक्चर को अत्यधिक पैशाचिक उपचार माना जाता था। हमें सिर में अथवा इसी तरह शरीर के अन्य भागों में सुई क्यों चुभानी चाहिए। इसे भारतीय लोगों को पागल बनाने का चीन का षडयंत्र समझा जाता था। यही आम अवधारणा थी। लेकिन अब एक्यूपंक्चर का साइनसाइटिस रोग के लिए बहुत ही प्रभावी उपचार स्वीकार किया गया है और मेरे मित्र श्री विजय कृष्ण हान्डिक ने भी एक्यूपंक्चर उपचार किया था। यह बहुत ही सुप्रसिद्ध विज्ञान है। इसी प्रकार, कोमा उपचार के लिए इलैक्ट्रोपैथी एक कारगर पद्धति है। कोमा, विभिन्न प्रकार के नशा के इलाज, हृदय रोग, खसरा, चेचक, कनपेड़ा, कृमि रोग और चर्म रोगों के उपचार के लिए यह विज्ञान बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुआ है। आखिरकार, इससे मानव ज्ञान के नए रास्ते खुले हैं और मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि इसे इतना हल्केपन से लिया जाए। लेकिन मैं इसे भी समझता हूं। हिन्दी भाषा में ऐसी मनोदशा के लिए उपयुक्त शब्द 'मजबूरी' है। हमारे माननीय मंत्री यह बात जानते है। मुझे भी पार्किनसन कानून जिसका अनेक बार श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा जिक्र किया गया, के बारे में जानकारी है। स्वाभावतः मैं नहीं समझता कि नौकरशाही पद्धति अथवा मंत्रियों से प्रत्युत्तर हमें इसका मिलेगा अथवा वे अपेक्षित पहल करेंगे। मैं यह भी जानता हूं कि डा. सिल्बेरा और श्री पवन सिंह घाटोवार जो शुद्ध साधारण और पूर्वोत्तर के सीधी–सादी दुनिया से संबंधित है, निश्चित रूप कुछ करने के लिए निश्चित रूप से कटिबद्ध रहेंगे। वे सभी प्रकार की नौकरशाही से अपने आप को आजाद करने की कोशिश करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेंगे कि यह क्रांतिकारी विज्ञान स्वीकृत और लोकप्रिय हो ताकि मानव इस महान विज्ञान से उपयुक्त लाभ उठा सके। मुझे भी अपने दादाजी के हस्तक्षेप के कारण कतिपय छोटे मामलों में कुछ राहत पाने के लिए एक मौका मिला था।

अपने मित्र द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं जोरदार समर्थन करता हूं और मैं इलेक्ट्रोपैथी के तुरंत मान्यता देने के लिए भी आग्रह करता हूं तथा मैं श्री भगत और श्री पाणिग्रही द्वारा पहले ही व्यक्त किये जा चुके विचारों से सहमत हूं जिन्होंने निस्संदेह ही पूरा मामला मेरी अपेक्षा अधिक दृढ़ता के साथ रखा है। लेकिन मैं, मैडम, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रोपैथी प्रणाली को देश में पांचवी चिकित्सक प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदया, श्री विश्वेश्वर भगत ने इलेक्ट्रोपैथी प्रणाली को मान्यता दिलाने के लिए गैर–सरकारी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया है।

महोदया, इस सभा में, वर्ष 1977 में, एक माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ सिंह ने भी एक गैर–सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया। उस समय भी यह विधेयक अस्वीकृत कर दिया गया था।

राज्य सभा में भी एक विधेयक श्री एस. पी. मालविया द्वारा 26.3.1993 को लाया गया था और वह विधेयक भी अस्वीकृत कर दिया गया था।

भारत सरकार देश की जनता के स्वास्थ्य के बारे में हमेशा चिन्तित रहती है और हम इस देश के नागरिकों को यथा संभव सर्वोत्तम उपचार देने की हमेशा कोशिश करते हैं।

हमारे देश में व्यापक पैमाने पर उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने चार चिकित्सक प्रणालियों का पता लगाया है जैसे (i) आधुनिक/वैज्ञानिक चिकित्सा (एलोपैथिक) (ii) आयुर्वेद और सिद्ध (iii) यूनानी और (iv) होम्योपैथी। ये विभिन्न चिकित्सा प्रणालियां अपनी स्वास्थ्य परंपराओं पर विचार और रूग्ण शरीर तथा किसी रोग के निदान हेतु वैज्ञानिक और तर्कसंगत प्रबंध प्रस्तुत करने वाली प्रक्रिया पर आधारित है।

जब कभी कोई माननीय सदस्य इस सम्माननीय सभा में कोई प्रस्ताव अथवा विधेयक लाता है तो भारत सरकार माननीय सदस्य के विचारों और विधेयक को हमेशा समुचित महत्व देती है। यद्यपि यह गैर–सरकारी सदस्य का विधेयक होता है तब भी सरकार इसे हमेशा उचित महत्व देती है।

किसी प्रणाली को मान्यता देते समय हमें कुछ वैज्ञानिक संलेखों का भी अध्ययन करना पड़ता है। मेरे अच्छे मित्र, श्री किरिप चलिहा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक प्रथाओं का उल्लेख किया है। हम जंगल की अनेक प्रकार की पत्तियों, जड़ी–बूटियों, मिट्टी और अन्य अनेक वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी प्रणाली को एक प्रणाली के रूप में मान्यता देते समय हमें उसके संबंध में निश्चित संलेख, निश्चित वैज्ञानिक आधार और प्रणाली का निश्चित विश्लेषण करना पड़ता है।

महोदया, इस विधेयक के प्रस्तावक ने उस संस्था के बारे में, जो विद्यार्थियों को पढ़ा रही है, उल्लेख किया है। मैं यह जानकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हूं कि उस संस्था की स्थापना किस प्रकार की जा सकती है और उसमें विद्यार्थियों को किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है जबकि उसे मान्यता प्राप्त न की गई हो।

हम इस इलेक्ट्रोपैथिक प्रणाली की आयुर्वेदिक प्रणाली से तुलना नहीं कर सकते। आयुर्वेद हमारी अपनी प्रणाली है। यह दो हजार वर्ष पुरानी है और इसका प्रादुर्भाव हमारे अपने देश में ही हुआ है। हमारा अपना औषधकोश है।

इस इलेक्ट्रोपैथिक प्रणाली को 'काउन्ट मैत्री' नामक एक व्यक्ति ने इटली में प्रारंभ किया था और यह समिति यह मालूम करने में विफल रही है कि किन–किन देशों द्वारा इस प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई है। यह हमारे देश में नहीं जन्मी है। इसका जन्म और कही और हुआ है। मुझे बताया गया कि उस देश में इस प्रणाली को मान्यता नहीं मिली है। जब इस प्रणाली को अनेक देशों में मान्यता नहीं दी गई है तो हम इस प्रणाली को किस आधार पर मान्यता देने जा रहे हैं।

04.34 म०प०

(श्री पीटर जी. मरबनिआंग पीठासीन हुए)

भारत सरकार ने अति गंभीरता पूर्वक भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद् के तत्कालीन महानिदेशक की अध्यक्षता में एक अत्यधिक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। इस समिति में चिकित्सक व्यवसाय के प्रसिद्ध सदस्य थे। उन्होंने प्रणाली के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और यह इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 28.12.1990 को पेश की थी।

मैं इस समिति, जिसने अपना प्रतिवेदन 28 दिसम्बर, 1990 को प्रस्तुत किया था, द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहूंगा। इस समिति ने इलैक्ट्रोपैथी को नई चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता देने की सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने यह सिफारिश क्यों नहीं की थी क्योंकि उन्होंने इसका विस्तृत अध्ययन किया था लेकिन उन्होंने इसे संतोषजनक नहीं पाया। यही कारण है कि उन्होंने इस प्रणाली को मान्यता नहीं दी। उन्होंने उल्लेख किया कि इसका कोई औषधकोश नहीं है, हाल ही इसके बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है हाल ही में कोई अनुसंधान पुस्तक प्रकाशित नहीं की गई है आदि–आदि। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में ये सब कारण दिए हैं।

माननीय पाणिग्रही जी ने श्री चन्द्रशेखर की सरकार में तत्कालीन माननीय उप–स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बारे में बताया। उस समय माननीय उपमंत्री ने किसी संस्था का दौरा किया और उसे अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। उन्होंने उसे कुछ कदम उठाने का भी आदेश दिया। विश्व के किसी भी देश में जब कोई चिकित्सा प्रणाली अपनाई जाती है, तो सबसे पहले उसकी क्षमताओं, उसके परिणाम और उस प्रणाली की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करना पड़ता है। हरेक चीज का गंभीरता से अध्ययन करना पड़ता है और तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है। यह किसी राजनीतिज्ञ द्वारा लिया जाना जाने वाला कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। इसी वजह से समिति का गठन किया गया था और उसने रिपोर्ट भी दी थी।

स्वास्थ्य सेवाओं के अपर महानिदेशक डा. शर्मा की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का भी गठन किया गया था। उस समिति में चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भी थे। लेकिन उस समिति ने भी नकारात्मक रिपोर्ट दी।

माननीय पाणिग्रही जी ने कहा है कि वह नौकरशाही का दृष्टिकोण है। मैं कह सकता हूं कि इस मामले में नौकरशाहों का अपना कोई दृष्टिकोण नहीं होता। उन्हें हमेशा विशेषज्ञ समिति

के दृष्टिकोण और टिप्पणियों से मार्गनिर्देशन मिलता है क्योंकि नौकरशाह लोग इस संबंध में कोई विशेष ज्ञान नहीं रखते। वे अपने चिकित्सा विशेषज्ञ होने का दावा नहीं कर सकते।

अतः, उन्होंने इस मामले को किसी चिकित्सा विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया था और उस चिकित्सा विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी।

मैं उन लोगों को जिन्होंने यह संस्था शुरू की है तथा उन विद्यार्थियों को, जो वहां पढ़ रहे है, यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकती क्योंकि जब कोई प्रणाली मान्यता–प्राप्त ही नहीं है तो लोग संस्थान कैसे शुरू कर सकते है और किस प्रकार विद्यार्थियों को डिप्लोमा औरा डिग्रियां दे सकते हैं। निश्चित रूप से उससे बहुत सी समस्यायें उठ खड़ी होगी।

'नेचुरी–इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडीकोज' नाम का एक संगठन संस्था इस प्रणाली का प्रतिनिधि संगठन होने का दावा करता है। वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी गये और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत सरकार के तत्कालीन सचिव को एक निर्देश जारी किया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.10.1991 के अपने आदेश द्वारा स्वास्थ्य सचिव को दिनांक 16.5.1991 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्कालीन उपमंत्री के 14.6.91 के पत्र पर विचार करके उस प्रणाली को मान्यता देने संबंधी अंतिम आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों ने अनुपालन में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 19.1.1993 को एक विवेकपूर्ण आदेश दिया जिसमें कहा गया है :

"मान्यता दिये जाने से जनता में, विशेष रूप से चिकित्सीय इलाज चाहने वाले रोगियों में, विश्वास बनता है। किसी प्रणाली को मान्यता प्रदान करने से पहले सरकार को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस प्रणाली का अपना औषध–संग्रह हो, अधिक लोग उससे परिचित हों तथा अन्य चिकित्सा प्रणालियों से उसका सह संबंध हो।

मौजूदा मामले में यह स्पष्ट है कि:

(क) इस प्रणाली का कोई अधिकारिक औषध–संग्रह नहीं है।

(ख) यह एक पुरानी प्रणाली है, जिसका 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इटली में प्रचलन था। तब से इसका विकास नहीं हुआ। यह लोगों में अधिक प्रचलित भी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि इसकी अधिक मान्यता भी नहीं है। यह दवाइयां होम्योपैथिक दवाओं के लाइसेंस के अंतर्गत जर्मनी से आयात की जाती है।

(ग) प्रत्येक प्रणाली का सामयिक साहित्य होता है जो उस प्रणाली की प्रभावोत्पादकता के बारे में बताता है तथा जिसे वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इस प्रणाली का साहित्य इटली और जर्मन मूल का है। जिसका संबंध 19वीं शताब्दी से है।

(घ) अन्य चिकित्सा प्रणालियों के साथ सह–संबंध और अन्य प्रणाली की तुलना में इसकी संबंधित प्रभावोत्पादकता पर आधारित तुलनात्मक जानकारी भी उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त कमियों को मद्देनजर रखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विकास की वर्तमान अवस्था में मान्यता नहीं दी जा सकती।"

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रोपैथी प्रणाली पर कोई नवीन प्रकाशन भी है।

महोदय, कोई भी प्रणाली जब तक देश के विशेषज्ञ उसकी प्रभावोत्पादकता से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक स्वीकार नहीं की जा सकती। साधारण व्यक्ति होने के नाते मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लोगों को उस पर विश्वास होने दीजिए और उसके पश्चात् सरकार स्वयं को इससे संतुष्ट कर लेने के बाद और सभी प्रोटोकोल पूरे करने के बाद इस पर कोई दृष्टिकोण अपना सकती है। जब तक सभी प्रकार की वैज्ञानिक जांच–पड़ताल नहीं हो जाती अथवा विशेषज्ञ उपयुक्त सिफारिश नहीं करते, तब तक सरकार किसी नई प्रणाली से सहमत नहीं होगी।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों को अत्यधिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। निश्चित रूप से भारत सरकार और प्रधान मंत्री महोदय ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के प्रति हमेशा ही अत्यधिक रूचि दिखाई है। लेकिन उसका आधार वैज्ञानिक विश्लेषण और उपयुक्त निष्कर्ष होने चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र, श्री विश्वेश्वर भगत से यह विधेयक वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : माननीय सभापति महोदय, हमारी बाध्यता है तो हम इस बिल को जरूर वापिस लेंगे। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि किसी भी नए सिस्टम को मान्यता प्रदान करने के लिए शर्तें पूरी होनी चाहिए तभी मान्यता प्रदान होगी। मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इटंली में नयी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार हुआ। कोई भी चीज जहां आविष्कार होती है तो उसका लाभ आविष्कार होने वाली जगह पर नहीं मिलता है। उसका फैलाव होने पर विश्व में सभी जगह उसका लाभ लेते हैं क्योंकि वह निश्चित रूप से सस्ती और सरल पद्धति है और कोई उसकी दवाईयों का कोई रिएक्शन या साईड इफेक्ट नहीं होता है।

कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और असाध्य रोगों का भी इसके द्वारा इलाज होता है। जैसा मंत्रीजी ने बताया कि ये दवायें यहां निर्मित न होकर आयात हो रही है, निश्चित रूप से अभी हमारे यहां उसका स्वरूप छोटे स्तर पर है। जब इसका विकास होगा और इसे मान्यता मिलेगी तो जो दवायें कम मात्रा में यहां बन रही है, वे ज्यादा मात्रा में हमारे यहां बनेगी। इसलिए जरूरी है कि हम डवलपमेंट और प्रमोशन देकर भविष्य में इसके बारे मंत्रीजी सोचे और मुझे आशा है कि वे इसकी रिकमंडेशंस पर कोई कसर नहीं रखेंगे।

सभापति महोदय, मैं इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे संबंधित अथवा

आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : अब, प्रश्न यह है :

"कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत : मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हमे मद संख्या 17 लेनी है।

श्री भोगेन्द्र झा – उपस्थित नहीं।

04.47 म० प०

प्रो. के. वी. थामस का
आतंकवाद के पीड़ितों के आश्रितों का पुनर्वास विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 18 लेंगे। अब प्रो. के. वी. थामस बोलेंगे।

प्रो. के. वी. थामस (एरणाकुलम) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में आतंकवादी हिंसा में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को मासिक पेंशन का संदाय करने और अन्य सुविधाएं देने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, आतंकवाद भारतीय समाज में प्रवेश कर गई एक नई सामाजिक बुराई है। हालांकि आयरलैंड तथा मध्य पूर्व में आतंकवाद की उपस्थिति से सारा विश्व परिचित है लेकिन अभी तक भारत में इसके बारे में नहीं सुना गया था। कोई भी बुद्ध, शंकर, नारायण और महात्मा गांधी की इस भूमि पर हिंसा और हत्या को उपयुक्त नहीं ठहरा सकता। परंतु दुर्भाग्यवश गत 12 वर्षो से आतंकवाद ने पंजाब, कश्मीर, असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दिल्ली और मुम्बई और देश के अन्य भागों में पैशाचिक रूप धारण कर लिया है। हमारी इस भूमि पर जहां पवित्र गंगा नदी बहती है, राष्ट्र विरोधी तथा सांप्रदायिक ताकतों से देश के अंदर तथा देश के बाहर हिंसा और हत्याओं की बाढ़ आ गई। पंजाब और कश्मीर में हजारों निरीह लोग मारे गए, हजारों बेघर और भूमिहीन हो गए

तथा एक विशेष वर्ग के लोगों को पड़ोसी राज्यों से खदेड़ दिया गया। जैसाकि आपको मालूम है, उनमें से काफी लोग अभी भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।

04.49 मध्य

(श्री पी. सी. चाक्को – पीठासीन हुए)

महोदय, मुम्बई में, जो भारत की औद्योगिक राजधानी है, एक साथ कई बम फटे। इस बडे पैमाने पर हुई हिंसा और हत्याओं के परिणामस्वरूप प्रशासनिक एजेंसियों को राज्य पुलिस के साथ–साथ सेना और अर्ध सैन्य बलों की नियुक्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किये गये। आतंकवाद ने एक नयी किस्म की बेबसी और गरीबी की स्थिति पैदा कर दी है। आज आतंकवाद के पीड़ितों के आश्रितों का एक नया वर्ग हमारे समाज में मौजूद है।

महोदय, 1984 में, जब आठवीं लोक सभा अस्तित्व में आई तो पंजाब और अन्य स्थानों से नित्यप्रति आतंकवादियों द्वारा एक या दो या तीन व्यक्तियों के मारे जाने की खबरें आती थी। मुझे अभी भी याद है जब एक बस के लगभग 13 यात्रियों को मान दिया गया था और इस सभा को इसका बहुत अधिक शोक हुआ था। अब इस प्रकार मारे जाने की खबरों का कोई अर्थ नहीं रह गया है क्योंकि हमारे लिए इस प्रकार की हिंसा और हत्यायें रोजमर्रा की बात बन गई है। अतः, हमारे समाज को, जिसने इस प्रकार के हत्याकांड, इस प्रकार व्यापक पैमाने पर हुई हत्याओं के बारे में कभी नहीं सुना था, आतंकवाद के पीड़ितों के आश्रितों की मदद करने के लिए कोई उपाय करना होगा। इस पर हमें विशेष परिप्रेक्ष्य और विशेष पृष्ठभूमि में विचार करना होगा। मौजूदा लोकतांत्रिक सरकार के सत्ता में आने से पहले ही सारा पंजाब आतंकवाद की गिरफ्त में था। उसकी अर्थव्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न हो गया था और सरकार असफल हो गई थी। महोदय, कश्मीर, जो पर्यटकों के लिए स्वर्ग माना जाता है, में एक ठहराव सा आ गया है। वहां कोई पर्यटन एजेंसी, कोई होटल काम नहीं कर रहा है और लोग भुखमरी की स्थिति में है। इस पृष्ठभूमि में, जब आतंकवादी लोगों को मार देते हैं तो उनके आश्रित लोग कहां जाये। गृहणियों ने अपने पति खो दिये, बच्चों के सिर से मां–बाप का साया उठ गया, परिवार में रोटी कमाने वाला जो एक मात्र व्यक्ति था वही मारा गया। अतः, इस नये समाज में जहां उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इस वर्ग के लिए जो मूलतः घर के कमाने वाले सदस्यों पर निर्भर करता है, का निर्वाह किस प्रकार उचित रूप से हो सके, इसके लिए कोई उपाय ढूंढना पडेगा।

महोदय, शरणार्थी शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों को दैनिक भोजन देकर उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उनको रोजगार देने का कोई उपाय ढूंढना होगा। इस मामले में हम क्या कर रहे हैं। महोदय, जब पुलिस या सेना के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर रहते हुए मारे जाते हैं तो सरकार उनके आश्रितों की सहायता करती है। उत्तर प्रदेश में यदि पुलिस का कोई कर्मचारी मारा जाता है तो सरकार उसके परिवार वालों को एक लाख या दो लाख रूपये सहायता के रूप में देती है तथा उसके निकटतम आश्रितों को रोजगार भी उपलब्ध कराती है। इस प्रकार, इसका भी उपाय है।

यहां तक कि प्राकृतिक आपदा एवं बाढ़ की स्थिति के दौरान, माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस आपदाओं में मारे गये लोगों के निकटतम संबंधी को 50,000 रूपये की राशि प्रदान करने की कृपा की है। राज्य सरकार के अधीन जब कोई व्यक्ति अपनी राजकीय –सेवा के दौरान मर जाता है, तो उसके निकटतम संबंधी को नौकरी दी जाती है। लेकिन यहां के बेकसूर लोगों जिनका उग्रवाद से कोई संबंध नहीं है तथा जिन की हत्या की जा रही है। उनका भरण–भोषण कैसे किया जाये हमें उनका भरण पोषण करना है यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि ऐसे परिवारों की सहायता की जाए। इस संबंध में मैंने बहुत थोड़े सुझाव दिए हैं। मेरा एक सुझाव यह है कि उग्रवाद से पीड़ित परिवार को केन्द्र सरकार द्वारा 2000 रूपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

2,000 रूपये प्रति माह की यह धनराशि बहुत कम है, जो सारे परिवार के लिए दी जानी चाहिए। मैंने यह सुझाव दिया है कि उग्रवाद से पीड़ित परिवार के आश्रितों में से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाना चाहिए। किसी प्रकार से, हमें ऐसा करने का कोई तरीका खोजना होगा। यदि किसी परिवार में ऐसा कोई आश्रित व्यक्ति नहीं है जिसे नौकरी दी जा सके, तो ऐसे परिवार के बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा तथा उनकी शिक्षा के लिए भारत सरकार को उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ेगी। इस बारे में, मेरा यही सुझाव है कि राजकीय कोष में से 20 करोड़ की धनराशि नियत की जाये। मेरे विचार से यह एक सामाजिक कार्य है क्योंकि हम पुलिस कर्मियों, अर्द्ध सैनिक बलों, सैनिक बलों तथा सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह सहायता उग्रवाद से पीड़ित परिवारों को अवश्य दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें उनका कोई दोष नहीं होता। समाज में अब लोगों का एक ऐसा वर्ग शामिल हो रहा है, जो उग्रवाद से पीड़ितों के आश्रितजन होते है। हमारा एवं राष्ट्र का भी यह नैतिक कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे लोगों को समुचित सहायता प्रदान की जाए, ताकि उनके परिवारों की सही ढंग से देखभाल हो सके। ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन चूंकि अब उग्रवाद हमारी राजनैतिक पद्धति से धीरे–धीरे बाहर जा रहा है, अतः मेरे विचार से इससे इनकी संख्या में भी कमी आयेगी।

यह सच है कि हमें उग्रवाद का मुकाबला सैनिक बलों की सहायता से एवं देश की पूरी ताकत के साथ जनता की भावना के अनुरूप ही करना चाहिए। हमने पंजाब में यह देखा है कि जब वहां जनता द्वारा निर्वाचित सरकार सत्ता में आई, तो वह यथा संभव सबसे शक्तिशाली तरीके से उग्रवाद का सामना कर पाई थी। इससे जनता की इच्छा–शक्ति प्रदर्शित होती है। कश्मीर में भी, जो कुछ भी कहा अथवा किया जाता है, हम यह देखते हैं कि लोग उग्रवाद से तंग है वे आतंकवादियों के विरुद्ध है। वे राष्ट्र की प्रमुख धारा में वापिस आना चाहते हैं। अतः, इस हेतु सरकार क्या कर रही है? कश्मीर के लिए परसों ही भारत सरकार ने 2,000 करोड़ रूपये की धनराशि नियत की थी। हम यहां क्या सुझाव देते हैं? हम यह सुझाव देते हैं कि सरकार को उग्रवाद का सामना करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए। नये कारखाने स्थापित करेने होंगे तथा रोजगार के नये अवसर विकसित करने पड़ेंगे और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 2000 करोड़ रूपये की धनराशि

नियत की है। महोदय, उग्रवाद को दबाने का यह एक ढंग है।

सभापति महोदय : प्रो. थामस, कृपया एक मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठ जाइए। सरकार की ओर से इन बातों को कौन नोट कर रहा है?

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : महोदय, सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति इन बातों को नोट करने के लिए उपस्थित नहीं है। यह अत्यंत आपत्तिजनक बात है।

सभापति महोदय : मेरे विचार से संबंधित मंत्री से यह आशा की जाती है कि वह सभा में उपस्थित हो। कृपया इस बात को नोट कर ले। प्रो. थामस, कृपया अपना भाषण जारी रखिये।

प्रो. के. वी. थामस : महोदय, उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए यह सरकार अनेक कार्रवाइयां कर रही है। उनमें से एक कदम हमारे सैनिक बलों को मजबूत करना है। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय राइफल्स की और अधिक वाहिनियां प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। राष्ट्रीय राइफल्स का उद्देश्य सेना की सहायता करना है। हम जानते हैं कि हमारी सेना का प्रमुख कर्त्तव्य हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करना है। अक्सर, सेना को सांप्रदायिक हिंसा तथा उग्रवादी गतिविधियों को दबाने के लिए इधर–उधर भेजा जाता है अथवा तैनात कर दिया जाता है। अब, सेना पर दवाब कम करने के लिए, हमने नई राष्ट्रीय राइफल्स शुरू की है। एक तरीके से ये सभी प्रयास उग्रवाद को दबाने के लिए ही किये गये है।

जब हम उग्रवाद को दबाने के लिए अपने प्रयासों में विभिन्न कार्रवाईयां कर रहे हैं, तो इस प्रयोजन के लिए मैं एक ढंग यह सुझाना चाहता हूं कि उग्रवाद से पीड़ितों के परिवारों को सहायता दी जाये। मेरा एक सुझाव यह भी है। अन्यथा, वे अकेले पड़ जायेंगे। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम नैतिक रूप से भी उग्रवाद से पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों की सहायता करने के लिए आबद्ध है। यह सरकार जोकि प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने को तैयार है – मुझे पूरा विश्वास है कि समुचित कार्रवाई करेगी।

05.00 म०प०

उग्रवाद से पीड़ित व्यक्तियों के आश्रित जनों को भी पर्याप्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

मेरा सुझाव है कि उग्रवाद से पीड़ित परिवार को 2,000 रूपये पेंशन तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए, ताकि ऐसे उपेक्षित परिवारों को थोड़ी सी सहायता मिल सके। मुझे आशा है कि सरकार मेरे द्वारा प्रस्तुत विधेयक को स्वीकार करेगी तथा इस विशिष्ट समुदाय की समस्या को समझेगी। पीड़ित व्यक्तियों के समुदाय में यह एक नया वर्ग जुड़ा है। मैं समझता हूं कि सरकार इस विधेयक की अवधारणा को समझेगी तथा ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए यथा संभव कार्रवाई करेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि देश में आतंकवादी हिंसा में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को मासिक पेंशन का संदाय करने और अन्य सुविधाएं देने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। प्रो० के. वी. थामस द्वारा पेश किये गये 'आतंकवाद के पीड़ितों के आश्रितों का पुनर्वास विधेयक' का नाम ही प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करता है क्योंकि आज उग्रवाद विश्वव्यापी समस्या है। हमारे देश में, पंजाब उग्रवाद से ग्रस्त राज्य था। वहां खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों ने उग्रवाद फैलाया था। कुछ दिन पहले असम में लगभग 100 व्यक्ति मारे गये थे और वहां पुनर्वास–योजना शुरू की गई थी। इस राज्य में उग्रवाद की अनेक घटनाएं घटी है। अब, कश्मीर में तबाही हो रही है। आध्यात्मिक रूप से भारत विकसित देश है, लेकिन भारत जैसे देश पर उग्रवाद थोप दिया गया हैं। भारत में उग्रवाद का संचालन विदेशी एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश में यह सिद्ध किया जा रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर घाटी में आज से ही नहीं बल्कि भारत–पाकिस्तान के विभाजन के दिन से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इसी वजह से, मैं एक दृष्टि से भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के इतिहास का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं इस विषय पर बहस करता जाऊंगा। पाकिस्तान की यह भूमि, उग्रवाद के इतने अधिक पक्ष में क्यों है? क्योंकि इसकी यही आदत है। अक्तूबर, 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के बाद, पाकिस्तान ने श्रीनगर पर हमला किया। उस समय कश्मीर एक स्वायत्तशासी राज्य था। राजा हरि सिंह एवं शेख अब्दुल्ला ने अपनी जनता की रक्षा करने के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया क्योंकि वहां घरों को जलाया एवं लूटा गया था; जनता पर गोली बारी की गई थी; उस समय महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था इसी कारण उन्होंने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। उन्होंने भारत से कश्मीर को अलग करने का भी अनुरोध किया था। लेकिन, पहले तो भारत के निर्माता पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया क्योंकि वह एक महान व्यक्ति थे, एक ऐसे महापुरूष थे जिन्होंने विश्व को पंचशील का सिद्धांत दिया। इसी वजह से पहले तो उन्होंने इन्कार कर दिया। बाद में, जब बहुत अधिक अनुरोध किया गया तो उन्होंने भारतीय थल सेना को कार्रवाई करने के निर्देश दिये तथा भारतीय थल सेना ने वहां पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान एहसान फरामोश कैसे है भारत के अंतिम वायसराय लार्ड माउंटबेटन के साथ हुए समझौते के अनुसार, भारत को पाकिस्तान को 438 करोड़ रूपये की राशि एक तरह से सहायता के रूप में देनी पड़ी थी। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तथा जब कश्मीर स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बन गया, तो उस वक्त सरदार बल्लभ भाई पटेल ने यह धनराशि पाकिस्तान को देने से इन्कार कर दिया क्योंकि उस समय सरदार बल्लभभाई पटेल ने यह कहा था कि यह धनराशि का पाकिस्तान द्वारा उपयोग भारत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए किया जायेगा। बिलकुल वैसा ही हुआ। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने व्रत रखना शुरू कर दिया तथा उनका यह कहना था कि अपने वायदे के अनुसार यह धनराशि पाकिस्तान को दी जानी चाहिये। पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा सरकार बल्लभभाई पटेल दोनों ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत आदर किया करते थे। इसी वजह से इस राशि का भुगतान किया गया था। मैं इस प्रकार के इतिहास का यहां उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ देशों तथा कुछ लोगों की इस धरती पर उग्रवाद फैलाने की आदत होती है। उन्हें उग्रवाद

भड़काने में खुशी होती है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि जीवन का मूल्य क्या है। जीवन क्या है? एक महान विद्वान ने यह लिखा है :

"जीवन क्या है, हम रहन–सहन में खो गये हैं,

बुद्धिमत्ता क्या है, हम ज्ञान के भंडार में खो गये हैं।

ज्ञान क्या है, हम जानकारी हासिल करने में खो गये थे।

बीसवीं सदी के चक्र परमात्मा से दूर हैं, परंतु विनाश के नजदीक है।"

महोदय, हम जीवन का मूल्य नहीं जानते। यही वजह है कि पाकिस्तानी संस्कृति तथा परम्पराओं में कोई धर्म नहीं है। लेकिन पहले पाकिस्तान के लोग अत्यधिक सभ्य एवं जीवन के मूल्यों के प्रति अत्यंत सजग थे। मोहम्मद अली जिन्ना के पोते कवि मोहम्मद इकबाल ने यह पक्तियां लिखी हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत–पाक के विभाजन की मांग की थी। लेकिन मोहम्मद इकबाल उनके ही पोते ने ये गीत लिखा है:

[हिन्दी]

"सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा"

[अनुवाद]

भारत यह जानता है कि जीवन के मूल्य क्या हैं क्यों कि भारत अध्यात्मिक रूप से विकसित देश है। अध्यात्मिकता के क्षेत्र में भारत संसार का नेतृत्व कर रहा है। अब क्या हो रहा है? विश्व में हर जगह, उग्रवाद चल रहा है। हमें उग्रवाद के पीड़ितों के परिवारों की दशा के बारे में सोचना होगा। इसी वजह से प्रो० के० वी० थामस द्वारा लाया गया यह विधेयक एक अत्यंत उपयोगी विधेयक है। उन्होंने इस विधेयक के खंड 3 में यह उल्लेख किया है कि उग्रवाद के पीड़ितों के आश्रितों को 2000 रूपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जानी चाहिये। उन्होंने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि पेंशन के वितरण के लिए 20 करोड़ रूपये की धनराशि आरक्षित निधि के रूप में रखी जानी चाहिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभा से एक अपील करना चाहता हूं। सरकार को इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। उग्रवाद को दबाने के लिए इस सभा के समक्ष एक व्यापक विधेयक अलग से लाया जाना चाहिये। इस सभा के समक्ष एक ऐसा विधेयक लाया जाना चाहिये, जिसमें उग्रवाद के पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा देने का प्रावधान हो। भारत कुर्बानी देने में विश्वास रखता है। भारत की जनता ने एक परिवार, अर्थात नेहरू परिवार देखा है, जिसने कि इस देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए अपनी जान दे दी। उन्हें इस देश की भाग्य–निर्मात्री के रूप में ही जाना जाता था। श्री राजीव गांधी को भी इस देश के निर्माता के रूप में ही जाना जाता है। उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। इसी प्रकार हमें जीवन का मूल्य पहचानना चाहिये तथा हमें उन लोगों का समर्थन करना चाहिये, जिनकी उग्रवाद का शिकार होने के कारण दशा गम्भीर है अथवा खराब है। मैं यहां यह

कहना चाहता हूं कि भारत इस उक्ति में विश्वास रखता है :

[हिन्दी]

सर्वे भवन्तु सुखिनाय;
सर्वे सन्तु निरामया;
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्।

[अनुवाद]

उग्रवाद से शिकार हुए लोगों को गम्भीर दुखःद स्थिति में छोड़ दिया जाता है। उन सभी की हर कीमत पर सहायता करनी चाहिये। प्रो० थामस ने यह विधेयक इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है। सभा के समक्ष इस प्रकार विधेयक प्रस्तुत करने तथा सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। सरकार को इस सभा में एक सम्पूर्ण विधेयक प्रस्तुत करना एवं उसे पारित करवाना चाहिये।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, मैं सर्वप्रथम प्रो० थामस को इस सम्माननीय सभा में इतना महत्वपूर्ण विधान पुरःस्थापित करने के लिए बधाई देना चाहता हूं।

आतंकवाद का शिकार हुए लोगों के आश्रितों का पुनर्वास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आतंकवाद अब एक विश्वव्यापी घटना है। हम यह देख सकते है कि विभिन्न सरकारें किस तरह से आतंकवाद का सामना करने की कोशिश कर रही है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी आतंकवाद वहां की सरकारों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। वह अपने स्तर पर इन आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। अमेरिकी प्रशासन और ब्रिटेन सरकार भी आतंकवाद का सामना कर पाने में सफल नहीं हो पाई हैं। अब वे अपनी पूरी ताकत से इसका सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। अब केवल विकसित देशों में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम विभिन्न प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां देख सकते हैं। इन देशों की सरकारें भी आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए विभिन्न तरीके अपना रही हैं। हम देख रहे हैं कि ये गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। भारत भी इस चुनौती का सामना कर रहा है।

जबकि हम आतंकवाद पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि आतंकवाद किन कारणों से पनपता है, एक इन्सान आतंकवादी कैसे बनता है। इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। यद्यपि हम हथियारों से आतंकवाद का सामना कर सकते हैं लेकिन वह इसका कोई समाधान नहीं है।

इसके बेरोजगारी जैसे कुछ गंभीर कारण है। भारत जैसे देश में हजारों लोग स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्रियां लेकर रोजगार की तलाश में है। लेकिन जब वे लोग कालेजों से बाहर निकलकर आते हैं तो उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके

वे जब शैक्षिक संस्थाओं से बाहर निकल कर आते हैं और यह देखते हैं कि रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है और उन्हें भूखों मरना होगा और जब वे रोजगार मांगने के लिए जाएंगे तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा तो निश्चित रूप से उनका दिमाग चकरा जाएगा और अन्ततः वे आतंकवादी बन जायेंगे। इसके अनेक उदाहरण है। बेरोजगारी, गरीबी, भूख और सभी तरह के शोषण कुछ वर्गो के लोगों के अलगाववादी दृष्टिकोण के साथ–साथ सांप्रदायिकता आतंकवाद के मुख्य कारण है। हम देखते हैं कि इन कारणों की वजह से आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

दूसरा कारण कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा किया जाना है। श्री सूरज मंडल जी यहां पर मौजूद है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनकी सरकार आतंकवादी सरकार है। लेकिन जब हम झारखंड जैसे स्थान विशेष की उपेक्षा कर रहे हैं जहां काफी संपदा है, जहां पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ है जहां दूसरी प्राकृतिक संपदा जमा है और जो लोग वहां रह रहे है उन्हें कोई अवसर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सरकार उस क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा कर रही है; सरकार उनकी समस्याएं हल करने की कोशिश नहीं कर रही है और उनकी तरफ उचित रूप से ध्यान नहीं दे रही है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कोई आंदोलन जन्म लेगा और वे किसी समय लड़ने के लिए हथियार उठा लेगें। सरकार के इस उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण से समाज में निश्चित रूप से भ्रांति और संकट उत्पन्न होगा।

उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को लिजिए। वहां के लोग भी स्वयं को अलग–थलग महसूस करते हैं। वे राष्ट्र की मुख्य धारा में रहना चाहते हैं। लेकिन जब उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है और उनकी समस्याओं पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है तो निश्चित रूप से अलगाववादी ताकतें उभर कर सामने आएंगी और आतंकवादी गतिविधियां होगी।

मैं समझता हूं कि इंसान मूल रूप से आतंकवादी नहीं होता है। लेकिन जब उसकी समस्याओं को हल नहीं किया जाता है और जब समाज उसकी जरूरतों की परवाह नहीं करता है तो निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधियां शुरू होगीं मेरे मित्र श्री किरिप चलिहा यहां पर मौजूद है। जब मैं युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का अध्यक्ष था तो हम नियमित रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा करते थे। उस समय उल्फा और असम गण परिषद् असम के उपरी भाग और अन्य स्थानों पर भी बहुत सक्रिय थे। हमने युवकों से बात की। उनकी अपनी समस्याएं थी जो अभी भी हैं। हम दोनों शिवसागर भी गए। उन बुरे दिनों में जब हमने बहुत से नौजवानों से बात की। वे राष्ट्र की मुख्य धारा में बने रहना चाहते थे। उनकी अपनी समस्याएं थी और उनकी समस्याओं को हल नहीं किया गया है।

दूसरा कारण असमान विकास है। देश में संतुलित विकास नहीं हो रहा है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन कारणों से लोग किसी भी समय आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जायेंगे।

जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ? यदि हम समस्याओं पर सच्चाई से गौर करें तो हम देख सकते हैं कि घाटी के लोग पूरी तरह से उपेक्षित हैं। इस क्षेत्र में विकास गतिविधियां भी पूरी

तरह से उपेक्षित हैं। मैं प्रधान मंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने घाटी में रेल लाइनों के लिए 3000 करोड़ रूपये निर्धारित किए हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थी, उस समय उन्होंने इस परियोजना को मंजूर किया था। लेकिन इसमें विलम्ब हो गया। तब से कितने वर्ष बीत गए हैं? उसका कुछ नहीं हुआ और वह रेल परियोजना पूरी तरह से रूक गई। अब इस सरकार ने उस परियोजना को बहुत गंभीरता से लिया है और उसके लिए धन भी आवंटित किया है।

इस तरह से घाटी के लोग पूरी तरह से अलग थलग है। उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। संतुलित विकास नहीं हुआ। मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोर देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार आतंकवाद का एक मुख्य कारण है। जब सरकारें भ्रष्ट हैं, जब मंत्री भ्रष्ट है; और जब विकास कार्यों के लिए आवंटित धन कुछ लोगों की जेबों में जाएगा तो लोग राष्ट्र के युवक निश्चित रूप से इसके खिलाफ जाएंगे और वे इसका विरोध करेंगे। आतंकवादी गतिविधियों के लिए यह भी एक कारण है। अतः भ्रष्टाचार, केवल सार्वजनिक जीवन में ही नहीं बल्कि सभी स्तरों पर, से ऐसी मानसिकता बनेगी और इससे इस तरह की गतिविधियों को बढावा मिलेगा।

हम अब पंजाब में क्या देख रहे हैं? पंजाब का प्रशासन, पंजाब की सरकार और श्री बेअंत सिंह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। उन्होंने पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल कर दी है। वहां पर आतंकवादी गतिविधियों में कमी आ रही है। बहुत से लोग पंजाब आ रहे है और अपना पैसा वहां पर निवेश कर रहे हैं। वहां पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है। यदि सामान्य हालत बने रहते हैं तो सरकार को पंजाब राज्य को और अधिक महत्व देना चाहिए। वहां पर अभी भी समस्याएं है और उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम पंजाब में निश्चित रूप से शांति और सौहार्द बनाए रखने में सफल होगें। सामान्य हालात बने रहने चाहिए और यदि हालात सामान्य बनाए रखने हैं तो हमें पंजाब के लोगों की समस्याओं की तरफ और अधिक ध्यान देना होगा।

जब आतंकवादी गतिविधियां चरम सीमा पर थी उस समय मैंने पंजाब के विभिन्न जिलों को दौरा किया था। जब हमने लोगों, विशेषरूप से युवकों से बात की तो उन्होंने बहुत से प्रश्न किए। पंजाब हमारे देश के धनी राज्यों में से एक हैं। वास्तव में पंजाब राष्ट्र की धनसंपति में अभिवृद्धि कर रहा है। लेकिन वहां के लोगों की समस्याएं अभी तक जैसी की वैसी बनी हुई है। यदि इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और जब तक उनका हल नहीं ढूंढा जाता है तब तक निश्चित रूप से इस तरह की प्रवृति पनपेगी। विदेशों में ऐसी एजेंसियों हैं जो इस स्थिति का फायदा उठाना चाहती हैं। पाकिस्तान और कुछ अन्य देश हमारे देश में संकट और भ्रांति फैलाना चाहते हैं। कुछ एजेंसियां ऐसी है जो भारतीय उप महाद्वीप में संकट उत्पन्न करना चाहती है और भ्रांति फैलाना चाहती हैं। जब हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है और जब हमारे देश में स्थिति बहुत ही खराब है तो ये एजेंसियां हस्तक्षेप करने और स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, असम और अन्य स्थानों पर भी यही हो रहा है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

माननीय आंतरिक सुरक्षा मंत्री जी यहां पर उपस्थित है। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ हथियारों

और गोलाबारूद से काम नहीं चलेगा। केवल हथियारों और गोलाबारूद से आतंकवादी गतिविधियां नहीं रूकेगी। कुछ मूल समस्याएं हैं। हमारी सरकार को इन समस्याओं को हल करने के लिए आगे आना चाहिए। हमारे कर्मठ मंत्री श्री राजेश पायलट जी के मंत्री बनने से पहले, जब वह केवल संसद सदस्य थे, उन्होंने इन सभी स्थानों का दौरा किया था। वह लोगों से मिलें। उन्होंने उन समस्याओं के हल के लिए कुछ पहल की थी। अतः वह लोगों की समस्याएं मानते हैं। केवल हथियारों और गोलाबारूद से या केवल सैनिक कार्रवाई से या केवल पुलिस कार्रवाई से ही उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

निश्चित तौर पर हमें पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों की सहायता करनी है। मैं प्रो. के. वी. थामस की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हमें उन परिवारों को पेंशन लाभ के रूप में 2000 रूपये से अधिक देने चाहिए और हमें उनके बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। हमें उनको और अधिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए।

मैं निजी तौर पर इस बात को जानता हूं कि बहुत से युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ता उस समय अपने सामान से हाथ धो बैठ थे जिस समय पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों अपनी चरमसीमा पर थी। उनमें से बहुत से लोग मारे भी गये। बहुत से लोग अभी भी विकलांग है। वहां ऐसे बहुत से लोग है। जब हम उनके घरों में जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वे किस तरह की दर्दनाक स्थिति में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मैं एक दर्जन ऐसे लोगों को नाम से जानता हूं जो अपनी आंखे और हाथ गंवा बैठे है और अब दर्दनाक स्थिति में रह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति उनकी देखभाल के लिए नहीं है। मैं प्रो. थामस को बधाई देता हूं जिन्होंने यह मामला सरकार के समक्ष उठाने की पहल की है। सरकार को आश्रितों की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए उन्हें आर्थिक तथा अन्य सहायता प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक बार पुनः उन्हें बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सोचता हूं कि सरकार उनकी शिकायतों के निवारण के लिये तत्काल कतिपय उपाय करेगी।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं अपने साथी प्रो. के. वी. थामस द्वारा प्रस्तुत विधेयक में कही गयी बात का पूरे मन से समर्थन करता हूं। इस कदम को उठाने के लिए हम वास्तव में उनके आभारी हूं। अब हमारे देश में आतंकवाद समाप्त हो गया है। यदि हम आतंकवाद के इतिहास पर नजर डालें, तो आज स्थिति पूर्णतया भिन्न है। यदि हम यह देखें कि कश्मीर में इस समय क्या हो रहा है और पंजाब में तथा पूर्वोत्तर में विशेषकर असम में क्या हुआ था तो हम इसे आतंकवाद से भी कोई बड़ी चीज कह सकते हैं क्योंकि वह कोई स्थानीय समस्या नहीं थी। वह समस्या हमारी सीमाओं के बाहर की शक्तियों द्वारा पैदा की गई थी। आतंकवाद के बारे में एक नया मुहावरा बन गया है – पाकिस्तान तथा अन्य पड़ौसी देशों द्वारा छद्मम युद्ध। यदि एक बार युद्ध हो जाये तो युद्ध प्रभावित लोगों को बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन आतंकवाद की यह प्रक्रिया किसी भी सूरत में युद्ध से कम नहीं है। यह हमारे शुत्र द्वारा हमारी सीमाओं पर एक अघोषित युद्ध है और उन राज्यों के लोगों के खिलाफ है जो सीमावर्ती राज्यों में रहते हैं। यह केवल ऐसा युद्ध ही नहीं है जो हमारे सामान्य जीवन में

बाधा डालने की कोशिश करता है। यह हमारे देश और हमारे समाज को विखण्डित करने की कोशिश करता है। यह हमारे देश में विभिन्न धर्मों में साप्रदायिक दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करता है। विगत 47 वर्षों, यानि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर इस देश के लोग भाईयों की तरह रहते रहे है। लेकिन यह नई रणनीति केवल आतंकवाद ही नहीं है बल्कि यह एक ऐसी स्थिति पैदा करने के आशय से है जिसमें हम बंट जायेंगे और हमारा देश और हमारा समाज विखंडित हो जायेगा। अतः, यह बहुत बड़ी रणनीति है। ऐसी रणनीति से प्रभावित पीड़ित लोगों की हमें पूरी सहायता करनी चाहिए।

मैं जानता हूं कि केवल राज्य सरकारें ही ऐसे परिवारों को राहत प्रदान करती रही है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है। यहां पर बाढ़ आती है। यहां अत्यधिक वर्षा हो जाती है। सूखा पड़ जाता है। तूफान आ जाते हैं लेकिन यह आपदा केवल आपदा ही नहीं है बल्कि यह हमारे देश को विभाजित करने की रणनीति है।

केन्द्र सरकार अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में प्रभावित लोगों की सहायता करती रही है। केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा कोष की भी स्थापना की गई है। राज्यों के स्तर पर भी इसी तरह के कोष स्थापित किये गये है जिसमें हमने अंशदान किया हैं। लेकिन मुझे यह देख कर दुख हो रहा है कि अभी तक केन्द्रीय स्तर पर ऐसा कोई कोष स्थापित नहीं किया गया है जिससे आतंकवाद से पीड़ित लोगों की सहायता की जा सके। इस विधेयक के अंतर्गत ऐसे कोष की स्थापना का प्रावधान है और इसलिए मैं इस का स्वागत करता हूं। किसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष भी है। लेकिन इस कोष से जो सहायता प्रदान की जाती है, वह वास्तव में, बहुत ही कम है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक में बहुत से सुधार किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पहला कदम है और यदि हम पहले कदम में सफलता प्राप्त कर लेगें तब हम उन सभी बातों के मामले में सफलता प्रदान कर लेगें जिनके बारे में निश्चय ही सुधारों की आवश्यकता होगी।

एक ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि जैसे कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित हुआ हो। लेकिन महोदय हमने ऐसे परिवार देखें हैं जहां केवल एक नहीं बल्कि सभी पुरूष सदस्यों का कत्ल कर दिया गया है और दो, तीन आर पांच वर्ष की आयु के बच्चों को तथा विधवाओं को ही जीवित छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार ऐसे मामले भी हैं जहां कि भोले भाले लोगों के नरसंहार की एक अथवा दो घटनाये ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर नरसंहार की घटनाएं हुई है। ऐसी स्थिति में हमें निश्चित तौर पर मामले पर और अधिक गहराई से विचार करना चाहिए जिससे ऐसे परिवारों को सहायता प्रदान करने की बात सुनिश्चित की जा सके। आतंकवाद से केवल साधारण परिवार ही पीड़ित नहीं हुए है बल्कि हमारी सुरक्षा सेवाएं और ऐसे अन्य लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं जो आतंकवादियों से लड़ाई करते हुए मारे जाते हैं। उनके रिस्तेदारों को भी सहायता की आवश्यकता होती है। इसी तरह से देश में ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं जोकि दंगों के कारण उत्पन्न होती है। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए, देश के अन्य भागों में भी सांप्रदायिक दंगे हुए जहां कि इन दंगों से प्रभावित अधिकांश परिवार किसी ठोस सहायता

की तलाश में अभी भी दर दर भटक रहे हैं।

बड़े पैमाने पर पलायन के कारण भी परेशानियां पैदा हो जाती है। मेरे राज्य पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर और इसी तरह के सीमावर्ती जिलों से काफी लोग पलायन कर गये। लोगों की सम्पत्ति, उनका कारोबार और उनके आजीविका कमाने के तमाम साधन नष्ट हो गये। अन्य स्थानों पर भी पलायन की घटनायें हुई हैं। दिल्ली में हम देख रहे है कि लोग जम्मू और कश्मीर से पलायन कर आ रहे हैं। इन लोगों को भी सहायता की आवश्यकता है। इस विधेयक में ऐसे किसी भी प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। मेरा यह सुझाव है कि हमें इस विधेयक में ही इस आशय का प्रावधान शामिल करना चाहिये कि जो परिवार का पलायन के कारण अनेकों परेशानियां झेलते हैं उन्हें भी इसी तरह की सहायता और राहत प्रदान की जानी चाहिये।

जहां तक आतंकवाद से पीड़ित लोगों का संबंध है, मुझे ऐसे कुछेक मामलों का भी पता है जहां केवल एक ही व्यक्ति मारा गया है बल्कि सभी के सभी पुरूष सदस्य तीन–तीन पीढ़ियां–दादा, पिता और पुत्र को मार दिया गया और एक ही घर में तीन बेबस विधवाएं, युवा बहु सास और दादी को असहाय बना कर रख दिया। यदि ऐसे मामलों में आप सहायता के लिये आगे नहीं आते, तो और कौन व्यक्ति आगे आएगा और राहत तथा सहायता प्रदान करेगा? हम पंजाब सरकार के प्रति अति आभार व्यक्त करते हैं जिसने ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए काफी कुछ किया है। वे परिवार में प्रत्येक पीड़ित सदस्य को एक लाख रूपया दे रहे हैं और प्रत्येक परिवार में एक पात्र सदस्य को रोजगार भी दे रहे है।

राज्य सरकार के पास सीमित साधन होते हैं। केवल पंजाब में ही लगभग 50,000 लोग तथाकथित आतंकवादी गतिविधियों का शिकार हुए थे। इन आतंकवादियों को हमारी सीमाओं के बाहर की ताकतों द्वारा उकसाया जाता है। वे ताकतें इनकी सहायता करती है, इन्हें मदद देती है और इनके लिये वित्त की व्यवस्था भी करती है। मेरे विचार से ये लोग केवल आतंकवादी ही नहीं कहा जाना चाहिये। ऐसी आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हुए लोग केवल राज्य सरकार से ही सहायता की अपेक्षा नहीं करते बल्कि केन्द्र सरकार से भी अपेक्षा करते हैं। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार करने के लिए आगे आएगी अथवा कम से कम कोई ऐसा व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी जिसके द्वारा आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके।

(उपाध्यक्ष महोदय - पीठासीन हुए)

05.36 म.प.

आतंकवादियों का शिकार हुए लोग किसी एक धर्म के नहीं हैं। वे लोग विभिन्न धर्मो से संबंध रखते हैं। वे किसी एक दल के भी सदस्य नहीं हैं। वे विभिन्न दलों से संबंधित हैं। राज्य में सर्वाधिक प्रभावित दल कांग्रेस रहा है क्योंकि कांग्रेस दल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की है। इसी तरह से, अन्य राज्यों में भी कांग्रेस जनों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्या आप नहीं समझते हैं कि वे हमारे सहानुभूति के पात्र है?

मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण राष्ट्र को उन परिवारों की मदद करने और साथ देने के लिए आगे आना चाहिये। ऐसे कई भूतपूर्व वरिष्ठ विधायकों को आतंकवादियों ने अपना शिकार बनाया है ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था और आतंकवादियों का विरोध किया था तथा उनका पर्दाफाश करने की कोशिश की। यह उनका कसूर था। इसलिए उनकी दिन दहाड़े हत्या की गई थी। उनके परिवार को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उनकी आतंकवादियों से कोई निजी दुश्मनी नहीं है लेकिन वह देश की एकता और अखण्डता चाहते थें इसलिए वे आतंकवादियों "की हिट लिस्ट" में थें। उनका पीछा किया गया और उनको मार दिया गया। ये सामान्य आतंकवादी नहीं थे। उनकों सीमा पार के प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया था। भारत सरकार के पास इसके काफी प्रमाण है। उनके पास अति आधुनिक हथियार थे जो कि उस समय हमारी पुलिस के पास नहीं थे। उनके पास वायरलैस उपकरण थे जो कि हमारे सुरक्षा बलों को उपलब्ध नहीं थे और ये सभी उपकरण सीमा के उस पार से भेजे गये थे। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद क्या हम इन घटनाओं को मात्र आतंकवादी गतिविधियां कह सकते हैं? यह निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है। कुछ गुमराह लोग ही आतंकवादी हो सकते हैं। लेकिन ये मात्र गुमराह लोग नहीं थे, ये तो आतंकवादी थे जिन्हें पाकिस्तानी और अन्य ताकतों ने प्रशिक्षण दिया था। इस संबंध में हम अपने पड़ोसी राष्ट्र के प्रति काफी उदार रहे हैं। पंजाब में जो कुछ हुआ और जम्मू–कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में सुनने के बाद यह कहा जा सकता है कि यदि यह अघोषित युद्ध नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह उस से कम भी नहीं है और ऐसी परिस्थिति में सरकार को सचेत रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान की शरारत को और बर्दाश्त न करें। जब तक हम ऐसा कदम नहीं उठाते तब तक सीमा के उस पार से हमारे देश में आतंकवादियों की घुसपैठ को अथवा देश में बढ़ते हुए आतंकवाद को रोकना बहुत कठिन होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन शक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो कि इन आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं।

इस आतंकवाद के पीड़ितों विशेषकर पुलिस सुरक्षा कर्मियों को सहायता की जरूरत है। उनको केवल पेंशन अथवा रोजगार की ही नहीं बल्कि ऐसी अन्य कई सुविधाओं की जरूरत हैं जो उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक हैं। विशेषकर जो अपने निवास–स्थान से प्रवास कर चुके हैं, उनको उचित रूप से बसाये जाने की आवश्यकता है। उनको अपना कारोबार स्थापित करना है। उनको सरकार की ओर से और अधिक सहायता की जरूरत है ताकि वे अपने जन्म–स्थान जा सकें और नये सिरे से अपना कारोबार शुरू कर सकें।

मैं यह कहना चाहूंगा कि स्थिति में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक भारत सरकार इसे राज्य सरकार के भरोसे न छोड़ कर इसकी जिम्मेदारी खुद नहीं ले लेती। पंजाब सरकार ने इस समस्या का सामना बहुत अच्छी तरह से किया है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब पंजाब में राष्ट्रपति शासन था, हम हर एक गांव में जाते थे जहां कोई न कोई व्यक्ति आतंकवादियों की गोलियों का शिकार होता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय ऐसी कई घटनायें होती थी, जब कि एक साथ 30 चिताओं को जलते देखा जा सकता था। इस तरह से हमने ऐसी

अकल्पनीय दृश्य देखें है जो कि एक व्यक्ति के लिए देखना कठिन है। हम उन दृश्यों को अभी भूले नहीं है।

मैं समझता हूं कि जो परिवार आतंकवादियों के षडयंत्र के शिकार हुए हैं उन्हें केवल राज्य सरकार का ही नहीं बल्कि केन्द्र सरकार के सहायता की भी आवश्यकता है। इसके अलावा मेरा आन्तरिक सुरक्षा मंत्री से अनुरोध है कि पंजाब में अभी भी आतंकवादियों का खतरा है। हमने राज्य में पहले की अपेक्षा और अधिक सुरक्षा बल तैनात किये हैं। सुरक्षा बल पर होने वाला व्यय 20 करोड़ रूपये से बढ़कर लगभग 300-400 करोड़ रूपये हो गया है। हमें इतनी भारी धनराशि अपनी सुरक्षा पर यह सुनिश्चित करने के लिए व्यय करना पड़ रहा है कि भविष्य में आतंकवादी हमारा शोषण न कर सकें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान और अधिक अशान्ति न फैलाये और जनता के साथ कोई शरारत न करें। बड़ी संख्या में जिन सुरक्षा बलों को राज्य में तैनात किया गया है, वे पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ छोड़े गये अघोषित युद्ध अथवा छद्म युद्ध का सामना करेंगे। यह युद्ध अमृतसर और गुरदासपुर और पंजाब के हर एक गांव में चल रहा है। भारत सरकार ने पंजाब को जो ऋण दिया है, उसे अनुदान समझा जाना चाहिए क्योंकि यह धनराशि केवल पंजाब की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश की रक्षा के लिए व्यय की गई।

आतंकवादियों से प्रभावित परिवारों की मदद करने के साथ–साथ उन सभी राज्यों को भी सहायता दी जानी चाहिए जिनकी अर्थव्यवस्था आतंकवादी गतिविधियों के कारण चरमरा गई है। इन राज्यों को और अधिक सहायता की आवश्यकता है ताकि वे उन ऋणों से मुक्त हो सके जो कि इस स्थिति का सामना करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था कि ऐसी आतंकवादी गतिविधियां भविष्य में पुनः न हों। कुल मिलाकर, मैं समझता हूं कि हमें बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना होगा और साथ ही और कड़े उपाय किये जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। मैं महसूस करता हूं कि भारत सरकार को पूरे व्यय वहन करना चाहिए क्योंकि यह केन्द्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह खतरा केवल जनता को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश को है।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि सरकार और अधिक व्यापक कानून तैयार करेगी ताकि सभी जरूरत मंदों की सहायता कर सकें। मैं केरल और अन्य राज्यों के अपने उन मित्रों का आभारी हूं जो पंजाब की जनता की सहायता के लिए आगे आये हैं। उन्होंने मुसीबत के समय पंजाब की जनता की सहायता की। पंजाब की जनता उनकी बहुत आभारी है। हम इस विधेयक का समर्थन करने के लिए श्री थामॅस, श्री चेन्नितला और अन्य सदस्यों के आभारी है। चूंकि यह सम्पूर्ण राष्ट्र की आवाज है, मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार इनमें से कुछ उत्तरदायित्व और दायित्व निभाने में राज्य की सहायता करेगी।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मैं प्रो. के. वी. थामॅस जी की आभारी हूं कि उन्होंने इस माननीय सभा में बहुत ही प्रासंगिक विषय उठाया है। आतंकवाद से पीड़ित व्यक्ति

के संबंधियों का पुनर्वास सहज न्याय का मामला है। और यह हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि केवल सत्ताधारी दल ही इन हताश भाईयों के लिए कुछ कर रहा है। मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि कुछ ऐसे चालक राजनीतिक दल हैं जिनका 1984 के दंगों में भी कुछ स्वार्थ था। हाल के आम चुनावों में, एक राजनीतिक दल, जिसने 1984 के दंगों के बाद की घटनाओं का षडयंत्र रचा, उसने अपने आपको दंगा–पीड़ितों को बचाने वाला या संरक्षण देने वाला बताया है और इस मुद्दे को अपने चुनाव प्रचार में बहुत जोर–शोर से उछाला। मुझे ऐसे राजनीतिक नाटकों पर दया आती है।

मैं पंजाब सरकार को बधाई देती हूं जिसने उन परिवारों के सदस्यों को और अधिक सुविधायें देने का निर्णय लिया है जिनमें वे दुर्भाग्यशाली लोग थे जिन्हें आतंकवादियों ने 1984 के दंगों और उसके बाद के दंगों में मार दिया था। मैं समझती हूं कि पंजाब सरकार ने आतंकवादी हिंसा में मारे गये व्यक्तियों के स्कूल जाने वाले और कालेज जाने वाले बच्चों को क्रमशः 300 और 500 रूपये प्रति माह अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है। यह बात भी प्रशंसनीय है कि वही पंजाब सरकार आतंकवादी हिंसा में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में भी निर्णय ले रही है। मैं यह बात भी भूल नहीं सकती हूं कि सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ितों में से कुछ मृतकों के आश्रितों में से प्रत्येक को 20,000 रूपये दे दिये गये थे। और 1984 से लापता कुछ लोगों के आश्रितों को एक तरह की राहत राशि मिल रही है। घायलों के मामलें में या आवासीय भवनों अथवा अन्य सम्पत्ति को पहुंचाये गये नुकसान के मुआवजे के रूप में बहुत थोड़ी राशि वितरित की गई थी।

यद्यपि अन्य दंगों के दौरान हजारों लोग मारे जाते हैं, फिर भी बहुत कम विधवाओं को पेंशन या तदर्थ राहत मिल रही है। अपने कर्तव्य के रूप में हमें विधवाओं या पीड़ितों के बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर देना चाहिये। मृतकों की मासूम लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता देना, इन निराश परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी सहायता होगी। मैं इस सम्मानीय सदन में ऐसा कहने के लिए बाध्य हूं कि जो सुरक्षा कर्मचारी ऐसे अभागे स्थानों के प्रभारी हैं जहां दंगे हुए हैं, उनका दृष्टिकोण निर्दयतापूर्ण रहा। अगर ऐसे लोग जो कि न्याय दिलाने के लिए उत्तरदायी है, और वे स्वयं ही असहाय लोगों पर अत्याचार करें तो महोदय, इस अत्याचार के शिकार लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए मेरा यह विचार है कि ऐसे दोषी लोगों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। मैं इसके अनेक उदाहरण दे सकता हूं परन्तु मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इससे इस अत्याचार के शिकार लोगों की भावनायें आहत होगी।

इसके शिकार लोगों के आश्रितों को सहायता देने का विचार अच्छा है तथा मुझे आशा है कि सरकार हमारे उन भाइयों को बचाने के लिए विधेयक लायेगी जो कि दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। मुझे आशा है कि इस विधेयक में शिशु बलात्कार को हत्या के बराबर का अपराध माना जायेगा।

हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जो कि एक प्रधानमंत्री के नाती, एक प्रधानमंत्री के पुत्र तथा फिर स्वंय एक प्रधानमंत्री के रूप में हमारे साथ रहे तथा जो आतंकवादियों का शिकार

बन कर हमसे जुदा हो गये, उन्हें प्रणाम करके मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रो० थामस द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो मेरे विचार में ऐसे लोगों की स्थिति को स्पष्ट करता है जिन्हें इस लोकतांत्रिक अथवा स्वतंत्र भारत में अभी तक सरकार, समाज तथा जनता से पूरा न्याय नहीं मिला है जिसके कारण ये अपने आपको उपेक्षित महसूस करते हैं तथा जिसके लिए कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है।

महोदय, मुझे कोहिमा के कब्रिस्तान का एक प्रसिद्ध शिलालेख याद आ रहा है, जिसे मैं उद्धत कर रहा हूं "जब आप घर जाएं, तो उन्हें हमारे बारे में बताये और उनसे कहें कि तुम्हारे वर्तमान के लिए हमने अपना भविष्य न्योछावर कर दिया है।" ये वे वीर लोग थे जिन्होंने हमारे वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया तथा उनके बलिदान के बिना शायद हम अथवा हमारा देश आज वहां नहीं पहुंच पाते, जहां आज वे हैं। उन लाखों वीर लोगों का जीवन आज किसी को याद नहीं। वे उन ताकतों का शिकार बने जो इस देश के हितों की विरोधी थी तथा उनकी जानें किसी दुर्घटना के कारण नहीं गई बल्कि उनकी निष्ठा के कारण गई। जब हम आतंकवादियों के शिकार हुए लोगों की चर्चा करते हैं तो मुझे स्वंय अपनी जिंदगी तथा अपने संघर्ष की याद आती है तथा जिसके बारे में मेरे मित्र तथा मेरे सहयोगी श्री चेन्नित्तला अभी–अभी चर्चा कर रहे थे। मुझे यह भी विश्वास है कि मेरे बड़े भाई श्री राजेश पायलट को भी यह सब अच्छी तरह याद होगा। आज एक संसद सदस्य के रूप में यहां खड़े हुए, राष्ट्रीय युवा आन्दोलन से जुड़े उन लोगों की याद आ रही है जो मेरे सहयोगी थे ; जो हमारे साथे कंधे से कंधा मिला कर चले; जो एक दिन हम से बात कर रहे थे तथा दूसरे दिन इस संसार में नहीं रहे। उनकी केवल उनकी निष्ठा के लिए बेरहमी से हत्या कर दी गई तथा उनकी हत्या का एक कारण यह भी था कि वे यह सोचते थे कि इस स्वतंत्र देश की रक्षा करनी है तथा इस देश में राष्ट्रीयता की मशाल को और अधिक प्रज्वलित करने के लिए बलिदान की अन्तिम सीमा तक जाना उनके लिए आवश्यक हो गया था। इसके कारण उनकी जीवन ज्योति असमय ही बुझा दी गई। आज इस विधेयक पर आपके समक्ष बोलते हुए मुझे वे लोग, उनके परिवार और उनके बच्चों की याद आ रही है।

महोदय, वीरता और बलिदान सदैव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इन्हें अलग–अलग नहीं किया जा सकता। जब भी हम वीरता की बात करते है तो हमें शेक्सपीयर की याद आती है, जिसने कहा था,

> "सभी महान नायकों के चरित्र में कुछ दुखःद विशेषताएं रहती हैं। जब भी आप एक नायक की कल्पना करते है, तो उसका जीवन सदैव रोमांस से परिपूर्ण ही नहीं होता, इसमें दुख अधिक होता हैं।"

इसीलिए शायद हमारे एक कवि ने भी कहा थ उसे मैं उद्धत कर रहा हूं।

> "हम अपने बीते हुए समय और भविष्य के बारे में सोच कर उस पर शोक करते हैं जो हमारे

पास नहीं है। हमारी निश्छल हंसी दुःख से भरी होती है। हमारे सर्वाधिक मधुर गान वही हैं जो हमें सर्वाधिक दुःखद अनुभवों की याद दिलाते हैं।"

जो लोग इस देश में आतंकवाद का शिकार हो गये, जिनकी वीरता के बिना शायद आज यह देश तथा शासन तंत्र जिंदा न होता, उनके लिए कोई कीर्तिगान नहीं गाया जाता।

जब आप अन्य मानवीय पहलुओं को देखते हैं तो कितना दुख होता है? आखिरकार कुछ मानव जीवन समाप्त हो गये हैं। जीवन की हानि सदैव दुःखद होती है जब कि यह संसार की बहुमूल्य वस्तु है। इसलिए यह उन अन्य लोगों का उत्तरदायित्व हो जाता है, कि जो जीवन का फल भोग रहे हैं, वे उन लोगों का ध्यान रखें तथा हर प्रकार से हर संभव सहायता उन लोगों को देने का प्रयत्न करें जो कि उन लोगों के आश्रित हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है।

महोदय, मुझे सरकार की नीति से काफी निराशा है तथा मुझे विश्वास है कि हमारे युवा तथा कर्मठ आंतरिक सुरक्षा मंत्री मेरी व्यथा में सम्मिलित हैं। इस देश में आज ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें हम हत्यारों को पुरस्कार दे रहे हैं, जिसमें हम उन लोगों को पुरस्कार और लाभ दे रहे हैं जो हमारी मातृभूमि पर लोगों की हत्यायें कर रहे हैं। वे लोग जिन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, वे लोग जिन्हें आजीवन कारावास का दण्ड मिलना चाहिए उन्हें इस देश में पुरस्कृत किया जा रहा है।

मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार का पागलपन है जिसमें हम आतंकवादियों के पुनर्वास तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने के नाम पर उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। यहां तक अत्यंत घृणित अपराध भी जरा भी कलम हिला कर माफ किए जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह सब किस लिए किया जा रहा है।

दयालु होना अच्छी बात है। भगवान की तरह होना अच्छी बात है परन्तु मैं नहीं जानता कि आज कोई भगवान है। भगवान स्वर्ग में रहते हैं। किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है। इसलिए, इस पाखंडी मानव जगत में जब कोई भगवान की तरह कार्य करता है तो आप मेरे जैसे निरीह व्यक्ति पर आरोप कैसे लगा सकते हैं जो कुछ हद तक नकारात्मक दृष्टिकोण से ग्रसित है तथा जिसका यह कहना है कि भगवान की भांति व्यवहार करना शायद किसी प्रकार का अवसरवाद, असहायपन, निराशा तथा अनुत्तरदायित्व है?

एक आतंकवादी जो किसी की हत्या करता है उसे पुर्नवास के लिए लाखों रूपये दिए जाते हैं। परन्तु जो व्यक्ति मारा जाता हैं उस के परिवार पर एक सरसरी निगाह डालने अथवा कुछ औपचारिक शब्द व्यक्त करने के अतिरिक्त और कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

महोदय, मुझे महान नेता श्री राजीव गांधी की याद आ रही है जो कि स्वंय इस देश में आतंकवाद का शिकार हो गये। मुझे अभी भी याद है कि जब भी हमारा युवा कांग्रेस का कोई साथी मारा जाता था तो वे स्वंय उसके परिवार को पत्र लिखते थे तथा अगर संभव होता था तो स्वयं उस परिवार से मिलने जाते थे, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते थे तथा यह भी सुनिश्चित करते थे

कि उसके परिवार को कोई न कोई कार्य मिले।

वस्तुतः उन दिनों श्री राजीव गांधी की हिदायत पर श्री राजेश पायलट भी कई स्थानों पर गये थे।

परन्तु मुझे ऐसा कहते हुए खेद है कि अब इस प्रकार की घटनाओं के शिकार लोगों के घर जाना भी एक प्रकार का दिखावापूर्ण व्यवसाय हो गया है। जब भी कोई मारा जाता है, हमारे जैसे नेता उनके परिवारों के पास जा कर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और इससे उन्हें काफी प्रचार मिलता है।

मेरे विचार में यह सब प्रश्न हमें अपने आपसे पूछने का सर्वाधिक उचित समय है। हमें अपने आपको पांखडी कहलवाने का अवसर नहीं देना चाहिए। क्या हमें उन लोगों के साथ भी राजनीति करनी चाहिए। जो मारे गये हैं? हमें उनके लिए कुछ ठोस काम करना चाहिए तथा इस संदर्भ में प्रो० थामस द्वारा लाया गया यह विधेयक स्वागत योग्य है।

महोदय, ऐसी घटनाओं के शिकार लोगों के परिवारों को मासिक पेंशन देने के सिद्धांत से मैं पूरी तरह सहमत हूं, विशेषतया उन लोगों के मामले में जो या ता सरकारी कर्मचारी हैं अथवा पुलिस, सेना अथवा किन्ही अर्ध–सैनिक बलों में कार्यरत हैं। लेकिन आप ऐसे व्यक्तियों को पेंशन कैसे उपलब्ध कराते हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और जो कुछ धन्धा करते हैं। अथवा ऐसे राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं जिनका कोई आय का साधन नहीं है? मेरे विचार से इस सबंध में भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रो० थामस द्वारा प्रस्तुत विधेयक में व्यक्त भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं लेकिन इस दिशा में कुछ और भी किए जाने की आवश्यकता है।

06.00 म.प.

उदाहरण के लिए गैस एजेंसी, पैट्रोल पम्प मिट्टी के तेल की एजेंसी जैसे मामलों में कुछ सुविधाएं और विशेष आरक्षण उपलब्ध कराने की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। विपद्ग्रस्त व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार की स्व–रोजगार योजना पर विचार करना होगा। अगर एक विपद्ग्रस्त व्यक्ति परिवार का कमाने वाला सदस्य है और वह अपने पीछे युवा विधवा और बच्चे छोड़ जाता है तो उसके परिवार को कुछ सहायता दी जानी चाहिए। ऐसे अनेक मामले हैं। मेरे मित्र सहमति व्यक्त कर रहे है। हम जानते हैं कि ऐसे विपद्ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। जब हम उन्हें देखते हैं तो स्वंय को दोषी महसूस करते हैं। मैं निजी तौर पर ऐसे अनेक मामले जानता हूं। मेरे एक मित्र जिला अध्यक्ष थे। उनका अपराध केवल कांग्रेस की बैठक आयोजित करना मात्र था जो कि उनके जिले में एक शैक्षिक कार्यक्रम के लिए थी। पिछले बीस वर्ष से इस विशेष क्षेत्र में कोई भी कांग्रेस की सार्वजनिक बैठक आयोजित करना संभव नहीं था और मेरे इस जिला अध्यक्ष ने मेहनत की, इस कार्य को चुनौती के रूप में लिया और एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने भाग लिया वहां पर हम सभी गए और उग्रवाद तथा अलगाववाद के खिलाफ बोले।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किरिप चलिहा कृपया एक मिनट रूकिए।

क्या हम सभा की कार्यवाही के समय में पांच मिनट और बढ़ा दें ताकि श्री किरिप चालिहा अपना भाषण पूरा कर सके।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किरिप चालिहा, अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री किरिप चलिहा : महोदय, इस प्रकार मेरे मित्र का एकमात्र अपराध एक राजनैतिक दल की सार्वजनिक बैठक आयोजित करना था और इसके लिए बड़ी ही निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई। हम उनकी युवा पत्नी तथा दो बच्चों को यहां लाए और एक मंत्री महोदय तथा अन्य प्रसिद्ध मंत्रियों के पास गए। असम से सभी उग्रणी संसद सदस्य गए और उनके लिए सहायता तथा सुरक्षा मांगी। लेकिन हमें बताया गया कि नियमों के तहत ऐसी अनुमति नहीं है और मानवता के आधार पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। हम अभी तक उस परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाए है। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर सही भावना और सहयोग दर्शाया जाता तो कुछ किया जा सकता था। लेकिन हमारे बीच हर तरह के लोग हैं। हमारे बीच ऐसे लोग है जो बहुत ऊंचे पदों पर है लेकिन उनमें दया बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति में हर तरह के लोग हैं। इस संबंध में कुछ कानून, नियम बनाना अच्छा होगा जिन्हें लागू किया जा सके। इस भावना से प्रो० थामस द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक बहुत सहायक सिद्ध होगा।

महोदय, इन निर्दोष तथा पीड़ित लोगों के किस्सों पर मैं निरन्तर बोल सकता हूं और संभवतः मेरी बजाय कोई अच्छा साहित्यिक लेखक, विशिष्ट गुणों वाला कोई अच्छा कवि इस देश में आतंकवाद के शिकार इन निर्दोष पीड़ितों, इन लोगों की दयनीय स्थिति पर एक और महाभारत अथवा रामायण लिख देता। इस देश की इस राजनैतिक व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती आतंकवादियों से मिल रही है।

महोदय, मेरे मित्रों ने पहले ही इस मुद्दे पर प्रकाश डाला है कि आतंकवादी गतिविधियों के खतरे न सिर्फ आन्तरिक विरोधों के कारण देश के भीतर से ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी आ रहे हैं जैसा कि हम गत कुछ दिनों से समाचारपत्रों में देख रहे हैं।

एक समय था जब हम सोचते थे कि आतंकवाद तो हमारे लिए अनजाना शब्द है। महोदय, मैं अपने स्कूल के दिनों में कार्लोस की आतंकवादी गतिविधियों को बहुत रूचि के साथ पढ़ा करता था। मैं इस बारे में बहुत पढ़ता था। बाडरमेन हॉफ तथा जर्मनी के उसके गैंग के कार्यों को जानने की मुझे बहुत ही जिज्ञासा होती थी। वे सभी व्यवसायिक आतंकवादी थे। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरा देश कार्लोस तथा बाडरमेन होफ जैसे व्यक्तियों से भरा होगा और लोग एक दूसरे की हत्या करेंगे लेकिन अब यह बुराई यहां आ गई है और इसलिए हम सब *का यह कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करें कि आतंकवाद की बुराई को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। मेरे विचार से इसके लिए कुछ मानवीय पहल, पीड़ित व्यक्तियों के प्रति व्यक्तिगत* बधुत्व की भावना व्यक्त की जानी चाहिए।

महोदय, छोटी–छोटी बूंदों से ही बड़ा समुद्र बनता है।

हमारी तरफ से थोड़ी सी पहल के फलस्वरूप संभवत उन लोगों की त्रासदी का बोझ कम होगा जिनकी पंजाब में जान चली गई जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, असम, मेघालय, मिजोरम में आतंकवाद के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गये और उन निर्दोष लोगों का बोझ भी कम होगा जो किसी गलती के बगैर मुम्बई में बम विस्फोटों में मारे गए तथा विभिन्न स्थानों पर जो अन्य लोग रोजाना मारे जा रहे हैं तथा वे पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी जो केवल देश की खातिर अपने घर, परिवार से दूर अपने राज्यों से दूर रह रहे हैं, उनकी कठिनाईयां भी कम होगी।

मेरे विचार से हम उनके प्रति अत्यधिक ऋणी हैं। यह देश, संसद और हम लोग यदि उनका सम्मान करना नहीं जानते और समाज में उन्हें जो उचित स्थान दिया जाना चाहिए, उसे उन्हें नहीं देते तो फिर हमारा समाज रहने लायक नहीं रहेगा। हमारा समाज इस दृष्टि से जीवित नहीं रह पाएगा।

मुझे आशा है और मैं बहुत आशावादी हूं और मुझे विश्वास है कि सभा प्रो० के. वी. थामस द्वारा इस विधेयक की पुरः स्थापना के कारण व्यक्त भावनाओं का सम्मान करेगी और मुझे विश्वास है कि हमारे ओजस्वी तथा युवा मंत्री के द्वारा कुछ सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी हमें उन पर अत्यधिक विश्वास है और सरकार निश्चित रूप से आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक मुश्त प्रस्ताव की घोषणा करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

06.05 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 16 अगस्त, 1994/
25 श्रावण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक
के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/34/15/94 (एन०)
250



© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली-11006 द्वारा मुद्रित ।